राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 11] आठवीं विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का बीसवां दिवस [संख्या 13

मंगलवार,

दिनांक 18 जुलाई, 1989

(विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल बारूपाल, प्रश्न संख्या 119

स्थगित प्रश्न

दिनांक 6.7.89

ग्राम गजनेर (बीकानेर) में प्रौढ़ शिक्षा

119. **श्री मोहनलाल बारूपाल** (जायल) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय पत्र क्रमांक 1790/19.9.1988 में सूचित किया है कि ग्राम गजनेर में 78 प्रतिशत साक्षरता प्राप्त कर ली गई है व 22 प्रतिशत नवम्बर, 1988 तक सम्पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य पूरा कर लिया जावेगा ? यदि हां, तो क्या अब ग्राम गजनेर में हर कोई व्यक्ति ने अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लिया है व अब प्रौढ़ शिक्षण केन्द्र की वहां आवश्यकता नहीं रह गई है ?

(2) क्या यह सही है कि अब भी ग्राम गजनेर में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चालू है व अनुदेशकों को भुगतान किया जा रहा है ? कृपया प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, गजनेर से लाभान्वित व्यक्तियों के नाम, पिता का नाम, जाति, साक्षर वर्ष की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में वर्ष 1988-89 में कितने केन्द्र चलाये गये ? जिलेवार व केन्द्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) जिला बीकानेर के प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र व उनमें शिक्षणरत व्यक्तियों की केन्द्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(उपमंत्री प्राविधिक शिक्षा) **श्री खेमराज कटारा :** (1) जी हां। प्रौढ़ साक्षरता

(उपमंत्री, प्रावैधिक शिक्षा)

का कार्य 15 से 35 आयु वर्ग तक सीमित होता है। गजनेर अभी भी पूर्ण साक्षर नहीं है। अगस्त, 89 के अन्त तक 15 से 35 आयु वर्ग में सम्पूर्ण साक्षरता लक्ष्य प्राप्ति की सम्भावना है। सम्पूर्ण साक्षरता प्राप्ति तक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को चालू रखने की आवश्यकता होगी।

(2) जी हां, लाभान्वित व्यक्तियों के नाम, पिता का नाम, जाति, साक्षर वर्ष की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) राजस्थान प्रदेश में 1988-89 में कुल 19,344 केन्द्र कार्यरत रहे। जिलेवार व केन्द्रवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) बीकानेर जिले में संचालित केन्द्र व उनमें शिक्षारत व्यक्तियों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, यह तो सभी माननीय सदस्यों को पता है कि प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र नहीं हैं यह फ्राड शिक्षा केन्द्र हैं। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से जानकारी करना चाहता हूं कि मैंने प्रश्न के भाग एक में पूछा है, उसका उत्तर नहीं आया है। आपके जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, बीकानेर के पत्र दिनांक 19·9.1988 द्वारा सूचित किया गया है कि ग्राम गजनेर में 78 प्रतिशत साक्षरता प्राप्त कर ली गई है और 22 प्रतिशत नवम्बर, 88 में प्राप्त कर ली जायेगी। इसके बारे में आप मौन हैं। क्या यह जो मैंने हवाला दिया है वह गलत है ? यदि गलत नहीं है तो यह लक्ष्य क्यों नहीं प्राप्त किये गये हैं ? क्या ये केन्द्र नहीं चल रहे थे ? अध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले में, पूरे प्रदेश में जितने भी केन्द्र चल रहे हैं, यह सब की जानकारी में है कि वहां का जो सरपंच है, मास्टर है, या तो उनकी पत्नी है, या उनका कोई खास मर्जीदान है। उनके नाम, सूची में रख देते हैं। न तो वहां प्रौढ़ तैयार होते हैं, न अक्षर ज्ञान होता है। आज के दिन यह क्लेम कर सकते हैं कि पूरा गांव आपका साक्षर हो चुका है ?

मंत्री महोदय मुझे यह उत्तर देकर बता दें कि क्या ग्राम गजनेर में वर्तमान में जो इरिगेशन के कार्य चल रहे हैं और जो उसके मस्टर रोल भरे जा रहे हैं उसमें 90 प्रतिशत अंगूठा है या हस्ताक्षर हैं ? अध्यक्ष महोदय सारे मस्टर रोल अंगूठा लगवा कर भरे जाते हैं और यह कहते हैं कि सब को साक्षर कर दिया। आखिर सत्यता क्या है ? कृपया यह बतावें। मैंने जिस पत्र का हवाला दिया है वह सही है या गलत है ? यदि इन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सके हैं तो इसके पीछे कारण क्या है ? यह आपने 330 की सूची दी है कि ये आदमी वहां साक्षर हो चुके हैं। इसका मतलब तो यह है कि वहां अब कोई 15 से 35 आयु वर्ग का अक्षर ज्ञान के बिना नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री दामोदरदास आचार्य (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य देवीसिंह जी का प्रश्न वास्तव में महत्वपूर्ण है। सम्पूर्ण साक्षरता वास्तव में एक मिथ्या है। ऐसा मैं कह सकता हूं कि एजूकेशनल शिक्षण है इसलिये कहता हूं कि हमने सिर्फ 15 से 35 आयु वर्ग के लोगों को प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र के माध्यम से शिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। 35 से ऊपर आयु के लोगों को क्या साक्षर माना जायेगा या वे निरक्षर रहेंगे लेकिन लिटरेसी मिशन के तहत में किसी भी गांव को सम्पूर्ण साक्षरता के लिये लिया जाता है। वहां निश्चित तौर पर 35 वर्ष की आयु के ऊपर के लोगों को भी लेना चाहिये। मैं इस प्रश्न की गम्भीरता में गया हूं।

मैंने देखा है कि इसमें जितने केन्द्र चल रहे हैं, जिस तरह की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि मुझे सन्तोष नहीं है। मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके अनुसार आज के दिन सिर्फ 21 व्यक्ति ही साक्षर होते रहे हैं। यह सारा स्टेटिसटिक्स का जंजाल है। मैं इसकी गहराई में जा रहा हूं। वहां आज भी 11 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चल रहे हैं जिनकी मैं कोई आवश्यकता नहीं समझता हूं कि 21 व्यक्तियों के लिये 11 केन्द्र चलाये जायें। मैंने इसको गम्भीरता से लिया है। मैं आपकी बात को सही मानता हूं। मैं इसके ऊपर शीघ्र कार्यवाही कर रहा हूं। मेरी यह मान्यता रही है कि यह जो प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र का कार्यक्रम चल रहा है इसको बहुत अच्छी तरह से सुपरवाइज करने की आवश्यकता है। जितनी धनराशि इसमें खर्च हो रही है उसका पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इन केन्द्रों में किस तरह कार्य चल रहा है, उसकी कार्यपद्धति में बदलाव लाने का प्रयास करूंगा। मैं निश्चित तौर से आपकी भावना से जुड़ा हुआ है।

श्री देवीसिंह भाटी : आप मस्टर रोल में अंगूठा लगवाना बन्द करवा दें।

श्री दामोदर दास आचार्य : अंगूठा लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, यह मुझे मालूम नहीं। इंटिगेशन वाले कहां के लोगों को लाते हैं और कहां के लोगों को नहीं लाते हैं।

श्री भंवराराम सूपका (डीडवाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान, चूंकि मंत्री महोदय हमारे नागौर जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूर्व में भी शिक्षा मन्त्री रह चुके हैं, आकर्षित कर पूछना चाहता हूं कि नागौर जिले में जो प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चल रहे हैं क्या मंत्री महोदय ने किसी गांव के प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र का निरीक्षण किया है ?

दूसरा प्रश्न यह है अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर मसला है, हमारे प्रदेश की आम जनता से जुड़ा हुआ है। जितनी धनराशि इन प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों पर खर्च की जा रही है, अगर वह धनराशि हमारे प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शालाएं चल रही हैं उन्हीं में ऐसी व्यवस्था की जाये कि वहीं प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चले। क्या भौतिक सत्यापन कर दूसरी व्यवस्था लागू करने के लिये हमारे मंत्री महोदय विचार रखते हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय खुद महसूस करते हैं सारी चीजें।

(4)

(श्री अध्यक्ष)

श्री खंगार सिंह।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं इनका प्रौढ़ शिक्षा से क्या सम्बन्ध है ?

सीरवी समाज छात्रावास सोजत की भूमि

384. **श्री खंगार सिंह चौधरी** (खारची) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कस्बा सोजत जिला पाली सरहद मौका सोजत चक नं. 1 का गत खसरा संख्या 423 की 8 बीघा 1 बिस्वा भूमि भूतपूर्व जोधपुर सरकार के राज व मंत्री के पत्र क्रमांक 6541 दिनांक 18-4-44 द्वारा सीरवी समाज के छात्रावास हेतु आबादी में परिवर्तन की गई व उक्त भूमि का कब्जा सीरवी किसान सभा को दिया गया व इसी खसरे में से दिनांक 23-11-1967 को 48 बीघा 10 बिस्वा भूमि व खसरा नं. 434 में से 9 बीघा 7 बिस्वा भूमि उप खण्ड अधिकारी द्वारा आबादी में परिवर्तन कर नगरपालिका को सौंपी गयी। यदि हां तो उक्त दोनों खसरों में कब व किस जगह व किसके द्वारा तरमीम की गई ? नक्शा सदन की मेज पर रखें।

(2) कस्बा सोजत चक नं. 1 के गत खसरा नं. 423, 425, 424 व 434 का दिनांक 1.4.1941, 31.12.1967 व 1.1.1974 को राजस्व रेकार्ड में क्या-क्या इन्द्राज थे व प्रश्न के भाग 1 का इन्द्राज कब किया गया व वर्तमान का इन्द्राज क्या है व क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार गलत इन्द्राज व गलत डिक्री को निरस्त कराने की कार्यवाही करेगी।

श्री नरपतराम बरबड़ (राजस्व मंत्री) : (1) जी हां। यह सही है तहसील सोजत जिला पाली सरहद मौजा सोजत के चक नं. 1 का गत खसरा नम्बर 423 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा भूमि भू. पू. जोधपुर सरकार के राजस्व मंत्री के पत्रांक 6541 दिनांक 18.4.44 के द्वारा सीरवी समाज छात्रावास हेतु आबादी में परिवर्तित की गई। उक्त भूमि का कब्जा सीरवी किसान सभा को सौंपने का रिकार्ड में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। दिनांक 23.11.69 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा कोई भूमि आबादी में परिवर्तन कर नगरपालिका को नहीं सौंपी गई बल्कि उपखण्ड अधिकारी, सोजत के आदेश क्रमांक राजस्व/581 दिनांक 10.6.88 व 853 दिनांक 14.8.68 के द्वारा ख. नं. 423 में 47 बीघा 8 बिस्वा तथा खसरा नं. 434 में से 9 बीघा 4 बिस्वा भूमि आबादी में परिवर्तन कर नगरपालिका सोजत को हस्तान्तरित की गई जिसकी तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार तरमीम नहीं की गई। नक्शे की फोटो प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) खसरा नं. 423, 425, 424 एवं 434 के भूमि में दिनांक 1.4.41, 31.12.67 व 1.1.74 तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जो प्रविष्टियां हैं उसका विवरण (संलग्न तालिका) सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(राजस्व मंत्री)

(3) खसरा नं. 423 में 45 बीघा 9 बिस्वा, ख. नं. 424 में 9 बीघा 3 विस्वा, ख. नं. 425 में 13 बीघा 13 बिस्वा, ख. नं. 434 में 6 बीघा 6 बिस्वा कुल 74½ बीघा 1 बिस्वा भूमि जरिये डिक्री दिनांक 7.3.73, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत के द्वारा श्री भक्तिराम पुत्र रामजस के नाम करने के आदेश दिये गये और तदनुसार रिकार्ड में इन्द्राज किया गया। अब डिक्री दिनांक 7.3.73 का कानूनी तौर पर परीक्षण करा लिया जावेगा और भूमि डिक्री कानूनी तौर पर सही नहीं पाई जावेगी तो तदनुसार कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री खंगार सिंह : एक तो इसके अन्दर तरमीमी नक्शा नहीं दिया गया है। आज भी हमारे वहां सिरवी समाज का कब्जा है, डण्डा लगा हुआ है। सन् 44 से लगा करके आज तक उस भूमि पर तहसीलदार ने 18 बीघा जो जमीन को आबादी में की है उस जगह सिरवी समाज का डण्डा बना हुआ है तो भी नगरपालिका इसका हमें पट्टा नहीं दे रही है। बिलकुल आहाता निकला हुआ है। इसके अन्दर जो यह नक्शा और कागज दिये हैं, इसके अन्दर नक्शा तरमीमी जो कि पुराना होना चाहिये था वह तरमीमी नक्शा नहीं है।

इसके अन्दर हर जगह ये घोटाले की नजर से ये कागज है और बिलकुल गलत दिया गया है इसलिये हम तो यह चाहते हैं कि जो आबादी में एस. डी. ओ. ने जमीन की है पहले नगरपालिका के नाम पर उस जगह हमारा डण्डा सन् 44 से आज तक बना हुआ है और भूतपूर्व नरेश का हमारे पास पट्टा है फिर नगरपालिका को क्यों एतराज है कि उसमें आबादी का पट्टा नहीं देवें ?

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : अध्यक्ष महोदय, पूर्व में जोधपुर महाराज ने उक्त जमीन सिरवी समाज के छात्रावास हेतु आबादी में परिवर्तित करके इसका पट्टा भी दे दिया था लेकिन अभी जो म्यूनिसिपेलिटी सोजत है इस जमीन को उसने उसमें लिया लेकिन जिस जमीन पर सिरवी समाज का कब्जा है, मैं राज्य सरकार से यह जानना चाहती हूं कि जब जोधपुर महाराज ने इसका पट्टा दे दिया था और राज्य सरकार ने उस पट्टे को रद्द भी नहीं किया, उस जमीन को वापिस भी नहीं लिया।

सिरवी समाज के पजेशन में वह जमीन है जिसके चारों तरफ दीवार खिंची हुई है तो जमीन की इस समय अब क्या स्थिति है ? क्या राज्य सरकार उसको वापिस लेना चाहती है या सिरवी समाज को देना चाहती है ? यदि सिरवी समाज की जमीन राज्य सरकार मानती है तो डोले के अन्दर वाली तो जमीन का पट्टा क्यों नहीं दिया जा रहा है ? अध्यक्ष महोदय, इसमें लगातार वे कोशिश कर रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं और लाखों रुपया उनका बरबाद हो रहा है इस जमीन के चक्कर में। राज्य सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि इस जमीन के संबंध में राज्य सरकार की क्या स्थिति है ?

(6)

श्री नरपतराम बरबड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय मौके पर चार दीवारी बनी हुई है और कब्जा सिरवी समाज का है। 1944 के अन्दर इसको आबादी में कन्वर्ट करके अलाटमेंट के आदेश दिये थे परन्तु इस नक्शे के अन्दर तरमीम नहीं हो सकी और तरमीम नहीं होने के कारण से दुबारा यह नगरपालिका को दे दी गई। अब इसके लिये मैं कलक्टर, पाली को यह आदेश दे रहा हूं कि तुरन्त इस जमीन पर जिस प्रकार से कब्जा है, उस कब्जे शुदा भूमि का पट्टा जारी कर दिया जावे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज तो शुरू आत अच्छी हुई है साहब।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल जी भार्गव। (व्यवधान)

आपने उनकी तारीफ कर दी और प्रश्न कर्ता की नहीं की ··· (व्यवधान)

देवस्थान बोर्ड

385. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** (किशनपोल, जयपुर) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में देवस्थान बोर्ड का गठन हो चुका है ?

(2) यदि हां, तो राज्य में कौन-कौन से मंदिर इसके अधीनस्थ हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, देवस्थान (श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी) : (1) जी नहीं।

(2) देवस्थान बोर्ड का गठन नहीं किया गया है। अतः इसके अधीन मंदिर होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न है कि जब आप वक्फ बोर्ड का गठन कर सकते हैं तो देवस्थान का अभी तक गठन नहीं करने के क्या कारण हैं ? दूसरा मेरा निवेदन करना है कि क्या आपकी जानकारी है कि आपके लोगों को, कांग्रेस पार्टी के लोगों को लाभ पहुंचाने या कांग्रेस पार्टी का कार्यालय आपके इन सारे मंदिरों में खुले हुए हैं और उनको इसका लाभ पहुंच रहा है कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के कार्यालयों को इसीलिए आप इनका गठन नहीं करना चाहते हैं।

तीसरा मेरा प्रश्न है क्या मंत्री महोदय की जानकारी में है कि जौहरी बाजार सरीके स्थान पर एक रुपया 6 पैसे या तीन रुपये 19 पैसे यानि कि एक-एक रुपये महीने में जो किरायेदार बैठे हुए हैं क्या उन्होंने अनधिकृत रूप से निर्माण कार्य करा कर कब्जा नहीं कर लिया है ? इसलिये इस देवस्थान विभाग के बोर्ड का गठन कब तक हो जायेगा और देवड़ी जी के मंदिर का क्या किराया है और सामने रामचन्द्र जी का जो मंदिर है। जिसमें कांग्रेस पार्टी कार्यालय है और जिसमें मैं नाम तो नहीं लेना चाहता लेकिन कई अच्छे अच्छे आपके कांग्रेस के प्रभावी जो लोग रहते हैं उनसे क्या किराया लिया जा रहा है ?

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि सात राज्यों

(श्री दाऊदयाल जोशी)

में इस प्रकार का देवस्थान बोर्ड बना हुआ है और क्या यह सही है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ मंदिरों की व्यवस्था तमिलनाडु में है और तमिलनाडु में जिस प्रकार का देवस्थान की सुरक्षा के लिए एक बोर्ड का गठन किया हुआ है क्या कभी माननीय मंत्री महोदय ने कष्ट करके उस तमिलनाडु के देवस्थान मंदिर बोर्ड का विधान पढ़ा है अगर नहीं पढ़ा है तो राज्य सरकार कृपा करके तमिलनाडु के आधार पर अध्ययन करके क्या राजस्थान राज्य में भी इस प्रकार के बोर्ड का गठन करेगी ? जो मंदिरों के हित में होगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में देवस्थान की स्थिति इतनी खराब है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि आज मंदिरों में अनाधिकृत कब्जा करके लोग आपा-धापी कर रहे हैं और आपके सामने कर रहे हैं। आप इस पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं ? मैं पूछना चाहती हूं और तमिलनाडु में आपने खूब हमारे साथ अध्ययन किया था और इसी प्रकार का बोर्ड राज्य में लागू करने की बात कही थी। जब सौभाग्य से आपके हाथ में यह विभाग आया है तो आपको बोर्ड का गठन नहीं करने की क्यों बात बनी यह बतायें। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय अध्यक्ष, महोदय यहां बड़ी चौपड़ पर बाई जी के खंदे में एक मंन्दिर पर कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारियों का कब्जा है और उन्होंने कम से कम 20 दुकानें बनाकर किराये पर उठा रखी हैं ...

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ : सम्बन्धित कैसे नहीं है। किराये पर उठा रखी हैं 20 दुकानें बनाकर और 15 हजार रुपया महीना कमा रहे हैं। उसको रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है जरा बतायें ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नाट अलाउट ....। नाट अलाउट। (व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : अगर देवता नाराज हो गये तो कांग्रेस का क्या होगा ? (व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह (नगर) : अध्यक्ष महोदय, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य, दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य को आंख दिखा रहे हैं कि आपने तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की व्यवस्था की बात यहां क्यों चाही है। मैं इसी परिप्रेक्ष्य में पूछना चाहता हूं मंत्री जी क्या उन प्रान्तों की तरह जहां देवस्थान बोर्ड बनाकर क्या हरिजन पुजारियों को रखने की व्यवस्था करेंगे ? (व्यवधान)

वहां पूरे गांव को चरणामृत देता है फिर आप इन पण्डितों की पण्डिताई को

(श्री सम्पत सिंह)

कैसे छुड़वाओगे। इसका कोई कारण है तो बता दो···· (व्यवधान)

श्री जगतसिंह दायमा : क्या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा अपनी मन मरजी से कोई भी व्यक्ति या समाज कहीं भी खोल सकता है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न अलग से है। माननीय मंत्री जी।

श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर मैंने दिया है और बाकी दूसरे माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न से अलग हटकर जानकारी चाही है जिसका मैं उत्तर अभी देने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि वे प्रश्न अलग से हैं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : सम्बन्धित कैसे नहीं है, इसी से सम्बन्धित है। मंदिर की प्रापर्टी पर कब्जा करके 20 दुकानें बना लीं और किराये पर दे रखी है। कांग्रेस सेवा दल के महामंत्री हैं इसलिए उन पर एक्शन नहीं होगा···· (व्यवधान)···

15 हजार रुपया महीना कमा रहे हैं। ····(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ····एक दूसरे पर इस तरह से लगायेंगे तो ख्वामख्वाह बवण्डर हो जायेगा।

सुश्री पुष्पा जैन : आप उस मंदिर में चलकर देखिये। कांग्रेस सेवा दल ने अपनी दुकानें लगा रखी हैं या नहीं लगा रखी हैं वहां कांग्रेस के दफ्तर खुले हुए हैं, दुकान किराये पर दे रखी हैं। क्या बना रखा है उसको ? आप सेवादल का ××× बनायेंगे वहां ?.

एक माननीय सदस्य : वह कांग्रेस के महामंत्री भी बता सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

(व्यवधान)

श्री भंवरराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान का सर्वे कराया जाय। ज्यादा मंदिरों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कब्जा मिलेगा। सर्वे कराया जाय पूरे राजस्थान का यह मेरा निवेदन है।

श्री सम्पत सिंह : मंत्री जी, हरिजन पुजारी की बात को क्यों गोल कर गये ? हरिजन पुजारी सरकार के स्तर पर ट्रेनिंग देकर रखेंगे कि नहीं ?

श्री डूंगरराम पंवार : हरि की पूजा करने का हक तो हरिजन को ही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक काम करवा दीजिये, अध्यक्ष महोदय। चाहे सेवा दल के हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे किसी के हों, मंदिर की सम्पत्तियों का इस

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

प्रकार से जो शोषण कर रहे हैं उन सबको निकालने की यहां से घोषणा कर देओ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय अध्यक्ष जी, देवड़ीजी के मंदिर की जिला कांग्रेस की जो बात आई है, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों को यह स्पष्ट करना चाहता हूं, जयपुर रियासत काल से, जब कांग्रेस नहीं थी, जयपुर राज प्रजा मण्डल ने वहां किराये पर मकान ले रखा है तब से निरन्तर उसमें चला आ रहा है। इसलिये यह इनको कहां नजर आने लग गया। कांग्रेस के नाम से ही भड़कते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भड़कने का सवाल नहीं है।....

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : देश की आजादी की लड़ाई, प्रांत की आजादी की लड़ाई, रियासत की आजादी की लड़ाई वहां बैठकर लड़ी गई थी। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने सारे राजस्थान के जो प्रजा मण्डल थे उनकी मीटिंग उसी दफ्तर में बुलाकर झण्डारोहन करके आजादी का बिगुल बजाया था जिसकी वजह से, श्रीमान आप भी आकर विराजे हो, नहीं तो यहां आपका क्या लेना देना था। अंग्रेजों के जमाने में × × × करने वाले लोग भी आज यहां सत्ताधीश और बड़े लम्बे चौड़े भाषण दे रहे हैं, यह उसी का प्रताप है। देवड़ीजी के मन्दिर में प्रजा मण्डल और कांग्रेस ने जो आजादी की लड़ाई लड़ी उसी का यह प्रतिफल है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह भी तय था कि उसका किराया नहीं देंगे? रामचन्द्रजी के मन्दिर का किराया नहीं देंगे? (व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : चार सौ में किराये पर है और किराया बढ़ा और दिया अभी बहुत गुणा कइयों का।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक नया पैसा भी दिया हो तो बता दो।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : जो सरकारी नियम है उससे ज्यादा लिया जा रहा है उल्टा हम से तो किराया।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय मन्त्री जी, वहां व्यापार किस का हो रहा है हम से मत करो, जगदीश तिवाड़ी से पूछ लो। उसी कार्यालय में, जिसमें आजादी की लड़ाई लड़ी थी....

श्री अध्यक्ष : जोशी जी, बैठें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : आपको यही नजर आता है। × × × साहूकार आपकी निगाह में ही नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह बात हम से पूछो वहां क्या-क्या नहीं हुआ है।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(19)

श्री भैरू लाल भारद्वाज : × × × यह सब आपकी निगाह में हैं। सपने में भी जोशी जी को × × × नजर आयेंगे। कोई भले आदमी दुनियां में नजर ही नही आते हैं।

अध्यक्ष : चलिये, बैठें।

श्री भैरू लाल भारद्वाज : जिस तरह युधिष्ठर को, माननीय अध्यक्ष जी, द्रोणाचार्य ने जब कौरव और पाण्डवों को दीक्षा देने की बात आई तो ··· (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करता हूँ, एक मिनट। मैं महाभारत की एक बात सुनाना चाहता हूँ····

एक माननीय सदस्य : कथा वाचन हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : बैठिये माननीय मन्त्री जी। आर्डर प्लीज।

श्री बिरदमल सिंघवी : बोर्ड का गठन कब तक कर देंगे, यह बता दें आप?

श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बोर्ड के गठन का अभी सरकार का कोई इरादा नहीं है, कोई विचार नहीं है। जहां तक विपक्ष के माननीय नेता ने यह बात कही है कि जो देवस्थान की सम्पत्ति है वहां से उन सब किरायेदारों को बाहर निकाल दो क्योंकि···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह नहीं कहा, शोषण बन्द करने की बात कही है।

श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी : उसमें चाहे कोई राजनैतिक दल हो, चाहे कोई किरायेदार देवस्थान विभाग की परिभाषा में वह किरायेदार की श्रेणी में आते हैं उसके आधार पर उनको निकालने का जो प्रोविजन है, कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं उसकी तो कानूनी प्रक्रिया बनी हुई है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सप्लीमेंट्री और है।

श्री कालीचरण सराफ : जो मैंने पूछा उसका क्या हुआ? कांग्रेस सेवा दल के व्यक्ति ने 20 दुकानें बनाकर 15 हजार पर मंथ कमा रहा है मन्दिर की प्रापर्टी से, उसका क्या कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : माननीय कालीचरण जी, आप नियमों को पढ़ लीजिये, फिर बात कीजिये।

श्री कालीचरण सराफ : नियमों को पढ़ लिया। यह पहले भी उठा था और कोई जवाब नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नियम तो पढ़ लिये, सेवादल का घोषणा पत्र नहीं पढा है उसमें यह सब लिखा हुआ है।

× × × अभिव्यक्ति/शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : देवस्थान विभाग ने त्रिपोलिया बाजार में मन्दिर का चैताला तक दे रखा है किराये पर, क्या आपकी जानकारी में है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है। अलग अलग चीजें हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, जहां मन्दिर की पूजा होती है, जहां पवित्र स्थान है वहां पर लोग जूते लेकर जाते हैं, मांस मदिरा लेकर जाते हैं। मन्दिरों की पवित्रता खतम हो रही है। इसलिए मेरा निवेदन करता है कि इस प्रकार से जो मन्दिर कांग्रेस पार्टी को, राजनेताओं को दिये गये हैं उसको खाली कराया जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक काम तो कराओ, साहब, शनिश्चरजी का मन्दिर तो खाली करा देओ।

प्रतिनियुक्तियों पर नियुक्त शिक्षा प्रसार अधिकारी

*386. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा)** : क्या शिक्षा राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग द्वारा पंचायत समितियों में शिक्षा प्रसार अधिकारियों की नियुक्ति के लिये शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है ? यदि हां तो, वर्तमान में कार्यरत कौन-कौन शिक्षा प्रसार अधिकारी कब-कब से किन-किन पंचायत समितियों में प्रतिनियुक्ति पर हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार की कोई निश्चित नीति है कि निश्चत अवधि तक ही प्रतिनियुक्ति पर रखा जा सकता है ? यदि हां, तो कितने समय तक ? इस मामले में इसका कहां तक पालन हुआ है ? यदि नहीं हुआ, तो क्यों ?

उपमन्त्री, शिक्षा (श्री खेमराज कटारा) : (1) जी हां। पंचायत समितियों में कार्यरत शिक्षा प्रसार अधिकारियों के नाम तथा कब से कार्यरत हैं, पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, लेकिन यह पंचायत समितियों पर लागू नहीं होते हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, आप प्रश्न के भाग दो को देख लीजिये, यह एक नीति से सम्बन्धित है, इसका आप स्पष्ट जवाब दिलाइये।

श्री अध्यक्ष : हरजी राम जी।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की स्पष्ट नीति है कि किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को पांच साल से ज्यादा प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा जा सकता है। माननीय मन्त्री जी ने यह उत्तर दिया है कि यह पंचायत समितियों पर लागू नहीं होता है। तो राज्य सरकार ने यह छूट कब दी, किस प्रकार से दी ? जब कि पिछले सत्र में मैंने पंचायत मन्त्री से यह सवाल पूछा था

(12).

(श्री हरजी राम बुरड़क)

उन्होंने कहा यह सही है, पंचायत समितियों पर लागू है लेकिन पंचायत विभाग ने कोई पंचासों बार शिक्षा विभाग को लिखा कि जो शिक्षा प्रसार अधिकारी दे रखे हैं उनको आप वापस लीजिये। जिनको बीस-बीस साल हो गये हैं। उनको वापस लेकर उनके स्थान पर दूसरे दिये जायं लेकिन आज तक शिक्षा विभाग ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। न कोई नई लिस्ट भेजी। आज मन्त्री जी ने यह नई बात कही कि पंचायत समितियों पर लागू नहीं होता तो राज्य सरकार ने कब डिसीजन लिया, आपके पास कोई डिसीजन की कापी हो तो आप पढ़कर सुनायें।

श्री भंवराराम (डीडवाना) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही नीति का और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरकार को इस बारे में कोई निर्णय लेना चाहिये। मेरा सुझाव है, इस सम्बन्ध में कि जिन लोगों को दस-दस, आठ-आठ, पांच-पांच साल हो गये, एक ही जगह रहते हुए बीस-बीस साल हो गये, यह शिक्षा विभाग की नीति है कि दो साल में ट्रांसफर होगा, तो आप दो साल में अपने अधिकारियों को वापस क्यों नहीं बुलाते? दूसरे अध्यापक नहीं हैं जो एस. डी. आई. वगैरह के लिए भेजें।

सरकार को तीन साल से ज्यादा किसी भी हालत में कोई शिक्षा प्रसार अधिकारी पंचायत समिति में नहीं भेजना चाहिए। उससे यह है कि वह बिल्कुल नेता गिरी करते हैं वहां पर, न कोई काम करते हैं, न कोई स्कूलों में जाते हैं। मैं शिक्षा मन्त्री जी से यह भी कहूंगा, उनका कार्य देखें, कभी वह गांव के स्कूलों को जाकर नहीं देखते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को दो साल से ज्यादा रखना ही नहीं चाहिए।

श्री अध्यक्ष : सुन्दरलाल जी।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मन्त्री जी यह बतायें जिनको आठ दस साल हो गये हैं उनको बदलने का इरादा है या उनको वहीं रखेंगे, एक बात बता दें। ज्यादा इसमें लम्बा चौड़ा फंसाये नहीं।

श्री दामोदरदास आचार्य (शिक्षा राज्य मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद नियमों की जानकारी के अभाव में यह प्रश्न आया है। सेवा नियम जो हमारे हैं, निश्चित तौर से राजस्थान सेवा नियमों में यह प्रावधान है कि केवल चार साल के लिये प्रतिनियुक्ति पर किसी को भेजा जा सकेगा। अगर अधिक समय के लिये उनको रखा जाता है तो वित्त विभाग से इसकी स्वीकृति की आवश्यकता है। लेकिन जहां तक पंचायत समितियों में डेपुटेशन पर भेजने का सवाल है, नियमों में स्पष्ट प्रावधान है, सेवा नियम 141 के अन्दर लिखा है वह मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूं बाकी जो दूसरा प्रश्न है इनका कि इनको ज्यादा रखना है या नहीं रखना है, उसके लिए मैं अलग से कहूंगा।

राजस्थान सेवा नियम 141 के अनुसार जिन कर्मचारियों का स्थानान्तरण ऐसी सेवा में करना है जिसका भुगतान राजस्थान

(श्री दामोदर दास आचार्य)

पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1959 (अधिनियम संख्या 7) के अन्तर्गत गठित पंचायत समिति व जिला परिषद विधि से किया जाता है, अतः जिन कर्मचारियों को भुगतान संचय निधि, कंसोलिडेटेड फण्ड से नहीं होता है, पर यह नियम लागू नहीं होते हैं। पंचायत समितियों में कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता भी देय नहीं है। (व्यवधान) मैं जवाब दे रहा हूं, जवाब देने दो आप।

श्री अध्यक्ष : आ रहा है, हरजीरामजी।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : इसमें जो आपने बताया, राज्य सरकार का यह मत था कि जो कर्मचारी अपने विभाग की सेवा में रहेगा तो विभाग से उन्होंने ट्रेनिंग ली है या विभाग का जो काम वह करते, वही दूसरी जगह टीचिंग के अलावा दूसरा काम करेंगे, उसका वापस विभाग में जाने का कोई उपयोग नहीं होगा। क्योंकि बीस-बीस साल से जिस अध्यापक ने टीचिंग का काम ही नहीं किया उसके बाद उसको वहां भेजेंगे तो वहां भी काम नहीं करेगा। इसलिये राज्य सरकार की यह नीति थी कि पांच साल से अधिक नहीं रखा जाय। चार साल के बाद वित्त विभाग की जो आप कह रहे हैं, वह सिर्फ एक साल के लिये है। वित्त विभाग एक साल से ज्यादा की आपको अनुमति नहीं देगा। रहा सवाल कि वहां उनको प्रतिनियुक्ति भत्ता नहीं मिलता, तो भत्ते का यह प्रश्न नहीं है।

श्री दामोदर दास आचार्य : अध्यक्ष महोदय, यह ज्यादा समय तक रहने वाली जो बात है वह निश्चित रूप से उपयुक्त नहीं लगती लेकिन नियम विरुद्ध बात नहीं है और जो शंका व्यक्त की गई है कि वहां ज्यादा रहने से वहां उसकी उपयोगिता वैसी रहती नहीं है। इसको हम निश्चित रूप से देख लेंगे और सही यह है कि जो फर्स्ट कैडर के लोग हैं जिनको हम वहां भेजते हैं क्योंकि पंचायत समिति के बस में कोई ऐसा कैडर उपलब्ध नहीं है इसलिए उनको भेजा जाता है जहां शिकायत आती है तो निश्चित तौर से हम उनको वापिस ले लेते हैं लेकिन उसके अन्दर मैं समझता हूं कि बदलाव की आवश्यकता है तो नियमों में बदलाव लाकर के इसमें कार्यवाही करेंगे, यही मैं विश्वास दिला सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशंकर भाभड़ा

रतनगढ़ में कृषि मंडी की सड़कें

387. **श्री हरिशंकर भाभड़ा** (रतनगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला चूरू की रतनगढ़ तहसील में कृषि उपज मण्डी के अन्तर्गत लधासर, परसनेउ, कुडेरा तक डामर की सड़कें बनाई गई थी ? यदि हां, तो कौन-कौन से वर्ष में और क्या इन सड़कों की मरम्मत के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग को सम्भला दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) अब कब तक इनको सार्वजनिक निर्माण विभाग को सम्भला दिया जाएगा ?

(14)

उत्तर

कृषि मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) जी हां। ये सड़कें वर्ष 1985 में निर्मित कराई गई थीं। मण्डी समितियों द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत के संबंध में नीति तय न होने के कारण सड़कों की मरम्मत नहीं कराई जा सकी। अब 25% धनराशि सड़कों की मरम्मत के लिए निर्धारित कर दी गई है।

(2) कृषि उपज मण्डी समितियों के अन्तर्गत निर्मित सड़कों की मरम्मत कार्य संबंधित मण्डी द्वारा कराये जाने के निर्णय के फलस्वरूप इन्हें सार्वजनिक निर्माण विभाग को सम्भलवाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताएगी कि इन सड़कों की मरम्मत के लिए कृषि मण्डी के प्रशासक ने और मैंने स्वयं ने पिछले दो साल से लगातार पत्र दिये हैं कि वहां रुपया पड़ा हुआ है तो या तो आप उनकी मरम्मत कराने की इजाजत दें या पी. डब्लू. डी. को संभला दें। क्या इस प्रकार के पत्र आपके ध्यान में आये हैं? यदि आये हैं तो आपने उन पर क्या कार्यवाही की?

दूसरा, अब आपने 25% धनराशि तय की है। क्या उसमें भी प्रशासक को या कृषि मण्डी को आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी या 25% तक वह अपने आप सड़कों की मरम्मत के लिए खर्च कर सकेंगे?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, इस तरह के कोई प्रस्ताव आये और उनकी स्वीकृति नहीं मिली यह तो मेरे ध्यान में नहीं आया लेकिन बिना कोई इस तरह की स्पेसिफिक एप्लीकेशन आये ही मैंने यह निर्णय लिया है कि जिन मंडियों से प्रस्ताव नहीं भी आ रहे हैं उनसे भी बोर्ड अपने यहां से उनको निर्देशित करके उनकी धनराशि के अनुपात में उनसे प्रस्ताव मंगाए, अधूरी सड़कों को पूरा करने के लिए, नवीन सड़कों के लिए और सड़कों की मरम्मत के लिए और उसके हिसाब से हम इसकी कार्यवाही करेंगे।

वर्ष 87 में 18 हजार की स्वीकृति मरम्मत के लिए दी गई थी उसके बाद में स्वीकृति नहीं दी गई। इस सम्बन्ध में मैंने पूछा कि बाकी क्यों नहीं दी गई। मुझे यह अवगत कराया गया कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव वहां से नहीं आया। आप बता रहे हैं कि प्रस्ताव आया था फिर भी स्वीकृति नहीं दी गई। तो उसको उसके अनुरूप हम देखेंगे। लेकिन मैं यह निवेदन कर सकती हूं कि अभी आपकी मण्डी के अन्दर करीब 17 लाख रुपये हैं उसके तहत में जो मरम्मत और उसमें जो अधूरी सड़कें हैं उनकी प्राथमिकता से और जो उसके अन्तर्गत नई ली जा सकती हैं उसके मुताबिक स्वीकृतियां दी जाएगी।

श्री हरि शंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मुझे यह जबाव मिला है आपके यहां से कि मण्डी समिति में जो रुपया पड़ा है उस रुपये में से तब तक एक पैसा खर्च नहीं करेंगे जब तक कि मण्डी के निर्माण के लिए जितने धन की आवश्यकता है वह पूरी नहीं हो जाय। वह पूरी हो जाएगी उसके बाद सरप्लस अमाउन्ट हम खर्च करेंगे। तो आपने जो यह नई

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

नीति बनाई है, क्या इसमें यह बात लागू होगी कि मण्डी बनाने का जब तक पूरे निर्माण का रुपया वहां जमा नहीं होगा तब तक उसमें से खर्च नहीं होगा या जितना भी रुपया पड़ा है उसमें से 25% रुपया इस बात का बिना विचार किये कि मण्डी निर्माण के लिए कितने रुपये की जरूरत है, खर्च किया जाएगा ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, रतनगढ़ मण्डी का नया यार्ड बनवाया जाना है जिसके लिए नाबार्ड के लिए 28.55 लाख का प्रोजेक्ट तैयार हुआ है। उसमें से 20% मण्डी की ओर से देना पड़ता है बाकी नाबार्ड से मिलता है लेकिन जमीन नहीं मिलने के कारण से वह प्रोजेक्ट नाबार्ड से अप्रूव नहीं हो पा रहा है इसलिए अगर माननीय सदस्य इस बात के महत्व को समझते हैं कि वहां यार्ड बनना चाहिए तब तो यह पैसा 20% जितना मण्डी को देना है वह इसमें देना पड़ेगा और बाकी बचेगा उसका उपयोग कर सकते हैं और वहां पर अगर बिजनैस इतना नहीं है कि हम री-कंसीडर करें कि यहां पर इस प्रकार का बिजनैस नहीं है कि मण्डी अपने आप में कारगर ढंग से काम कर सके तो इसको री-कंसीडर करने के बाद दूसरी बात की जा सकती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के स्कोप में तो नहीं आता लेकिन एक नीति का प्रश्न है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना' चाहूंगा राजस्थान में एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है मुख्य-मंडी और गौण मण्डी का। मुख्य मण्डी के क्षेत्र में गौण मण्डी की आय का पैसा खर्च हो इस प्रकार की सभी जगह से मांग आ रही है। दुर्भाग्य यह है कि जहां मुख्य मण्डी है वहां सारी मण्डियों का कलेक्शन खर्च कर दिया जाता है और गौण मण्डियों की उपेक्षा होती है क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार कोई इस तरह का निर्णय करेगी जिसके आधार पर जहां मण्डियां हैं उनका विकास हो सके और उसके साधनों का विकास हो सके।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही चिन्ता की बात है कि कृषि उपज मण्डी के द्वारा जो सड़कें बनाई जाती हैं और उनकी 10-15 साल तक मरम्मत नहीं होती है। वहां से प्रस्ताव भेजे भी 2-2 साल हो जाते हैं उसके बाद भी स्वीकृति नहीं भेजी जाती है। उन सड़कों की यह हालत होती है कि वहां से कोई आदमी या वाहन नहीं निकल सकता है। तो क्या ऐसी एप्लीकेशन, मण्डी के प्रस्ताव आने के बाद कितने दिन बाद तक आप उनकी मरम्मत के लिए स्वीकृति दे देंगी ? या कोई ऐसी व्यवस्था करेंगी कि जिससे मण्डी अपने लेवल पर काम करा ले।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय को शायद कुछ गलत जानकारी है। मुख्यमण्डी के नीचे ही गौण मण्डी काम करती है और गौण मण्डी के क्षेत्रों के जितने भी किसान हैं उनका जो माल, फसलें है वह मुख्य मण्डी में ही आता है और मुख्य मण्डी में जितनी आमदनी होती है उस मण्डी के नीचे लगने वाली जितनी पंचायत समितियां हैं उनमें चाहे एक या दो गौण मण्डियां हैं, उनसे

(श्रीमती कमला)

कोई फर्क नहीं पड़ता । उसकी आमदनी का उन तमाम पंचायत समिति एरियाज के अन्दर सड़कें बनाने हेतु, यार्ड या सब-यार्ड बनाने हेतु....(व्यवधान)

हरिशंकर भाभड़ा : यह अचानक क्या हो गया आपको, सुनिये तो सही । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पहले उत्तर सुन तो लीजिए ।

श्री जगतसिंह दायमा : मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : उदाहरण तो रहने दीजिए पहले उनका जवाब सुन लीजिए । (व्यवधान)

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को फिर एक गलतफहमी है । गौण मण्डी में इतनी आमदनी होती है कि गौण मण्डी का पैसा अगर गौण मण्डी के क्षेत्र को दे दिया जाय तो शायद ज्यादा काम करेंगे बजाय मुख्य मण्डी के पैसे से, यह आपको गलतफहमी है । ज्यादातर गौण मण्डी इस स्थिति में है कि वह पांच कि. मी. भी सड़क नहीं बना सकती । बहुतों में तो व्यापार भी शिफ्ट नहीं हुआ है बहुतों में अगर व्यापार चल रहा है तो वह अपने स्टाफ का खर्चा भी बराबर उठालें यह भी मुश्किल है । कुछ एक गौण मण्डियां ऐसी हो सकती हैं गंगानगर साइड की या और कहीं की जो अपने आप में काफी शक्तिशाली होंगी बाकी गौण मण्डियों का जितना पैसा आता है वह और मुख्य मण्डी में जितना पैसा आता है वह सारा उन पंचायत समिति एरियाज में जो उस मण्डी के एरियाज में लगते हैं उनके ऊपर खर्च किया जाता है ।

श्री दाऊदयाल जोशी : नहीं होता ।

श्रीमती कमला : कैसे नहीं होता । क्या बात कर रहे हो आप ...

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इस सब का अनुभव है, आपके यहां होता होगा । हमारे यहां कहीं नहीं है । (व्यवधान)

आप तो स्पेसिफिक कोई ऐसा मामला बताइये....(व्यवधान)

आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए । मैं निवेदन कर रही हूं, सुनिये, यह आपकी शिकायत हो सकती है कि उस मुख्य मन्डी के क्षेत्र में समझ लीजिये 5 पंचायत समितियां हैं या 7 पंचायत समितियां हैं :– (व्यवधान)

हरिशंकर भाभड़ा : यह रतनगढ़ का उदाहरण है ना आपके पास ।

श्रीमती कमला : मैं बता रही हूं न आपको ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : 17 लाख रुपये मण्डी में पड़े हुए हैं ।

श्रीमती कमला : वह इसलिए दावे हैं कि आपका यार्ड बनाना है, 20 पर्सेण्ट मण्डी को जो देना है ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : 20 पर्सेण्ट बताया है ।

श्रीमती कमला : हां, 20 पर्सेण्ट।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : 20 पर्सेण्ट।

श्रीमती कमला : हां, जी।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : और 28 लाख की आपने योजना बतानी है।

श्रीमती कमला : हां, जी।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : तो उसमें हमको देना है 5 लाख।

श्रीमती कमला : हां।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : बाकी, 12 लाख रुपये पड़े हैं और एक सड़क भी नहीं बनायी है।

श्रीमती कमला : मैं वही तो आपको बता रही हूं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : एक सड़क नहीं बनी है आज तक। आप कह रही हो कि हो रहा है....

श्रीमती कमला : तीन सड़कें बन चुकी हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : ये तीन सड़कें जो बनी हैं वह 1985 में बनी हैं उसकी मरम्मत नहीं हुई उसके बाद में 12 लाख रुपया आपके पास खर्च करने के लिए पड़े हैं मगर आपने सड़कें नहीं बनायी बावजूद मेरे बार-बार चिट्ठियां लिखने के। और प्रशासक ने भी आपके यहां बार-बार एप्लीकेशन भेजी है कि हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है....

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप इसी में सन्तुष्ट कर दीजिये कि यह रुपया पड़ा है उसको कहां लगा रहे हैं ?

श्रीमती कमला : मैंने बताया ना आपको, मैं खुद ही बता रही हूं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : बतायें, यह कहां हो रहा है। (व्यवधान)....

यही तो हम कह रहे हैं कि रुपया पड़ा है, काम हो नहीं रहा है और आप यहां घोषणा कर रही हैं कि रुपया पड़ा है मुख्य मण्डी से गौण मण्डी में लग रहा है। कहां लग रहा है ? 12 लाख रुपये में आज आप 5 सड़कें बना सकती हैं... (व्यवधान)

श्रीमती कमला : अब आप अपने आप यह फैसला करना चाह रहे हैं तो करें हमें तो क्या ...

श्री अध्यक्ष : दायमाजी।

श्री जगतसिंह दायमा (बानसूर) : माननीय मंत्री महोदय, तहसील खैरथल मेरे बानसूर क्षेत्र में आता है और उसमें आप देख लीजिये, हर जगह का दे रहा हूं और उसमें जितनी रेवेन्यू वहां से आती है, 10 साल में भी आज तक कोई काम नहीं हो रहा है, मेरे क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है, बानसूर क्षेत्र की। (व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : कोटा जिले की इटावा मण्डी मे भी एक भी सड़क नहीं बनी है।

श्री जगतसिंह दायमा : खैरथल में देख लीजिये....

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले की इटावा मण्डी में एक भी सड़क नहीं बनी है। आप पैसा कहां खर्च करते हो कुछ पता तो चले।

श्री जगतसिंह दायमा : मेरे यहां खैरथल कृषि उपज मण्डी है। अध्यक्ष महोदय, खैरथल कृषि उपज मण्डी बानसूर तहसील में आती है जो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। (व्यवधान)

आप इसको + + + में ले रहे हैं। वहां पर आदमी मर जाते हैं, बिचारे होस्पिटल नहीं पहुँच सकते। यह हाल है मेरे इलाके का और वहां की उपेक्षा हो रही है। स्पेसिफिक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। आप दिखवा लीजिये, अगर मैडम मैं गलत हूं तो आप दिखवा लीजिये। जब दर्द है, उस दर्द को हम कहते हैं तो आप लोग ध्यान नहीं देते हो उस पर। स्पेसिफिक एग्जाम्पल हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री हंसराज मिढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र का डेढ़ करोड़ रुपया जमा पड़ा हुआ है। कभी कहते हैं कि प्रस्ताव नहीं है, प्रस्ताव होता है तो बजट नहीं मिलता है और सड़कें प्राय: अधूरी पड़ी हैं और उस सड़क को वहां जाकर···· (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दायमाजी आप कैसे बन्द हैं, जरा बोलिये ···

आप बोलें। (व्यवधान)

श्री जगतसिंह दायमा : क्या हम × × × कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बोलो तो सही आप।

श्री जगतसिंह दायमा : यह क्या है।····

श्री अध्यक्ष : बोलिये आप।

श्री जगतसिंह दायमा : मैं पूछना चाहता हूं जितनी सड़कें हैं····

श्री अध्यक्ष : आपको एक बार समय दे दिया बैठ गये आप फिर खड़े हो जाते हैं।

श्री जगतसिंह दायमा : खैरथल कृषि उपज मण्डी में यह सड़कें दे दीं आपने···· (व्यवधान)

आप मेरी बात सुनिये, अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : सब को बैठा दिया है आप बोलें।

श्री जगतसिंह दायमा : आप बात सुनिये मेरी। यह सड़कें आपने दे दी हैं, देखिये····

श्री अध्यक्ष : मेरी यह सुनिये आप मैंने सब को बैठा दिया है अब आप बोलें।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री जगतसिंह दायमा : खैरथल कृषि उपज मण्डी में सड़कें देखिये और उसमें एक भी बानूसर क्षेत्र की सड़क बता दीजिये। बताइये आप इसमें ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी जरा सुनिये।

श्री जगतसिंह दायमा : बताइये मुझे आप एक भी सड़क है तो ?

श्रीमती कमला : सुन रही हूं, साहब, सब की सुन रही हूं, आप पहले इनको बोलने दें।

श्री जगतसिंह दायमा : आप बताइये इसमें ?

श्री अध्यक्ष : दायमाजी का खास तौर से सुन लें।

श्री जगतसिंह दायमा : आप इसको हंसी मजाक में लेते हो। एक-एक पैसा हमारे क्षेत्र से जाता है, आदमी मरे जा रहे हैं, + + + होस्पिटल में नहीं पहुंच सकते। न वहां सड़कें हैं, न वहां औषधालय हैं।

श्री मोहन छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, असलियत बात यह है कि····

श्री अध्यक्ष : पहले दायमाजी को बोलने दीजिये, डिस्टर्ब मत कीजिये उनको। दायमाजी को डिस्टर्ब मत कीजिये····
(व्यवधान)

आप डिस्टर्ब करते हैं उनको बोलने नहीं दे रहे हैं।

श्री मोहन छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, असलियत बात यह है मंत्री महोदय,····

श्री जगतसिंह दायमा :···खैरथल में पड़ती है···सुनिये बात। माथरोली से काठिया जो किशनगंज में पड़ती है····

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं किसी स्पेसिफिक सड़क के लिए या स्पेसिफिक मण्डी के लिए अभी बताने में असमर्थ हूं···(व्यवधान)

श्री जगतसिंह दायमा : एक भी बानसूर में बता दीजिये।

श्रीमती कमला : आप मेरी बात एक बार सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष : मैं नहीं सुनूंगा, उनकी सुनूंगा।

श्रीमती कमला : मैं आपसे यह निवेदन कर रही हूं माननीय सदस्य, एक बार मेरी बात सुनें....(व्यवधान) उसके लिए अभी नहीं दे सकती हूं जबाब....

श्री जगतसिंह दायमा : क्या जबाब नहीं है आपके पास। आप बताइये उसमें····

श्रीमती कमला : आप सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री जगतसिंह दायमा : आप तो एक भी सड़क बता दीजिये मुझे।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(20)

एक माननीय सदस्य : आप इतना जोर से मत बोलो । यह विधान सभा है गुस्सा किस पर कर रहे हो ?

श्री जगतसिंह दायमा : वहां आजादी नहीं मिल रही है लोगों को.... (व्यवधान)

आप जानबूझ करके उपेक्षा कर रही हैं, आप पूछते नहीं हैं आप.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया दायमा जी की सब सुन लें पहले ।

एक माननीय सदस्य : आप जोर से नहीं बोलेंगे ।

श्री जगतसिंह दायमा : हम जोर से बोलेंगे ।

एक माननीय सदस्य : हां बोलो.... हां, आ जाओ, बैठ जाओ यहां पर । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये ।....
(व्यवधान)

दायमाजी, it is very bad.

बाहर, हाउस से बाहर । Take him out. out, out.

मैं उनको टाइम दे रहा हूं, उनको बोलने दीजिये, तबियत भर लेने दीजिये ।

एक माननीय सदस्य : यह कोई + + + है क्या ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दायमा जी को आज की कार्यवाही तक के लिए....

कई माननीय सदस्य (सत्तापक्ष) : नहीं साहब आज की कार्यवाही तक के लिए नहीं सदन की कार्यवाही तक के लिए निकाला जाय....

निलम्बन का प्रस्ताव

श्री जगतसिंह दायमा, सदस्य का शेष सत्र के लिए

श्री रघुनाथ परिहार (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विपक्ष के माननीय सदस्य जगतसिंह दायमा को नियम 292 के अन्तर्गत सदन के शेष सत्र के लिए निलम्बित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : माननीय नेता महोदय ।

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : प्रस्ताव तो बिल्कुल अनियमित है और प्रस्ताव इस तरह से रखा भी नहीं जा सकता । मुझे खेद है कि पार्टी के चीफ व्हिप ने कभी रूल्स को देखा नहीं है । मैं अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि न सरकारी पक्ष को इतना उत्तेजित होना चाहिए.... (व्यवधान)

आप बात तो सुनिये । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सत्ता पक्ष का कोई भी सदस्य आपके ऊपर आता है तो

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(एक माननीय सदस्य)

कितना बुरा लगे। हमारे यहां का कोई सदस्य आपके ऊपर हमला करने के लिए आये तो....

श्री शोपत सिंह : आपका इरादा बिहार बनाने का है क्या ? शान्तिपूर्वक हम बैठे रहें, हमने इनको उचित नहीं समझा इसलिए हम चुपचाप बैठे रहें। क्या आप बिहार बनाना चाहते हैं....we are not going to permit you. आप यह चाहते हैं कि बिहार बनायें....

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : विपक्ष के नेता खड़े हैं फिर आप क्यों बोल रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री रघुनाथ परिहार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियम 250 की तरफ.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता था कि माननीय सदस्य ने जो फ्लोर क्रास करके उचित काम नहीं किया मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं....

एक माननीय सदस्य : आपको निन्दा करनी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुनिये।

एक माननीय सदस्य : आपको निन्दा करनी चाहिये यह क्या तरीका है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या निन्दा करनी चाहिए....

श्री अध्यक्ष : कृपया सुनें। (व्यवधान)

माननीय विपक्ष के नेता को मैं सुनना चाहता हूं....(व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : विपक्ष के नेता बोल रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : डागा जी, कृपया सिट डाउन। कोई नहीं बोलेंगे, कृपया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं केवल यह निवेदन कर रहा था– माननीय गृह मन्त्री जी ने कहा कि आपको निन्दा करनी चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए कहूं कि संसदीय भाषा में इतना कहना ही काफी है कि उन्होंने उचित काम नहीं किया....

श्री अशोक गहलोत : संसदीय भाषा में डेफीनेशन कहां लिखी हुई है ?

श्री शोपत सिंह : आप क्या चाहते हैं ? आप यह चाहते हैं ? कि माफी मंगावें ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डेफीनेशन होती नहीं है, परम्पराएं होती हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप कहां से पढ़कर आये हैं अशोक जी....

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय के मार्फत मैं निवेदन करना चाहता हूं विरोधी पक्ष के नेता को कि हाउस की

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

व्यवस्था है, इन्होंने आदेश दिया है, किसने दिया है, बताइये ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बैठ जाओ + + + हाथ जोड़ता हूं आपके। आप गुस्सा मत करो, आपकी उम्र भी नहीं है···

श्री अध्यक्ष : माननीय भैरोंसिंह जी।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आपकी भी उम्र नहीं है, मेरी उम्र नहीं है तो आपकी भी नहीं है। आपकी भी उम्र नहीं है यह।

श्री अध्यक्ष : माननीय भैरोंसिंह जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे गुस्सा नहीं आता इसलिए मैं तो उम्र के हिसाब से शांत हो गया लेकिन आप तो ज्यादा उच्छंखल हो गये····

श्री रघुनाथ विश्नोई : नहीं, यह अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय भी बूढे हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया सुनेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह निवेदन कर रहा था कि प्रश्न इतना सा था कि वह लिस्ट थी उनके पास, माननीय कमला जी को वे लिस्ट बताना चाहते थे····
(व्यवधान)

आप मानें या नहीं मानें, मेरी बात सुन लीजिए। आप यह समझते हो क्या कि कमला जी पर हाथ उठाने गये थे वे····

एक माननीय सदस्य : लिस्ट वहां रखते, सदन के पटल पर···· (व्यवधान)

श्री मदन महाराज : उनके हाव-भावों से स्पष्ट हो रहा था कि वे कुछ करना चाहते हैं और···· (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नेता महोदय का हाथ पकड़ने के लिए तैयार हो गये थे, सदन का हीरो बनना चाहते थे, हीरो।

श्री शोपत सिंह : आप तो पहुंचे ही नहीं, वे ही पहुँचे वहां पर।

श्री मदन महाराज : वे लिस्ट बताना नहीं चाहते थे विपक्ष के नेता महोदय, उनका मन बिल्कुल साफ नहीं था। वे इस इरादे से दौड़े कि वे हमला करने की स्थिति में थे·····(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा बैठिये।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आज नहीं, तीन बार आये हैं और This is the third time.

श्री अध्यक्ष : माननीय भैरोंसिंह जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि आपको बोलने की छूट है, आप बहुमत में हैं। आपने एक सदस्य को निकाला, हम सबको भी निकाल सकते

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हैं क्योंकि बहुमत से प्रस्ताव पास होना है और बहुमत से जहां प्रस्ताव..... (व्यवधान)

अब ये फिर खड़े हो रहे हैं, मैं करू क्या ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आर्डर

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के मार्फत जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उस प्रश्न की जानकारी माननीय मन्त्री महोदया दे रही थी । यह कभी भी सम्भव नहीं हो सकता कि एक प्रश्न के मार्फत आप सारी जानकारी मन्त्री महोदय से पूछें । अगर आपको जानकारी चाहिए तो उसका पूर्व नोटिस देना चाहिए । लेकिन माननीय सदस्य चाहते थे कि उनकी सड़कों का अभी जवाब दिया जाय, यहां भी वे आये । ये चाहते थे कि हम जवाब उनका दें ।

मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति इसको उचित नहीं मान सकता और यदि आप इसको उचित समझते हैं कि यह परम्परा कायम रखी जाय और आज तक जो सदन की परम्परायें रही हैं, उसमें आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ । इस प्रश्नकाल के माध्यम से जो कुछ भी जानकारी चाही जाती है उतनी जानकारी माननीय मन्त्री महोदया ने दी है । आपने कुछ नीति का प्रश्न उठाया, उसका जवाब वे देने के लिए तैयार थीं । लेकिन अब वे यह कहते हैं कि मेरी पंचायत समिति में नहीं हुआ, मेरी समिति में नहीं हुआ, यह जवाब क्या आप एक मन्त्री से चाहते हैं कि वह दे सकता है क्या ? ऐसा कभी सम्भव नहीं है और यह मैं समझता हूं कि संसदीय परम्पराओं के आधार पर एक निश्चित जानकारी आप यहां से ले सकते हैं । सारी की सारी जानकारियों का हल आपको यहां इस सदन में मिल जाय, यह कभी भी सम्भव नहीं हो सकता ।

कुछ और कठिनाइयां हो सकती है, मन्त्री महोदया बहुत स्पष्ट रूप से कह रहीं थी कि जो मुख्य मण्डी की आमदनी होती है उस आमदनी के आधार पर ही गौण मण्डी या दूसरे क्षेत्रों में विकास हो सकता है लेकिन वे एक लिस्ट बताकर यहां चाहते थे कि यहीं पर हम फैसला कर दें कि उनकी मण्डियों की सड़कों का विकास हो, यह कैसे सम्भव हो सकता है और यदि इस प्रकार की परम्परा को आप आगे बढ़ायेंगे तो जो आज तक हमारी एक साख रही है इस सदन की, हमने कभी भी इस प्रकार की बात नहीं कही है, मेरा ख्याल है कि इसको आपकी गम्भीरता से सोचना चाहिए । और पता नहीं किस इरादे से वे यहां आये थे.....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इरादा खराब नहीं था....(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : उनके तेवर तो ऐसे थे....

श्री शोपत सिंह : आपको मारने के इरादे से आये थे ? (व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : मन्त्री महोदय को कागजात पेश करने आये थे । वे गुस्से में तो थे लेकिन कागज देने जा रहे थे, वे कोई हमला करने नहीं गये थे.....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : चाल-ढाल, हाव-भाव से स्पष्ट जाहिर होता है····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय विपक्ष के नेता ···

श्री शिवचरण माथुर : हमारी कभी भी यह मंशा नहीं रही है कि हम अपने बहुमत के आधार पर कोई जबरदस्ती करने वाली बात करें लेकिन कोई चीज जब हम पर थोपी जाने वाली बात की जाय तो उसको भी बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है। मैं समझता हूं इसको आप स्वीकार करेंगे, उसको आप मानेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने जो आखिर की बात कही है उसके अतिरिक्त जो बात कही है उससे मैं सहमत हूं। यह बात सही है कि मंत्री महोदया तत्काल किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती जो उसी समय बताया जाय और किसी विशेष क्षेत्र के बारे में जानकारी की जाय····(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया सुनेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, या तो आप मेम्बर्स को रोक लीजिए वरना बोलने की शक्ति तो हममें भी है····

श्री रघुनाथ विश्नोई : हम रोक रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्यमंत्री जी बोलें, एक आदमी भी नहीं बोला। अगर आप यह चाहते हैं कि इसी प्रकार से करना है, हम तैयार हैं। आपकी चुनौती भी स्वीकार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है····

श्री रघुनाथ विश्नोई : कोई भी नहीं बोल रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जहां तक प्रश्न के उत्तर देने का सम्बन्ध आता है मैं मुख्य मंत्रीजी की बात से सहमत हूं कि किसी प्रश्न का उत्तर तत्काल दिया जाना सम्भव नहीं है। यह भी मैंने पहले आपसे अनुमति लेकर एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन किया था—गौण मण्डी का और मैंने यह एडमिट करते हुए कहा था कि यह प्रश्न के स्कोप में नहीं आता लेकिन मंत्री महोदय यदि उत्तर दे दें तो बहुत बढ़िया चीज होगी। उन्होंने उत्तर देने की कृपा की और कृपा करने के बाद में जब उन्होंने कहा कि गौण मण्डियों में भी विकास होता है तो जिन मेम्बर्स के निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार की गौण मण्डियां हैं और जहां विकास नहीं होता है, लगभग सभी सदस्य उसके लिए खड़े हुए। उनके पास, हमारे पास तो कोई सूची नहीं है और भी मेम्बर्स के पास सूची नहीं थी। वे इस प्रश्न की तैयारी करके आये थे कि मैं अपनी गौण मण्डियों के सम्बन्ध में जानकारी करूंगा और इसलिए पूरी सूची लेकर आये। उस सूची को इस सदन में पढ़कर सुनाने की कोशिश की वे सुना नहीं पाये। विघ्न दोनों तरफ से हुआ, इस कारण से वे पढ नहीं पाये।

माननीय सदस्य के विषय में मैं इतना कह सकता हूं कि वे कोई मंत्री को मेन हैण्डल करने के लिए या उनका अपमान करने के लिए गये हों, यह बात नहीं है, वे केवल सूची देने के लिए गये थे····(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री शोपत सिंह : मारने के लिए गये थे, ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वे केवल सूची देने के लिए गये थे और ज्यों ही वे गये, माननीय सदस्य जानते होंगे कि ज्यों ही वे गये, भंवर लालजी शर्मा पीछे गये और पीछे की पीछे मैं गया। आपने मार्शल को आर्डर दे दिया। मैं समझता हूं कि मार्शल नहीं भी जाता तो हम पकड़ कर ले आते, मार्शल के रूप में ही काम कर लेते। यहां आ भी गये। अब उनको मार्शल से निकलवा दिया और अब प्रस्ताव ला रहे हैं कि एक दिन के लिए उनको यहां से निकाला जाय।

श्री भंवर लाल शर्मा : पूरे सदन के लिए····

श्री शोपत सिंह : पूरे सत्र के लिए।

श्री भैरोंसिह शेखावत : पूरे सत्र के लिए। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे परम्पराओं की बात कर रहे हैं, वे वहां लिस्ट देने की गर्ज से गये हैं, मेन हैण्डलिंग का, अपमान करने का कोई इरादा नहीं था।

श्री मदन महाराज : चिल्लाते हुए जरूर गये हैं वे।

श्री अध्यक्ष : कृपया शांत रहें। प्रश्न नही करेंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : प्रश्न यह था, नियमों का उल्लंघन और कोई करता है उसको हम भी टालरेट करते हैं, यह मत कहो कि हम टालरेट नहीं करते। हमारी भी सीमायें हैं, उन सीमाओं के अन्तर्गत टालरेट करते हैं····(व्यवधान)

इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी और आपसे कि परम्पराओं में मुख्य मंत्रीजी भी, आसन भी हमेशा बड़प्पन दिखाता आया है। मैं समझता हूं उसी बड़प्पन के आधार पर जो कुछ प्रस्ताव रखने का प्रयत्न चल रहा है वह प्रस्ताव तो रखे नहीं और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक मेम्बर के लिए इतना ही काफी है, यह बहुत बड़ा एक प्रकार का, जिसे कहना चाहिए, एक नसीहत देने वाला प्रकरण है कि एक मेम्बर को सदन की कार्यवाही से जबरन निकाला जाय। मैं समझता हूं कि बहुत कुछ हो गया और अध्यक्ष महोदय, आपसे और मुख्य मंत्रीजी दोनों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रस्ताव को तो नहीं रखें और मेम्बर को वापिस आने की अनुमति दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया नहीं बोलेंगे।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी के सदस्य को बोलने दें, उनकी पार्टी के सचेतक हैं। let him speak.

श्री अध्यक्ष : बहस का मुद्दा नहीं बनायेंगे इसको ....

श्री सी. पी. जोशी : क्यों बहस का मुद्दा नहीं बनायें माननीय अध्यक्ष महोदय ?

Let the Janata Party speak. आप सुनिये ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री सी. पी. जोशी : जिस दिन चन्द्र-शेखर जी यहां पर रिप्लाई दे रहे थे उस दिन भी कागज हाथ में लेकर गये, let them speak.

इसलिए आपको जनता पार्टी के जो उनके सदस्य हैं, उनके चीफ व्हिप हैं ।

श्री अध्यक्ष : बहस का मुददा क्यों बना रहे हैं ?

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, इनका खुद का मुद्दा है । आप उस परम्परा को बदलना चाहते हैं क्या ? जो पार्टी है उस पार्टी के चीफ व्हिप उसको मान रहे हैं आप नहीं मानोगे ?

श्री अध्यक्ष : जोशीजी, ठीक है ।

श्री सी. पी. जोशी : यह तो लीडर आफ अपोजीशन की फीलिंग है ।

Let the Janta party also speak. वह पार्टी क्या फील कर रही है ?

श्री अध्यक्ष : चलिए । महेन्द्रजी ।

श्री सी. पी. जोशी : आप ऐसे कैसे करेंगे इसको ?

श्री अध्यक्ष :- जोशीजी । महेन्द्रजी शास्त्री ।

श्री महेन्द्र शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय ने वस्तु स्थिति का बहुत अच्छी तरह से निराकरण कर दिया, बात कितनी अशोभनीय थी, वह भी उन्होंने स्पष्ट कर दी । कितनी बात सदन में कही जानी चाहिए उसको भी उन्होने स्पष्ट कर दिया । मैं उनकी इस राय से सहमत होते हुए एक लाईन और आगे बढ़ाते हुए इतना कहना चाहता हूँ कि यह बात ठीक है कि यह अशोभनीय घटना घटी लेकिन माननीय सदस्य का यह कहीं इरादा नहीं था कि वह कोई उनके साथ दुर्व्यवहार करना चाहते थे या उनका अपमान करना चाहते थे । उत्तेजना का कारण मात्र यह था कि उनके क्षेत्र में जो काम होने चाहिए थे, नहीं हो रहे थे । उस कारण से उनमें उत्तेजना थी । इस बात को स्वीकार करते हुए मैं उनकी इस उत्ते-जना के लिए खेद प्रकट करता हूं और आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि सदन की कार्यवाही, जो आगे कार्यवाही करने जा रहे हैं, आप उसमें उदारता का परिचय देंगे और माननीय मुख्य मंत्रीजी सदन के नेता हैं और जो हमारी परम्पराएं रही हैं उसके अनुसार मैं ऐसा मानता हूं, अब आगे के लिए खेद प्रकट करने के बाद कोई बात शेष नहीं रह जाती ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त होता है । माननीय सदस्यों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह आज का मूल प्रश्न भाभड़ा जी का था । मैंने अधिक समय दिया और समय देना चाहता हूं । परन्तु, मैंने दायमा जी की भावना को देखते हुए समय दिया, एक बार नहीं, दो बार दिया ।

(श्री अध्यक्ष)

मैं हाउस से भी यह कह रहा था, छंगाणी जी खड़े हुए थे, कि उनको बोलने दें। इधर से भी कोई करता था, मैं चाहता था जो कहना चाहते हैं, पूरा कहें। चाहे वह इससे संबंधित था, नहीं था, यह प्रश्न दूसरा था। उसके बावजूद भी उनका जो रवैया था, वह ठीक नहीं था, यदि मैं समय नहीं देता। जरूरत से ज्यादा समय देता हूं और देता रहूंगा। मुझे, मैं कहता हूं आज जितना दुख है, शायद बहुत कम होता है। बहुत दुःख है इस चीज का और वह इसलिये है कि मैं अपने हाउस की तारीफ यहां ही नहीं करता हूं, बाहर भी करता हूं कि हमारे सदन की परिपाटी जो है, वह भी और बहुत से जो सदन हैं, उनसे बहुत गौरवमय है। मैं चाहता हूं कि यह गौरवमय ही रहे। इसको हम गौरवमय रखना चाहते हैं। उसमें यह नहीं है कि मेरी ही तरफ से, मैं माननीय सदस्यों का भी बहुत आभारी रहता हूं कि वह भी मुझे सहयोग देते हैं।

यह बात दूसरी है कि कभी ज्यादा बोल लिये, वह चलता है। उसमें तो गांठ बांध कर नहीं चलना चाहिये। लेकिन मैं उनको हमेशा देखता हूं, उनका रुख हमेशा उत्तेजित रहता है, यह आज की पहली घटना नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की घटना है कि जब प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा था, तो पुनः वह वहां चले गये। बुरी आदत है। उस दिन मैंने कोई माइण्ड नहीं किया था, इनको हटा दिया था। और आज यह दूसरी घटना है, उन्हीं के द्वारा। उनको मुझसे शिकायत नहीं होनी चाहिये क्योंकि मुझसे शिकायत हो तो दूसरी बात है। अगर वह किसी चीज को रखना चाहते थे तो टेबल पर रख सकते थे। लेकिन पहली बार जा चुके थे, दूसरी बार मुख्य मंत्री जी वहां बैठे हैं, दूसरे बैठे थे–फिर तो आज वह गये, कल कोई दूसरा जायेगा, कल को तीसरा जायेगा, यह परिपाटी बनाना चाहते हैं हम? तो मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय विपक्ष के नेता ने भी इस पर अफसोस जाहिर किया कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिये और जनता दल के महेन्द्र शास्त्री जी ने भी इस चीज के लिये कहा, तो मैं हमेशा यह सहयोग चाहूंगा, आगे भी सहयोग चाहूंगा और चाहूंगा कि जो हमारी परिपाटी पड़ी हुई है, हमारी जो मर्यादा है, हम एक आदर्श कायम रखें हम समाचार पत्रों को पढ़ते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि कई समाचार पत्रों में हमारी इस तरह की चीज हो जाती है।

हम चाहे घर में कुछ भी करें, यहां बड़े संयम से चलते हैं, लेकिन मुझे जितना दुख है शायद किसी को नहीं। मैं कभी नहीं चाहता, मैं दायमा जी से भी नहीं चाहता हूं क्योंकि हरेक की भावना को जानता हूं कि किसकी क्या भावना है मैं चाहता हूं कि भावना को निकालें। लेकिन मैंने यह देखा कि भाभड़ा जी खड़े हुए हैं और वह बोल रहे हैं, मैंने कहा प्रश्नकर्त्ता मैं चिल्ला रहा हूं, प्रश्नकर्ता को प्रश्न करने नहीं दे रहे हैं और भी किसी को चांस देना चाहता हूं तो वह चांस नहीं देने देते। कम से कम एक-एक बोल लिया करें। तो मैं निवेदन करूंगा····
(व्यवधान)

(28)

श्री शिवचरण माथुर (मुख्यमंत्री) : आपके कक्ष में बात कर लेंगे और बात करके कर लेंगे —

श्री अध्यक्ष : माननीय कालवी साहब ।

श्री कल्याण सिंह कालवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम सदन में कार्य संचालन के लिये आपका पूर्ण सहयोग करते रहेंगे, मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं । अब साहब, जवान लोग हैं, जवान खून है, कुछ उत्तेजना आ जाती है, उसमें आप जैसे गंभीर लोगों को गंभीरता के साथ में उनको शांत करने की कोशिश करनी चाहिये और मैं इतना ही विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि भविष्य में इस तरह की कोई घटना नहीं होगी और हम चाहेंगे कि सदन शालीनता-पूर्वक चले और····(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज····आर्डर ।

श्री कल्याण सिंह कालवी : और विपक्ष की तरफ से जितने भी सहयोग की आवश्यकता होगी, हम सहयोग देने के लिये तत्पर हैं और मैं चाहता हूं कि इस तरह की बातों को आपको भी बहुत विशाल हृदयता से लेना चाहिये । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर ।

श्री कल्याण सिंह कालवी : और हम चाहते हैं कि आपके निर्देशन के आधार के ऊपर····

श्री अध्यक्ष : विपक्ष से मुझे पूरा सहयोग मिलता रहा है और इस सहयोग में कोई कमी नहीं है । पूरा सन्तोष है मुझे । लेकिन वह व्यक्तिगत घटना घट गयी, यह कोई दायमाजी की व्यक्तिगत घटना थी, जहां तक दायमा जी का सवाल है, इसको मैं स्वीकार करता हूं ।

श्री माणक डाणी : अध्यक्ष महोदय, आप भी जवानी का परिचय देते हुए फैसला कर दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।···माननीय, आप भी कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री माणक डाणी : हां साहब, ठीक है, छोड़ दिया जाये ।····(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज । माननीय मुख्य मंत्री जी ।

श्री शिवचरण माथुर : आपके कक्ष में बात कर लेते हैं, विपक्ष के नेता भी आ जाते हैं, फिर फैसला कर लेंगे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या बात कर लेंगे ? इससे ज्यादा इस हाउस की ग्रेस नहीं रह सकती और, इस ग्रेस को अगर आप स्वीकार नहीं करते तो हाउस के बाहर बात करने में कोई सेंस नहीं है ।

श्री शिवचरण माथुर : इसमें ग्रेसफुल का कहां सवाल आता है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप, मैं या और कोई बात करेंगे, ये हाउस से बड़े नहीं हैं । आप हाउस के सेन्टीमेंट्स को देखिये । सेंटीमेंट्स के आधार पर आपको निर्णय करना चाहिये । आप हाउस के लीडर हैं ।

श्री शिवचरण माथुर : हाउस के सेंटीमेंट्स को ही देख कर तो आपको कह रहा हूं कि आप भी विपक्ष के नेता हैं। मुझे भी मेरे माननीय सदस्यों की तरफ देखना है। अपन बाद में बात कर लेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्यों ने, मैं समझता हूं····(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : बात कर लेंगे न?

श्री शोपत सिंह : हाउस के बाहर हैं क्या आपके माननीय सदस्य? हमने इसके लिये अफसोस जाहिर कर दिया, सारा सदन उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है? विपक्ष के लोगों ने भी सपोर्ट नहीं किया है? अब क्या उठाना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष : यह उत्तेजना वाली कोई बात नहीं है····माननीय शोपत सिंह जी····

श्री शिवचरण माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह किसी को अच्छा नहीं लगता और न हम किसी को पेनेलाइज करना चाहते हैं, लेकिन एक परम्परा ऐसी है उसके संबंध में आपसे हम बात कर लेते हैं और फैसला कर लेते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मंत्रीजी, सारी स्थिति आपके सामने रख दी, उसके बाद भी अगर कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी की बात है। आप और स्पीकर साहब करना चाहें, तो, कर लें।

श्री अध्यक्ष : मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं····(व्यवधान)

श्री मोहन छंगाणी : एक मिनट अध्यक्ष महोदय। मैं कहता हूं, पहली असेम्बली में उन परम्पराओं को देखें तो जब डिवीजन होते थे, तो उस समय विपक्ष यह कहता था कि डिवीजन में ऐसा क्या करते हो, तलवारें लेकर बाहर चलो, हम निपट लेते हैं, उसको भी सहन करते थे, उत्तेजना होती है, निश्चित रूप से उत्तेजना होती है, वह सरासर गलत था कि उन्होंने वहां जाकर कागज दिया, वह आपको देते, आप उनको दे देते, यह अशोभनीय घटना जरूर घटी है। पर, मैं चाहता हूं कि आप जैसे आसन पर विराजमान अध्यक्ष इस बात को दूसरी तरह से लेंगे, अब वह खेद प्रकट कर दिया, सब कर दिया, सारे के सारे सदन के सदस्य इस अशोभनीय व्यवहार में आपके साथ हैं, उसके बाद इस तरह की छोटी बातें करना, यह शोभनीय नहीं लगता, यह परम्परा के विपरीत है, इतना ही मुझे निवेदन करना है।····(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री अशोक गहलोत (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय छंगाणी जी ने जो बात कही–यह छोटी बातें करना–मैं समझता हूं, यह उनको शोभा नहीं देता। मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय विपक्ष के नेताजी ने जो बात कही है, और महेंद्र शास्त्री जी ने भी अपनी बात कही, मैं चाहता हूं कि इस घटना को पूरा सदन गम्भीर मानता है और मैं यह भी चाहूंगा विपक्ष के नेता की अपनी

(30)

(श्री अशोक गहलोत)

जिम्मेवारी है, और अगर कोई सदस्य, विपक्ष के नेता कई बार अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिये उत्तेजनात्मक बातें कहते हैं और अगर हमारा सदस्य जाकर ऐसी बात कहे तो इससे ज्यादा अशोभनीय बात कोई हो नहीं सकती। हम भी इसी गरिमा को निभाते हैं····

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैंने क्या उत्तेजनात्मक बात कही, आप बताइये क्या कही ?-मेरा काम है सदन में उत्तेजना पैदा करने का, मैं इसमें पीछे नहीं रहता।

श्री अशोक गहलोत : मेरी पूरी बात सुनियेगा····मैंने यही बात कही है, हां यही बात है। मैं भी यही बात कह रहा हूं···· (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपका मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिये, मुझे जनता का सर्टिफिकेट चाहिये, जनता की समस्याओं को रखूंगा, इसमें कोई उत्तेजना पैदा करनी आवश्यक होगी, तो उत्तेजना पैदा करूंगा।

श्री अशोक गहलोत : जनता का सर्टिफिकेट आपको चाहिये, तो जनता का सर्टिफिकेट हम लोगों को भी चाहिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप जाइये करिये न अपना काम।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां, उत्तेजना पैदा होगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य····

श्री भैरोंसिह शेखावत : अगर आप जनता की समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे तो उत्तेजना पैदा होगी और करेंगे।

श्री माणक डाणी : उनका काम ही है उत्तेजना को ठंडा करना।

श्री डूंगरराम पंवार : जहां गलती की वहां उनको आजीवन कारावास दे दिया गया····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, शांति से। शांत। शांति रखिये कृपया। अभी जरा सुनें

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह निकालने का प्रस्ताव ले आयें आप। हमारे सभी नेताओं ने माफी मांग ली, अब जेल देना है क्या ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न आया कहां है ?

श्री शोपत सिंह : अगर इसको आप बिहार बनाना चाहते हैं, तो बनाइये आप।

श्री कल्याणसिंह कालवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, उन समस्याओं का समाधान करने के लिये हम लड़ेंगे, झगड़ेंगे, हल ढूंढ़ना होगा उनका, यह ग्रेस आपको बताना होगा, हमको नहीं बताना होगा। इसमें आपको ग्रेस बताना होगा, हमको नहीं।

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे कि

(श्री अशोक गहलोत)

सदन के सदस्य उत्तेजित हों। मैंने अपनी बात रखने की कोशिश की है। कई बार माननीय विपक्ष के नेता भी ऐसी बातें कहते हैं कि हो सकता है उत्तेजना पैदा हो जाय। उसके बावजूद ऐसी घटना नहीं होती है। इस घटना को गम्भीर मानना चाहिए और मैं निवेदन करना चाहूंगा जैसा माननीय मुख्य मन्त्री जी ने सुझाव दिया है आप जो भी फैसला करेंगे सबको मान्य होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। पर सवाल यह है कि अगर माननीय विपक्ष के नेता, जनता दल के नेता और सदन के नेता बैठकर के कोई बात करते हैं तो भविष्य के लिए ठीक रहेगा।

श्री शोपत सिंह : हम कोई बात नहीं करना चाहते हैं।

श्री नारायण राम बेड़ा : हाउस के बाहर किसी बात को असेप्ट नहीं किया जायेगा। (व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : हम चाहते थे कि सारा काम आसानी से हो जाय वह आपने खो दी।

श्री शिवचरण माथुर : मैंने इसलिए निवेदन किया कि यह एक माननीय सदस्य का व्यक्तिगत आचरण था मैं समझता हूं कि इससे पहले भी एक घटना उन्हीं के द्वारा हुई है। यह एक सदस्य का व्यक्तिगत आचरण था इसमें आप जब तक सीधे उनसे बात नहीं करलें खेद उनको प्रकट करना चाहिये दर असल में, और उनको यह महसूस होता है कि सही मायने में सही बात नहीं हुई तो दरअसल में व्यक्तिगत उनकी बात है। इसलिए मैंने कहा कि आप उनसे अलग से बात कर लें। (व्यवधान)

मेरी बात सुनिये। यह कोई पार्टी का सवाल नहीं है। यह कोई जनता दल या बी. जे. पी. की नीति का सवाल नहीं है जिसको आपने यहां उठाया कि जनता की तरफ से कह दिया....

श्री देवीसिंह भाटी : फांसी दे दो तो।

श्री शिवचरण माथुर : यह एक माननीय सदस्य के व्यक्तिगत आचरण का प्रश्न है। क्या पता वह खेद प्रकट करना नहीं चाहें। आपने तो कह दिया, मान लिया। वह खेद प्रकट करना नहीं चाहें तो फिर आप क्या करेंगे ?

श्री शोपत सिंह : फांसी लगा दो उसको।

श्री शिवचरण माथुर : इसलिए एक सदस्य को अगर उन्होंने ऐसा आचरण व्यक्तिगत किया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनको बुलाकर बात कर लेते हैं।

श्री केदार नाथ शर्मा : अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय सदस्य के कण्डक्ट को विरोध पक्ष ने कलेक्टिवली उसकी निन्दा की है, अशोभनीय कहा है और अन कण्डीशन लाअपोलोजी यहां आकर कर दी। विरोधी पक्ष के नेता ने कर दी। हमारी पार्टी के उप नेता ने कर दी और हम ने उसका साथ नहीं दिया,। हमने यह

(श्री केदार नाथ)

सोचा कि टेबल पर रखने जा रहे हैं अपने पेपर को। जब उन्होंने फ्लोर क्रास किया तो विरोध पक्ष के नेता वहां से भागकर आये और यहां आप गये, इधर से भी, मैं भी चला इतने में आप लोग भी आ गये....

एक माननीय सदस्य : पहले हम आये थे।

श्री शोपत सिंह : बहुत बहादुर हो ना।

श्री केदार नाथ शर्मा : अब इससे ज्यादा क्या सबक मिलेगा। वह समझदार आदमी हैं और हमारी सेन्स आफ प्रपोरेशन का, सेन्स आफ ड्यूटी जो हमने यहां निभायी है विरोध पक्ष के नाते वह अपने आप उसको महसूस करेगा। मेरे ख्याल से वाइजर कोन्सेल प्रिवेल करेगी, आयन्दा ऐसा कण्डक्ट नहीं होगा। यही आपसे निवेदन करता हूं। इस चीज को यहीं समाप्त कर दें।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विवेदन है कि जैसा माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा है इस लाइट में नहीं कि व्यक्तिगत आचरण माननीय सदस्य का है उसको तो आप डिस्कस कर लें लेकिन दिस इज दी अपोरच्युनिटी पिछला हाउस चलने के बाद हाउस में क्या हो रहा है? नेता की बात सदस्य नहीं मानें, यह हाउस में कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इसलिए इस अपोरच्युनिटी को इस लाइट में लेना चाहिए कि हम सब बैठकर के.... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस सदन की गरिमा को बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सदन की अलग पार्टी के नेता सभी आपके साथ बैठें और इस अपोरच्युनिटी को अवेल किया जाय। इस बात के लिए कि सदन में भविष्य मे इस तरह की घटना न हो। इसलिए चेम्बर में बैठकर बात करने से सदस्य की बात भी होगी और सदन ठीक ढंग से चले। अभी आपने देखा माननीय अध्यक्ष महोदय पिछले पांच दिन से कभी उपाध्यक्ष महोदय को चेलेंज कर रहे हैं। इस सारी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस अपोरच्युनिटी को अवेल किया जाना चाहिए कि सदन की गरिमा बनी रहे इसलिए चेम्बर में बैठकर बात कर लें। इसको विपक्ष के नेता प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनायें। हम यह नहीं कहना चाहते हैं, हम तो यह चाहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कह दिया है इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है कि सभी विपक्ष के नेताओं ने इस एक्शन को कण्डेम किया है इस बात को हम एप्रिसियेट करते हैं।

श्री मोहन छंगाणी : और आप प्रस्ताव लाइये।

श्री सी. पी. जोशी : इसलिए हम इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं लेकिन Let us avail the opportunity. इस अपोरच्युनिटी के माध्यम से हम कहना चाहते हैं। हम कोई प्रस्ताव नहीं लाना चाहते हैं। हम तो इस अपोरच्युनिटी को अवेल करना चाहते हैं कि आने वाले समय में सदन की परम्परा ठीक ढंग से

(श्री सी. पी. जोशी)

चले। सदन अपने नेता की बात माने, सदस्य अपने नेता की बात माने, ह्विप की बात माने, सदन की कार्यवाही जो पिछले 15 दिन से चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए आप चेम्बर में बैठकर बात कर लें और विपक्ष के नेता से भी निवेदन है कि इस इश्यू को इसके साथ मिक्सअप नहीं करें। आप इसको इस लाइट में लें तो एक अच्छी परम्परा बन जाये। मैं हमारे सचेतक जी से भी निवेदन करूंगा कि वे इस प्रस्ताव को मूव नहीं करें। हमें प्रस्ताव को मूव करने का कोई इन्ट्रेस्ट नहीं है लेकिन इस अपोरच्युनिटी को हम अवेल करें कि सदन में परम्परा ठीक ढंग से चले। इस सम्बन्ध में आप चेम्बर में बुलाकर बात कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री विजेयन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप मध्यस्थता करके सदस्यों को बुला लें वह खेद प्रकट कर दें और बात खत्म हो जायेगी। इसमें ज्यादा क्या है। बस वह खेद प्रकट कर दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, दो प्रश्न हैं। एक प्रश्न है इस सदन में परम्परा अच्छी बनें, सदन का कार्य सुचारु रूप से चले और दूसरा प्रश्न है जगतसिंह का, यह दो प्रश्न हैं। मैं चाहता हूं कि जगतसिंह के प्रश्न पर माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि विपक्ष ने जैसा प्रोफेसर केदार ने कहा एक राय से उनके इस कार्य की प्रशंसा नहीं की। हमने उसके लिए खेद भी प्रकट कर दिया। इससे बड़ा अध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ से कोई एशोरेंस नहीं हो सकता है जिस एशोरेंस के आधार पर सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने का हम विश्वास दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस चेप्टर को यहां बन्द किया जाय और माननीय सदस्य जो नाथद्वारा से आये हैं उन्होंने जिस प्रकार का प्रपोजल रखा है कि सदन को ठीक प्रकार से चलाने के लिए विपक्ष के लोग मुख्य मन्त्रीजी से बात करें, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस मामले को यहीं निपटाना चाहिए। इससे न जोड़ा जाय इससे और कई लम्बे इश्यू जुड़ेंगे।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, जिसने यह एक्ट किया है उसको भी सुना जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस सारे मसले पर अपन बात-चीत कर लेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हू कि माननीय जगतसिंह जी को तो वापस बुला लिया जाय और सदन का काम सुचारु रूप से चले। अध्यक्ष महोदय, हम भी यह चाहते हैं।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, आप माननीय सदस्य को बुला लीजिए और बात कर लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक और बात बता दूं। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय उनको बुला लें और माननीय सदस्य को बैठा लें फिर सदन में बैठकर सदन की परम्परा के अनुसार····

श्री शिवचरण माथुर : सदन में आने की भी जरूरत नहीं है आप बुला लें आपके

(श्री शिवचरण माथुर)

सामने बात स्पष्ट कर दें। मैं समझता हूं कि बात स्पष्ट हो जायेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमारा भी है मुख्यमन्त्री जी एक सदन के सदस्य की हम ने आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप से बात रखी। आप प्रयत्न यह कर रहे हैं जैसे सदन में विपक्षी पार्टियों में किसी प्रकार का कोई अनुशासन नहीं है। मैं समझता हूं आपको गर्व अनुभव करना चाहिए कि हम अपने मेम्बर के लिए खेद प्रकट कर रहे हैं और आप उस मेम्बर के लिए इन्सिस्ट कर रहे हैं कि वह खेद प्रकट करे।

श्री शिवचरण माथुर : मैंने तो यहां तक कहा है कि सदन में भी वह आये नहीं और अध्यक्ष महोदय से बात कर लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम तो कुछ नहीं कहना चाहते हैं। आप मर्जी चाहे जो करो।

श्री कल्याण सिंह कालवी : सदन में सम्पूर्ण विपक्ष कह रहा है। इसके सामने व्यक्तिगत कोई अहमियत नहीं रखता है जब सारा का सारा विपक्ष कह रहा है।

श्री डूंगरराम पंवार : इस मामले को तूल इसलिए देना चाहते हैं कि भागना चाहते हैं। तो भाग जाओ।

श्री अध्यक्ष : मैं सदन का बहुत आभारी हूं और बहुत बोझ अनुभव करता हूं कि सदन ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। मैं विपक्ष का भी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस चीज को सराहा नहीं। उन्होंने इस चीज की भर्त्सना एक तरह से की है। उन्होंने जो किया वह ठीक नहीं किया। माननीय मुख्य मन्त्री जी और सत्ता पक्ष की तरफ से भी कोई ऐसा नहीं लगता कि कोई खास गांठ है। प्रश्न यह है कि सदन ठीक तरह से कैसे चलता है। मैं यह पाता हूं कि दोनों की भावना में कोई तरह की रुकावट नहीं हो। विपक्ष भी सहयोग दे रहा है और देने की बात है। यह नौजवानों का सवाल है। मेरे दिल में कुछ उनके लिए कमजोरी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गहलोत जी को देखकर और भी कमजोर हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : मैं दायमा जी को भी जानता हूं वह जरा कुछ हैं, नया खून है, जैसा कालवी जी ने कहा वह लोगों को बुरा लगा लेकिन बच्चे हैं मेरे तो छोटे ही हैं। मैं उनका बहुत आदर करके चलता हूं। नौजवान हैं और हम समझते हैं कि सारा भार उनके ऊपर आना है और यह भार को अच्छी तरह से वहन करेंगे अगर यहां नहीं करेंगे तो कहां करेंगे?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माथुर साहब का भार वहन करने के लिए तो नौजवान आ गये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवा महल) : यह पर्ची नहीं चलेगी।

श्री अध्यक्ष : They can assist me. They are for my assistance. तो मैं उसकी भावना कोई को गलत नहीं मानता। वह तो जल्दबाज है। कर गया।

(श्री अध्यक्ष)

अब यह माफी मांगने की कहते हैं। मैं यह जानता हूं कि नौजवान लड़ते भी हैं और चेम्बर में जाकर हंसते भी हैं कि साहब हो गया, इस तरह का। मैं महसूस करता हूं अभी 'नहीं शुरू' से करता हूं। मैं उनकी इज्जत करता हूं और मुझे खुशी है कि वह मेरी इज्जत करते हैं और बुजुर्गों की भी इज्जत करते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नौजवानों से आपको ज्यादा ही स्नेह है।

श्री अध्यक्ष : पहले तो मैं यह चाहूंगा कि जो प्रस्ताव रखा था, मैं कुछ कहने से पहले निवेदन करूंगा उस प्रस्ताव को वापस लिया जाये तो बेटर होगा। निलम्बन का प्रस्ताव वापस लिया गया।

श्री रघुनाथ परिहार (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मैंने नियम 292 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री जगत सिंह जी दायमा को सदन से निलम्बित करने के लिए जो प्रस्ताव रखा है उसको मैं वापस लेने का प्रस्ताव रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैंने उसे प्रस्ताव पर नहीं रखना है। वापस लिया गया। धन्यवाद।

अब मैं यह महसूस करता हूं कि यह तो मैं पहले ही अपनी जुबान से निकाल रहा था इन्होंने तो पूरे सदन का किया था, अब आज तक के लिए भी निकल नहीं रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि उनको सादर यहां बुलाया जाये। मैं उनकी कद्र करता हूं, मैं उनसे प्यार करता हूं। कार्यवाही शुरू की जाये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने जिस प्रकार का बड़प्पन दिखाया उसके प्रति मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

श्री कल्याण सिंह कालवी : हम सभी आपके आभारी हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त होता है।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिए कृपया परिशिष्ट संख्या 1 देखें।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पंचायत समिति जहाजपुर में बायो गैस का उत्पादन

540. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि 1981-82 से 1988-89 के मध्य पंचायत समिति जहाजपुर के माध्यम से बायो गैस के लिए अनुदान राशि दी गई ? यदि हां, तो किस-किस को कितनी-कितनी राशि दी गई ? क्या यह पूरे तौर से प्रयोग में लेकर बायो गैस का कार्य पूरा कर ऊर्जा उत्पादन कर रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिन लोगों

(36)

(श्री रतनलाल तांम्बी)

ने अनुदान लिया परन्तु काम पूरा नहीं किया उनसे दुरुपयोग की राशि कब-कब कितनी वसूल हुई है ? यदि नहीं, तो विवरण सदन की मेज पर रखें। नहीं तो दुरुपयोग राशि को वसूल नहीं करने के क्या कारण रहे एवं इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

(3) क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र में भी ग्रामीण विकास अभिकरण की विशिष्ठ योजना बायो गैस की अनुदान राशि का भुगतान किया है ? यदि हां, तो यह गड़बड़ी किसने क्यों की ? इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं और क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही एवं जांच की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार ऐसे गंभीर मामलों में कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(2) जी हां। बायो गैस संयन्त्र लगाने के लिए दी गई अनुदान राशि तथा बायो गैस संयन्त्र से ऊर्जा उत्पादन किया जा रहा है या नहीं के सम्बन्ध में सूचना सदन के के पटल पर रख दी गई है।

(2) अनुदान की प्रथम किश्त प्राप्त करने के उपरान्त कार्य पूरा न करने वाले 14 व्यक्तियों से अब तक कोई राशि वापस वसूल नहीं की जा सकी। इन सभी 14 व्यक्तियों के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के सदस्य होने के कारण सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिनांक 16.10.86 के परिप्रेक्ष्य में जिलाधीश, भीलवाड़ा द्वारा पी. डी. आर. एक्ट 1952 में कार्यवाही के बावजूद अभी तक वसूली की कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी।

(3) पंचायत समिति, जहाजपुर से घिरे हुए नगरपालिका क्षेत्र में विभाग द्वारा किसी को भी बायोगैस संयन्त्र हेतु अनुदान राशि नहीं दी गई। वैसे शहरी/नगर पालिका क्षेत्र में भी किसी भी व्यक्ति को उपयुक्त मात्रा में पशु तथा भूमि उपलब्ध होने पर बायोगैस संयन्त्र लगाने हेतु अनुदान स्वीकृत किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

(सूची के लिये परिशिष्ट 2 देखें)

प्रशासन गांवों की ओर कार्यक्रम के अन्तर्गत निपटाये गये अतिक्रमण के मामले

541. **श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रशासन गांवों की ओर कार्यक्रम के अन्तर्गत पीपल्दा तहसील में कितने अतिक्रमण के मामलों का नियमन या अलाटमेन्ट किया गया है ? यदि हां, तो कितने मामलों में ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अभियान में अतिक्रमण के मामलों को नहीं निपटाया गया है ? यदि हां, तो क्यों और ऐसे कितने मामले हैं ? कृपया ऐसे मामलों का पूरा विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अतिक्रमण के मामलों को नहीं निपटाये जाने के लिये कौन दोषी है और

(37)

(श्री हीरालाल आर्य)

उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) प्रशासन गांवों की ओर अभियान वर्ष 1989 में इस जिले की तहसील पीपल्दा में 454 अतिक्रमण के मामलों में 780.27 एकड़ भूमि का नियमन/आवंटन किया गया है। सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। सही यह है कि उक्त अभियान में 1522 अतिक्रमण के मामलों का निस्तारण किया गया है।

(3) उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

पी. एच. ई. डी. अजमेर ग्रामीण द्वारा पेयजल हेतु विद्युत कनेक्शन

542. श्री रमजान खां (पुष्कर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अजमेर तहसील में पेयजल हेतु पी. एच. ई. डी. अजमेर ग्रामीण ने किन-किन गांवों की जल योजना हेतु कुओं में कनेक्शन लेने के लिए पत्रावलियां जमा करवा रखी हैं ? गांव के नाम मय पी.एच.ई.डी. की योजना तिथिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पेयजल हेतु अधिकतर विद्युत सम्बन्धी पत्रावलियां विभाग में लम्बित पड़ी हुई हैं ? यदि हां, तो इनको कब तक विद्युत कनेक्शन दे दिए जायेंगे ?

उत्तर

(1) अजमेर तहसील में पेयजल योजना हेतु पी.एच.ई.डी. अजमेर ग्रामीण से एक पत्रावली ग्राम अडरका की दिनांक 27.6.1989 को प्राप्त हुई जो लम्बित है।

(2) जी नहीं, केवल मात्र ग्यारह पत्रावलियां अधीक्षण अभियन्ता, अजमेर वृत के अन्तर्गत आने वाले कार्यालयों में विचाराधीन हैं जिनका विवरण प्रपत्र 'अ' में संलग्न है।

(सूची के लिये परिशिष्ट 3 देखें।)

तहसील निवाई (टोंक) के राजकीय विद्यालय में उर्दू शिक्षा

543. ग्यारसी लाल परिडवाल (निवाई) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) निवाई नगर, जिला टोंक में क्या राजकीय विद्यालय में राज्य सरकार के आदेशानुसार उर्दू की शिक्षा दी जा रही है ? यदि हां, तो कितने छात्र उर्दू शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तथा कितने अध्यापक पढ़ा रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इसी विद्यालय में ऐच्छिक

(श्री ग्यारसी लाल परिडवाल)

विषय अंग्रेजी कक्षाएं चलाने का विचार है ? यदि नहीं तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। अध्ययनरत छात्रों की संख्या 79 है तथा 2 अध्यापक पढ़ा रहे हैं।

(2) जी नहीं। अंग्रेजी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाती है।

नोखा (बीकानेर) की गोचर भूमि

544. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बीकानेर जिले की तहसील नोखा में कुल कितनी गोचर भूमि जोड़ पायतन आरेण की भूमि सरकार के पास है ? ग्राम पंचायतवार खसरा नं. तादादी बीघा सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस भूमि में से किन गांवों में किन-किन लोगों ने कितनी-कितनी भूमि नाजायज तौर पर कब्जे कर रखी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या काबिल काश्त भूमि भी किसी गांव में है जो भूमिहीन हरिजनों को आवंटित की जा सके ? यदि हां, तो कहां-कहां, कितनी-कितनी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

बीकानेर जिले की तहसील नोखा में गोचर भूमि 13680.03 बीघा, जोहड़ पायतन 22242.13 बीघा व ओरण 22953.00 बीघा भूमि है। ग्राम पंचायत वार खसरा नम्बर तथा बीघा सहित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इस जिले की तहसील नोखा में कुल 24 व्यक्तियों ने विभिन्न ग्रामों में गोचर भूमि, जोहड़ पायतन व ओरण भूमि पर नाजायज कब्जे कर रखे हैं जिनके विरुद्ध भू-राजस्व नियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही जेरकार है जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) इस जिले की तहसील नोखा में काबिल काश्त आवंटन योग्य भूमि की ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

पाली जिले की पंचायत समितियों में चालू प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

545. श्री हीरा सिंह चौहान (रायपुर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पाली जिले की किस-किस पंचायत समिति में प्रौढ़ शिक्षा के कितने केन्द्र चल रहे हैं तथा उनमें किस प्रकार की शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले की रायपुर पंचायत समिति में इस वर्ष

(श्री हीरासिंह चौहान)

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चालू किया गया है, तथा सारे गांवों में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र प्रारम्भ नहीं हो सके हैं ? इस कार्यक्रम को कब तक सारे राजस्व गांवों में लागू कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) वर्तमान में पाली जिले की सोजत पंचायत समिति में 100, मारवाड जंक्शन पंचायत समिति में 100, रानी में 200, रायपुर में 200 एवं जैतारण पंचायत समिति में 100 अर्थात् कुल 700 केन्द्र खोले हैं। इन प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों पर प्रति शिक्षार्थी पाठ्य पुस्तक, स्लेट, पेंसिल, कापी एवं अनुपूरक सामग्री दी जाती है तथा अनुदेशक को शिक्षण सामग्री जैसे अध्यापक निर्देशिका चार्ट्स, चाक, डस्टर आदि सहायक सामग्री दी जाती है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। शेष सभी गांवों में भी कार्यक्रम आठवीं पंचवर्षीय योजना में लागू किए जाने के प्रयास किए जायेंगे।

(सूची के लिये परिशिष्ट 4 देखें)

कृषि विभाग में निदेशक के पद पर विभागीय पदोन्नति

546. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) **श्री दाऊ दयाल जोशी** (दीगोद) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कृषि विभाग में निदेशक के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के स्थान पर विभाग का ही अधिकारी नियुक्त किये जाने की मांग समय-समय पर की जाती रही है ?

(2) यदि हां, तो उक्त पद पर विभाग के व्यक्ति को अभी तक पदोन्नति नहीं किये जाने का क्या कारण है ?

(3) क्या सरकार उक्त पद पर विभागीय अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) कृषि विभाग के विभिन्न संवर्गों के संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारियों की आपसी वरिष्ठता निर्धारित नहीं होने के कारण यह अभी तक सम्भव नहीं हो सका है।

(3) आपसी वरिष्ठता का निर्धारण होते ही विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाकर निदेशक के पद पर तकनीकी अधिकारी की नियुक्ति कर दी जावेगी।

राज्य के बीमार उद्योगों की बकाया राशि

547. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विद्युत बोर्ड ने राज्य के बीमार उद्योगों की विद्युत

(90)

(श्रीमती विद्या पाठक)

बकाया की राशि को माफ कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों तथा इस कारण होने वाली हानि का उत्तरदायित्व किसका होगा ?

उत्तर

विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 78 (ए) के अन्तर्गत जारी किये गये राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार राज्य के रुग्ण उद्योगों को उद्योग विभाग या रीको या राजस्थान वित्त निगम द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि "यह इकाई बीमार है एवं इसका पुनर्वास (रिहाबिलिटेशन) किया गया है" दिये जाने पर उनके विद्युत सम्बन्ध विच्छेद होने की तारीख के पश्चात् मिनिमम चार्जेज की राशि को माफ किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये हैं। इस समयावधि के मिनिमम चार्जेज वसूल न करने से होने वाली हानि के लिये कोई उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि यह सरकार की नीति सम्बन्धी मामला है।

टोंक जिले में उनियारा के भूतपूर्व जागीरदारों व भूमिधारियों का मुआवजा

548. **श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला टोंक, उप खण्ड टोंक में उनियारा के भूतपूर्व जागीरदारों व भूमिधारियों का मुआवजा 1975 में भूमि अवाप्ति व समर्पित करने के बाद भी आज दिन तक मुआवजा तय नहीं किया गया है ?

(2) यदि हां, तो क्यों ? अब कब तक निर्धारण कर दिया जाकर चुकारा कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि उनियारा के भू. पू. जागीरदारों व भूमिधारियों से अवाप्त सीलिंग भूमि का मुआवजा अभी तक तय नहीं किया गया है।

(2) कुछ प्रकरणों में धारा 12 के अन्तर्गत जारी नोटिसों पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई जारी है। शीघ्र ही निर्धारण कर भुगतान की कार्यवाही कर दी जावेगी।

पाली जिले में पण्डित मोटर्स कम्पनी की बसों का चलन

549. **श्री हीरा सिंह चौहान** (रायपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले में ब्यावर से बलाडा, नानणा से बर इत्यादि गांवों में पण्डित मोटर्स की बसें चलती हैं ?

(2) ब्यावर से बलाडा रूट पर कौन-कौन सी बसें किस-किस समय प्रस्थान करती हैं ? समय सारिणी मय किराया तालिका के सदन की मेज पर रखें।

(3) नानणा से बर जाने वाली बस की समय सारिणी एवं किराया तालिका सदन की मेज पर रखें।

(श्री हीरासिंह चौहन)

(4) क्या ब्यावर से चित्तौड़ बस पण्डित मोटर्स कम्पनी की चलती है ? यदि हां, तो जनता की मांग अनुसार उक्त बस को चित्तौड के स्थान पर सोड़पुरा तक क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है, जबकि सड़क हर प्रकार से उपयुक्त है।

(5) सोडपुरा तक उक्त बस कब तक चला दी जावेगी ?

(6) क्या उक्त मार्ग पर रात्रि को ब्यावर से चलने वाली आखिरी बसों को काणेच नाहरपुरा तथा रामावास राजस्व गांवों तक चलाने का विचार है जो कि उक्त गांव मुख्य रोड पर दो किलोमीटर की परिधि पर आते हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) पण्डित मोटर्स की केवल एक बस इस मार्ग पर चलती है शेष बसें अन्य बस मालिकों की हैं।

(2) समय सारिणी तथा किराया तालिका क्रमशः संलग्न परिशिष्ट "क" तथा "ख" पर उपलब्ध हैं।

(3) नातणा से बर कोई बस सेवा नहीं है बल्कि ब्यावर से बर वाया गिरी बस जाती है जिसकी समय सारिणी व किराया सूची व संलग्न परिशिष्ट "क" तथा "ख" में उपलब्ध हैं।

(4) जी हां, इस मार्ग को शोडपुरा तक वृद्धि कृत किये जाने हेतु सर्वेक्षण कराया जा रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार मार्ग वृद्धिकरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

(5) जैसा कि उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही आगे कार्यवाही की जा सकेगी।

(6) इन गांवों को भी बस सेवा से जोड़ने हेतु सर्वेक्षण कराया जा रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही की जा सकेगी।

(सूची के लिए परिशिष्ट 5 देखें)

प्रौढ़ शिक्षा परियोजना अधिकारी खैरथल (अलवर) के विरुद्ध गम्भीर मामले

550. श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल) : क्या शिक्षा राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि परियोजना अधिकारी प्रौढ़ शिक्षा खैरथल (अलवर) द्वारा 11 टेप रिकार्ड्स मै. नरेश स्टोर अलवर से बिल संख्या 14885 दिनांक 18-3-1987 द्वारा माडल 254 "ए" फिलिप्स 975/- रु. की रेट से खरीदे जबकि उनका उस समय मार्केट मूल्य 650/- था ?

(2) क्या यह भी सही है कि उन्होंने साढ़े बारह प्रतिशत पर 1986 में गैस सिलेण्डर खरीदा जो कार्यालय में ही उनके निवास पर काम आ रहा है, जबकि वे मकान किराया भत्ता भी उठा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(42)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

(3) क्या मार्च, 1987 में उन्होंने तरुण ब्रदर्स अलवर से 300 लालटेन खरीदीं जो अब भी स्टॉक में ज्यादातर फूटी रखी हैं तथा जो इश्यू हुई वे भी वापस आ गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि उन्होंने मै. अमीचन्द एण्ड संस दिल्ली से बिल संख्या 3101 दिनांक 7-10-1987 को अंग्रेजी की टेलरिंग की किताबें खरीदी ? यदि हां, तो क्यों ? प्रौढ़ शिक्षा में इनका क्या उपयोग है ?

(5) क्या यह भी सही है कि उन्होंने सुपरवाइजरों का यात्रा भत्ता 900/– दिनांक 12-12-1987 को भुगतान कर दिया जबकि बिल 15-3-1989 को पास हुआ ? क्या दिनांक 20-10-1987 को वे जिलाधीश अलवर कार्यालय में 20 सूत्री मीटिंग में उपस्थित थे, लेकिन उस दिन का केन्द्रों का निरीक्षण का यात्रा भत्ता उठाया एवं दिनांक 9-9-1988 को अलवर से खैरथल यात्रा दिखाई जबकि ड्राइवर की लिखित शिकायत के अनुसार दिनांक 7 से 12-9-1989 तक गाड़ी अलवर ही थी ?

(6) क्या यह भी सही है कि माह अक्टूबर 1988 से दिसम्बर 1988 तक उन्होंने रेडियो व मशीन मरम्मत के कई फर्जी बिल ऊठाये ? यदि हां, तो किस-किस के एवं कितने-कितने ? बिलों की फोटो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(7) उपरोक्त गम्भीर अनियमितताओं को उनके विरुद्ध सरकार कब तक क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) यह सही है कि तरुण ब्रदर्स, अलवर से 300 लालटेन खरीदी गई। ये न तो भण्डार में फूटी पड़ी हैं और न ही केन्द्रों से वापस आई।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं। प्रश्न में आगामी 12 सितम्बर, 89 के बारे में पूछा गया है, अघटित का उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं हैं।

(6) जी नहीं।

(7) उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कोई अनियमितता नहीं प्रतीत होती।

निगम द्वारा संचालित गणगौर होटल में बीयर की बिक्री में अनियमितता

551. श्री चुन्नीलाल मेघवाल (सुजानगढ़) :

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या पर्यटन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित गणगौर होटल में कितने-

(श्री चुन्नीलाल मेघवाल)

कितने अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत हैं ?

(2) क्या वर्ष 1987-88 में इस होटल में बीयर की बिक्री में अनियमितता किये जाने का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी पाया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्तमान में राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित गणगौर पर्यटक विश्राम गृह में 4 अधिकारी एवं 75 कर्मचारी कार्यरत हैं।

(2) जी हां, गणगौर पर्यटक विश्राम गृह की एक बीयर की दुकान पर बिक्री में अनियमिततायें किये जाने का एक मामला जानकारी में आया था, जिसके लिए श्री देवीसिंह, रूम अटेण्डेण्ट को दोषी पाया गया, जिसके विरुद्ध थाना विधायकपुरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी। अभी मामला पुलिस की तफ्तीश में है। इस मामले के बाद एहतियात बतौर बीयर की समस्त दुकानों का चोरी, अग्नि व अन्य प्रकार के प्राकृतिक अथवा मानव प्रकोपों के विरुद्ध बीमा करा दिया गया है।

सहायक जिलाधीश कार्यालय (लालसोट) के भवन की बकाया

552. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ;—

(1) क्या सरकार ने सहायक जिलाधीश कार्यालय के लिए लालसोट में भवन किराये पर लिया है ? यदि हां, तो अनुबंध की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या भवन के मालिक को अब तक भी किराया अदा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो अनुबन्ध के अनुसार किराये की क्या दर तय हुई है एवं पी. डब्यू. डी. द्वारा किराया प्रतिमाह कितने किराये का आंकलन किया है ?

(3) क्या सरकार पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा निर्धारित रेट को नहीं मानती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) उपरोक्त कार्यालय की अब तक कुल कितनी राशि बकाया है एवं अब कब तक भुगतान कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। अनुबन्ध की प्रति संलग्न है।

(2) सार्वजनिक निमाण विभाग ने उक्त भवन का किराया 1670/– रुपये प्रतिमाह आंका है लेकिन बाजार दर से उक्त भवन का किराया 800/–रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होने के कारण किराये का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है तथा यह प्रकरण जिला स्तर पर विचाराधीन है।

भाग–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

(3) जब तक किराया निर्धारण के विषय में कोई निर्णय नहीं हो जाता है

(44)

(राजस्व मन्त्री)

तब तक यह बताना मुश्किल है कि कितना किराया बकाया है।

(4) भुगतान के विषय में किराया निर्धारित होने पर यथा समयानुसार निर्णय ले लिया जावेगा।

(सूची के लिए परिशिष्ट 6 देखें)

सरदार पटेल कालोनी बीकानेर की जमा भूमि रूपान्तरण शुल्क

553. **श्री उम्मेदसिंह** (शिव) :

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरदार पटेल कालोनी बीकानेर किस ग्राम की सीमा के किस-किस खसरा नम्बर की भूमि में बसी हुई है ? ब्यौरा गांव का नाम व खसरा नम्बर सहित सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या उक्त कालोनी के निवासियों द्वारा भूमि रूपान्तरण शुल्क जमा करवाया गया है ? किस-किस व्यक्ति ने कितना-कितना भूमि रूपान्तरण शुल्क कब व कितने क्षेत्रफल के लिए जमा करवाया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार उक्त कालोनी के निवासियों से विकास शुल्क जमा करवाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो किस दर से ? क्या अन्य कच्ची बस्तियों में भी विकास शुल्क इसी दर से लिया गया है ?

उत्तर

(1) सरदार पटेल कालोनी ग्राम बीकानेर के खसरा 176 की भूमि में बसी हुई है।

(2) जी हां, विवरण परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रखा दिया गया है।

(3) जी हां, स्थानान्तरण के आदेश करते समय विकास शुल्क के बारे में जो आदेश प्रभावशील होंगे उसके अनुसार विकास शुल्क लिया जायेगा। कच्ची बस्तियों से विकास शुल्क भूमि रूपान्तरण विभाग द्वारा नहीं लिया जाता है।

(सूची के लिए परिशिष्ट 7 देखें)

विधान सभा क्षेत्र टोडारायसिंह में एन. आर. ई. पी. एवं आर. एल. ई. जी. पी. के अन्तर्गत स्वीकृत राशि

554. **श्री नाथूसिंह** (टोडारायसिंह) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनवरी 1985 से लेकर अब तक विधान सभा क्षेत्र टोडारायसिंह नगर में एन. आर. ई. पी. एव आर. एल. ई. जी. पी. के अन्तर्गत कुल कितने कार्य कहां-कहां, कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत हुए ?

(2) उक्त कार्यों पर कुल कितनी राशि व्यय की गई ?

उत्तर

(1) जनवरी, 85 से लेकर अब तक विधान सभा क्षेत्र टोडारायसिंह में कुल

(विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री)

368 कार्य 1.37 करोड़ रु. के स्वीकृत हुए इनमें से पंचायत के 322 सामान्य कार्य 0.65 करोड़ रु. के, भू-संरक्षण के 5 कार्य 0.04 करोड़ रु. के, सार्वजनिक निर्माण विभाग के 5 कार्य 0.36 करोड़ रु. के, सिंचाई विभाग के 2 कार्य 0.14 करोड़ रु. के तथा वन विभाग के 34 कार्य 0.18 करोड़ रु. के स्वीकृत हुए। स्थानों की सूची जहां कार्य स्वीकृत हुए हैं, संलग्न है।

(2) उक्त 368 कार्यों पर 0.94 करोड़ रु. की राशि व्यय की गई।

(सूची के लिये परिशिष्ट 8 देखें)

सूरतगढ़ के सैकण्डरी गर्ल्स स्कूल की क्रमोन्नति

555. **श्री हंसराज मिढ़ा** (सूरतगढ़) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सूरतगढ़ कस्बे का एकमात्र गर्ल्स स्कूल जो कक्षा दस तक हैं को नई शिक्षा नीति के तहत सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने का सरकार का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सूरतगढ़ शहर के एक मात्र सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में 10+2 कक्षाओं हेतु अतिरिक्त स्टाफ लगाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार का छात्रों की बढ़ती हुई संख्या तथा कस्बे के विस्तार को देखते हुए लड़कों के सैकण्डरी स्कूल को क्रमोन्नत करने का भी विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। इस वर्ष माध्यमिक विद्यालय को सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के लिये कोई बजट प्रावधान नहीं है।

(2) जी हां। कक्षा 12 खुलने पर 6 अतिरिक्त व्याख्याता के पद स्वीकृत किये गये हैं।

(3) जी नहीं। इस वर्ष माध्यमिक विद्यालय को सीनियर हायर सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने का बजट प्रावधान नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ का बस स्टैन्ड

556. **श्री चुन्नीलाल मेघवाल** (सुजानगढ) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ के ग्राम पंचायत सालासर जो कि धार्मिक स्थान है, वहां पहले बस स्टेण्ड कहां था ? वर्तमान में बस स्टेण्ड कहां है क्या वर्तमान में जो बस स्टेण्ड बना हुआ है वह आवागमन आदि की दृष्टि से उपयुक्त स्थल पर है ?

(2) यदि नहीं, तो निगम सालासर बस स्टेण्ड को नये स्थान पर कब परिवर्तित कर देगा।

(श्री चुन्नीलाल मेघवाल)

(3) क्या बस स्टेण्ड स्थान का अधिग्रहण कर लिया गया है ? यदि हां, तो कब तथा इसका निर्माण कार्य चालू हो जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां । पूर्व में बस स्टेण्ड सालासर गांव में बालाजी मन्दिर के पास स्थित था । वर्तमान में बस स्टेण्ड गांव के बाहर राजकीय चिकित्सालय के पास स्थित है ।

(2) सालासर बस स्टेण्ड को नये स्थान पर परिवर्तित करने की निगम की योजना नहीं है ।

(3) जी नहीं ।

जिला बांसवाड़ा में वर्ष 1988-89 में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलना

557. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला बांसवाडा में वित्तीय वर्ष 1988-89 में कितने उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या राज्य सरकार उक्त आदिवासी बहुल क्षेत्र को ध्यान में रखकर ग्राम नवागांम तथा छोटी सरवन जिला बांसवाडा में इसी वित्तीय वर्ष में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) बांसवाडा जिले में वित्तीय वर्ष 1988-89 में 15 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी नहीं । उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की स्कीम ही समाप्त हो गई है ।

(सूची के लिए परिशिष्ट 9 देखें)

तहसील रामगढ़ (अलवर) में निगम द्वारा नये बस स्टेण्ड का निर्माण

558. श्री रघुवर दयाल गोयल (रामगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर के रामगढ़ कस्बे में वर्तमान स्टेण्ड उपयुक्त स्थान पर नहीं बना हुआ है क्योंकि वहां काफी भीड़भाड़ व वाहनों का जमघट रहता है और छोटा क्षेत्र है जिस कारण आये दिन दुर्घटनायें भी होती हैं ?

(2) क्या सरकार वहां से बस स्टेन्ड हटा कर खुली व उपयुक्त जगह पर बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । जहां तक दुर्घटनाओं का प्रश्न है जनवरी, 87 से अब तक निगम की

(यातायात मंत्री)

वाहनों से इस बस स्टेण्ड पर दुर्घटना नहीं हुई है।

(2) सीमित वित्तीय साधनों के कारण के कारण अभी रामगढ़ में बस स्टेण्ड बनाने का विचार नहीं है।

उदयपुर जिले में लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत राशि

559. श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी) : क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ट्राईबल मद से लघु सिंचाई योजनाओं के लिये उदयपुर जिले को 77 लाख, बांसवाड़ा के 99 लाख व डूंगरपुर जिले के लिए एक लाख रुपये इस वर्ष अधूरे कार्य पूर्ण करने हेतु दिये गये ?

(2) क्या तीनों जिलों के लिए धनराशि बराबर आवंटित किया जाना उपयुक्त था ? यदि हां, तो विभेदात्मक विभाजन के क्या कारण थे ?

(2) क्या डूंगरपुर जिले में लघु सिंचाई योजनायें अधूरी हैं ? यदि हां, तो इन योजनाओं को पूर्ण करने हेतु ट्राईबल मद से कितनी और राशि कब तक आवंटित की जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस वर्ष जनजाति क्षेत्रीय विकास क्षेत्र के अन्तर्गत लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिये राज्य योजना मद में निम्नानुसार बजट आवंटन किया गया है :–

क्र.	जिला	परियोजना की सं.	बजट आवंटन लाख रु.
1.	बांसवाडा	6	113.90 (89-90)
2.	उदयपुर	1	9.00
3.	डूंगरपुर	1	1.00

(2) जी नहीं। तीनों जिलों के लिये बराबर धनराशि आवंटित किया जाना उपयुक्त नहीं था। डूंगरपुर जिले में सिर्फ एक ही लघु सिंचाई परियोजना राज्य योजनान्तर्गत चालू है जिस पर 1.00 लाख रुपये का बजट अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई संभाग, उदयपुर को मांग के अनुसार रखा गया है। ट्राईबल मद के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं के लिये अलग से कोई बजट नहीं मिलता है। जन जाति क्षेत्र में स्थिति सिंचाई ?

(3) परियोजनाओं पर राज्य योजनान्तर्गत बजट आवंटित किया जाता है।

राज्य में विद्युतिकृत कुए

560. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में कुल कितने विद्युतिकृत कुए हैं ?

(48)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(2) विचाराधीन विद्युतिकरण हेतु कितने कुए शेष हैं ?

(3) शेष रहे कुओं पर विद्युत कनेक्शन कब तक कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) राज्य में माह मार्च, 1989 के अन्त में 3,24,529 कुए ऊर्जीकृत थे।

(2) कृषि कनेक्शनों के ऊर्जीकरण हेतु मार्च, 1989 के अन्त में कुल 1,92,507 आवेदकों के प्रार्थना पत्र विचाराधीन थे।

(3) राज्य सरकार द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत घोषित वार्षिक लक्ष्यों तथा आवंटित वित्त के अनुरूप आगामी वर्षों में वार्षिक ग्रामीण विद्युतिकरण कार्यक्रमानुसार शेष विचाराधीन कृषि कनेक्शनों के आवेदकों को कनेक्शन दिये जा सकेंगे। निश्चित समयावधि बता पाना संभव नहीं है। वर्ष 1989-90 में 30,000 कृषि कुओं के ऊर्जीकरण का लक्ष्य है जिसके सापेक्ष माह जून, 1989 तक 3,340 कुओं का ऊर्जीकरण कर दिया गया है।

बीकानेर जिले में घोषित राजस्व गांव

561. श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला बीकानेर में गत चार वर्षों में किस आबादी को राजस्व ग्राम घोषित किया गया है। कृपया नये राजस्व ग्राम की जनसंख्या का आधार वर्ष व घोषणा के समय वास्तविक जनसंख्या के आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि तहसील कोलायत की आबादी ढाणी/ग्राम ढंढ कलां, करनीसर, डाबली, भूरासर, केहरली, लाखासर, फूंवाला, रावलोतोका तला, जाटों का बेरा, सुथरों का बेरा, बेरा देदावतान, दादूका गांव, हिराई ढाणी, मेड़ी का मगरा, मोडिया, गोगडियावाली, भट्टों की ढाणी, देवड़ों की ढाणी, जैतूंगों की ढ़ाणी, पेथड़ों की ढाणी, पंचपीठ ढाणी, सालंकियों की ढाणी, जानेरों की ढाणी, मियां दिल्लू की ढाणी, आंकलवाला, जागणवाला जुगत सिंह की ढाणी, भड़ल ढाणी तथा तहसील बीकानेर की भुट्टों की ढाणी, राईकों की की ढाणी, किल्चु सहलोतान, देशनोक ग्रामीण में वर्ष 1981 की जनगणना के बाद नये आवंटियों के बस जाने के बाद जनसंख्या 250 से 700 हो गई है ? यदि हां, तो क्या राजस्व विभाग इसकी जांच करवा कर राज्य सरकार के निर्णयानुसार इनको राजस्व ग्राम घोषित करने का निर्णय लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले के राजस्व क्षेत्राधिकार में गत चार सालों में 15 राजस्व ग्रामों की सीमा में स्थित ढाणियों को 16 नये राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किया गया है।

(राजस्व मंत्री)

क्र. सं.	नाम ग्राम	जनसंख्या आधार वर्ष	घोषणा के समय वास्तविक जनसंख्या
1.	काहिरा	1985	2200
2.	सरअसर	,,	2385
3.	बन्धड़ा	,,	782
4.	बीरमसर	,,	1385
5.	बुदरों की ढाणी	,,	300
6.	ढाणी छीला	,,	275
7.	ढाणी खोडा	,,	327
8.	अर्जनसर स्टेशन	,,	525
9.	दूलमेरा स्टेशन	,,	600
10.	घीरेरा स्टेशन	,,	418
11.	मोडियामावसर	,,	251
12.	हिराईकी ढाणी	,,	256
13.	नूरसर	,,	400
14.	लाखासर	,,	403
15.	ढाणी छीपोलाई	,,	932
16.	बासी	,,	851

(2) यह सही नहीं है कि तहसील कोलायत व तहसील बीकानेर की प्रश्नागत सभी ढाणियां हैं। प्रश्नागत ढाणियों में से कुछ पहले से ही राजस्व ग्राम घोषित हैं। जो निम्न हैं :–

तहसील कोलायत

दंडकलां, करणीसर, भूरासर, केहरलॉ, लाखासर, रावलोतान का तला, बेरादेदावतान, दादूका गांव, हिराई की ढाणी, मोडिया और गोगडियावाला।

तहसील बीकानेर

किल्चू सहलोतान।

इनके अतिरिक्त तहसील कोलायत में डाबली, पतूवाला, जाटों का बेरा, मुथारों का बेरा, मेढी का मगरा, भट्टों की ढाणी, देवडों की ढाणी, जैतूंगो की ढाणी, पेथडों की ढाणी, पंचपीठ ढाणी, सोलकियों की ढाणी, तानेरों की ढाणी, मीया दिल्लू की ढाणी, आकलवाला, जागणवाला, जुगतसिंह की ढाणी और मडल ढाणी व तहसील बीकानेर में भट्टों की ढाणी व राईकों की ढाणी उपनिवेशन क्षेत्राधिकारान्तर्गत ग्रामों में स्थित है। उपनिवेशन क्षेत्र में राजस्व विभाग, ग्रामों की सीमा में परिवर्तित कराने में सक्षम नहीं है। ग्राम देशनोक नगरपालिका क्षेत्राधीन है। नगरपालिका की सीमा से लगे हुए इस क्षेत्र में कई लोग अनाधिकृत रूप से बसे हुये हैं।

अत: उपरोक्त कारण की वजह से देशनोक ग्रामीण को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने का औचित्य नहीं है।

ग्राम भोजपुरी खुर्द हुलमाना के कृषकों की राजस्व खातेदारी

562. श्री महेन्द्र शास्त्री (मण्डावर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्व ग्राम भोजपुरी, हुलमाना कलां, हुलमाना खुर्द में कितने लघु व सीमान्त कृषक खातेदार हैं ? सूची खातेदारी रिकार्ड मय बंजड, गोचर, सिवाय चक

(श्री महेन्द्र शास्त्री)

उनके खसरा नं. व बीघा सहित निम्न प्रकार सदन की मेज पर रखें :—

(i) खातेदार का नाम

(ii) उसकी खातेदारी की भूमि का खसरा नम्बर व प्रत्येक खसरा नं. का अलग-अलग रकबा।

(2) क्या यह सही है कि उक्त रिकार्ड में गत एक वर्ष में कुछ परिवर्तन भी किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्व ग्राम भोजपुरी, हुलमाना कलां व हुलमाना खुर्द में लघु व सीमान्त कृषक खातेदार निम्न प्रकार है :—

नाम ग्राम	लघु कृषक	सीमान्त कृषक
1. भोजपुरी	9	13
2. हुलमाना कलां	4	11
3. हुलमाना खुर्द	4	9

सूची खातेदारी अधिकार मय बंजड, गोचर सिवाय चक उनके खसरा नम्बर व बीघा सहित सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। यह सही है कि गत एक वर्ष में रिकार्ड में विक्रय पत्र, विरासत, न्यायालय के आदेश, बैंक रहन पत्र, आवंटन आदेश के आधार पर नामान्तरण-करण दर्ज होकर एवं स्वीकार होकर परिवर्तन किये गये हैं। विवरण ग्रामवार सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य पर्यटन विकास निगम को बीयर की बिक्री से आय

563. श्री **चुन्नीलाल मेघवाल** (सुजानगढ़) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य पर्यटन विकास निगम प्रदेश में कितनी जगह और कहां-कहां बीयर की बिक्री करता है ?

(2) वर्ष 1988-89 में इससे कितनी आय हुई ?

उत्तर

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रदेश में 18 स्थानों पर 46 बीयर की दुकानें संचालित हैं, जिसकी सूची संलग्न है।

(2) वर्ष 1988-89 में बीयर की बिक्री से कुल 426 705 लाख रुपये की आय हुई।

(सूची के लिये परिशिष्ट 10 देखें।)

तहसीलदार नादौती का रिश्वत के आरोप में निलम्बन

564. **डा. किरोड़ी लाल मीणा** (महुआ) **श्री मांगी लाल मेघवाल** (पाटन) **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

(1) क्या यह सही है कि 27-6-1989 को तहसील नादोती में तहसीलदार को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा ? यदि हां, तो क्या उस तहसीलदार को निलम्बित कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा पकड़े जाने के बाद भी उसने तहसीलदार के रूप में कार्य किया ? यदि हां, तो कितनी अवधि तक किस-किस तिथि को कौन-कौन से मामले निपटाये ?

उत्तर

(1) जी हां, इस बाबत जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने सूचित किया है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से इस सम्बन्ध में अभी तक कोई लिखित सूचना न मिलने के फलस्वरूप उन्हें निलम्बित नहीं किया गया है।

(2) जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर ने यह भी सूचित किया है कि घटना के बाद तहसीलदार नादोती ने दिनांक 1.7.89 को निम्न कार्य सम्पादित किया है :–

कर्मचारियों/अधिकारियो के वेतन बिल आदि ड्रा किये गये व वितरण सम्बन्धी कार्य किया। एक दस्तावेज 1500/- रुपये का पंजीबद्ध किया। उप कोष सम्बन्धी कार्य किया जिसमें मिलट्री पेन्शनर्स को पेंशन वितरण की गई। अब सम्बन्धित तहसीलदार को नादौती से गंगापुर सब डिवीजन मुख्यालय पर बुलवा लिया गया है।

बालोतरा (बाड़मेर) में 33 के. वी. ए. विद्युत स्टेशन की स्थापना

565. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य विद्युत मण्डल बालोतरा औद्योगिक क्षेत्र क्र. सं. 1, 2 3 में 11 के. वी. ए. के विद्युत स्टेशन पर बढ़ते हुए विद्युत भार को ध्यान में रखते हुए वहां 33 के. वी. ए. विद्युत स्टेशन स्थापित करने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां, प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। अत: इस पर अभी निर्णय से पूर्व सब स्टेशन बनने के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना संभव नहीं है।

कोटा से ब्यावर विद्युत लाईन की प्रस्तावित योजना

566. **श्री माणक डागा** (ब्यावर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ब्यावर से कोटा की प्रस्तावित 220 के. वी. की विद्युत लाईन डालने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब प्रारम्भ किया गया व कितनी दूरी तक कार्य किया जा चुका है ?

(2) क्या कोटा से ब्यावर की प्रस्तावित योजना 220 के. वी. लाईन का कार्य

(52)

(श्री माणक डाणी)

प्रगति पर है ? यदि हां, तो कितनी दूरी तक लाईन डाली जा चुकी है ?

(3) इस योजना की कुल लागत क्या है तथा योजना कब तक पूर्ण की जाकर इसमें विद्युत प्रवाह प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

(4) क्या विभाग निजी जमीनों में लाईन डालने से पूर्व जमीन मालिकों से स्वीकृति लेता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो ब्यावर स्थित देलवाड़ा रोड पर राज. सनातन धर्म हायर सैकण्डरी विद्यालय की जमीन पर लाईन डालने से पूर्व ली गई स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त स्कूल के बच्चों के समक्ष संभावित खतरे को देखते हुए विभाग यह लाईन अपने व्यय पर कब तक हटा लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या ऐसी सरकारी एवं निजी जमीनों में लाईन डालने का मुआवजा विभाग जमीन मालिकों को देता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, ब्यावर कोटा 220 के. वी. लाईन का कार्य जनवरी 1988 से प्रारम्भ कर दिया गया था तथा 190 कि. मी. लाईन (576 लोकेशन) में से 128 कि. मी. लाईन के तार खींचे जा चुके हैं एवं 545 टावर खड़े किये जा चुके हैं।

(2) 220 के. वी. कोटा से ब्यावर लाईन का कार्य प्रगति पर है तथा 128 कि. मी. लम्बी लाईन डाली जा चुकी है।

(3) इस योजना की कुल लागत 1652.70 लाख रुपये है। योजना को मार्च 1990 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

(4) विद्युत मण्डल केवल कृषि भूमि या सरकारी भूमि में ही लाईन डालता है जिसके लिए वह प्राधिकृत है। देलवाडा रोड स्थित राज० सनातन धर्म विद्यालय की जमीन पर जो 11 के. वी. लाईन है वह लाईन स्कूल बनने से पूर्व कृषि भूमि में डाली गई थी। अतः लाईन डालने से पूर्व स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं थी।

(5) विद्यालय के अधिकारियों को, लाईन हटाने के लिए होने वाले व्यय का मण्डल द्वारा नियमानुसार (आदेशानुसार) नोटिस जारी किया जा चुका है जिसके पैसे जमा होने पर लाईन वहां से हटा दी जावेगी।

(6) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल लाईन डालने के लिए जमीन का मुआवजा नहीं देता परन्तु लाईन खींचने से हुए नुकसान का मुआवजा, मुआवजा अधिकारी द्वारा निर्धारित किये जाने के अनुसार देने का प्रावधान है।

मुकुन्दगढ़ (झुंझुनू) में सहायक अभियन्ता कार्यालय

567. **श्री नवरंगसिंह** (नवलगढ़) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मुकुन्दगढ़ जिला झुंझुनू में सहायक अभियन्ता विद्युत

(श्री नवरंगसिंह)

का कार्यालय स्थानान्तरित करने का आदेश हुआ है ? यदि हां, तो कब तक इसे कार्यान्वित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) नवलगढ़ व झुन्झुनू अधिशासी अभियन्ता विद्युत के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में गत एक वर्ष से कितने पावर व साधारण ट्रान्सफारमर खराब हुए और उनके स्थान पर कब-कब मरम्मत की गई एवं नया ट्रान्सफारमर लगाया गया है ? वर्तमान में कितने ट्रान्सफारमर कितने दिन से खराब पड़े हैं ? अधिशासी अभियन्तावार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह मामला विचाराधीन है।

(2) अधिशासी अभियन्ता, नवलगढ़ व झुन्झुनू के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में गत एक वर्ष 1988-89 (31-3-1989 तक) में विभिन्न स्थानों पर पावर एवं वितरण ट्रान्सफारमर कब-कब खराब हुए तथा उनके स्थान पर कब-कब दूसरा ट्रान्सफारमर नया या मरम्मत शुदा लगाया गया की सूचना परिशिष्ट "अ" में संलग्न है। वर्तमान में ट्रान्सफारमर खराब पड़े हैं जो बदले नहीं गये हैं, उनकी सूचना परिशिष्ट "ब" में संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

नागौर में काश्तकारों को विद्युत कनेक्शन

568. श्री रामदेव चौधरी (मूण्डवा) :

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति नागौर व मूण्डवा में गत वर्ष काश्तकारों को विद्युत कनेक्शन दिये गये थे ? यदि, हां तो, किस श्रेणी के कनेक्शन किस-किस काश्तकारों को दिये ? पूरे नाम पतों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) मुख्य अभियन्ता ग्रामीण विद्युतिकरण राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने उक्त पंचायत समितियों में किस-किस श्रेणी में कितने-कितने कृषि कुओं को विद्युतीकरण करने का कब-कब लक्ष्य तय किया ? मुख्य अभियन्ता के आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कनेक्शनों में सामान्य श्रेणी के काश्तकारों के कितने कनेक्शन मुख्य अभियन्ता ने एलॉट किये थे और कितने कनेक्शन दिये गये ?

(4) कितने ऐसे कनेक्शन हैं जिनका डिमाण्ड नोटिस गत वर्ष जमा हुआ और कार्य नहीं हुआ और वो किस श्रेणी का है ?

उत्तर

(1) जी हां, गत वर्ष 1988-89 में पंचायत समिति नागौर व मूण्डवा में क्रमशः 17 एवं 42 कृषि कनेक्शन दिये गये। वांछित सूचना परिशिष्ट "अ–1 व अ–2" में संलग्न है।

(ऊर्जा मन्त्री)

(2) मुख्य अभियन्ता (ग्रा. वि.) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, जयपुर द्वारा पंचायत समिति नागौर व मूण्डवा में विभिन्न आदेशों के तहत किस-किस श्रेणी में कितने कितने कुओं को ऊर्जीकृत करने का लक्ष्य आवंटित किया, उसका विवरण परिशिष्ट "ब" में आदेशों की प्रतियों सहित संलग्न है (परिशिष्ट "ब" से ब–4") ।

(3) मुख्य अभियन्ता (ग्रा. वि.), राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा प्रारम्भ में पंचायत समिति नागौर व मूण्डवा में क्रमश: 9 एवं 56 कृषि कनेक्शनों का लक्ष्य सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत आवंटित किया गया था। इसको मुख्य अभियन्ता (ग्रा. वि.) के अन्तिम पत्र द्वारा संशोधित कर पंचायत समिति नागौर व मूण्डवा में क्रमश: 3 एवं 8 का लक्ष्य रखा गया। इन लक्ष्यों के सापेक्ष में पंचायत समिति नागौर में 4 एवं मूण्डवा में 6 कनेक्शन दिये गये।

(4) पंचायत समिति नागौर में 25 एवं पंचायत समिति मूण्डवा में 123 कृषि कनेक्शनों के डिमाण्ड नोटिस गत वर्ष (1988-89) में जमा हुए जिनका कार्य वर्ष 1988-89 में पूर्ण नहीं किया गया है। श्रेणी वार विवरण निम्न है :—

क्र. सं.	पं. स. नागौर	पं. स. मूण्डवा
1	2	3
1. फव्वारा	2	2
2. डिफेंस पर्सनल	–	4
3. ग्रीन कार्ड	2	12
4. ट्यूब वैल	–	22
5. ऐसे विद्युतिकृत ग्राम जिनमें कृषि कनेक्शन नहीं हुए हैं	5	28
6. अनुसूचित जाति	2	14
7. सामान्य	3	16
8. वन पोल स्कीम	11	25
कुल	25	123

(सूची के लिए परिशिष्ट 12 देखें)

रोपड़ थर्मल प्लान्ट को पानी

569. श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 10-5-1984 को पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के मध्य रोपड़ थर्मल प्लान्ट को "कामन पूल" से पानी देने के सम्बन्ध में कोई समझौता हुआ था ? यदि हां, तो समझौते की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, समझौते की प्रति परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) इस सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय को मामला भेजने हेतु केन्द्र सरकार के ऊर्जा

(ऊर्जा मन्त्री)

मन्त्रालय द्वारा प्रारूप बनाकर मामला संबंधित राज्यों के अनुमोदनार्थ दिनांक 30-10-84 को भिजवा दिया गया था। केन्द्र सरकार द्वारा मामला उच्चतम न्यायालय को भिजवाने हेतु प्रारूप विधि एवं न्याय मंत्रालय की राय लेकर बना लिया है। मामले को उच्चतम न्यायालय में भिजवाने की कार्यवाही ऊर्जा मंत्रालय में विचाराधीन है जिस पर शीघ्र कार्यवाही किये जाने हेतु मुख्यमन्त्री स्तर से केन्द्रीय मंत्रियों, सांसदों को लिखा गया है। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा दिनांक 6-6-89 को सूचित किया है कि वे इस मामले को देख रहे हैं।

(सूची के लिए परिशिष्ट 13 देखें)

राज्य में कैपेसिटर बैंक

570. श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में मार्च 89 तक कितने उपभोक्ताओं के कैपेसिटर में पैसे जमा हैं, उसमें से कितने लगा दिये गये हैं। बाकी कैपेसिटेरों को सरकार कब तक लगाने का विचार रखती है ?

(2) क्या सरकार उपभोक्ताओं के यहां कैपेसिटर लगाने के स्थान पर सब स्टेशनों पर कैपेसिटर बैंक लगाने को व्यावहारिक समझती है ?

उत्तर

(1) मार्च 1989 तक लगभग 50503 उपभोक्ताओं के पैसे कैपेसिटर हेतु जमा हुए। इनमें से लगभग 16917 के कैपेसिटर लगा दिये गये हैं। शेष उपभोक्ताओं के यहां भी शीघ्र ही उपलब्धतानुसार कैपेसिटर लगाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(2) जी नहीं, दोनों स्थानों पर कैपेसिटर लगाना तकनीकी दृष्टि से तथा नियमों के अन्तर्गत आवश्यक है।

भीलवाड़ा जिले की विभिन्न पंचायत समितियों में स्थित विद्यालयों में रिक्त पद

571. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की करेंगे :—

(1) क्या भीलवाड़ा जिले की विभिन्न पंचायत समितियों में स्थित सीनियर हायर सैकण्डरी, सैकण्डरी तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा नगरीय क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में विभागीय मापदण्ड के अनुसार अध्यापकों के पद स्वीकृति हैं ? कृपया नामावली सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त विद्यालयों में मापदण्ड के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में कितने अध्यापक होने चाहिए और उसके विरुद्ध कितने पद स्वीकृत हैं, कितने पदों पर अध्यापक कार्यरत हैं व कितने पद कब से रिक्त हैं ? विद्यालय वार प्रत्येक पंचायत समिति की सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री रतन लाल ताम्बी)

(3) क्या यह सही है कि समस्त विद्यालयों में रिक्त पद नहीं भरे जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या चालू शिक्षा सत्र में यह पद भर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। नामावली सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) मापदण्ड के अनुसार पद स्वीकृत हैं। विद्यालयवार रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध है। प्रतिबन्ध हटने पर रिक्त पद भरे जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी।

(सूची के लिये परिशिष्ट 14 देखें)

कृषि विपणन मण्डल द्वारा मण्डी कर्मचारियों को प्रदत्त ऋण

572. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कृषि विपणन मण्डल द्वारा मण्डी कर्मचारियों को भवन निर्माण व वाहन ऋण पर सितम्बर, 1989 तक प्रतिबन्ध लगाया गया है ? जिसके कारण मण्डी कर्मचारियों को ऋण स्वीकृत नहीं किए जा रहे हैं ? यदि हां, तो प्रतिबन्ध के क्या कारण हैं ?

(2) सरकार कब तक प्रतिबन्ध हटा कर पुनः ऋण स्वीकृति की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। कुछ मण्डी समितियों को गत वर्ष की बचत अवगत नहीं कराने एवं निर्माण कार्यों का बजट प्रस्ताव नहीं आने के कारण कर्मचारियों हेतु ऋण प्रस्ताव अनुपूरक बजट में मांगने का सुझाव दिया गया था।

(2) प्रतिबन्ध लगाया ही नहीं गया अतः प्रतिबन्ध हटाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

बारां को जिला घोषित किया जाना

573. **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बारां को जिला बनाने का मामला कब से विचाराधीन है ? विलम्ब के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि बारां को जिला बनाना आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा आदिवासियों के विकास हेतु आवश्यक है ?

(3) क्या यह भी सही है कि बारां में जिला कलक्टर कार्यालय के अलावा जिले के लिए लगभग सभी कार्यालय स्थित हैं ?

(4) यदि हां, तो बारां को कब तक जिला बना दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) वर्ष 1980 से राज्य के कुछ जिलों को विभाजित कर नये जिले बनाने का प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है। इनमें बारां का मामला भी सम्मिलित है। राज्य की निरन्तर अकाल स्थिति के कारण उत्पन्न विषम आर्थिक स्थिति के कारण नये जिलों का निर्माण संभव नहीं हो रहा है।

(2) इस प्रश्न पर राज्य की आर्थिक स्थिति के मद्देनजर ही विचार किया जा सकता है।

(3) जी हां, बारां में जिला स्तर के कुछ कार्यालय स्थित हैं।

(4) भाग-1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

चाकसू (जयपुर) में जीवनधारा योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कुए

574. **श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)** : क्या विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की पंचायत समिति चाकसू में जीवन धारा योजना के अन्तर्गत ऐसे लोगों को कुए स्वीकृत किए हैं जिनके स्वयं की खातेदारी में कोई भूमि नहीं है? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो जिन लोगों के कुए स्वीकृत हुए हैं उनके स्वयं की खातेदारी में कृषि भूमि कितनी है? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जीवन धारा में उन लोगों को अनुचित लाभ मिल गया है जिनके पिता के नाम, कृषि भूमि, ट्रेक्टर, सिंचाई के साधन पूर्व से ही थे और उनके लड़कों को गरीबी रेखा में भूमिहीन मानकर लाभान्वित किया जा चुका था? यदि हां, तो ऐसे लोग कौन-कौन से हैं? सूची सदन की मेज पर रखे।

(3) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति चाकसू ने ग्राम न्यू रलावता के जीवनधारा से सम्बन्धित 3 कृषकों को जमाबन्दी नकल प्रस्तुत करने का नोटिस दिया? यदि हां, तो केवल इन तीन किसानों को भुगतान से पूर्व जमाबन्दी की नकल प्रस्तुत करने के लिए ही क्यों कहा गया, अन्य से जमा बन्दी क्यों नहीं मांगी?

उत्तर

(1) जी हां। अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को व्यापक परिप्रेक्ष्य में लाभान्वित करने हेतु राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि यदि अनुसूचित जाति/जनजाति का व्यक्ति एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों में चयनित हैं तथा वह स्वयं तो खातेदार नहीं हैं, किन्तु उसके पिता खातेदार हैं तो उसके परिकल्पित अंश के आधार व जीवनधारा योजना के लिये आवश्यक जोत की परिभाषा में आने से वह व्यक्ति लघु एवं सीमान्त कृषक है, तो उसको जीवनधारा योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा सकता है। पंचायत समिति, चाकसू में उपर्युक्त श्रेणी के कृषकों, जिनके स्वयं के खाते में कोई भूमि नहीं है, की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री)

(2) सम्बन्धित ग्राम के राजस्व पटवारी की रिपोर्ट एवं आई आर डी पी में चयनित होने की पंचायत समिति से प्राप्त रिपोर्ट के बाद ही कृषकों को जीवनधारा सिंचाई कूप स्वीकृत किये गये हैं। परिकल्पित अंश के आधार पर कूप स्वीकृत किये जाने के कारण कृषक का इस योजनान्तर्गत उसके पिता के पास धारित साधनों से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसी प्रकार भारत सरकार के निर्देशानुसार इन कृषकों को जिन्हें इस प्रकार के कूप स्वीकृत किये गये हैं, पूर्व में भी भूमिहीन माना जाकर लघु सिंचाई योजनाओं के अतिरिक्त अन्य योजनाओं में पात्रता के आधार पर लाभान्वित किया जा चुका है तो भी नियमानुसार ही है। फिर भी ऐसे मामलों में जिनके पिता के नाम कृषि भूमि, टैक्टर, सिंचाई के साधन पूर्व से ही मौजूद थे और जिनके लड़कों के परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे मानकर लाभान्वित किया गया है, के सम्बन्ध में सम्बन्धित तहसीलदार / विकास अधिकारी से सूचना एकत्रित करवाई जा रही है।

(3) जी हां। न्यूरलावता ग्राम के सरपंच, ग्राम पंचायत ठीकरिया गूजरान, के द्वारा तीन कृषकों के सम्बन्ध में की गई लिखित शिकायत के निस्तारण बाबत भूमि विषयक रिकार्ड प्रस्तुत करने का निर्देश विकास अधिकारी, चाकसू द्वारा दिया गया था। शिकायत की जांच एवं सन्तुष्टि के बाद भुगतान की कार्यवाही की गई। अन्य कृषकों के सम्बन्ध में इस प्रकार की कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं होने के कारण अन्य लाभान्वितों से उक्त प्रकार का कोई रिकार्ड नहीं मांगा गया।

(सूची के लिये परिशिष्ट 15 देखें)

तहसीलदार ओसियां के खिलाफ आरोप

575. **श्री नारायण राम बेड़ा** (भोपालगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अप्रेल 1989 को एक स्थानीय विधायक ने डिवीजनल कमीश्नर जोधपुर व कलक्टर महोदय जोधपुर को कार्यरत तहसीलदार ओसियां के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए शिकायत की कि ग्राम किरमसिय कला, ओसियां के खसरा नम्बर 16/1 रकबा 30 बीघा भूमि की रजिस्ट्री दिनांक 8-7-1988 को अवैध अनियमित एवं गलत तरीके से की गई ?

(2) यदि हां, तो इस शिकायत की जांच किस अधिकारी द्वारा की गई एवं जांच पत्र में क्या लिखा गया ? पूर्ण रिपोर्ट सदन की मेज पर मय शिकायत-पत्र के रखें।

(3) यदि नहीं, तो आज दिन तक उक्त शिकायत की कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला कलक्टर, जोधपुर ने सूचित किया है कि शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर इस मामले में जांच हेतु

(राजस्व मंत्री)

दिनांक 6-4-89 को उपखण्ड अधिकारी फलौदी को जांच कर पैरावाईज टिप्पणी भेजने हेतु निर्देश दिये गये एवं उन्हें समय-समय पर ताकीद भी की गई। लेकिन राजस्व अभियान में संबंधित अधिकारी के व्यस्त होने के कारण जांच प्रतिवेदन प्राप्त होना शेष है। शिकायत की प्रति चाहे अनुसार संलग्न की जा रही है।

(2) यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रश्न से संबंधित शिकायत के बाबत संभागीय आयुक्त, जोधपुर ने, तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त कर माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य को दिनांक 17-6-89 के पत्र के द्वारा इस मामले में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होने की जानकारी भेज दी थी।

(3) भाग-2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें।)

कृषि विभाग में अधिकारियों के फर्जी आदेश से तबादले

576. **श्री बिरदमल सिंघवी** (जोधपुर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या कृषि विभाग के कुछ अधिकारियों के तबादलों के बाबत कोई फर्जी आदेश जारी होने का मामला प्रकाश में आया है? यदि हां, तो कब? ऐसे फर्जी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार को फर्जी आदेश बाबत जानकारी कब मिली? क्या यह सही है कि जानकारी काफी लम्बे समय बाद मिली? यदि हां, तो राज्य सरकार को ऐसे महत्वपूर्ण आदेशों के फर्जी होने का ज्ञान इतने समय बाद होने का क्या कारण है?

(3) क्या इस मामले की जांच हो रही है? यदि हां, तो जांच किस स्तर पर हो रही है? जांच के आदेश कब हुए? फर्जी आदेश का ज्ञान होने के बाद जांच शुरू होने में कितना समय लगा? यदि अधिक समय लगा, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 10-4-89 को उप निदेशक कृषि (विस्तार) अजमेर ने मुख्यालय को सूचित किया था। उक्त आदेश क्रमांक एफ-2 (सब) नि. कृ./ग्रुप-2/1840-47 दिनांक 8-8-88 की प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) राज्य सरकार को जानकारी दिनांक 10 अप्रैल, 89 को मिली। आदेशों के फर्जी होने का पता लगते ही उप निदेशक ने राज्य सरकार को सूचित किया। इसमें कोई विलम्ब नहीं हुआ।

(3) जी हां। पुलिस विभाग द्वारा जांच की जा रही है। तथ्यों की प्रारम्भिक रूप से जांच करने के बाद दिनांक 5-7-89 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें।)

ब्यूरो ऑफ स्टेट इन्टरप्राइजेज की स्थापना

577. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने ब्यूरो आफ स्टेट इन्टरप्राईजेज की स्थापना कर रखी है ? यदि हां, तो कब से और उक्त ब्यूरो ने अब तक किस-किस सरकारी उद्यम का अध्ययन किया है और क्या-क्या रिपोर्ट सरकार को कब-कब दी ? उन रिपोर्ट्स की प्रतियां सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त रिपोर्टों के आधार पर सरकार ने क्या-क्या निर्देश जारी किये और उनकी पालना कहां तक हुई तथा उनका परिणाम क्या रहा ?

(3) उक्त ब्यूरो की स्थापना का क्या उद्देश्य था उसमें कहां तक सफलता मिली ?

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा राजकीय उपक्रम ब्यूरो का गठन सर्व प्रथम वर्ष 1978 में किया गया था। इसे अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु वर्ष 1984 में इसका पुनर्गठन किया गया।

पुनर्गठन के बाद ब्यूरो द्वारा अब तक 32 राजकीय उपक्रमों के कार्यों का मूल्यांकन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 8 राजकीय उपक्रमों का पुनर्मूल्यांकन (द्वितीय) भी किया जा चुका है। इनकी सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

ब्यूरो द्वारा तैयार की गयी मूल्यांकन रिपोर्ट पर ब्यूरो के सदस्यों की बैठक में विस्तृत विचार विमर्श किया जाता है जिसमें सम्बन्धित उपक्रम के प्रशासनिक सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी सम्मिलित किया जाता है। ब्यूरो की बैठक में पारित सुझावों एवं मार्ग दर्शक निर्देशों को सम्बन्धित उपक्रम के प्रशासनिक सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अनुपालना हेतु प्रेषित किया जाता है। जिनका कार्य मूल्यांकन हो चुका है उनमें से तीन (राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान सहकारी भेड़ एवं ऊन विपणन फैडरेशन तथा राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम) के अतिरिक्त सबको ब्यूरो के सुझाव/मार्गदर्शक निर्देश भिजवाये जा चुके हैं। शेष तीन को भी भिजवाये जा रहे हैं। सुझावों की प्रतियां संलग्न है। परिशिष्ट 'क' में इनके भिजवाने की दिनांक भी अंकित है।

(2) ब्यूरो द्वारा निर्देशित सुझावों जिनका उल्लेख (1) में किया गया है की अनुपालना हेतु संबंधित राजकीय उपक्रमों से त्रैमासिक अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त की जाती है। द्वितीय मूल्यांकन के समय यह भी देखा जाता है कि प्रथम मूल्यांकन रिपोर्ट्स की कहां तक अनुपालना हुई है। इन उपक्रमों को सरकार द्वारा पूंजी उपलब्ध कराते समय भी सरकार ब्यूरो की रिपोर्ट को ध्यान में रखती है। यह एक निरन्तर प्रक्रिया है जिसके परिणाम तुरन्त प्राप्त होने की अपेक्षा नहीं की जा

(राजकीय उपक्रम मन्त्री)

सकती तथापि कालान्तर में इन प्रयासों/सुझावों की क्रियान्विति के लाभ मिलना अवश्यंभावी है ।

(3) राजकीय उपक्रम ब्यूरो की स्थापना के उद्देश्य संलग्न परिशिष्ट 'ख' के अनुसार है तथा ब्यूरो द्वारा अब तक किये गये कार्यों की प्रगति संलग्न परिशिष्ट 'ग' के अनुसार है ।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

कोटा जिले में वन विकास हेतु भू-आवंटन

578. **दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले में गत 3 वर्षों में किन-किन पंचायत समितियों में किन-किन को कितनी-कितनी अकृष्य बंजर भूमि सामाजिक वानिकी के तहत निजी वन विकास हेतु आवंटित की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान भू-राजस्व नियम, 1986 के तहत उक्त भू-खण्ड आवंटन के बाद पहली जुलाई में पेड़ लगाना अनिवार्य है ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों ने उक्त नियम की पालना में कहां-कहां कितनी-कितनी जमीन पर कितने-कितने पेड़ लगाये ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त नियमों के तहत दो वर्ष तक उक्त भूमि पर पेड़ न लगाने पर भूमि का आवंटन निरस्त हो जाता है ? यदि हां, तो गत वर्षों में नियम की पालना न करने वालों पर निरस्तीकरण की कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) इस जिले में गत 3 वर्षों में निजी वन विकास हेतु भूमि आवंटन नियम 1986 के अन्तर्गत जिन-जिन व्यक्तियों को भूमि आवंटन की गयी, सूची संलग्न है । (परिशिष्ट "अ")

(2) राज. भू–राजस्व (निजी वन विकास हेतु भूमि का आवंटन) नियम, 1986 के नियम 13 (3) के अनुसार आवंटित भूमि पर कब्जा दिये जाने के पश्चातवर्ती 1 जुलाई से वृक्ष लगाये जाने चाहिए, प्रथम वर्ष में एक सिंचाई क्षेत्र में पेड़ लगाने चाहिए, जिन व्यक्तियों द्वारा उक्त नियम की पालना की जाकर पेड़ लगाये गये हैं ? उनकी सूचना संलग्न है । (परिशिष्ट "ब")

(3) निजी वन विकास हेतु अकृष्य भूमि आवंटन नियम, 1986 के नियम 13 (7) एवं 13 (13) (क) के अनुसार यदि आवंटिती द्वारा अनुज्ञा समय के भीतर वृक्ष नहीं लगाये जाते हैं तो आवंटन संक्षेपतः रद्द (निरस्त) किया जा सकता है । नियमों की पालना नहीं करने वाले ऐसे आवंटियों को आवंटित की गयी भूमि का आवंटन बाद जांच निरस्त कर दिया गया है सूची संलग्न है । (परिशिष्ट "स") अन्य मामलों में जांच भी की जा रही है । जिन आवंटितियों द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गयी है उनके आवंटन नियमानुसार निरस्त कर दिये जायेंगे ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्कालय में रखी गई ।)

राज्य मार्गों पर परिवहन निगम की बसें

579. श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में राज्य पथ परिवहन निगम राज्य के कितने प्रतिशत मार्गों पर अपनी बसें चला रहा है तथा इससे राज्य सरकार को कितनी वार्षिक आमदनी गत चार वर्षों में हुई ?

(2) गत चार वर्षों में अनुबन्धित बसों से राज्य सरकार को कितनी आमदनी हुई है ?

(3) नये राज्य मार्गों पर परिवहन निगम की बसें चलाने के बारे में राज्य सरकार की क्या नीति है ?

उत्तर

(1) वर्तमान में राज्य परिवहन निगम द्वारा राज्य के कुल सड़क मार्गों में से 30·24 प्रतिशत मार्गों पर अपनी बस सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। आय की सूचना संलग्न है।

(2) सूचना संलग्न है।

(3) नये राज्य मार्गों पर बसें चलाने के लिये अब नये मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 30 6-1989)

रातीडान (अजमेर) में शाला भवन

57. श्री रमजान खां (पुष्कर) : क्या शिक्षा राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद् अजमेर के अन्तर्गत आने वाले ग्राम रातीढान में प्राथमिक शाला भवन नहीं होने के कारण छात्र-छात्रायें पेड़ की छाया में बैठ कर अध्ययन करते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1987-88 में जिला शिक्षा अधिकारी अजमेर ने सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड अजमेर को प्राथमिक विद्यालय का भवन निर्माण करवाने हेतु 50 हजार रुपये की राशि उपलब्ध करवाई थी ?

(3) यदि हां, तो क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग ने प्राथमिक विद्यालय रातीढान का भवन निर्माण पूर्ण कर दिया ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब तक इस भवन का निर्माण पूर्ण कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) भवन अभी अपूर्ण है। सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 1989 के अन्त तक भवन को पूर्ण कर, शिक्षा विभाग को सौंप दिया जायेगा।

(दिनांक 4-7-1989)

थानेश्वर मन्दिर भूमि प्रकरण

110. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हीरासिंह चौहान)

(1) पाली जिले के रायपुर तहसील के आसन जिलेलाव गांव में सम्वत् 2010 के पूर्व भूमि किसके खातेदारी में थी और कितनी थी ? सम्पूर्ण भूमि का जमाबन्दी की नकलें मय मालिक के सेटलमेन्ट के पूर्व विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त राजस्व गांव की सम्पूर्ण भूमि थानेश्वर मंदिर (शिवजी) की मूर्ति के पुजारी के नाम संवत् 2010 के पूर्व थी ? संवत् 2010 के सेटलमेन्ट के बाद मूर्ति के नाम कितनी भूमि खातेदारी में और कितनी भूमि काश्कारों के नाम खातेदारी में दी गई ? सभी प्रकार की भूमि की जमाबन्दी की नकलें सम्वत् 2010 के सेटलमेन्ट के रेकार्ड के अनुसार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मंदिर की भूमि अन्य व्यक्ति के खातेदारी में नहीं दी जा सकती ? सम्वत् 2010 के बाद उक्त मंदिर की भूमि किस-किस व्यक्ति किन-किन कारणों से गलत खातेदारी में इन्द्राज किया गया और अब नियमानुसार उक्त मंदिर की भूमि कब पुनः मूर्ति के नाम खातेदारी में दी जा रही है ? उसके आदेश मय जमाबन्दी की नकल के सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त गांव के खसरा नं. 215 का रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा पर इस समय खातेदारी अधिकार किसके हैं और क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त खसरा नं. की भूमि इस मंदिर के पूर्व पुजारी श्रीयुत् सुख रावत जी ने अपनी पासवान श्रीमती सुथाई को भरण-पोषण के लिए दी थी ? क्या उस भूमि को किसी अन्य को खरीदने का अधिकार था ? यदि नहीं, तो यह भूमि पुनः मंदिर के खातेदारी में इन्द्राज क्यों नहीं की जा रही है ? यदि की जायेगी, तो कब तक ?

(5) क्या राज्य सरकार सम्वत् 2010 में उक्त मंदिर की डोली की जमीन का विवाद राजस्व मण्डल अजमेर की रेफरेन्स कर भूमि सम्बन्धी निर्णय करना चाहती है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या उक्त मन्दिर की भूमि जैतारण तहसील के निम्बाज गांव के खातेदारी में बेरा रातबुआ पर आई हुई है ? यदि हां, तो राजस्व मण्डल के निर्णय अनुसार अब उक्त भूमि किसके खातेदारी में है ? कृपया राजस्व मण्डल का आदेश मय चालू म्यूटेशन की कार्यवाही की नकलों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें। सहायक कलक्टर जैतारण इसका इन्द्राज अब बन्द क्यों नहीं कर रहा है ?

उत्तर

(1) पाली जिले की रायपुर तहसील का जिलेलाव गांव जागीर गांव था, जिसमें सर्व प्रथम सैटलमेंट 2008 से 2010 के बीच हुआ था एवं 2011 से लागू किया गया था। जागीर के समय एवम् उपरोक्त उल्लेखित भू प्रबन्ध से पूर्व का रेकार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण भूमि की

(राजस्व मन्त्री)

खातेदारी की जानकारी के साथ-साथ चाहे गये रेकार्ड की प्रतियां उपलब्ध कराना संभव नहीं है।

(2) सम्वत् 2010 के पूर्व का कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि ग्राम की सम्पूर्ण भूमि थानेश्वर मन्दिर (शिवजी) के नाम सम्वत् 2010 के पूर्व थी। सम्वत् 2011 से 2030 के खतौनी बन्दोबस्त के अनुसार भी ग्राम आसन जिलेलाव में कोई भूमि मूर्ति के नाम खातेदारी में दर्ज नहीं है। तत्सम्बन्धी बन्दोबस्त की खतौनी की नकल की प्रति सदन की पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां। भाग दो में उल्लेखित स्थिति के कारण प्रश्न नहीं उठता।

(4) वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार उक्त खसरा नं. 215 मु. सुथाई बेवा सुखा रावत के नाम दर्ज है तथा राजस्व रेकार्ड से प्रश्न में उल्लेखित अन्य बिन्दुओं पर प्रकाश नहीं पड़ता। अतः शेष प्रश्न नहीं उठते हैं।

(5) ग्राम आसन जिलेलाव में मन्दिर की ढोली की भूमि दर्ज नहीं थी। अतः रेफरेन्स करने का प्रश्न नहीं उठता।

(6) जैतारण तहसील के ग्राम निमाज के बेरा रातबुआं रकबा 101 बीघा 4 बिस्वा की भूमि पूर्व में डोली बनाम आसन जिलेलाव सुखा रावत के नाम दर्ज थी। बाद में यह भूमि खातेदार के नाम दर्ज हो गई। तहसीलदार जैतारण ने 14-2-83 को यह भूमि पुनः डोली के नाम करने का आदेश ढोली के पक्ष में नामान्तरण स्वीकृति करते हुए दिये। नामान्तरकरण की अपील में उपखण्ड अधिकारी ने 27-6-83 को तहसीलदार के आदेश को निरस्त करते हुए, खातेदार रामजीवन का नाम खातेदारी में रखने के निर्देश दिये। इस आदेश का नामान्तरकरण भरा गया।

राजस्व मण्डल द्वारा म्यूटेशन सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर रिवीजन पर एस. डी. ओ. के आदेश को सेटएसाइड करते हुए तहसीलदार के आदेश को बहाल रखा। परन्तु यह भी निर्देश दिये कि खातेदारी सम्बन्धी विचाराधीन वाद में दिया गया निर्णय अन्तिम माना जाय। खातेदारी सम्बन्धी वाद विचाराधीन होने से एस. डी. ओ/तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण सम्बन्धी कोई कार्यवाही नहीं की गई। राजस्व मण्डल के निर्णय एवम् नामान्तरकरणों की प्रति सदन की पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

राजस्थान में मन्दिरों की भूमि

111. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में मन्दिरों व देवस्थान के नाम इंतकाल दर्ज भूमि काबिज व काश्त करने वाले लोगों के नाम से खातेदारी अधिकार दे दिये थे ? यदि हां, तो क्या अब राज्य सरकार ने इन किसानों से भूमि वापिस लेकर देवस्थान

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

विभाग को देने का निर्णय किया है ? यदि हां, तो निर्णय एवं नियम की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि तहसील नोखा के ग्राम बाधनू में शिवबाड़ी "शिव मंदिर" की भूमि काबिज व काश्तकार लोगों को खातेदारी अधिकार व इंतकाल ग्राम पंचायतों में दर्ज करवाने के साथ दे दी गई थीं।

उत्तर

(1) जी हां, भूमि जिनके कब्जे व काश्त में थी। उन्होंने अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाली। परन्तु राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार भूमि के इन्तकाल वापिस मंदिरों के नाम दर्ज करने के निर्देश समय-समय पर दिये थे। प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) यह सही है कि तहसील नोखा के ग्राम बाधनू में मंदिर श्री लालेश्वर जी महाराज (शिववाड़ी) "शिवमंदिर" की भूमि 18 व्यक्तियों को जो काबिज काश्तकार थे ग्राम पंचायत बांधनू द्वारा खातेदारी अधिकार दिये गये थे। जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील में खारिज कर दिये गये थे।

(सूची के लिये परिशिष्ट 19 देखें)

देवस्थान विभाग में आरक्षित पद

113. श्री चुन्नी लाल इन्दलिया (नोखा) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में देवस्थान विभाग में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित हैं? क्या किसी श्रेणी में कोई पद रिक्त है? यदि हां, तो कितने-कितने और सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति के इन पदों पर नियुक्ति के क्या प्रयास कर रही है?

(2) देवस्थान विभाग में मंदिरों के पुजारी सहित उच्च पदों पर कितने-कितने अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग नियुक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) देवस्थान विभाग में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के श्रेणीवार आरक्षित एवं रिक्त पदों का विवरण संलग्न है। राज्य सरकार ने नियुक्ति पर प्रतिबध लगा रखा है इस प्रतिबन्ध के हटने पर नियमानुसार रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।

(2) देवस्थान विभाग में पुजारी के पद पर अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं है। सम्प्रदाय विशेष की सेवा-पूजा पद्धति के जानकार व्यक्ति की ही पुजारी के पद पर नियुक्ति की जाती है।

(सूची के लिये परिशिष्ट 20 देखें)

लालसोट में नामान्तरण तस्दीक

126. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री परसादी लाल मीणा)

(1) "प्रशासन गांवों की ओर" अभियान के दौरान जजपुर जिले की लालसोट तहसील में विरासत के कितने नामान्तरकरण तस्दीक किए गए हैं ? कृपया तस्दीक किए गए नामान्तरकरणों की सूची गांव वार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि खातेदार की मृत्यु के लम्बे अर्से के बाद भी विरासत का नामान्तरकरण नहीं खोलने की आम शिकायत है ? यदि हां, तो विरासत का नामान्तरण खोलने के संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

उत्तर

(1) "प्रशासन गांवों की ओर" अभियान के दौरान जयपुर जिले की लालसोट तहसील में विरासत के 729 नामान्तरकरण तस्दीक किये गये हैं। तस्दीक किये गये नामान्तरकरणों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, यह सही है कि खातेदार की मृत्यु के लम्बे अर्से के बाद भी विरासत के नामान्तरकरण खोलने की आम शिकायत है क्योंकि विरासत के नामान्तरकरण के लिये नियमानुसार मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होता है जो संबंधित व्यक्ति द्वारा देरी से पेश किये जाते हैं, यह देरी पंजीयन अधिकारी द्वारा समय पर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जाने के कारण भी होती है। विरासत के नामान्तरकरण खोलने का प्रावधान नियमों में है तथा सरकार की भी यह स्पष्ट नीति है कि खातेदार की मृत्यु के पश्चात् विरासत के नामान्तरकरण शीघ्र खोल कर स्वीकृत कर दिये जावें। परन्तु मृत्यु की सूचना देना व मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना वारिसान का उत्तरदायित्व है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

नैनवां जिला बून्दी के काश्तकारों के खातेदारी हक

143. श्री प्रभूलाल (नैनवां)

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बून्दी जिले की नैनवां तहसील में वर्ष 1957 से 1964 तक सिवाय चक भूमि लीज के नाम से आवंटित की गई थी ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को कितनी भूमि ? पटवार सर्किल वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवंटन कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार अब तक कितने लोगों को दिये गये तथा कितने व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार शीघ्र ही उनको खातेदारी अधिकार देने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । 1117 व्यक्तियों को 11.339 बीघा 15 बिस्वा भूमि लीज पर आवंटित हुई है। सूची 'क' संलग्न है।

(राजस्व मंत्री)

(2) 826 व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार दिये गये हैं तथा शेष 291 व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार नहीं दिये हैं। सूची 'क' एवं 'ख' संलग्न है।

(3) खातेदारी अधिकार देने के सम्बन्ध में मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

जागीर कमिश्नर कार्यालय

154. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जागीर कमिश्नर कार्यालय समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो पूर्व विचाराधीन प्रकरणों को कौन अधिकारी देख रहा है व कितने मामले जागीर मुआवजे के किस-किस जागीर के विचाराधीन हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला बीकानेर के गांधी गांव के जागीरदार/भोक्ता के कितने, किस किस के मामले किन कारणों से विचाराधीन या अनिर्णीत पड़े हैं ? कृपया प्रकरण वार विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला बीकानेर के उक्त विचाराधीन प्रकरण कब तक निपटा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जागीर कमिश्नर कार्यालय समाप्त नहीं किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जागीर कमिश्नर का अलग से पद नहीं रखा जाकर भू-प्रवन्ध आयुक्त राजस्थान जयपुर को पदेन जागीर कमिश्नर नियुक्त किया हुआ है। भू-प्रबन्ध आयुक्त जो पदेन जागीर आयुक्त है वे 5000/- से ऊपर की आय ग्रुप के जागीरों के विचाराधीन प्रकरणों की सुनवाई करते हैं तथा 5000/- से कम आय ग्रुप के प्रकरणों को निपटाये जाने हेतु प्रत्येक जिले में जिलाधीश (जागीर) सम्बन्धी कार्य देखते हैं। जागीर आयुक्त कार्यालय में जागीर कमिश्नर के अधिकार क्षेत्र के मुआवजे के विचाराधीन प्रकरण 14 हैं। जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जिला बीकानेर के गांधी गांव के जागीरदार/भोक्ता के कोई मामले विचाराधीन नहीं हैं।

(3) कोई मामले विचाराधीन नहीं हैं अतः निपटाने का प्रश्न ही नहीं है।

(सूची के लिये परिशिष्ट 21 देखें)

बून्दी जिले की लाखेरी तहसील में अतिक्रमित भूमि का नियमन

159. श्री मांगी लाल मेघवाल (पाटन) **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बून्दी जिले के लाखेरी राजस्व क्षेत्र में अतिक्रमित

(श्री मांगी लाल मेघवाल)

भूमियों पर लम्बे समय से काश्त किया जा रहा है ?

(2) यदि हां, तो कितने काश्तकारों द्वारा कितने क्षेत्र में व कब से ? कृपया सूची कृषक का नाम, पिता का नाम, जाति, क्षेत्र सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त काश्तकारों से धारा 91 के तहत शास्ति भी वसूल की जा रही है ? यदि हां, तो कब से एवं कितनी-कितनी ?

(4) क्या राज्य सरकार इन कृषकों को उक्त कृषि भूमि आवंटन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी, हां। बून्दी जिले के लाखेरी राजस्व क्षेत्र में अतिक्रमित भूमियों पर काश्त की जा रही है।

(2) उक्त क्षेत्र में कुल 276 काश्तकारों द्वारा 1139 बीघा 17 बिस्वा क्षेत्र में अतिक्रमी के रूप में काश्त की जा रही है, जिनकी सूची परिशिष्ट 'क' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी, हां। धारा 91 के तहत ऐसे काश्तकारों से शास्ति की वसूली की जा रही है, जिसका विवरण उक्त परिशिष्ट 'क' में अंकित है।

(4) जी, नहीं। अतिक्रमित भूमि को आवंटित किये जाने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। नियमों के अन्तर्गत पात्रता रखने पर नियमन किया जा सकता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

(5 जुलाई, 1989)

जल धारा योजना के अन्तर्गत कृषकों को लाभ

188. श्री हरि कुमार औदिच्य (रामगंज मण्डी) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जल धारा योजना के अन्तर्गत 1988-89 में कितने कृषकों के परिवारों को किराये या पट्टे प्रभारों पर पम्प सैट दिये जाने की योजना थी ?

(2) कितने परिवारों को लाभान्वित किया जा सका ?

उत्तर

(1, 2) जलधारा योजना के अन्तर्गत वर्ष 88-89 में कृषकों के परिवारों को किराये या पट्टे प्रभारों पर पम्पसेट दिये जाने का प्रावधान नहीं था। वस्तुतः जल धारा योजना के अन्तर्गत 88-89 में राज्य के 8 जिलों के 30 चिन्हित सूखा संभाव्य विकास खण्डों मे सीमान्त कृषकों के 2439 कृषि कुओं पर भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम दिल्ली के जरिये दिये जाने वाली अनुदान राशि से विद्युत पम्प सेट लगाने का प्रावधान था जिसके अन्तर्गत पम्प इकाई कीमत की 50% (अधिकतम रु. 4500/- प्रति इकाई) राशि अनुदान रूप में भारत सरकार से प्राप्त होनी थी व शेष व्यय लाभान्वित होने वाले कृषकों को बैंक-

(विशिष्ट योजना संगठन मंत्री)

ऋण द्वारा उपलब्ध करवाया जाना था। चूंकि जलधारा योजना के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत/अन्तिम नीति-निर्देश तथा अनुदान राशि की स्वीकृति वर्ष 88-89 के अन्त में सम्भव हो सकी थी इसलिये इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 88-89 में किसी भी कृषक को लाभान्वित नहीं किया जा सका। अब इस योजना की क्रियान्विति वर्तमान वर्ष 88-89 में "पुराने लम्बित कार्य' के रूप में की जानी है। लाभान्वित किये जाने हेतु सीमान्त कृषकों का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा जिला कलक्टर की अध्यक्षता में संबंधित ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा किया जायेगा तथा वही उनके कुओं पर पम्प सेटों का क्रय करवाने एवं स्थापना कराने का कार्य करेंगे तथा बैंक ऋण भी कृषकों को उपलब्ध करवायेंगे। विद्युत मण्डल द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त अनुदान राशि को इन एजेन्सियों को उपलब्ध कराया जा रहा है तथा संबंधित जिला विकास अधिकरण से प्रमाण-पत्र प्राप्त होने व कृषि विद्युत संबंध हेतु आवश्यक कार्यवाही पूर्ण किये जाने तथा डिमाण्ड नोट की राशि जमा करवाने पर कृषि विद्युत सम्बन्ध प्राथमिकता पर दे दिया जायेगा। माह जून 89 के अन्त तक इस योजना के अन्तर्गत किसी कृषक को विद्युत सम्बन्ध नहीं दिया गया है।

कोटा में इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रीयल एरिया में पानी की टंकी का निर्माण

193. श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद)

श्री हीरा लाल आर्य (पीपल्दा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा स्थित इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रीयल एरिया में पानी की टंकी का कब निर्माण किया गया तथा उसकी भराव क्षमता कितनी है ?

(2) क्या उक्त टंकी भरी जा रही है ? यदि हां, तो कब से कब तक भरी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) इतने वर्षों पूर्व टंकी बनाने का क्या औचित्य था तथा धन का अपव्यय करने में कौन व्यक्ति दोषी है एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रीयल एरिया में कोटा में पानी की टंकी का निर्माण वर्ष 1978-79 में किया गया तथा इसकी भराव क्षमता 4·54 लाख लीटर है।

(2) यह टंकी भरी नहीं जा रही है। इस टंकी का निर्माण **औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ऊंची जगह किया गया था जो औद्योगिक क्षेत्र के आखरी में है। इस टंकी के आस पास अभी उद्योग** स्थापित नहीं **हो पाये हैं, इसलिये इस टंकी में** अभी पानी **नहीं** भरा जा रहा है।

(3) निगम के द्वारा जब भी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाता है तो इसकी आधारभूत सुविधायें पहले बनाई जाती है, जिसमें सड़क का निर्माण, पानी की लाइन तथा पानी का निकास इत्यादि शामिल है। उपरोक्त सभी आधारभूत सुविधायें औद्योगिक क्षेत्र इन्द्रप्रस्थ में भी बनाई गई थी। निगम के द्वारा जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक

(70)

(उद्योग मंत्री)

विभाग से जल योजना क्रियान्वित कराई गई थी, जिसके अनुसार उन्होंने एक उच्च जलाशय 4·54 लाख लीटर क्षमता का औद्योगिक क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप बनाया गया था । औद्योगिक क्षेत्र के जिस भाग में टंकी बनी हुई है, उस भाग में भूखण्ड का आवंटन अभी तक नहीं हुआ था और अब इस क्षेत्र में कुछ भूखण्ड आवंटन होने लगे हैं । अतः इस टंकी के बनाने में किसी तरह के धन का अपव्यय नहीं हुआ है एवं इसके लिये कोई व्यक्ति दोषी नहीं है । औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की पूर्ण प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है एवं औद्योमिक क्षेत्र के भविष्य के विकास को ध्यान में रखते हुए आधार-भूत सुविधाओं का विकास किया जाता है ।

(दिनांक 6-7-1989)

पाली जिले के बर बस स्टैण्ड का निर्माण

207. श्री हीरा सिंह चौहान (रायपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पाली जिले के बर बस स्टेण्ड का निर्माण कार्य किस वर्ष में किस-किस प्रकार के कमरों का तथा किस ठेकेदार द्वारा कितने रुपयों का टेण्डर से स्वीकृत हुआ था ? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त बस स्टेण्ड जयपुर, जोधपुर, जयपुर-पाली, जालौर, माउंट आबू मुख्य मार्ग पर जंक्शन के रूप में है ? यदि हां, तो पिछले कई वर्षों से इसका निर्माण कार्य क्यों अधूरा पड़ा है ? यदि नहीं, तो ग्राम पंचायत बर से भूमि प्राप्त करते समय विभाग द्वारा पूर्व के नक्शे में क्या-क्या इमारतें बनाना प्रस्तावित था ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) साइकिल टाईप बस स्टेण्ड का निर्माण कार्य वर्ष 1965-66 में पूर्ण हुआ । इसमें एक कमरे का निर्माण कार्य मय टीन शेड ट्रस व सामने सड़क का निर्माण कार्य अनुबन्ध संख्या 38/65-66 के द्वारा श्री पुरखा राम गेहलोत ठेकेदार द्वारा रु. 9766.02 में करवाया गया । व्यय की राशि मद 114 रोड ट्रांसपोर्ट के मद में मद में हुआ ।

(2) यह बस स्टेण्ड जयपुर, जोधपुर, जालौर, पाली, सिरोही, माउन्ट आबू के मुख्य मार्ग पर स्थित है एवं इस विभाग द्वारा वर्ष 1966-66 में पूर्ण कर दिया गया था जिसमें एक कमरा टीन शैड एवं बस स्टेण्ड भवन के सामने जहां पर वाहन आकर रुकते हैं । सड़क का कार्य प्रस्तावित था जो पूर्ण कर दिया है ।

वक्फ की सम्पत्तियों का गजट नोटिफिकेशन

228. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या वक्फ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कस्बा नागौर

[redacted]

71

(श्री हरजीराम बुरड़क)

में वक्फ की सम्पत्तियों का गजट नोटिफिकेशन हुआ था ? यदि हां तो कब कौन-कौन सी सम्पत्तियों का तथा इसमें जो राजस्व भूमि थी उनका राजस्व रिकार्ड में वक्फ के नाम का इन्द्राज कब-कब हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमियों का राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज नहीं हुआ ? यदि हां, तो आज के दिन राजस्व रेकार्ड का इन्द्राज सही है या गजट नोटिफिकेशन और इन सम्पत्तियों का आज स्वामित्व किस का है ?

(3) क्या उक्त भूमियों में से अधिकांश पर नाजायज कब्जे हो गये हैं और मकानात सिनेमा हाल आदि बन गये हैं ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ सम्पत्ति का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र भाग-2 (क) दिनांक 28.4.66 को कराया गया था। राजपत्र की प्रति संलग्न है जिसमें विवरण उपलब्ध है। खसरा न. 478, रकबा 16 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड में दरगाह के नाम अंकित है।

(2) वक्फ अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत नोटिफिकेशन अन्तिम है। परन्तु राजस्व इन्द्राज को भी गलत नहीं माना जा सकता। विवाद होने की स्थिति में केवल गैर मुस्लिम ही न्यायालय में अपने स्वामित्व के बारे में वाद दायर कर सकता है। प्रकाशित वक्फ सम्पत्तियों की देखभाल एवं व्यवस्था करने का दायित्व वक्फ बोर्ड का है।

(3) वक्फ बोर्ड की सूचना के अनुसार अधिकांश पर नाजायज कब्जे नहीं हुये हैं। खसरा नं. 572 जिस पर सिनेमा हाल बना हुआ है राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन आगोर दर्ज है। नाजायज कब्जे होने की स्थिति में वक्क बोर्ड राजस्थान भू-गृहादि अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली अधिनियम 1964 के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मार्गों का राष्ट्रीयकरण

232. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें चलाने के लिये कुछ मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने के मामले विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो नागौर और जोधपुर जिलों से संबंधित कौन कौन से मामले कब कब से विचाराधीन हैं ? इनमें अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

(2) क्या यह सही है कि पथ परिवहन निगम ने बिना राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बसें चलाने के लिये परमिट मांग रखे हैं ? यदि हां, तो नागौर और जोधपुर जिलों में कौन

(श्री हरजी राम बुरड़क)

कौन से बस मार्गों पर कितने कितने परमिट कब कब मांगे और कब कब दिये गये तथा कौन कौन से, कब कब से विचाराधीन है ? जो कब तक दे दिये जायेंगे ?

(3) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) जी हां। नागौर और जोधपुर जिले के निम्नलिखित मार्गों के राष्ट्रीयकरण की योजनायें प्रत्येक योजना के सामने अंकित तिथि से विचाराधीन है :

क्र. सं.	मार्ग का नाम	जिला	तिथि जिससे विचाराधीन है
	बोरून्दा–मेडतासिटी	नागौर	सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 31-5-89 को इस योजना का अनुमोदन कर दिया गया है तथा तदनसार आगामी कार्यवाही की जा रही है।
	अजमेर-डेगाना वाया पुष्कर, अजमेर-डेगाना वाया चांचियावास भैरून्दा-परबतसर डेगाना-तरनाऊ	नागौर	दिनांक 29-6-87 से सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष विचाराधीन है।
	रातडा-मेडता	नागौर-जोधपुर	27-7-89 से विचाराधीन है।

(2) इस योजनाओं की नियमानुसार सुनवाई कर निर्णय किया जावेगा।

(3) जी हां। विवरण संलग्न है। नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। नागौर और जोधपुर जिलों के जिन बस मार्गों पर निगम की गत तीन वर्षों से पूर्व अधिनियम के अध्याय चतुर्थ के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये गये हैं इनकी सूची निम्नानुसार है :

क्र. सं.	मार्ग का नाम	अनुज्ञापत्रों की सूची	आवेदन की तिथि	आर. टी. ओ. द्वारा स्वीकृति की तिथि
1.	डेगाना-अजमेर	7	6.3.88	12.5.88
2.	ओसियां-बाडी	3	5.4.88	12.5.88

परिवहन सम्बन्धी नया अधिनियम 1-7-89 से लागू हो गया है उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(सूची के लिये परिशिष्ट 22 देखें)

अ. ता. प्र. सं. 261 (स्थगित)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन····

श्री विजय सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट ग्राफ आर्डर है। बहुत गम्भीर समस्या है मेरी, आप सुन लीजिये। बहुत गम्भीर समस्या है, मेरा निवेदन सुन लो आप।

श्री अध्यक्ष : मैं सुनूंगा विजय सिंह जी।

श्री विजय सिंह : भरतपुर जिले में जातिगत सम्प्रदाय के दंगे होने की सम्भावना है। कल मैं गृह मन्त्री जी से···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं सुनूंगा।

श्री विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, बहुत भयंकर समस्या हो गई है वहां। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं सुनूंगा।

श्री विजय सिंह : वहां जातिगत दंगे होने की पूरी-पूरी सम्भावना है। आस-पास के गांवों के लोगों को मारा पीटा जा रहा है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मुख्य मन्त्री गये वहां जो आपको शासन·· (व्यवधान)

श्री विजय सिंह : एस. एम. एस. अस्पताल में लोग एडमिट हैं। अटारी गांव में जो मसानी का काण्ड हुआ था उस संदर्भ में पानी नहीं पीने दिया लोगों को। मार-मार कर खदेड़ा गया है····

श्री अध्यक्ष : मैं सुनूंगा, विजय सिंह जी।

श्री विजय सिंह : मैं आपसे निवेदन करूं, यह बहुत जटिल समस्या हो जायेगी···· (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी मैंने क्या कहा था? अभी-अभी कहा है, पांच मिनिट पहले जरा बैठ जायें! मैंने जो कहा था उस पर थोड़ा सा ख्याल तो रखिये आप। (व्यवधान)

माननीय सदस्य जो बहुत नौजवान हैं मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह नियमों को थोड़ा पढ़ लिया करें। नियमों को पढ़ें तो अच्छा रहेगा। अब के लिए भी अच्छा रहेगा और आगे के लिए भी अच्छा रहेगा और हमेशा के लिए भी अच्छा रहेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऐसे नौजवानों को मुंह न लगायें।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों की व्यवस्था। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री नवनीत लाल नीनामा, सदस्य विधान सभा की ओर से पंचायत हैड क्वार्टर बड़ाना तहसील घाटोल जिला बांसवाडा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में।

(2) श्री नवरंग सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से उप खण्ड नवलगढ़ जिला

(श्री अध्यक्ष)

झुन्झुनू में अज्ञात बीमारी से भारी संख्या में पशुओं के मरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) डा. उजला अरोड़ा, सदस्य विधान सभा की ओर से मण्डी खटिकान की कच्ची सड़क को पक्का नहीं करने और गटर लाईन नहीं डालने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से ब्यावर डिपो से कुशालपुरा तक बस पुनः संचालित करने के सम्बन्ध में।

(5) सुश्री पुष्पा जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा के सम्बन्ध में।

(6) श्री गिरधारी लाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल द्वारा छपाई गई पुस्तकों में पेज गायब होने तथा अत्यन्त अशुद्धियां होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

1. श्री मांगीलाल मेघवाल।
2. डा. किरोड़ी लाल मीणा।
3. श्री शिवचरण सिंह।
4. श्री हरीश चन्द्र।
5. श्री पोकर लाल परिहार।
6. हीरालाल सहरिया।
7. श्री प्रतापसिंह सिंघवी।
8. श्री चुन्नीलाल मेघवाल।
9. श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी।
10. श्रीमती वसुन्धरा राजे।
11. श्री शिवनारायण।
12. श्री रघुवर दयाल गोयल।
13. श्री हेमाराम चौधरी।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्ताव को केवल पढ़ने की अनुमति होगी।

सुश्री पुष्पा जैन : उसको रिजेक्ट कर दीजिए, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री महेन्द्र शास्त्री : एक स्थगन प्रस्ताव मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष : पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री विजयसिंह : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है, अध्यक्ष महोदय।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, 295 का मेरा भी प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : आपका इस सप्ताह में दूसरा है आ जायेगा। आपका पेंडिंग है आ जायेगा। (व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

कह दिया ना पेंडिंग है आपका एक सप्ताह में एक बार आ गया है। (व्यवधान)

जिनका नहीं आया है उनको कल से लिया जायेगा।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ ग्रार्डर है।

श्री अध्यक्ष : एक-एक करके। आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री नवरंग सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : या तो आप बैठ जायें। मैं एक-एक बोलता जाऊंगा।

श्री विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले की भयंकर समस्या है साहब। मेरा पाइन्ट ग्राफ आर्डर है। मुझे व्यवस्था में मैंने पहले भी आप से निवेदन किया है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : 295 का दो सप्ताह में मेरा एक भी नहीं है····

श्री नाथूसिंह : 295 के अन्तर्गत एक स्थगन प्रस्ताव रखा जिसमें अलवर सर्किट हाउस में तोड़-फोड़ हुई, वहां पर लोगों की···· (व्यवधान)

श्री विजय सिंह : मेरा ग्रापसे करबद्ध निवेदन है आप मेरी सुनें, लोगों के मरने की सम्भावना है।

श्री अध्यक्ष : आपने लिख कर नहीं दिया है।

श्री विजय सिंह : लिख कर दिया है। कल जो प्रस्ताव था गवर्नमेण्ट की रिप्लाई थी उपाध्यक्ष महोदय, ने हाउस एडजोर्न किया जबकि उन्होंने कहा था कि मैं रिप्लाई देने के बाद माननीय सदस्य जो भी पूछना चाहें उनको जवाब दूंगा। उसके बाद किसी भी सदस्य ने कोई भी क्वश्चन नहीं किया और विधान सभा एडजोर्न कर दी गई। मेरा आपसे निवेदन है इस सन्दर्भ में भरतपुर जिले में या इसके ग्रास-पास के एरिये में मसानी माड से जो भी स्थिति हुई है उससे लोगों में बुरी तरह से आतंक है। माननीय गृह मन्त्री महोदय ने यह माना है कि वहां पर जिला प्रशासन की जिम्मेदारी थी। उसके बावजूद भी जिला प्रशासन ने वहां ग्रनदेखी की। कलक्टर और एस. पी., छोटे तबके को तो निलम्बित कर दिया जबकि बड़े तबके वालों को डरना चाहिए। जैसे ग्रनुसूचित जाति के वर्ग में घटना घटी उसी····

श्री अध्यक्ष : यह कल खतम हो गया। (व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : सरकार की नीति से वहां हरिजनों के साथ मार-पीट होने वाली है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कल हो गया है। यह प्रश्न कल ही खतम हो गया है स्टेटमेन्ट हो गया कल और आज मेरे सामने इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं उठायें। कृपया शान्त रहिये आप बैठिये। ···· (व्यवधान)

नोट नहीं करेंगे किसी का भी।

श्री हीरालाल आर्य : × × ×

श्री शिवचरण सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : किसी का नोट नहीं करेंगे ।

श्री शिवचरण सिंह : × × ×

श्री नाथूसिंह : × × ×

श्री विजय सिंह : × × ×

श्री हीरालाल आर्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : नो नोटिंग, नो नोटिंग ।

श्री विजयसिंह : × × ×

श्री नाथूसिंह : × × ×

श्री आध्यक्ष : सुन लिया, बैठ जाइये, लिखेंगे नहीं, नो नोटिंग, नो नोटिंग ।

श्री शिवचरण सिंह : × × ×

श्री विजयसिंह : × × ×

श्री हीरालाल आर्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : नोट नहीं हो रहा है। मैं एक-एक को दूंगा, सब बैठ जायेंगे तब दूंगा, । सब बैठ जायेंगे तब मैं नाम बोलूंगा वैसे नहीं बोलेंगे । कृपया सब बैठ जाइये एक बार ।

श्री विजय सिंह : × · ×

श्री अध्यक्ष : पहले आप विराजेंगे । पहले सब बैठ जायेंगे । जब नाम पुकारूंगा जब नोट किया जायेगा ।

श्री विजय सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : पहले आप बिराजो । आप का सुन लिया मैंने आप बिराजो ।

श्री विजय सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : कल का प्रश्न आज नहीं उठाया जायेगा ।

श्री शिवचरण सिंह × × ×

श्री हीरालाल आर्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : कोई नोट नहीं हो रहा है ।

श्री महेन्द्र शास्त्री । वन बाई वन ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री महेन्द्र शास्त्री (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा था कल । मैं यह बात स्पष्ट करूं कि हमारे यहां अलवर जिले में एक सार्वजनिक स्थान पर असामाजिक तत्वों के प्रोत्साहन की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि जिसके ऊपर आपका विचार करना, सदन का विचार करना बहुत आवश्यक है, असामाजिक तत्व पनप रहे हैं सार्वजनिक स्थान पर । अलवर का सर्किट हाउस सार्वजनिक स्थान है । उस सार्वजनिक स्थान पर दो सौ-तीन सौ

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किये गये ।

(श्री महेन्द्र शास्त्री)

लोग +++ बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हुये और जो बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हुये उनमें माननीय मन्त्री जी, सांसद और हमारे विधायक भी थे और वहां इकट्ठे हुये इतना ही नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से भी यह कहना चाहता हूं कि वहां सार्वजनिक स्थान पर इस तरह की स्थितियां उत्पन्न करना क्या राज्य सरकार के लिये या सामाजिक व्यवस्था के लिए शोभनीय है ? फिर वहां जो घटनायें हुई +++ और इसके आगे, अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : मैंने इसको रेफर नहीं किया, माननीय शास्त्री जी। मैं यह चाहूंगा कि यह जो चीजें हैं यह पार्टियों में आपस में एक दूसरे पर नहीं करें।

श्री महेन्द्र शास्त्री : पार्टी की बात ही नहीं कह रहे हम तो सार्वजनिक स्थान की बात कह रहे हैं। सार्वजनिक स्थान पर अगर हमारे राज्य मन्त्री मण्डल के किसी सदस्य का अपमान होता है, सार्वजनिक स्थान पर किसी सांसद की पिटाई होती है, अगर माननीय मन्त्री जी के सिर के ऊपर मालिस करके कड़कोले मारे जाते हैं, उनकी +++ उनकी पिटाई की जाती है····

श्री अध्यक्ष : गलत बात है, शास्त्री जी बैठिये आप कृपया। श्री नाथूसिह।

श्री महेन्द्र शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात, मैं जो बात कह रहा था उसका नतीजा क्या है, आप सुनिये। जितने असामाजिक लोग थे, जितने अलवर जिले के +++ सारे के सारे इस आनन्द को लूटने के लिए सर्किट हाउस में जमा हो गये ···· (व्यवधान)

मैं कांग्रेस की बात ही कहां कर रहा हूं, मैं तो जो वहां वस्तु स्थिति है उसका वर्णन कर रहा हूं। मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा, वहां जो घटना घटी वह कह रहा हूं। उसका नतीजा क्या हुआ····

श्री अध्यक्ष : आप थे क्या वहां पर, थे नहीं।

श्री महेन्द्र शास्त्री : पुलिस वहां मौजूद थी, पुलिस का एस. पी.····

श्री अध्यक्ष : मेरे ध्यान में यह आया था स्थगन का, मैंने इसको अलाऊ नहीं किया है क्योंकि पार्टियों से सम्बन्धित है और यह इसलिए ठीक नहीं है एक पार्टी दूसरी पर करेगी, दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी पर करेगी। (व्यवधान)

यह उचित नहीं है, यह ठीक नहीं रहेगा। इसलिए मैं कहूंगा कि यह अच्छा नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सार्वजनिक सम्पत्ति का नुकसान कैसे बरदास्त करेंगे ?

श्री नत्थीसिह : यह तो पार्टी-पार्टी में हो रहा है, दूसरी पार्टी का सवाल नहीं है।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : यह अच्छा नहीं है, पार्टी में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, यह नहीं कह सकते हैं।

श्री महेन्द्र शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आप पार्टी को बीच में क्यों····

श्री अध्यक्ष : कोई एफ. आई. आर है क्या, कोई हो तो····

श्री महेन्द्र शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप पार्टी को बीच में न लायें।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिये। दायमा जी।

श्री सुजान सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय ··· (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री नाथूसिह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मन्त्री जी को बोलने दो।

श्री भैरोंसिह शेखावत : ओन ए प्वाइंट ऑफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री को सत्तारूढ़ दल के सदस्य इस तरह से जाकर दबायें कि बोलने भी नहीं दें, मैं समझता हूं आप इनके क्लचेज से इनको स्वतन्त्र करिये और बोलने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय भैरोंसिह जी, वह दबने वाले हैं क्या, उनकी काया को देखिये। (व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : वह दब गये, उनका अपमान किया जाये और सदन में उनकी बोलती बन्द करें कनिष्ठ मन्त्री, बड़े मंत्री की···

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह कैसी पार्टी हुई मारें भी और बोलने भी नहीं दें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय सुजानसिह जी को अपनी बात साफ करने दीजिए। उनके साथ जब घटना घटी है तो उनको कहने दीजिए।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य, जो मण्डावर से आये हैं उन्होंने जिस प्रकार की बात कही, मैं उस दलगत राजनीति में नहीं जाता। कौन ने क्या किया और कौन ने क्या नहीं किया यह न तो माननीय सदस्य ने हमको जानकारी दी है और न और प्रकार से हमको जानकारी मिली है लेकिन एक जानकारी अवश्य आयी है कि अलवर के सर्किट हाउस में माननीय मन्त्री जी को अपमानित किया गया और इसी प्रकार से संसद सदस्य को अपमानित किया गया। यह दोनों घटनायें ऐसी हैं जिन घटनाओं को हम पचा नहीं सकते और, अध्यक्ष महोदय, कोई पचाने की गोली दी तो गृह मन्त्री जी यहां मौजूद नहीं हैं हमें उत्तेजना निश्चित रूप से पैदा होगी।

इसलिए मैं चाहूँगा कि सरकार की ओर से इस घटना के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया जाये।

श्री सी. पी. जोशी : किस बात का। (व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : पिटाई हुई उस बात का।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं केवल यही निवेदन करना चाहूंगा कि आज कोई माननीय सदस्य इस बात के लिए नाराज हों कि सत्ता पक्ष के लोग हों इस में शामिल थे लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि यह परम्परा ठीक नहीं है। जिस परम्परा की हम बात करते आ रहे थे वह सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, यदि इस प्रकार की राजनीतिक स्थिति बनती है कि जिस में लाठियों का प्रयोग किया जाय, एक-दूसरे को अपमानित करने के लिए अभद्र कार्यवाही की जाय, यह न तो आप को सहन करना चाहिए न हमें सहन करना चाहिए।

श्री मोहन छंगाणी : पेड़ उखाड़े जरासंध की लड़ाई की तरह।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और, अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से महाभारत देख ली।

श्री सी. पी. जोशी : सारी टू इण्टरप्ट लेकिन फिर तो उदयपुर में जनता दल के नेता के साथ मोहन छंगाणी साहब ने और उन के लोगों ने जो किया है उस को भी डिस्कस करना शुरू करेंगे, फिर भारतीय जनता पार्टी के अन्दर जो चतुर्वेदीजी और आप का जो हो रहा है उस को भी करेंगे। आप का जो हो रहा है वह तो नहीं और यहां का जो हो रहा है वह करें, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह परम्परा ठीक नहीं है कि अखबारों की रिपोर्टिंग के आधार पर हाउस में अपन डिस्कशन करें।

श्री मोहन छंगाणी : माननीय सी. पी. जोशी बतायें तो क्या किया। कुछ नहीं।

श्री सी. पी. जोशी : उदयपुर में क्या हुआ?

श्री मोहन छंगाणी : कुछ नहीं।

श्री सी. पी. जोशी : एक एम. पी. के साथ क्या हुआ?

श्री मोहन छंगाणी : आप बताइये।

श्री सी. पी. जोशी : इस का कोई एण्ड नहीं है। (व्यवधान)

श्री मोहन छंगाणी : पेड़ उखाड़ कर फेंके थे, महाभारत का रीप्ले किया था।

श्री सी. पी. जोशी : उदयपुर के मेडिकल चौराहे के सामने क्या हुआ, 3-4 लोगों ने आप के एम. पी. को हैक्ल किया और पार्टी की मीटिंग में नहीं जाने दिया, आप उस पर क्यों नहीं डिस्कस करना चाहते? There is no end to it.

श्री मोहन छंगाणी : गलत बात है। मैं आप से यह अपेक्षा नहीं करता था।

श्री सी. पी. जोशी : अखबारों की रिपोर्टिंग के आधार पर इस इस तरह की कार्यवाही करें, यह परम्परा ठीक नहीं है। आप के पास सूचना है, आथैण्टिक बात है तो कहें। अखबारों की सूचना के आधार पर करें तो कोई एण्ड नहीं होगा।

श्री मोहन छंगाणी : उस दिन महाभारत देखकर आये थे और जरासंघ की लड़ाई की तरह पेड़ उखाड़ लिये और पेड़ों से लड़ने लगे।

श्री सी. पी. जोशी : उदयपुर में आप करो उस को तो करो नहीं यहां डिस्कस।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह ग्रान्तरिक मामला नहीं है। माननीय जोशीजी जरा ध्यान से सुनें कि यह आन्तरिक मामला नहीं है। आप ने देखा होगा, जिस तरह का आप ने उदाहरण दिया है, कांग्रेस में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष, दो प्रकार का विवाद कई बरसों से चलता आ रहा है ग्रौर ग्रभी तकाजा चला लेकिन हम ने उस मामले को कभी सदन में नहीं उठाया। केवल इसलिए नहीं कि पार्टियों में मतभेद होना लोकतन्त्र के विकास का एक संकेत है, इस का कोई बुरा नहीं माने। लेकिन वह विरोध इस सीमा तक पहुंच जाय कि वहां लाठियां चलें, फरसियां चलें, सर्किट हाउस के पेड़ उखाड़ कर, टहनियां उखाड़ कर उन का हथियारों के रूप में प्रयोग करें, यह कभी अलाऊ नहीं किया जायेगा।

मैं समझता हूं, माननीय जोशीजी, इस सीमा से बाहर कोई कार्यवाही होती है तो निश्चित रूप से उस पर रोक लगाने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक स्थान था। यदि किसी एक पार्टी के दल कार्यालय में यह झगड़ा होता तो हम नहीं बोलते, अगर किसी के घर में इस प्रकार का झगड़ा होता और पुलिस में रिपोर्ट होती तो भी हम नहीं बोलते लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि एक सार्वजनिक स्थान पर ठेका किसी एक पार्टी ने नहीं ले रखा है। वहां और भी भले आदमी रहते हैं, उन के सामने यदि राजस्थान की यह तस्वीर हो कि राजस्थान के संसद सदस्य को अपमानित किया जा रहा है, राजस्थान के मन्त्री को अपमानित किया जा रहा है तो इस मन्त्रिमण्डल की और विधायकों की क्या प्रतिष्ठा रहेगी ? मैं सुजान सिंह जी को अकेला नहीं मानता, रामसिंह यादव को अकेला नहीं जानता लेकिन दो के साथ यदि अभद्र व्यवहार होता है तो बाकी सदस्यों के साथ, किस समय क्या अनुचित व्यवहार नहीं हो जाय, इस की क्या गारण्टी है ? इसलिए मैं चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि आप इसको गम्भीरता से लें, सरकार भी इसको गंभीरता से ले और इसके ऊपर एक विवरण दे दे। विवरण नहीं दे, मामला सही नहीं है तो सुजान सिंह जी कह दें कि मामला सही नहीं है।

संसद सदस्य लोक सभा में कहें कि मामला सही नहीं है। इस सदन में प्रत्यक्ष जिन के साथ घटना हुई है, खेद तो इस बात का है कि हम जिन के पक्ष में बोल रहें हैं वह चुप हैं। वह न हां भर रहे हैं न ना कर रहे हैं। मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि मुण्डावर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कुछ बात कही वह सही है। उसको मना तो कर नहीं सकते इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह प्रश्न बहुत गम्भीर है और गम्भीरता से इसको लिया जाना चाहिए।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, हम ने जोधपुर के अखबारों में पढ़ा था, जनता दल की जो मीटिंग हुई थी जोधपुर मेंउस में माननीय सदस्य के साथ क्या हुआ था। There is no end to it. What sort of discussion we want ?

आपने खुद ने अखबारों में स्टेटमेन्ट दिया कि जनता दल के विधायक के साथ लोगों ने मारपीट की, उन के नेता वहां

(श्री सी. पी. जोशी)

मौजूद थे। But what is the end of all these things. इसलिए मैं आप को निवेदन करना चाहूंगा कि आप जिस तरह की बात कहना चाहते हैं उससे सही परम्परा सदन में नहीं चलेगी इसलिए ऐसी परम्परा सदन में नहीं डालें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जोशी जी, आप तो मन्त्रिमण्डल में आये नहीं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, सुनिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने तो बोल दिया बहुत।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मेरे से उमर में ज्यादा हो, बैठ जाओ एक मिनट।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उमर में आप शायद ज्यादा बड़े हो लेकिन उसकी भी सीमा होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष ने जो सवाल उठाया आपने आसानी से फर्मा दिया। लेकिन विरोधी पक्ष के नेता कुछ कहना चाहते थे आपने अलाउ कर दिया। आपने साफ कहा है कि मेरे पास प्रस्ताव आया है, मैंने उसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया। आसानी से व्यवस्था हो गयी और चेयर ने जिस ढंग से व्यवस्था दी है उसके बाद भी आप इस तरह चैलेंज करके इस मामले को इतना गम्भीर बनाते जा रहे हो जब कि माननीय सुजानसिंह जी यादव जैसा आप कह रहे हो कि बोलना ही नहीं चाहते। बोलना नहीं चाहते तो आप जबर्दस्ती बुलाओगे क्या? विरोधी पक्ष के नेता हर मामले में दूसरे सदस्यों को तो बैठा देते हैं लेकिन विरोधी पक्ष के नेता की रेस्पैक्ट के नाते 8-8, 10-10 मिनट हर मामले में बोलना और इसको सीरियस मानना। यह आपस में पार्टी का मामला है, मेरे ख्याल से कोई गम्भीर मामला नहीं है। इसको अध्यक्ष महोदय, ने लाइटली कहां लिया है, इन्होंने कह दिया कि इस मामले को मत उठाइये, सारी पार्टियों में ऐसा चलता रहेगा। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत विरोधी पक्ष के नेता से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे मामलों में खुद अपनी तरफ से गम्भीर बनायें। सदन में इस तरह का स्टेटमेण्ट दिलाने वगैरह की परम्परा ठीक नहीं।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय ने समस्या रखी, अपने विचार रखे, माननीय सी. पी. जोशी और विश्नोई साहब भी बोले। मैंने इस को अलाउ नहीं किया वैसे, पार्टियों का मामला है। सरकार ने सुना है। विपक्ष के माननीय नेता बोले, महेन्द्र जी बोले, आप भी यहीं बोलेंगे, मुझे मालूम है।

श्री नाथूसिंह : आप सुनें, मेरा प्रस्ताव ही अलग है।

श्री अध्यक्ष : हां, सुन लिया है। जैसा करना चाहेंगे, जवाब देते हैं नहीं देते हैं, क्या करते हैं।

श्री नाथूसिंह : मेरा प्रस्ताव तो सुनिये जिस मामले पर व्यवस्था नहीं दी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपके नेता बोल लिये न, आप नेता को नहीं मानते हो क्या? आपके नेता बोले लिये तो आप कोई अलग हो क्या?

श्री नाथूसिंह : मेरा अलग प्रस्ताव है, इसमें क्या बात हुई।

श्री अध्यक्ष : जो जैसा करता है पब्लिक देखेगी, आप देखेंगे। मैं अच्छा करता हूं, बुरा करता हूं, यह देखने की चीज है।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा अलग प्रश्न है आप सुनिये तो सही। मेरा कांग्रेस की पार्टी में आपस की मारपीट से कोई लेना-देना नहीं है। मेरा स्थगन प्रस्ताव तो यह है कि एक पब्लिक प्लेस पर न्यूसेंस क्रीएट करना और हमारे एक सदस्य के साथ, मन्त्री जी को + + + बाहर निकालना, + + + बाहर निकालना और पुलिस देखती रहे और असामाजिक तत्व मन्त्री को मारते रहें....

श्री ईश्वरलाल सैनी : कौन कहता है यह? न्यूसेंस क्रीएट हुई थी वहां पर?

श्री नाथूसिंह : सर्किट हाउस का फर्नीचर तोड़ दे, शीशे तोड़ दे। मेरा यह है कि असामाजिक तत्वों ने सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया पुलिस की मौजूदगी में, मन्त्री को पीटा और विधायक की वहां पर + + +

श्री ईश्वरलाल सैनी : आप थे क्या? वहां पर, श्रीमान जी?

श्री नाथूसिंह : आप थे क्या?

श्री ईश्वरलाल सैनी : जी हां।

श्री नाथूसिंह : आपके साथ क्या हुआ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : कुछ नहीं हुआ। हमारी पार्टी का मामला था, केन्द्र से हमारे पर्यवेक्षक आये थे। वह एम. पी. थे, उन को वहां ठहरने का अधिकार था। हम वहां मिलने गये थे। अब बोलिये, कहिये।

श्री नाथूसिंह : सुजान सिंह जी की + + + ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : सुजान सिंह जी के साथ क्या हो गया; बताइये न आप। सुजान सिंह जी नहीं बोल रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सदन का समय खराब हो रहा है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : रहा सवाल यह कि वहां पर 2000-2500 आदमी थे, स्वाभाविक है कि इधर भी जायेंगे उधर भी जायेंगे। फूल-पत्थर टूट गये तो कौन सी बात हो गयी?

श्री नाथूसिंह : + + + वहां, शीशे किसने तोड़े?

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री ईश्वरलाल सैनी : किसने कह दिया + + + ? किसने कह दिया कि चश्मा टूट गया, बताइये न आप।

श्री अध्यक्ष : नाथूसिंह जी, जो वहां मौजूद थे वह कह रहे हैं।

श्री ईश्वरलाल सैनी : कोई है आपका चश्मदीद गवाह यहां पर ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने टेबल तोड़ दी, शीशे तोड़ दिये।

श्री अमरचन्द : यह पार्टी का मसला है, कई हजार लोग आते हैं, बातें होती हैं, कार्यकर्ताओं की बातचीत होती है, गर्मा-गर्मी भी होती है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : यह मसला यहां उठाने का ही नहीं है, यह पार्टी की बात है हमारी।

श्री नाथूसिंह : मेरे को सुजान सिंह जी ने कहलाया। (व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : यह मामला तो सिर्फ हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए उछाला जा रहा है। नहीं तो यह मसला ही नहीं है यहां आने का। मेरी समझ में नहीं आता, विरोधी दल के नेताजी इतने समझदार हैं, बुजुर्ग हैं, सब कुछ है, उनको तो कहना ही नहीं था। कहां इन के कहने में आकर कह रहे हैं, आप भी ऐसी बात कह रहे हो। कोई बात ही नहीं है। कोई मसला ही नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं गमला तोड़ दिया, पेड़ उखाड़ लिये, यह कर दिया, कुर्सी तोड़ दी। कौन सी आपके पास रिपोर्ट आ गयी ?

श्री नाथूसिंह : सुजानसिंह जी ने मेरे को कहलवा कर भेजा था किसी से।

श्री बिरदमल सिंघवी : आप पर आरोप नहीं है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : किसी पर भी आरोप नहीं है। मैं भी बोल सकता हूं, मैं था, मैं वहां खुद मौजूद था।

श्री अध्यक्ष : नाथूसिंह जी, आप बैठ जाइये। जो मौजूद थे बोल रहे हैं।

श्री ईश्वरलाल सैनी : कोई मसला ही नहीं है सदन का, यह मसला तो हमारी पार्टी का है। अब हमारी पार्टी में हम कैसे बात करें, क्या करें, यह हमारी अपनी बात है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पार्टी में आप कुछ भी कर लें लेकिन यह फोटो आया है आप की तोड़-फोड़ का।

श्री ईश्वरलाल सैनी : किसकी फोटो आयी है, क्या फोटो छपी है, मुझे बताइये। क्या सबूत है फोटो, हमारी ही छपी है ? किस की ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : गोल घेरे में खड़े हुए, लाठियां रखी हुई, संख्या····

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री ईश्वरलाल सैनी : कोई लाठी नहीं थी वहां पर।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : फोटो झूठी है क्या, बोलिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जनता दल वाले रोज लड़ते हैं, रोज अखबारों में आता है, दोनों में बनती नहीं, एक इधर जायेगा एक उधर जायेगा.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, बैठिये कृपया। माननीय सुमित्रा जी, आप कृपया बिराजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, बैठ तो जाऊंगी मैं लेकिन अलवर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे....

श्री अध्यक्ष : वे मौजूद थे। वे कह रहे हैं बात। आप मौजूद नहीं थी, मैं भी नहीं था। अब आप क्या कह रहे हैं, आप तो अखबार के अनुसार कह रहे हैं। वे तो चश्मदीद गवाह हैं। (व्यवधान)

पार्टियों के मामले को मत उठाइये।

श्री नाथूसिंह : सुजानसिंह जी ने कहलवा कर भेजा है उन्होंने + + + वहां पर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं किसी को अलाऊ नहीं करूंगा। माननीय सदस्य, बैठिये, बैठिये। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, बात आयी गयी हो गयी। आपने व्यवस्था दे दी थी कि अब इस बात को मैं अलाऊ नहीं करूंगा लेकिन लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य खड़े हुए और उन्होंने सारी बातों को कहा हमारा आपसी झगड़ा है, आपको क्या लेना-देना है। यह सही बात है। कांग्रेस पार्टी के अन्दरूनी झगड़ों व उसके हालात से विषय को कोई लेना देना नहीं है लेकिन प्रश्न यह है कि मैंने उनसे यह पूछा कि यह जो फोटो आयी है अखबार से जिसमें उजड़ा लान, लाठियां पड़ी हुई और गोल घेरे में तोड़े गये डाले का निशान....

श्री बुलाकीदास कल्ला (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, कोई मतलब ही नहीं है इस चर्चा का।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप सुन लीजिए। क्या सन्दर्भ नहीं है? (व्यवधान)

श्री नारायण राम बेड़ा : यह राजस्थान की जनता की प्रापर्टी का नुकसान है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री राजेश : × × ×

श्री अध्यक्ष : लड़ाई का फोरम मैं इस सदन को नहीं बनाना चाहता हूं। कृपया बैठें।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री राजेश : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ग्राफ आर्डर है मेरा।

श्री अध्यक्ष : यस।

श्री राजेश : जनता दल के माननीय सदस्य ने एक अखबार पढ़कर रामसिंह यादव, जयकिशन शर्मा, राजेश शर्मा चन्द्र शेखर के बारे में एक सुजानसिंह जी का कोई स्टेटमेंट पढ़ा है और यह कहा है कि × × × कोई प्रत्यक्ष दर्शी नहीं है इसको कार्यालय से निकाला जाय। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : यह सारी कार्यवाही सदन की कार्यवाही से निकाली जाय।

श्री अध्यक्ष : + + + ये वैसे ही बोले हैं कोई मौके पर नहीं था। + + + इसको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाय। (व्यवधान)

कृपया बैठें। ग्राप थे ही नहीं। वैसे एक ही कह रहे हैं + + + वे कह रहे हैं + + + I will not allow. (व्यवधान)

अलाऊ नहीं करूंगा। ग्रब नोट नहीं करेंगे कृपया। No Noting, No Noting.

श्रीमती सुमित्रा सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल मेघवाल।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : × × ×

श्री अध्यक्ष : यह कोई प्रश्न ही नहीं है बोलने का। (व्यवधान)

श्री मांगीलाल मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, कृपया आगे की कार्यवाही शुरू करवाइये।

श्री अध्यक्ष : ये पाइन्ट आफ आर्डर उठा रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : कल मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। उसमें राज्य सरकार ने····

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पाइन्ट ग्राफ आर्डर, में पाइन्ट आफ ग्रार्डर कहां से आ गया ? मुझे मेरी बात तो कह लेने दीजिए पहले।

श्री अध्यक्ष : ग्राप कह चुकीं, काफी कह चुकीं। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, इसकी तरह हम भी कहेंगे। जनता दल में विश्वनाथ प्रतापसिंह जी, चन्द्रशेखर जी कैसे-कैसे डटकर लड़े हैं····

श्री ईश्वरलाल सैनी : किस-किस की + + + क्या हुआ। कोई सबूत है ?

श्री नाथूसिंह : मन्त्री को असामाजिक तत्व मारें तो आम आदमी सुरक्षा करेगा ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं करें। नो नोटिंग नाऊ।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के ग्रादेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : नोट नहीं हो रहा है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सैनी जी आप बैठिये कृपया। I dose this chapter नो नोटिंग। माननीय मांगीलाल जी मेघवाल।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कल एक प्रस्ताव दिया था कि राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों पर पाबन्दी लगा दी है। उसके कारण जो लोग ओवर-एज हो गये और बाकी लोगों को नौकरी नहीं मिलने के कारण लोगों को परेशानी है। उस स्थगन प्रस्ताव पर आपने कोई व्यवस्था दी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : वह मैं देख लेता हूं, जवाब आ गया क्या। भंवरलाल जी यह चैम्बर की बात है आप तो इतने सीनियर आदमी हैं। (व्यवधान)

अब मैं किसी को अलाऊ नहीं कर रहा हूं। एक घण्टा हो गया। मैं किसी को अलाऊ नहीं कर रहा हूं। एक घण्टा गया। (व्यवधान)

जो पूछना हो चैम्बर में पूछें। मैं करूंगा। I wiil do it.

नोट नहीं करेंगे, नोट नहीं करेंगे।

श्री मांगीलाल मेघवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल मेघवाल। श्री मांगीलाल मेघवाल के अलावा किसी का नोट नहीं होगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल नहीं देखूंगा। एक बज गया है। (व्यवधान)

भार्गव साहब, आप बैठें। के किसी का नोट नहीं होगा मांगीलाल मेघवाल अलावा।

श्री मोहनलाल चौहान : × × ×

श्री अध्यक्ष : किसी का नोट नहीं होगा। यह चैम्बर में बात करने की है। मांगीलाल जी आप पढ़ेंगे तो दूसरा नाम पुकारता हूं।

श्री मांगीलाल मेघवाल : क्या करूं, मेरे से सीनियर मेम्बर खड़े हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय भार्गव साहब.... (व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : × × × (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मांगीलालजी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : × × ×

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, राज्य सरकार के चिकित्सा विभाग में समय-समय पर चिकित्सकों के चयनित वेतन-शृंखलाओं में और भिन्न-भिन्न पदों पर जो पदोन्नतियां की जा रही हैं जिनमें अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को किसी तरह नकार करके सरकार या विभाग आगे बढ़ रहा है, इससे आम लोगों में असहमति है, इसके लिए मैं नियम 295 में इस महत्वपूर्ण प्रश्न के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

(समय 1.00 बजे मध्याह्न)

(श्री पंकज पंचोली, सभापति पदासीन)

मान्यवर, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान् राज्यपाल महोदय की स्वीकृति से आदेश क्रमांक 3/37/बी. स्वा/ग्रुप-3/87 दिनांक 11.9.87 को सहायक शल्य चिकित्सकों को चयन वेतन शृंखला प्रदान की गई। इसी सूची में 517 सहायक शल्य चिकित्सकों को चयनित वेतन शृंखला दी गयी। इस आदेश क्रमांक से दिनांक 22.9.87 को 35 चिकित्सकों को और चयन वेतन शृंखला दी गई है। इस प्रकार कुल 552 चिकित्सकों को यह वेतन शृंखला दी गयी जिनमें एस. सी./एस. टी. के चिकित्सकों के हितों को ध्यान में नहीं रखा गया है तथा जिसमें निम्न कमियां थी—

1. रोस्टर के अनुसार इसमें पदोन्नति नहीं की गयी है उनमें केवल 6 चिकित्सकों को एस. सी./एस. टी. से लिया गया है जबकि करीबन 140 चिकित्सकों को पदोन्नतियां दी जानी चाहिए थी। कितनी बड़ी विसंगति है ?

2. यदि दिनांक 1.10.86 को अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं थे तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने आदेश संख्या 112/डी.ओ.पी./ए. 11/86/जे 4/87 दिनांक 4.12.87 से यह अनिवार्य कर रखा है। कि चयन वेतन शृंखलाओं के पदोन्नति के लिये 8 वर्ष की चिकित्सा अधिकारियों के पद के रूप में सेवा पूर्ण होनी चाहिए। केरी फारवर्ड नियम के अनुसार जब भी 8 वर्ष पूर्ण होते हैं उन्हें पदोन्नतियां दी जानी चाहिए। यहां हम निवेदन करना चाहेंगे कि हमारी राज्य सेवा में प्रथम पदोन्नति के लिए पांच वर्ष की सेवा की आवश्यकता है फिर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों के लिए 8 वर्ष क्यों ?

3. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी तक फरवरी 81 के बाद वरिष्ठता सूची जारी नहीं की गई है। कैसे पदोन्नतियां दी जा रही हैं, कैसे चयन हो रहा है जबकि 81 से वरिष्ठता सूची ही नहीं बनी।

4. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से जानकारी करने पर यह पता चला है कि ये पदोन्नतियां केवल वरिष्ठता के आधार पर ही की जाती हैं। वरिष्ठता सूची बनी नहीं और वरिष्ठता के आधार पर नाम ले रहे हैं। इस बारे में हमारा श्रीमान् से

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

निवेदन है कि प्रथम पदोन्नति केवल वरिष्ठता के आधार पर देना एस. सी./एस. टी. के हितों को नुकसान पहुंचाना है । क्योंकि दूसरी और राज्य सेवा में राजस्थान सरकार के ये नियम लागू नहीं हैं फिर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में क्यों ?

अत: श्रीमान् से निवेदन है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित करें कि वरिष्ठता सूची जारी कर, जोन आफ कन्सीडरेशन जो कि पांच गुना है, जितने भी अभ्यर्थी रोस्टर प्वाइन्ट पर आते हैं उन्हें अति शीघ्र ही पदोन्नतियां दिलाई जावे ।

श्रीमान् से आशा है कि एस. सी./एस. टी. के हितों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त पदोन्नतियां जारी करावें जबकि केन्द्रीय सरकार ने 3.6.89 से विशेष अभियान चला रखा है । अतः पदोन्नतियों के आदेश जारी करा इन विसंगतियों को दूर किया जाय । अतः मैं इस 295 के महत्वपूर्ण प्रश्न के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है । इससे कई लोगों का हित जुड़ा है । इस नाते इसको प्राथमिकता के आधार पर लिया जाय । आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद ।

श्री सभापति : डा. किरोड़ीलाल मीणा (अनुपस्थित)

माननीय श्री शिवचरण सिंह ।

श्री शिवचरण सिंह (करौली) : माननीय सभापति महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये माननीय मुख्य मन्त्री जी और वन मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

आपके इलाके और मेरे इलाके में भेड़ों की और इसमें जो मैं उल्लेख के जरिये दे रहा हूं उसमें सबसे बड़ा पहलू है वह कानून के उल्लंघन का है । केन्द्रीय कानून हो चाहे राजकीय कानून हो । अगर राज्य सरकार उन कानूनों का उल्लंघन करे तो फिर उसको बचाने वाला कोई नहीं है । इसमें फोरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट का और फोरेस्ट एक्ट दोनों का उल्लंघन राज्य सरकार करा रही है और वहां के जो वासी हैं उनको किसी कदर तकलीफ की तरफ ढकेला जा रहा है और वह उल्लेख मैं आपके सामने पढ़कर बता रहा हूँ ।....

श्री सभापति : कृपया पढ़ें ।

श्री शिवचरण सिंह : भूतपूर्व रियासतों के विलीनीकरण के समय राजस्थान में 30 प्रतिशत जीवित वन थे । अब मात्र 9 प्रतिशत वन बचे हैं । जिनमें प्रायः वन पूरे नष्ट हो चुके, केवल तीन प्रतिशत बाकी बचे हैं । राज्य सरकार वनों का नाश कराने पर तुली हुई है । चाहे वनों की कटाई विभाग करे अथवा अनाधिकृत वन कट जाय । विभाग वन नष्ट करने का कार्य तेजी से कर रही है ।

केन्द्रीय वन अधिनियम, माननीय सभापति जी,

श्री सभापति : हां ।

श्री शिवचरण सिंह : माननीय मन्त्रीजी

(श्री शिवचरण सिंह)

बैठे हुए हैं। मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि कागज तो वे पढ़ेंगे नहीं और इस पत्र को भी अगर आप भेज देंगे, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : मन्त्री महोदय, कृपया सुनें।

श्री शिवचरण सिंह : माननीय वन मन्त्रीजी, (व्यवधान)

श्री सभापति : मन्त्री महोदय, कृपया सुनें। (व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह : अब हमारी कोई सुरक्षा नहीं है।

श्री सभापति : मैं सुरक्षा प्रदान करता हूं। माननीय वन मन्त्री जी, कृपया सुनें। (व्यवधान)

श्री बिरदमल सिंघवी : वे तो आपकी भी नहीं सुन रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हम सुन रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह : माननीय सभापतिजी, आपकी भी नहीं सुन रहे हैं। (व्यवधान)

अब मेरी कैसे सुनेंगे। जनता की कैसे सुनेंगे। इसीलिए घोर अन्याय हो रहा है।

श्री सभापति : मैं कह रहा हूं, माननीय गोविन्द सिंह जी साहब, माननीय मन्त्री जी।

श्री शिवचरण सिंह : केन्द्रीय वन अधिनियम 1980 के अन्तर्गत कोई भी कार्य, जिससे वन नष्ट हो, कोई व्यक्ति अथवा राज्य सरकार नहीं कर सकती। फोरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट किसी भी नॉन-फोरेस्ट एक्टिविटी को प्रोहिबिट करता है। मैं, माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट का उल्लंघन करने का क्या राज्य सरकार का अधिकार है। राज्य सरकार ने फोरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट का उल्लंघन करके लाखों फोरेस्ट के ट्रान्जिट परमिट दिये हैं। कर क्या रहे हैं, माननीय सभापति जी, यह ट्रान्जिट परमिट के नाम पर परमिट देते हैं, असल में अपने मातहतों को यह हिदायत देते हैं कि इनसे वनों को चराओ। इसी का परिणाम है कि राजस्थान में जो 9 प्रतिशत बचे हुए वन थे वे केवल तीन प्रतिशत रह गये हैं। अरबों रुपया वनों पर खर्च हो रहा है, 1985-86 की आडिट रिपोर्ट देखिये। वनों पर ऑडिटर जनरल ने जो टिप्पणी की है, कितनी भयंकर दुष्परिणामजनक टिप्पणी है।

श्री सभापति : कृपया पढ़ें आप।

श्री शिवचरण सिंह : मैं पढ़ रहा हूं।

श्री सभापति : पढ़ें।

श्री शिवचरण सिंह : मैं तो आपकी मेहरबानी का दुरुपयोग कर रहा हूं।

श्री सभापति : मेरी मेहरबानी का दुरुपयोग आप नहीं करें। पढ़ें।

श्री शिवचरण सिंह : करौली उप-जिले अकेले में 1.50 लाख भेड़, ऊंट और गधों को परमिट राज्य सरकार ने दिया है। पिछले साल इन्होंने यह कहा था कि 110 लाख से ज्यादा नहीं देंगे। लेकिन इस साल इन्होंने 150 लाख दिये केवल इसलिए कि वहां के लोगों का सर्वनाश हो जाय। परमिट दे दिये। चार लाख भेड़ें, कल तक मुझे खबर थी तीन लाख की, एक जगनेर का रास्ता है उत्तर प्रदेश का और धौलपुर के रास्ते से चार लाख भेड़ें, धौलपुर और करौली के इलाके अन्दर घुस गई हैं। माननीय सभापतिजी, वहां के लोगों का जीवन दुश्वार हो गया है।

श्री सभापति : कृपया पढ़ें।

श्री शिवचरण सिंह : पढ़ रहा हूं। ऊंटों और गधों को परमिट देने का फोरेस्ट एक्ट में भी प्रावधान नहीं है। वह बिना परमिट के रिश्वत के बल पर लाखों की तादाद में घुस गई और सारे वनों का सर्वनाश कर रहे हैं।

श्री सभापति : गधे लाखों की संख्या में कहां से आ गये ?

श्री शिवचरण सिंह : ये लाये हैं। इनके हैं पालतू। माननीय सभापति जी, परमिट देकर वन में चराई राज्य सरकार करा रही है। रिश्वत के बल पर लाखों भेड़ें सरकार ने घुसाई हैं। क्योंकि वहां केवल 1700 स्क्वायर किलोमीटर के अन्दर केलादेवी अभ्यारण्य चला गया। 400 स्क्वायर किलोमीटर बामनवास, हिण्डौन और गंगापुर तहसील का चला गया। केवल मात्र जो वन बचते हैं वह 500 स्क्वायर किलोमीटर बचता है। वहां के जो किसान हैं उनके ट्रेडिशनल राइट्स हैं। सैटलमेन्ट ने उनको अधिकार दिया है कि तुम्हारे मवेशी उसमें चरेंगी। वहां 6 लाख मवेशी हैं। 6 लाख मवेशी स्थानीय, दो लाख मवेशी गंगापुर, बामनवास की, वहां पर 8 लाख मवेशी स्थानीय लोगों की हैं और जो इन्होंने पांच लाख भेड़ें, सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य नहीं हैं, मैं आपको अर्ज करूं उनके क्षेत्र की क्या दशा है। मैं इस दल और उस दल की बात नहीं करता यह एक प्रश्न है।

माननीय चाहे वह कांग्रेस पक्ष का हो या विरोध पक्ष का हो, मेरे क्षेत्र के अन्दर....

श्री सभापति : कृपया पढ़ें। भाषण नहीं।

श्री शिवचरण सिंह : मैं पढ़ रहा हूं। भाषण नहीं मैं तो पढ़ रहा हूं। थोड़ी सी आंख कमजोर हो गई है इसलिये जवानी बोलता हूं। माननीय सभापति जी, वहां के पूरे इलाके के अन्दर मैं नियम 295 के विशेष उल्लेख के माध्यम से, आपके माध्यम से मंत्री जी को बता देना चाहता हूं अगर 8 दिन के अन्दर जो आपने ट्रासिट परमिट देकर भेड़ें घुसाई हैं अगर उनको नहीं निकाला गया तो मुझे बाध्य होकर वहां पर भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा। और ला एण्ड आर्डर की कोई प्राब्लम वहां जनता के और भेड़ वालों के बीच में हुई तो उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। मैं बता देना चाहता हूं क्योंकि नियम की कोई बात चले वह अलग है लेकिन रिश्वत के माध्यम से यह कार्यवाही वहां पर की जाये....

श्री सभापति : कृपया पढ़ें।

श्री शिवचरण सिंह : ....रिश्वत के नाम से वहां पर भेड़ें घुसें वहां जहां सर्वनाश हो....

श्री सभापति : कृपया पढ़ें।

श्री शिवचरण सिंह : माननीय सभापति जी सरकार ने वहां पर भेड़ें घुसाई हैं भू-प्रबन्ध ने हमको अधिकार दिया है। राज्य सरकार को परमिट देने व भेड़, ऊंटों से वनों का नाश कराने का कोई अधिकार नहीं है इन्होंने जो परमिट दिये हैं वह फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट को वायलेट करके दिये हैं। जो केन्द्रीय वन कानून है, उसकी अनुपालना नहीं करके उसका सर्वनाश करवा रहे हैं इन्दिरा के भगत बनते हैं, इन्दिरा की आत्मा से बनने वाला जो कानून है उसकी दुर्गति करते हैं। माननीय सभापति जी हाल यह है कि अनाधिकृत चरावें वहां कोई बुराई नहीं अनाधिकृत परमिट में कोई बुराई नहीं लेकिन इरादतन आप ताज्जुब करोगे। इनका एक राजकीय व्यापार मण्डल है। राजकीय व्यापार मण्डल के जरिये इन्होंने सैंकड़ों किलोमीटर क्षेत्र का सर्वनाश कर दिया। इनको वन काटने का क्या अधिकार है? अब फालिंग वाली बात कहते हैं....

श्री सभापति : अब पढ़ें आप।

श्री नाथूराम मिर्धा : सारे राजस्थान की भेड़ों को हम कहां ले जायेंगे। (व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह : सारे राजस्थानकी भेड़ों को आप कहीं ले जाइये....लेकिन आपको शैल्टर देना पड़ेगा....

श्री नाथूराम मिर्धा : दूसरे भी भूख हड़ताल करना जानते हैं....

श्री शिवचरण सिंह : आप करिये भूख हड़ताल। क्या हुआ साहब....

श्री नाथूराम मिर्धा : परमिट नहीं दे सकते....

श्री शिवचरण सिंह : गवर्नमेन्ट के लिये जगह नहीं है। (व्यवधान)

श्री हरीश चन्द्र पल्लीवाल : माननीय सभापति महोदय, करोली से आने वाले माननीय सदस्य सत्य कह रहे हैं....

श्री शिवचरण सिंह : मैं आपसे निवेदन करता हूं आप मेरे साथ चलिये और देखिये....

श्री नाथूराम मिर्धा : फारेस्ट में भेड़ क्या नुकसान करती हैं....

श्री शिवचरण सिंह : फारेस्ट नहीं है। 400 किलोमीटर क्षेत्र में लोगों की 6 लाख मवेशी है।

श्री नाथू राम मिर्धा : चरने का चारा है....

श्री शिवचरण सिंह : चारा नहीं है। अनाज है। अगर चारे का एक दाना हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा....

श्री सभापति : माननीय सदस्य ।

श्री शिवचरण सिंह : आप मेरे नेता हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप सत्यवादी हैं आप वहां के स्थानीय लोगों की दशा देखो····

अनियमत काम होगा तो कहेंगे । फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट का वायलेशन हो रहा है···

श्री हरीशचन्द्र पल्लीवाल : करौली से आने वाले माननीय सदस्य बिल्कुल सत्य कह रहे हैं जो भेड़ें गंगापुर होकर वहां जा रही हैं खेत के खेत साफ करती जाती हैं ।

श्री शिवचरण सिंह : आप वहां के लोगों की दशा तो देखिये····

श्री नाथूराम मिर्धा : सब जानता हूं दशा····

श्री शिवचरण सिंह : आप सब दशा जानते हैं, आप तो ज्ञाता हैं····

श्री नाथूराम मिर्धा : आपका इलाका तो करौली है, मेरा इलाका सारा राजस्थान है····

श्री शिवचरण सिंह : आप राजस्थान के हैं, राजस्थान के हम भी हैं, राजस्थान के हम विरोधी नहीं हैं। हम राजस्थान के किसी व्यक्ति के विरोधी नहीं हैं, नीतियों का प्रश्न है····

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : पढ़ते नहीं हैं और अपना भाषण ठोक रहे हैं अनापशनाप ।

श्री हरीश चन्द्र पल्लीवाल : करौली से आने वाले माननीय सदस्य बिल्कुल सही कह रहे हैं····

श्री नाथूराम मिर्धा : आप लोगों को भड़का नहीं सकते····

श्री शिवचरण सिंह : आपका कोई उल्लेख नहीं है, आपको बोलने का कोई हक नहीं है । आप स्वार्थवश बोल रहे हैं, मैं स्वार्थवश नहीं बोल रहा हूं ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में वाद-विवाद नहीं····(व्यवधान)

श्री हरीश चन्द्र पल्लीवाल : माननीय सभापति महोदय, करौली से आने वाले माननीय सदस्य बिल्कुल सत्य कह रहे हैं····

श्री शिवचरण सिंह : आप मुझे रोक नहीं सकते ।

श्री सभापति : आप बोल लें जल्दी से । कृपया पढ़ें ।

श्री शिवचरण सिंह : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी को मेरा निवेदन है····

श्री हरीशचन्द्र पल्लीवाल : करौली से आने वाले माननीय सदस्य बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आपको इतनी ही चिन्ता है तो आप नागौर में पैदावार बढ़ा लीजिये । सारे सवाई माधोपुर जिले का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया है ।

श्री नाथू राम मिर्धा : नागौर राजस्थान से अलग नहीं है, सारा देश एक है।

श्री हरीशचन्द्र पल्लीवाल : और जिले हैं वहा भेज् दीजिये....

श्री नाथूराम मिर्धा : जहां जगह होगी वहां जायेंगी....

श्री सभापति : माननीय सदस्य....

श्री हरीशचन्द्र पल्लीवाल : गंगापुर तहसील, सपोटरा तहसील, और करौली तहसील, इन सब तहसीलों का सब सत्यानाश कर दिया है बरसात हो नहीं रही है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य....

श्री हरीशचन्द्र पल्लीवाल : सवाई माधोपुर जिले में राजस्थान में सबसे ज्यादा बरसात होती थी....

श्री सभापति : माननीय सदस्य.... (व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह : लकड़ी कटाई बन्द की जाये, सारी भेड़ें निकाली जायें....

श्री रामसिंह विश्नोई : सभापति महोदय, जब बोलने का प्रोसीजर नहीं है, जब पढ़ने का ही प्रोसीजर है तो आप इनको बोलने क्यों देते हैं ?

श्री सभापति : मैं कह रहा हूं पढ़ें सिर्फ।

श्री रामसिंह विश्नोई : इसी लिये झगड़े होते हैं, आप इनको बोलने देते हो।

श्री शिवचरण सिंह : माननीय सभापति महोदय, लास्ट पैराग्राफ है मैं पढ़ रहा हूं....

श्री रामसिंह विश्नोई : आप पढ़िये इसको।

श्री डूंगरराम पंवार : गहरे जंगल में अगर भेड़िये आ गये तो भेड़ों को वे खा जायेंगे....

श्री शिवचरण सिंह : यहां से सारी भेड़ें निकाली जायें, लकड़ी कटाई बन्द की जाये....

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति जी, यह सारे हड़ौती की समस्या....

श्री नाथूराम मिर्धा : गंगा जाती है, यमुना जाती है मध्य प्रदेश जाती है अगर राजस्थान में इस तरह से भावनाओं को भड़काया जायेगा और किसानों को किसानों से लड़ाया जायेगा.... (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। श्री पोकरलाल परिहार।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह समस्या सारे हड़ोती की समस्या है। शिवचरण जी माथुर ने आन्दोलन करके भेड़ों को भगाया। तब आप क्या कर रहे थे। वास्तव में हम इससे पीड़ित हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप बीच में कहां से आ गये।

श्री दाऊदयाल जोशी : अकाल के अन्दर जायें तो समझ में आती है लेकिन अकाल के बाद भी बाद भी एक निश्चित

(९४)

(श्री दाऊदयाल जोशी)

एरिया में भेड़ें जहां की तहां टिकी रहती हैं, यह घूम फिर कर जहां की तहां आ जाती है, आखिरकार हमारी समस्या है। हमारे क्षेत्र में हमारे जानवरों को चारा नहीं मिलता, हम भेड़ पालते थे कभी कोई जमाने में, शिवचरण सिंह जी का यह कहना वास्तव में आज हमारे क्षेत्र के मवेशी····(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : साम्प्रदायिकता पर भाषण देते हैं····

श्री हीरालाल आर्य : भेड़ पालकों का इतना आतंक है, हमारे भरण क्षेत्र में सारा तो चारा चर गई भेड़ पालक वहां पर इतनी गुण्डागर्दी करते हैं जन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया, किसानों की फसलें नष्ट हो गई····

श्री सभापति : माननीय सदस्य : शिवचरण सिंह जी कह रहे हैं····

श्री डूंगरराम पंवार : इन पेड़ों को चोरी-चोरी 26 जिलों में बांट दो तो एक जगह नहीं होगी।

श्री हीरालाल आर्य : सभापति महोदय, भेड़ पालक वहां किसानों के साथ मारपीट करते हैं····

श्री सभापति : माननीय सदस्य····

श्री हीरालाल आर्य : फसलों को तबाह कर देते हैं····आखिर हमारी भी कोई बात सुनने वाला है····

श्री डूंगरराम पंवार : समस्त मंत्रियों को सुझाव है कि + + + सारे जिलों में बांट दो····

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बीच में कहां बोल रहे हैं····

श्री शिवचरण सिंह : आपको जो करना हो आप करना साहब मैं आपको नहीं कह रहा हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप और हम करने की बात करेंगे तो लड़ करके मर जायेंगे और माथे कट जायेंगे। क्या कर रहो आप····

एक माननीय सदस्य : यह अच्छी बात नहीं है, ऐसा मत करो।

श्री हरि मोहन शर्मा : माननीय सभापति महोदय, भेड़ों के मामले में जो सभी सदस्यों ने अपने दृष्टिकोण से रखे, यह सही है कि जो माननीय सदस्य अभी 295 में अपने विचार रख रहे हैं, अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग ढंग से प्रभावित है। हमारे क्षेत्र में जो भेड़ पालक जाते हैं वे एक ही स्थान पर रुके रहने के कारण और ग्रामीणों में आपसे में झगड़ा होने के कारण हर साल काफी बड़ी संख्या में आदमियों के कत्ल होते हैं मरते हैं, यह ऐसी गहन समस्या है, इसका निराकरण करने के लिये आपको राज्य सरकार से कहना चाहिये और राज्य सरकार को आवश्यक रूप से उचित व्यवस्था करनी चाहिये भेड़ों की भी करे

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री हरिमोहन शर्मा)

और जो समस्या है उसका भी निराकरण करे। यह आप व्यवस्था दें, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति : हाँ, व्यवस्था बाद में देंगे, पहले इनका पूरा हो जाये। आप उनको बोलने दीजिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय तत्कालीन मुख्य मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था कि इस दृष्टि से हम नेशनल पार्क डवलप कर रहे हैं। जोधपुर की बीकानेर की भेड़ें, जोधपुर और बीकानेर में ही रहेंगी क्या हुआ ? (व्यवधान)

यह सरकार व्यवस्था करती नहीं और उनको हमारी छाती पर लाकर छोड़ दें···· चारे की व्यवस्था करें····

श्री सभापति : कृपया पढ़ने दें। आप उनको पढ़ने दें माननीय सदस्य····

आठ दिन में यहां से सारी भेड़ें निकाली जायें, बनों में अनाधिकृत खनन बन्द किया जाये। अन्यथा बाध्य होकर सीधी कार्यवाही करने पर कोई दुर्घटना होगी उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। अब मैं वन मन्त्री जी से इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूँ करौली क्षेत्र जो अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है वहां पर वन भूमि की चराई हेतु देने के लिए स्पष्ट नीति बनाई जाये तथा यहां की स्थानीय जनता को इससे हो रही हानि से बचाया जाये, क्योंकि माननीय नाथूराम जी साहब जो कह रहे थे मुझे भेड़ बालों से कोई नाराजगी नहीं है लेकिन नीति होनी चाहिये और लीगल और इल्लीगल का भेद होना चाहिये····

एक माननीय सदस्य : आप पढ़िये····

श्री शिवचरण सिंह : यह जो फारेस्ट काजर्वेशन एक्ट को तोड़ करके जो परमिट देते हैं यह बिल्कुल घोर इल्लीगल है····

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री शिवचरण सिंह : मन्त्री जी इस पर ध्यान दें।

श्री सभापति : श्री पोकरलाल परिहार।

श्री पोकरलाल परिहार (देसूरी) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जहां एक तरफ हमारे प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी····

श्री सभापति : पूर्व में जो विषय चल रहा था उस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय से चाहूंगा कि वे इसको इस तरह से रेगुलरेट करें कि किसी को नुकसान न हो, असुविधा न हो।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं दो मिनट कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय सरकार का भेड़ महकमा है। वह बराबर भेड़ कितनी कहां

(श्री नाथूराम मिर्धा)

पर चरने को और जिन इलाकों में चरें उसको निश्चित करता है और साइंटिफिक में परमिट देता है। चराई के दाम लेते हैं? कहां-कहां वे गांव हैं और वहां पर कितनी पोटेन्शिलिटी है, कितनी भेड़ों को रखना है, उस हिसाब से भेड़ें जाती हैं। भेड़ों की चराई एक जगह नहीं हो सकती है। चलने वाला जानवर है। कुछ दिन कुछ जगह रह कर आगे के लिए बढ़ जाता है। पूरे देश में हमारी ये भेड़ें ठेठ बंगाल तक जाती हैं। ठेठ मध्य प्रदेश और आगे आन्ध्र प्रदेश की तरफ जाती हैं।

हिन्दुस्तान को जितनी ऊन चाहिये उतनी ऊन नहीं है। ऊन हमको बाहर से मंगानी पड़ती है। यह इस देश का इम्बार-टेन्ट प्रोडक्शन है। राजस्थान की एक ऐसी जगह है जहां पर देश की 45 प्रतिशत ऊन पैदा होती है। भेड़ को मोबिलिटी के बिना चाहें जैसलमेर की भेड़े जैसलमेर में नहीं रह सकती है। यहां की भेड़ वहां नहीं रह सकती है। भेड़ों को मोबाइल करना पड़ता है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से नम्रता से निवेदन करना चाहूंगा कि प्राब्लम आबादी की भी है, जानवरों की भी है। इन प्रोब्लम को हल करना है। सरकार के पास जितने वन हैं, कई तरह के वन हैं, उस हिसाब से भेड़ें चराई करती हैं। भेड़ें वन को नुकसान नहीं करती हैं। भेड नीचे पडा हुआ खाती हैं, तिनका खाती हैं। ऊंट पत्ते खाते हैं। जानवरों की चराई को सरकार ने सिस्टेमेटिक में कर रखा है। मेरी हाउस से अपील है लाखों भेड पालक हैं। उनका यह धन्धा, रोजी रोटी है। यह देश का महत्वपूर्ण उत्पादन है इसलिए यह कहें कि मैं हड़ताल करूंगा, एक हड़ताल करेंगे तो दूसरी हडताल करेंगे, चार हडताल करेंगे, नतीजा क्या निकलेगा। सरकार कायदे कानून से कर रही है....

श्री सभापति : इसको सरकार रेगुलरेट करेगी तो समस्या ही पैदा नहीं होगी।

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई कमी है तो उसको दूर किया जाये। इसमें कोई दो राय नहीं है।

श्री शिवचरण सिंह : पिछले साल करौली में 70 हजार भेड़ के लिए परमिट दिया गया था और इस साल एक लाख 50 हजार के लिए परमिट दिया गया है। चार लाख भेड़ें बिना परमिट के चर रही हैं। इसी से आप अन्दाज लगाईये। उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप भूख हड़ताल मत करिये। बैठ करके सरकार से बातचीत कीजिये। कितनी वाजिब और गैर बाजिब है यह बताइये। पर लोगों को मत भड़काइये। वे मर जायेंगे।

श्री शिवचरण सिंह : लोग मरेंगे तो हम किस पर जीवित रहेंगे।

श्री सभापति : इसको रेगुलरेट करना, नियन्त्रित करना आवश्यक है बनिस्पत भूख हड़ताल करने के। सरकार नियन्त्रण रखे।

श्री पोकरलाल परिहार।

श्री पोकरलाल परिहार : सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से प्रक्रिया तथा

(श्री पोकरलाल परिहार)

कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत राज्य सरकार का ध्यान महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जहां एक ओर हमारे प्रधान मन्त्री माननीय राजीव गांधी असुसूचित जाति के लोगों के आरक्षण कोटे के पूर्ति के लिए प्रयत्नशील हैं वहीं दूसरी ओर कुछ लोग शिडयूल कास्ट का कोटा खतम करने पर तुले हुए हैं जिसका ज्वलन्त उदाहरण मेरे विधान सभा क्षेत्र का मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं।

मान्यवर, निवेदन है कि पाली जिले की सीनियर हायर सेकेण्डरी स्कूल सादड़ी में कार्यरत प्रधानाध्यापक श्री मदनलाल रावल, जो स्वर्ण जाति से रावल ब्राह्मण होते हुए भी गलत तरीके से अनुसूचित जाति का फर्जी प्रमाण-पत्र हासिल कर नौकरी प्राप्त की। और अनुसूचित जाति कोटे में प्रधानाध्यापक का पद प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की जो सर्वथा गलत एवं निन्दनीय है। संविधान में रावल जाति का आशय अनुसूचित जाति के मेघवाल समाज के राबल (रावलिया) जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, उस जाति से है न कि रावल ब्राह्मण जाति से है।

पाली जिले में रावल जाति के काफी लोग रहते हैं। रावल ब्राह्मण सवर्ण जाति में आते हैं आते हैं जिसकी जांच करवायी जा सकती है। पाली में बिगत बार पाक्षिक समाचार पत्र के प्रधान सम्पादक श्री सुभाष रावल, सादड़ी, पाली में दैनिक नवज्योति का संवाददाता श्री सुरेश रावल, रानी स्टेशन पर डा. सी. एम. रावल, पाली ब्लाक कांग्रेस सेवादल के अध्यक्ष श्री रणजीत रावल निवासी बीजापुर, फालना भी प्रधानाध्यक श्री मदनलाल रावल ब्राह्मण के रिश्तेदार भी हैं।

श्री मदनलाल रावल ब्राह्मण की तरह ही उनके रिश्तेदार तहसील बाली, पाली के ग्राम सेसली निवासी श्री सरदार मल पुत्र श्री मूला जी रावल ब्राह्मण ने भी गलत तरीके से अनुसूचित जाति का फर्जी प्रमाण पत्र हासिल कर अनुसूचित जाति के लोगों को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं का अनुचित लाभ उठाया था। जिसके विरुद्ध पुलिस थाना बाली, पाली में एफ. आई. आर. नं. 108/86 भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 469, 467, 471 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज होकर कोर्ट में चालान पेश हुआ था।

श्री मदनलाल रावल ब्राह्मण ने इस तरह गलत तरीके से अनुसूचित जाति का जाली प्रमाण पत्र कर नौकरी प्राप्त कर न केवल अनुचित लाभ उठाया बल्कि शिक्षा विभाग एवं राजस्थान सरकार को धोखा दिया है। श्री मदन लाल रावल सवर्ण जाति के होते हुए भी संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण कोटे से मिलने वाली सुविधाओं का अनुचित लाभ उठाकर अनुसूचित जाति के लोगों को उनके लाभ से वंचित रखा है।

अतः ऐसे लोग महत्व के विषय पर हम राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित कर मांग करते हैं कि श्री मदनलाल रावल ब्राह्मण को तत्काल निलम्बित कर उनके

(श्री पोकरलाल परिहार)

विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर उनकी सेवायें समाप्त करावें तथा श्री मदनलाल द्वारा अनुसूचित जाति के जाली प्रमाण पत्र के आधार पर उठाये गये सभी प्रकार के अनुचित लाभ को प्राप्त की गई सभी सुविधाएं मय वेतन सहित शीघ्र वसूल किया जावे ताकि भविष्य में इस तरह का अनुसूचित जाति के आरक्षण कोटे का गलत हरण करने का कोई व्यक्ति दुस्साहस नहीं कर सके और जिससे अनुसूचित जाति के लोगों के हितों की रक्षा भी हो सके।

सभापति महोदय मैं मांग करता हूं कि श्री मदनलाल रावल को तत्काल निलम्बित करके उनके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्यवाही करावें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हीरालाल सहरिया।

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : सभापति महोदय मैं नियम 295 के तहत किशनगंज विधान सभा की सड़कों का जो डामरी करण नहीं किया जा रहा है उसके सम्बन्ध में प्रस्ताव करता हूं।

महोदय, मैं कार्य संचालन तथा प्रक्रिया के नियम 295 के तहत किशनगंज विधान सभा सडकों का डामरीकरण की ओर माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि कोटा शिवपुरी राजमार्ग पर 129 कि. मी. से 131 कि. मी. तक तथा 143 कि. मी. से 145 कि. मी. तक का डामरीकरण लगभग 6-7 वर्षों से नहीं किया जा रहा है। इन बनी हुई सड़कों का बजट भी स्वीकृत हो चुका था तथा ठेका भी दिया जा चुका था लेकिन विभाग की असफलता, अनुशासन हीनता एवं अकर्मण्यता के कारण इन किलोमीटरों का डामरीकरण नहीं किया गया है।

अतः मैं मांग करता हूं कि इस बचे हुए सड़क के भाग को तुरन्त डामरीकरण करवाया जावे। साथ ही भंवरगढ़ से नाहर गढ़ रोड पर भी 0 कि. मी. से 1 कि. मी. तक परानियाँ से गोरधनपुरा 1 कि. मी. एवं 8 से 11 कि. मी. तक का भी बजट डामरीकरण का स्वीकृति किया हुआ है। लेकिन इस किलोमीटरों पर भी डामरीकरण नहीं करवाया गया है जिससे सड़क पर जो पूर्व में गिट्टी डाली गई थी वो भी उखड़ गई है जिसके कारण यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही है तथा जनता को परेशानी से गुजरना पड़ता है।

अतः श्रीमान सार्वजनिक निर्माण मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इन दोनों ही राज्य मार्गों के टुकड़ों पर तुरन्त डामरी करण करवाने की कृपा करें ताकि यातायात में विशेष वर्षा ऋतु में जनता को परेशानी नहीं उठानी पड़े तथा राहत मिल सके।

श्री सभापति : श्री प्रतापसिंह।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मैं नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये मेरे विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की ग्राम पंचायत बापचा सरपंच के विरोध के बावजूद भी घोर अनियमिततायें कर दिनांक 30-6-89 को बापचा ग्राम में राजस्व अभियान में गये अधिकारियों ने गलत लोगों को जमीन

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

आवंटित कर दी है जो जमीन आवंटन की पात्रता में नहीं आते हैं व गरीब भी नहीं हैं और न ही उनका जमीन पर कोई कब्जा है। इससे साफ जाहिर होता है कि जमीन का आबंटन जरूरतमन्द लोगों को नहीं कर राजनीति के आधार पर किया गया है, जो नहीं होना चाहिये था। यही नहीं सरपंच द्वारा जमीन आवंटन के लिये वहां के पटवारी श्री वृद्धि चन्द साहू द्वारा ली गई रिश्वत की भी शिकायत की लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिन लोगों से पटवारी ने रिश्वत ली है वो निम्न हैं :–

	रिश्वत ली
1 धन्नू पुत्र श्री पांच्या चमार रारोन	500 नकदी 500 बाद में
2. रतन लाल पुत्र श्री पांच्या चमा रारोन	500 रुपये नकदी.
3. रामचरण पुत्र श्री मदन लाल मीणा	500 रुपये नकदी
4. हीरालाल पुत्र श्री प्यारेलाल लोधा	1000 रुपये नकदी
5. उदा पुत्र श्री गबरू लोधा	350 रुपये नकदी
6. पूंदीलाल पुत्र श्री घासी	400 रुपये नकदी
7. राजमलव व हल्कू पुत्र श्री कालूराम मीणा	1500 रुपये नकदी
8. हीरालाल पुत्र श्री धनजी लोधा बावच्या	1200 रुपये नकदी
9. पून्या पुत्र श्री रतना चमार रारोन	1000 रुपये नकदी

यही नहीं मवासा व्यास के निवासी अनुसूचित जन जाति के एक मृतक देवा पुत्र श्री लोढा सहरिया के खाते की कृषि भूमि का फोती इन्तकाल मृतक की वेबा व पुत्र के पक्ष में खुलवाकर इसलिये तसदीक नहीं करवाया कि उन्होंने राजस्व अभियान में उपखण्ड अधिकारी को फोती इन्तकाल खुलवाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पूर्व हल्का पटवारी बिरधीचन्द को रिश्वत नहीं दी थी।

इससे साफ जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत बापचा में राजस्व अभियान में घोर अनियमितता हुई है इसलिये मैं मांग करता हूं कि वहां हुए समस्त आवंटन को निरस्त करवाकर फिर से आवंटन करवाया जावे।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल मेघवाल

श्री चुन्नीलाल मेघवाल (सुजानगढ़) : सभापति महोदय, 1985-86. 1956-57 और 1978-88 में जो अकाल राहत कार्यक्रम हुए उनमें भयंकर धान्धली हमारे चुरू जिले में हुई क्योंकि मजदूरों को गेहूं जो मिलने वाला था वो गलत तरीके से ट्रकों के ट्रक पकड़े गये। मस्टर रोल जो थे उन मस्टर रोलों पर मजदूरों के झूंठे साइन करके कर्मचारी और अधिकारी वह पैसा खा गये और अब तक उनको मजदूरी नहीं मिली। अब विधान सभा में कौनसी प्रक्रिया है जिसके तहत में बार-बार मुद्दा उठाऊं। मैंने यह मुद्दा 7-3-87, 6-7-87 और प्रश्न अभी मैंने लगाया जो 12-7-89

(श्री चुन्नीलाल मेघवाल)

इसमें आया है जांच की और जांच कर रहे हैं अभी तक पेमेन्ट दिया नहीं गया। माननीय सभापति महोदय उन हजारों कर्मचारियों का झूठे मस्टर रोल पर साइन करके अधिकारी और कर्मचारी खा गये और मस्टररोल नम्बर मेरे पास है। ऐसा कौनसा तरीका है विधान सभा में जिसके तहत गरीब मजदूरों को मजदूरी का भुगतान मिले।

श्री सभापति : आप कृपया पढ़ें।

श्री चुन्नीलाल मेघवाल : उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि चुरू जिले में अकाल राहत के तहत मस्टररोलों में जाली हस्ताक्षर कर कर्मचारियों और अधिकारियों ने भुगतान उठा लिया है। मजदूरों को मजदूरी की एवज में गेहूँ के ट्रक रतनगढ़ तहसील में पकड़े गये। इस प्रकरण की जांच भी दफना दी गई। इस जांच का क्या हुआ कोई पता नहीं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र सुजानगढ़ में गरीब हरिजन मजदूरों को अब तक भुगतान बकाया पड़ा है। यह मुद्दा मैंने सदन में अभी बताया 7-3-87, 6-7-87 को उठा चुका हूं लेकिन भ्रष्ट अधिकारी लीपापोती करके इस मामले को रफा दफा कर देते हैं। सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ जांच भी की गई जांच कर्ता अधिकारियों के खिलाफ जांच भी की गई जांच कर्ता अधिकारी ने इसे प्रकरण को दबा दिया गया। वे भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी कौन थे व किस अधिकारी ने मेरे इस प्रकरण की जांच की। सम्बन्धित मंत्री महोदय को मैंने इस विषय में पत्र भी लिखे लेकिन कोई जवाब नहीं है। मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र का जब-जब भी दौरा करता हूं तो गरीब हरिजन मजदूर अपनी की हुई मजदूरी के भुगतान का प्रश्न मेरे सामने लाया जाता है। अब यह प्रकरण सैंकड़ों मजदूर गरीब हरिजनों का मामला है। उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि सारोडिया से सुजानगढ़ सड़क का काम हुआ, केम्प रोजाना था और इसके अन्दर जो मस्टररोल झूठे साइन किये गये हैं वह नम्बर मैंने इस सदन में कम से कम पांच बार उठा चुका और मस्टर रोल का नम्बर है 107010 दूसरा 107011 व तीसरा 107012 और दिनांक बता दूं आपको 1-3-86 से 15-3-86 करीब 16 दिन की मजदूरी कर्मचारियों ने ले ली है इसी केम्प में बंसी राम पुत्र नाथूराम ब्राह्मण गांव गुमरोड को ऊंट गाड़ी का भुगतान झूठा किया गया है इसी तरह से 1986 में माननीय प्रधान मंत्री जी राजीव गांधी का दौरा हमारे क्षेत्र में जोकलिया, जैतासर, छापर, कांठा ओर उस वक्त लोढ़सर के कार्यरत मजदूरों को ट्रकों में ले जा करके सुजानगढ़ व छापर की मरम्मत व सफाई करवाई गई। उन सैकड़ों मजदूरों की मजदूरी नहीं मिली। माननीय सभापति महोदय मजदूरी तो मिल गई कागजों में मिल गई और मस्टररोल पर साइन भी झूठे कर दिये गये। अब कौनसा तरीका है कि उन गरीबों को मजदूरी मिले।

माननीय सभापति महोदय, जब यह कहा जाता है तो कभी-कभी आक्रोश आता है। सदन में माननीय सदस्यों को अब इस आक्रोश को कैसे मेटा जाय। कौनसा

(श्री चुन्नी लाल मेघवाल)

प्रकरण है, कौनसा नियम है जिसके तहत किया जा सके, यह बताइये आप तो मुझे इसका उत्तर दिलवा दीजिये कि मैंने इसको पांच दफा उठाया, मस्टररोल नम्बर दिये। मैंने तारीख दी इसके बावजूद भी हमारे अधिकारी लीपा पोती करके बिठा लेते हैं और वे कहते हैं कि नहीं और मेरे पास जवाब आया है कि नहीं हुआ है। 85 का, 1985 का हरिजन मजदूर गरीबों का भुगतान अधिकारी खा गये और अब कहते जांच कर रहे हैं। भुगतान हुआ नहीं है। भुगतान नहीं हुआ सरकार ने अब तक माना है।

सभापति महोदय अब इस बारे में आप बता दीजिये। हमें कौनसा और क्या मुद्दा उठाना चाहिये, कौनसा तरीका कहां अपनाये, हमें यह बताइये कि वे मजदूर जायेंगे कहां। हम जब क्षेत्र में जाते हैं तो यही बात आती है अब यह बता दीजिये कि अब तक इस सरकार ने माना है कि भाई मजदूरी नहीं दी गई। अब तक नहीं दी गई तो सभापति महोदय, मुझे बताइये कि मैं कौनसा तरीका अपनाऊँ जिसके तहत मजदूरों को मजदूरी मिले और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जांच कर उनको सस्पेण्ड करें। यह तरीका कौनसा है आप मुझे बताइये। सभापति महोदय, मैं बहुत विचलित हूं, आप बता दीजिये मैं कौनसा तरीका अपनाऊं।

श्री सभापति : यह जो आपके प्रार्थना पत्र और पेपर्स हैं, कागज हैं मंत्री जी को दे दीजिये।

श्री चुन्नीलाल मेघवाल : सभापति महोदय, मैंने मंत्रियों को लिखा है।

श्री सभापति : आप और दे दीजिये।

श्री चुन्नीलाल मेघवाल : मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोला, मुख्य मंत्री के भाषण पर बोला।

श्री सभापति : मैं कह रहा हूं न।

श्री चुन्नी लाल मेघवाल : मैंने बहुत प्रश्न किये हैं तारांकित किये हैं, अतारांकित किये और स्थगन प्रस्ताव हैं। अब कौनसे तरीके के तहत अब सभापति महोदय उनको मजदूरी मिले। बता दीजिये आप।

श्री सभापति : मेरा अनुरोध आपसे यह है कि····(व्यवधान)

आप सुनें तो सही···· (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल मेघवाल : इस अनुरोध को क्या सुनूं।

श्री सभापति : आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। (व्यवधान) आप मंत्री जी को दे दें पेपर्स। मैं कह रहा हूं कार्यवाही करेंगे।

श्री चुन्नी लाल मेघवाल : सभापति महोदय जी अब तक तो मैं मानता हूं···· (व्यवधान)

श्री सभापति : श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी।

श्री चुन्नी लाल मेघवाल : आपने कई बार कहा बैठ जाइये, कार्यवाही हो रही है तो मैं बैठ जाता था ···(व्यवधान)····मैंने 6 उठाया है। कौनसा तरीका है, बता दीजिये बार मुद्दा आप ···(व्यवधान)

श्री सभापति : मैंने आपको कहा न····

श्री चुन्नी लाल मेघवाल : सभापति जी, मैंने कई बार मुद्दा उठाया है और आपकी आज्ञा का पालन किया करते हुए बैठा भी हूं लेकिन अब कौनसा तरीका है मुझे जो वह बता दीजिये।

श्री सभापति : मैं बता रहा हूँ आपको। आपके पास जो पेपर्स हैं, जो डाकूमेंट्स हैं ये मंत्री जी को दे दीजिये, कार्यवाही करेंगे। मैं कह रहा हूं····(व्यवधान)

आप दे दीजिये । आप दे दीजिये, (व्यवधान)

श्री चुन्नी लाल मेघवाल : सरकार दिया ने जवाब है।

श्री सभापति : तो और क्या हो सकता है। कार्यवाही तो होगी। श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी। (व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : मजदूरी देने के लिये हम पांच-पांच बार विधान सभा में मामले को उठायें तो····(व्यवधान)

श्री सभापति : आपको मैं कह रहा हूं दे दीजिये ।

श्री चुन्नीलाल मेघवाल : सभापति महोदय मैंने बहुत बार दिये है। सदन के पटल पर रखे हैं कागज····।

श्री सभापति : एक बार और दे दीजिये ।

श्री चुन्नीलाल मेघवाल : मैंने कभी उल्लंघन नहीं किया और बार-बार आप कहते हैं बैठ जावो····(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : आप उन्हें यह तो कहिये कि दो दिन में, तीन दिन में मजदूरों का चुकारा तो हो····(व्यवधान)

अगर हमको एक महिने की तनख्वाह नहीं मिले तो कैसे रहे····(व्यवधान)

श्री चुन्नी लाल मेघवाल : यह बताइये आप तो कहां जायें हम ।

श्री सभापति : इसीलिये मैंने व्यवस्था दी है।

श्री चुन्नी लाल मेघवाल : आन रिकार्ड सभापति महोदय ···(व्यवधान) आन रिकार्ड है। मैंने कई बार सदन में यह मुद्दा उठाया है····(व्यवधान)····रेकार्ड है मेरे पास। (व्यवधान)

श्री सभापति : उत्तेजित नहीं हों माननीय सदस्य ।

श्री चुन्नी लाल मेघवाल : मैंने इसे आज ही नहीं उठाया। मैंने 6 दफा उठाया है। रिकार्ड है। सदन में रिकार्ड है। प्रश्न भी उठाये हैं····(व्यवधान) अब आप ही बता दीजिये फिर कौनसा तरीका है···मैं बैठ जाऊं···कर्मचारी और बड़े-बड़े अधिकारी ने मस्टररोलों पर झूठे साइन करके पेमेन्ट लेलिया है····

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इसकी जांचकरवा लेगी सरकार। मैं कह रहा हूँ आपको, दे दीजिये । आप बताइये काय रास्ता है?

श्री चुन्नीलाल मेघवाल : 85 का मामला है, 1986,87 का यह मामला है।

श्री सभापति : इसलिये मैं कह रहा हूं, सरकार जांच करवा लेगी। यह दे दीजिये।

श्री चुन्नीलाल मेघवाल : सरकार ने जांच करवा ली। नहीं हुआ। यह आपका उत्तर है कि जांच फिर करवा रहे हैं। 1985 का मामला है। सभापति महोदय, 1986,87 का है। अब क्या करें हम, बताइये।

श्री सभापति : मैं आपसे इसीलिये कह रहा हूं, माननीय सदस्य, आपने विशेष उल्लेख किया है।

श्री चुन्नीलाल मेघवाल : मेरी सुन लें। मैं समझ गया। मेरी पीड़ा सुनलो आप। यह मुद्दा मैंने आज नहीं उठाया। जब भी आपने मुझे कहा, मैं बैठ गया हूं। जब-जब भी विधान सभा के अन्दर यह मुद्दा उठाया, आपने मुझे कह दिया, मैं बैठ गया। अब कौनसा तरीका है, बताइये आप। कौनसी प्रक्रिया है जिसके तहत यह मुद्दा सुलटाया जा सकता है ?

श्री सभापति : मैं तो आज भी आपसे कह रहा हूं, आप बिराजें और आपके कागजात मन्त्रीजी को दें आप।

श्री चुन्नीलाल मेघवाल : यह गरीबों का मामला है। खून और पसीने की कमाई अधिकारी खा गये। यहां आकर यह बैठ जाते हैं। यह लैसन पढ़ जाते हैं, हम लैसन जैसे क्लास के अन्दर आदर्श पाठ पढ़ाया जाता है और बैठकर चले जाते हैं, यह क्या तरीका है ? जब बच्चों को हम पढ़ाते थे....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, और तो क्या तरीका है, आप बताइये। आप बताइये, क्या तरीका है ?

श्री चुन्नीलाल मेघवाल : आदर्श सदन है, विधान सभा का आदर्श सदन है यह और क्या है यह ?

श्री सभापति : और क्या तरीका है, आप बताइये। मैं तरीका बता रहा हूं आपको। आपको यह डाकूमेंट्स मन्त्रीजी को दे दीजिये।

श्री चुन्नीलाल मेघवाल : मैंने बहुत दे दिये, आन रेकार्ड बता रहा हूं।

श्री सभापति : मैं आसन की ओर से कह रहा हूं, मन्त्रीजी जांच करायेंगे। अब आपको और क्या चाहिये ? मैं कह रहा हूं, आसन की ओर से अनुरोध कर रहा हूं उनसे कि वह जांच करायें इस मामले में। आर्डर प्लीज। उत्तेजित नहीं हों, माननीय सदस्य। गुस्सा नहीं खायें।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : आपने कह दिया मन्त्रीजी को दे दें। माननीय सदस्य ने विधान सभा में 6 बार इस मुद्दे को उठाया है कि मजदूरों को बकाया भुगतान नहीं मिला है। फिर आप कह रहे हैं मंत्रीजी को दे दें। पहले मन्त्रीजी को आसन की तरफ से कहा गया.... (व्यवधान)

श्री सभापति : इसीलिये मैं कह रहा

69

(श्री सभापति)

हूं, मेरी भी पूरी सहानुभूति है इस मामले में।

श्री चुन्नीलाल मेघवाल : झूठे साइन करके अधिकारी कर्मचारी खा गये, सभापति महोदय। जैसा मैंने निवेदन किया, आपने कहा बैठ जाइये, सरकार को दे दीजिये, मन्त्रीजी को दे दीजिये। मैंने मन्त्रीजी को लिख दिया, यहां दे दिया। अब कौनसी प्रक्रिया है जिसके तहत....

श्री सभापति : आज और दे दीजिये आप।

श्री चुन्नीलाल मेघवाल : उन गरीबों की मजदूरी खा गये उन अफसरों को सस्पैण्ड करोगे कि नहीं, यह बताइये आप? पहले पकड़े गये उनको सस्पैण्ड किया फिर वापस बहाल कर दिया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, उत्तेजित नहीं हों। उत्तेजित नहीं हों।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : माननीय सदस्य को संतुष्ट करायें आप। इसकी गंभीरता को मत दबाइये आप।

श्री चुन्नीलाल मेघवाल : मुझे सुना। ऐसा है, कौनसी प्रक्रिया है? मैंने ध्यानाकर्षण दिया, स्थगन प्रस्ताव दिया, राज्यपाल के अभिभाषण पर बोला, मुख्य मन्त्री, के भाषण पर बोला लेकिन कल उत्तर आया है कि मजदूरी नहीं मिली।

श्री सभापति : इतने दिन तक तो आप बोले, अब मैं बोल रहा हूं आपकी ओर से, मैं सरकार से कह रहा हूं, मन्त्रीजी को कह रहा हूं, अब आपको क्या चाहिये? इसके सिवाय और क्या चाहिये?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : सभापति महोदय, आप क्या बोल रहे हो? (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप आसन से व्यवस्था करिये। 18 दिनों के भीतर-भीतर भुगतान किया जावे यह आसान व्यवस्था है।

सुश्री पुष्पा जैन : आप दो दिन में, तीन दिन में मजदूरी नहीं चुका सकते? इतना भी नहीं कह सकते आप?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : सभापति महोदय, मेरे को अच्छी तरह याद है, पिछले तीन वर्षों से लगातार आसन ने आदेश दिया है, सुजानगढ़ के उन मजदूरों, जो सड़क पर काम कर रहे थे, को राज्य सरकार भुगतान करे। क्या आपके आदेश की पालना हुई? नम्बर एक। दूसरी बात, मैं हमारे विरोधी दल के नेता महोदय से निवेदन करूंगा कि सुजानगढ़ मेरा पड़ोसी इलाका है, उन मजदूरों का आसन से आदेश देने के बाद भी लम्बे अरसे से बकाया पड़ा है, उनका भुगतान होना चाहिये (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय कल्ला साहब। माननीय सदस्य, सुनें आप। आप उत्तेजित नहीं हो। आप सुनें। मन्त्रीजी क्या कह रहे हैं, सुनें।

श्री चुन्नीलाल मेघवाल : मैंने मुद्दा

(श्री चुन्नीलाल मेघवाल)

उठाया उसका हुआ क्या? कहां जायं हम?

श्री सभापति : वह बोल रहे हैं, आप सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, 295 के अन्तर्गत जो भी मुद्दा उठाया जाता है उसका यहां पर रिप्लाई देना आवश्यक नहीं है फिर भी....

श्री सभापति : मैंने कब कहा आपसे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट, मुझे सुन तो लीजिये, सभासति महोदय, मैं यह कह रहा हूं....

श्री सभापति : आप बीच में ख्वाह-मख्वाह खड़े हो गये। मैं तो समझा आप कुछ कहेंगे। मैंने कब कहा आपने बोलने के लिये। मैं तो कह रहा था वह लिख कर दे दें, आप जांच करवा लें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं यही तो बात कह रहा हूं, यह जो भी मुद्दा है इसको मेरे पास भिजवा दें।

श्री सभापति : हां, मैं यही कह रहा हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं इसको दिखवा करके....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इतना धमकाइये मत। मन्त्री हैं आखिर। यदि मजदूरों के हित की कोई बात कह रहे हैं तो कहने दीजिये, क्या आपत्ति है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री सभापति : कहिये आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा हूं, यह पूरे कागजात अपने दे दें, यदि मजदूरों का कोई भी बकाया भुगतान है तो उसको मैं दिखवा लूंगा।

श्री सभापति : धन्यवाद। अब आप दे दें। कागजात।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, एक मैं जानकारी करना चाहूंगा, माननीय सदस्य कागजात दें या नहीं दें, क्या मन्त्री महोदय को यह जानकारी नहीं है कि मजदूरों का भुगतान नहीं हुआ है?

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, अभी यह स्वयं माननीय सदस्य पढ़ रहे थे, मैं गौर से सुन रहा था, इन्होंने यह कहा कि कुछ लोगों ने उनके नाम भुगतान उठा लिया है। तो पेमेन्ट तो हो चुका है एक तरह से। अब इस बात को दिखवाना है कि वह मजदूरों को मिला है या नहीं मिला है। सन् 85 का मामला है....

श्री चुन्नीलाल मेघवाल : सन् 86-87 का मामला है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सन् 86-87 का मामला है तो मैं इस सारे प्रकरण को

(100)

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

व्यक्तिगत तौर पर देख कर जो भी मजदूरों के हित में होगा वह कर दूंगा।

श्री सभापति : ठीक है; धन्यवाद।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, सभापति महोदय, आपने धन्यवाद दे दिया, उन मजदूरों का पेट थोड़े ही भरेगा इस धन्यवाद से। इस क्वश्चन का जवाब आपने सुना होगा। इस क्वश्चन के जवाब में लिया है....

श्री सभापति : नेता महोदय, वह जांच करवा कर पेमेन्ट नहीं हुआ है तो करवा देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, जांच कब होगी? यह हाउस में कहां है, ग्राम चरलाराजाना कैम्प पर कार्यरत मजदूरों की मजदूरी का भुगतान नहीं करने के प्रकरण की जांच जिलाधीश कार्यालय में विचाराधीन है। अब इसमें क्या विचाराधीन होगा? एक साल से विचाराधीन है। सन् 85 का क्वेश्चन विचाराधीन है। क्या मतलब हुआ? विचाराधीन से। फिर आप विचाराधीन इसको रखिये। क्यों नहीं निर्णय किया? आपने खुद कहा, मजदूरों के मस्टर रोल वापस प्राप्त हो गये हैं। जिलाधीश, चूरू से स्वीकृति प्राप्त होने पर भुगतान किया जायेगा। जिलाधीश स्वीकृति देगा और गवर्नमेंट यह कह रही है....

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह ऐसे विपक्ष के नेता महोदय, कार्य हैं जो एन. आर. ई. पी. और आर. एल. ई. जी. पी. से सम्बन्धित कार्य थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह समझ गया मैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जैसे ही जिलाधीश कार्यालय की तरफ से जांच रिपोर्ट जायेगी उसके अनुसार कार्यवाही कर ली जायेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आयेगी, मंगाई क्यों नहीं आपने आज तक? आज तीन वर्ष के बाद आप कह रहे हैं रिपोर्ट आयेगी तब करेंगे। मंगाई क्यों नहीं आपने? यह जवाब क्यों दिया आपने हाउस में?

सुश्री पुष्पा जैन : कई बार उठा चुके हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मेरे सामने तो यह प्रश्न पहली बार आया है।

श्री सभापति : पहली बार आया है इनके सामने। मन्त्री जी के सामने पहली बार आया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह मन्त्री पहली बार आये होंगे लेकिन सरकार 1985 से है। मन्त्री जी पहली बार आये होंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : मन्त्री जी संवेदनशील है, यह कार्यवाही करेंगे।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मन्त्री महोदय, आप तो नये मन्त्री हो लेकिन गवर्नमेंट

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

के सामने कितनी बार मुद्दा आया यहां हाउस में ?

श्री चुन्नीलाल मेघवाल : वह अधिकारी आपके हैं, ठेकेदार आपका है, जे. ई. एन. आपका है, एक्स. ई. एन. आपका है। यह भी दिखाऊंगा।

श्री सभापति : माननीय श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी क्षेत्र के ग्रामीण बेरोजगार तथा निर्धन वर्ग के लोगों को रोजगार मुहैया करा कर प्रत्यक्ष एवं अनवरत लाभ पहुंचा कर ग्रामीण आर्थिक और सामाजिक आधार के ढांचे को मजबूत बनाने के लिए वर्ष 1983-84 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 11 सड़कों के लिए 23 लाख रुपयों की स्वीकृति कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से दी जिन पर 23 लाख रुपये में से केवल 4 लाख 44 हजार रुपये अब तक व्यय किये गये और उन सड़कों की अर्द्धनिर्मित अवस्था में छोड़ दिया गया।

पाटन से भूखला 1983-84 में स्वीकृत, 4 लाख रुपये मंजूर हुए जिसमें से 1 44 हजार रुपये व्यय हुए हैं। मोहनपुरा जयपुर आगरा रोड 1983-84 में स्वीकृत 1 लाख रुपये मंजूर हुए जिसमें से 32 हजार रुपये अब तक खर्च हुए हैं। मोहन पुरा से श्यामपुरा 1 लाख रुपये स्वीकृत जिसमें 12 हजार रुपये खर्च हुए हैं। माधोगढ़ से तूंगा-लवाण सड़क 2 लाख रुपये स्वीकृत, जिसमें से 27 हजार रुपये खर्च हुए हैं। करणगढ़ से बस्सी तूंगा रोड 2 लाख रुपये स्वीकृत जिसमें से 53 हजार रुपये खर्च किये गये। देवगांव से काशीपुरा 3 लाख रुपये स्वीकृत जिसमें से 1 लाख 300 रुपये खर्च किये गये। बस्सी से जीतावाला 3 लाख रुपये स्वीकृत, जिसमें 33 हजार रुपया अब तक खर्चा हुआ है। लालगढ़ से बस्सी तूंगा रोड 1 लाख रुपये स्वीकृत जिसमें एक रुपया खर्च नहीं हुआ।

गोनेर रोड से बूडथल 2 लाख रुपये स्वीकृत जिसमें एक रुपया खर्च नहीं हुआ। बस्सी से सांभरिया फाल्यावास रोड 2 लाख रुपये स्वीकृत जिसमें 14 हजार रुपये खर्च हुए। इस प्रकार 23 लाख रुपये में से केवल चार लाख 44 हजार रुपये पिछले चार-पांच वर्षों में खर्च हुए हैं। इसी प्रकार ग्रामीण भूमिहीन एवं रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 में बस्सी से सांभरिया सड़क जो पूर्व में कृषि विपणन बोर्ड से बन चुकी थी, तूंगा से सांभरिया सड़क को छोड़कर उसी समान दूरी की बस्सी से सांभरिया सड़क स्वीकृत की और स्वीकृत में बस्सी सांभरिया के बजाय तूंगा सांभरिया संशोधित स्वीकृति की कार्यवाही न कर इसमें जान बूझकर इस क्षेत्र के भूमिहीन श्रमिकों व निर्धन लोगों को रोजगार से वंचित रखा तथा स्वीकृति राशि 4 लाख रुपये में से एक रुपये का कार्य भी नहीं कराया गया है मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 4 अप्रेल, 1987 को संशोधित स्वीकृति

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

का प्रस्ताव भेजा लेकिन विशिष्ट योजना संगठन ने भारत सरकार को संशोधित स्वीकृति का प्रस्ताव नहीं भेजा।

वर्ष 87-88 में खेड़ी से बाल रश्मि सोसायटी सड़क के लिए 9 लाख रुपये स्वीकृत किये गये। इस स्वीकृत राशि का व्याज भी शून्य हो रहा।

इसी प्रकार 13 लाख की लागत की स्वीकृति दोनों सड़कों का कार्य न होने के कारण श्रमिकों को रोजगार से वंचित रहना पड़ा।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारों की रोजगार देने के साथ-साथ ग्रामीण आधार भूत आर्थिक ढांचे को मजबूत बनाने के लिए सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण करना भी है। लेकिन इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 23 लाख की लागत की स्वीकृत 11 सड़कों पर गत 5 वर्षों में केवल 4.44 लाख रुपये का कार्य हुआ है। परिणामस्वरूप सड़कें अर्द्ध निर्मित अवस्था में पड़ी हैं तथा इन सड़कों के निर्माण होने से जो सानुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण होता वह नहीं हुआ तथा इससे स्थानीय ग्रामीण बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलता उससे वंचित रहना पड़ा।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भूमिहीन परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को वर्ष में 100 दिन के लिए रोजगार सुलभ कराना है लेकिन वर्ष 1986-87 एवं 1987-88 में क्रमश: 4 लाख एवं 9 लाख कुल 13 लाख रुपये की राशि में से एक रुपया भी व्यय न कर इस क्षेत्र के ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को रोजगार से वंचित रखा गया जब कि भारत सरकार से वर्ष 1986-87 में रुपये की राशि जमा तथा प्राप्त गेहूं की कीमत 582 लाख वर्ष 1987-88 में 1994 लाख मकद राशि तथा प्राप्त गेहूं की कीमत 744 लाख कुल 5312 लाख में से वर्ष 1986-87 में 2475.92 लाख रुपये तथा वर्ष 1987-88 में 5337 लाख रुपये व्यय किये गये जिसका राज्य स्तर पर व्यय शत प्रतिशत रही जब कि पंचायत समिति बस्सी में स्वकृत राशि के अनुपात में व्यय शून्य प्रतिशत रहा

विशेष उल्लेख के जरिये विशिष्ट योजना मंत्री से बस्सी पंचायत समिति क्षेत्र के ग्रामीण भूमिहीन व निर्धन बेरोजगार लोगों को रोजगार मुहैया कराने व अर्द्ध-निर्मित सड़कों को पूर्ण कराने के लिए अविलम्ब कार्यवाही करने की मांग करता हूं।

श्री सभापति : श्रीमती वसुन्धरा राजे।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (धौलपुर) माननीय सभापति महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

धौलपुर, अलवर के लिए चम्बल नदी से पेयजल उपलब्ध कराने की सरकार क योजना है कि इस योजना के अन्तर्गत धौलपुर एवं भरतपुर के लिए भी पेयजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

लेकिन योजना के क्रियान्वयन के नक्शे में धौलपुर को साफ कर दिया गया। इसका तात्पर्य यह है कि जनता को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने पेयजल की इस समस्या के सम्बन्ध में लिखे गये पत्र के जवाब में दि. 13-3-89 को बताया कि धौलपुर, भरतपुर, अलवर के लिए धोलपुर चम्बल से पानी लिफ्ट करने की योजना बनाई गई है लेकिन उस स्कीम में धौलपुर को अचानक छोड़ दिया गया है यह धोलपुर की जनता के साथ अन्याय है। धौलपुर के पूरे शहर में गम्भीर पानी की समस्या है और ग्रामीण एरिया जिसमें चम्बल के करीब जो गांव हैं उनमें भी पेयजल की गम्भीर समस्या है तथा जो हैण्डपम्प लगे हैं, अधिकांश खराब हैं।

(1·55 बजे म. प.)

(श्री किशन मोटवानी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

कुओं में पानी का स्तर भी गिर गया है जिससे पेयजल के लिए त्राहि-त्राहि मची रहती है।

मेरे पास इस योजना का नक्शा है जिसमें अलवर और भरतपुर के साथ धौलपुर का भी नाम टाइटल में है जिसको मैं सदन के पटल हर रखना चाहूंगी। मुझे आशा है कि आपके मार्फत की गई इस मांग पर सरकार अतिशीघ्र गौर करेगी और इस योजना का पर्ण रूप से क्रियान्वयन करने की कोशिश करेगी ताकि सम्पूर्ण जिले की पेयजल की समस्या का हल हो सके। । धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री शिव नारायण।

श्री शिवनारायण (बारां) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत में मेरे क्षेत्र में आवंटित हुई जमीन वापिस छीनने के बारे में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

भारत को आजाद हुए आज 42 वर्ष हो गये हैं लेकिन अभी भी ऐसे ग्राम हैं जहां पर गरीबों पर जुर्म और ज्यादातियां होती आ रही हैं इसका ज्वलंत उदाहरण है ग्राम नागदा, तहसील मांगरोल, जिला कोटा, राजस्थान। यहां के जागीरदार श्री माधोसिंह की 375 बीघा जमीन सीलिंग के अन्तर्गत अवाप्त कर 55 कमजोर वर्ग के लोगों को जिनके परिवार में लगभग 500 व्यक्तियों का भरण-पोषण हो रहा था, उनको सन् 1976 में अलाट की गई थी लेकिन सन् 1981 से श्री माधोसिंह एवं उनके पुत्रों ने बन्दूक की नोक पर वापस ले ली जिसमें ज्यादातर लोग भूमिहीन अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हैं।

इन आवंटित लोगों ने प्रशासन में अधिकारियों से प्रार्थना की लेकिन-वह सब अधिकारी भी अपने आप को उस जागीनार श्री माधोसिंह के समक्ष बौना समझते हैं।

अत: सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि क्या किसी के पास 600-700 बीघा जमीन रखने का

(श्री शिव नारायण)

प्रावधान है ? अगर नहीं, तो तत्काल कलक्टर, कोटा को आदेश दिये जायें कि वह स्वयं इस मामले की जांच कर उन सभी गरीब लोगों को जमीन एवं उनके जीवन की सुरक्षा प्रदान करें और यह चिन्ता का विषय है कि राजस्थान में भी कुछ तत्व गरीबों की भूमि हड़पने, उनके साथ जुर्म और ज्यादती करने पर आमादा है। इस प्रकार के माफिया ग्रुपों का संगठन राजस्थान में बनता जा रहा है।

अतः मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि ग्राम नागदा तहसील मांगराल जिला कोटा के गरीब समाज एवं कमजोर वर्ग के लोगों को आवंटन की गई भूमि पर कब्जा दिलाया जावे एवं भूतपूर्व जागीरदार एवं उसके संरक्षण में पनप रहे उन लोगों के विरुद्ध कारगर कार्यवाही की जावे। आवंटियों को भूमि पर कब्जा दिलाया जाकर जान-माल की सुरक्षा का प्रबन्ध भी करवाया जावे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवरदयाल।

श्री रघुवर दयाल गोयल (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख द्वारा एक ऐसा मामला आपके समक्ष पेश कर रहा हूं जिससे अलवर और भरतपुर दोनों जिलों के बीच में सड़क डाल दी जाय तो इनकी दूरी 15 कि. मी. कम हो जाएगी।

अलवर जिलान्तर्गत गोविन्दगढ़ कस्बा करीब दस हजार की जनसंख्या का कस्बा है। यहां कृषि उपज मण्डी समिति का मण्डी यार्ड स्थापित है। सब-तहसील मुख्यालय, पुलिस थाना, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और अनेक बैंक हैड क्वार्टर अलवर जिले की 14 पंचायतों के मध्य स्थित यह व्यापारिक कस्बा गोविन्दगढ़ है जहां से भरतपुर जिले एवं यू. पी. की अनेक प्रमुख मंडियों से माल लाना ले जाना लगा रहता है। गोविन्दगढ़ में भरतपुर जिले एवं यू. पी. की मंडियों को आने जाने के लिए भरतपुर जिले की मंडी एवं कस्बा नगर से आना जाना पड़ता है। गोविन्दगढ़ से नगर की वर्तमान दूरी 30 कि. मी. है। यह दूरी आधी यानि गोविन्दगढ़-नगर की दूरी 15 कि. मी. रह सकती है।

इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि गोविन्दगढ़ नगर के मध्य एक कच्चा रास्ता है। यह रास्ता महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इस रास्ते के आस-पास अलवर जिले की अनेक पंचायतें, भरतपुर जिले की अनेक पंचायतें, सहकारी समितियों के भण्डारघ पड़ते हैं और छोटे-मोटे गांव पड़ते हैं। तथा इस रास्ते से डाबरी, बबेड़ी, भेंसडावल, भारेड़ा, डूंगरी, बड़बरा, दोंगड़ी, सेमला खुर्द, पंचायत हैड क्वार्टर रतनाकी, पेडका, चिरावल, नंगला बूलाहेडी, खेडली, बेरू, झीतोड़ी, रोजेड़ी और भी अनेक गांव इस गोविन्दगढ़ के आस-पास के आते हैं।

इस विशेष उल्लेख के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि यहां नगर गोविन्दगढ़ के बीच इस कच्चे रास्ते पर सड़कें बनाई जाने की तुरन्त व्यवस्था की जाये जिससे अनेक लाभ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होंगे। अलवर जिले के गोविन्दगढ़ से भरतपुर एवं यू. पी. की दूरी 15 कि. मी. कम हो जाएगी

(रघुवर दयाल गोयल)

जिससे डीजल के खर्चे में बचत होगी, समय की बचत होगी ही, देहात के हजारों ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। इसलिए इस विशेष उल्लेख के माध्यम से मेरा सरकार को अनुरोध है कि इस मामले पर विचार करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेमाराम चौधरी (अनुपस्थित)

श्री सम्पतसिंह (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो आपने पीड़ा को सुना होगा जो माननीय सदस्य ने कहा। तमाम देहात में, उन्होंने नाम गिनाये, एक-एक करके, कोई 30-40 साल से इस इलाके की मांग चली आ रही है और यहां कोई सम्बन्धित मंत्री जी विराजे हुए नहीं हैं और न ही किसी ने इस चीज का नोटिस लिना है। आप आश्वासन दें कि यह काम हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आदेश तो फरमावें किसी मंत्री को।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (वन मंत्री) : 7 दिन में जवाब आ जाएगा।

श्री सम्पतसिंह : कि कार्य नहीं करवायेंगे।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : जो भी जवाब होगा, वह आ जाएगा।

श्री सम्पतसिंह : यह तो बड़ी दयनीय सी हालत हुई। माननीय वन मंत्री जी कह रहे हैं कि सात दिन में जवाब आ जाएगा और हाथ से इशारा कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री हरीश चन्द्र कुमावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम था। आपने व्यवस्था दी थी जब मेरा नाम पुकारा था।

श्री उपाध्यक्ष : क्या नाम है ?

श्री हरीश चन्द्र कुमावत : हरीश चन्द्र कुमावत।

श्री उपाध्यक्ष : हरीश चन्द्रजी आप गैर हाजिर थे।

श्री हरीश चन्द्र कुमावत : नहीं साहब, मैं सुबह से यहीं बैठा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें लिखा हुआ है।

श्री हरीश चन्द्र कुमावत : आज तो मैं गया ही नहीं बाहर।

श्री उपाध्यक्ष : हरीश चन्द्रजी, आप पढ़ें।

श्री हरीश चन्द्र कुमावत (नावां) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं महा निदेशालय कारागार द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 295 के अन्तर्गत आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं।

महोदय, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर के कार्यालय में चतुर्थ

(112)

(श्री हरीश चन्द्र कुमावत)

श्रेणी कर्मचारियों के पद पर नियुक्तियों हेतु पत्र क्रमांक स्थापना/डी. जी./9061/1987-88/40259 दिनांक 22-12-1987 22-12-1987 द्वारा जिला रोजगार कार्यालय जयपुर से नाम मांगे गये थे जिसके उत्तर में रोजगार कार्यालय ने पत्र आदेश संख्या 94/88/857 व्यवसायिक कोड सं. 358·28 दिनांक 18.3.1988 द्वारा आशार्थियों के नामों की सूची भेजी गई थी, लेकिन महा निदेशक, कारागार ने उक्त सूची में दर्शाये गये आशार्थियों के नामों पर विचार न करके अनुचित रूप से अर्द्धशासकीय पत्रांक 8067 दिनांक 20 मई, 1988 द्वारा श्री मोहम्मत इस्माइल खां उप अधीक्षक को आशार्थी भिजवाने में चयन करने बाबत जिला रोजगार अधिकारी को पत्र प्रेषित किया। जिसके उत्तर में पुनः रोजगार कार्यालय जयपुर के पत्र दिनांक 23/31.5.1988 द्वारा 20 आशार्थियों की सूची प्रेषित की गई है। उक्त सूची में केवल 5 आशार्थियों को नियुक्ति हेतु साक्षात्कार के लिये बुलाया गया। रोजगार कार्यालय से प्राप्त सूची के क्रम संख्या 13 पर अंकित आशार्थी की जन्म तिथि 4.5.1971 व शैक्षणिक योग्यता कक्षा 5 उत्तीर्ण बताई गई जबकि 5 व्यक्तियों को साक्षात्कार हेतु तैयार किये गये विवरण में क्रमांक संख्या 13 पर उल्लेखित आशार्थी का उल्लेख क्रम संख्या 5 पर किया गया है। जिसमें उसकी जन्म तिथि 7.5.1970 व शैक्षणिक योग्यता कक्षा 6 उत्तीर्ण बताई गई है। यही नहीं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर इसी आशार्थी को दिनांक 31.6.88 को नियुक्ति कर दी गई, जबकि नियुक्ति शर्तों के अनुसार आशार्थी दिनांक 1.1.1981 को 18 वर्ष से कम नहीं व 31 वर्ष से अधिक नहीं होना आवश्यक था।

उक्त नियुक्ति में आशार्थी की जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता एवं निवास स्थान के सते आदि में हेराफेरी कर अनेक अनियमिताएं की गई हैं, जो एक जांच का विषय है। अतः मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत इस मामले की जांच कर इसमें दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की राज्य सरकार से अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जिला विकास अभिकरण नागौर, में अनियमितता

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। माननीय श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत जिला विकास अभिकरण, नागौर द्वारा की जा रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति की ओर विशिष्ठ योजना संगठन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षण कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री सुजान सिंह यादव (विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सभा के प्रक्रिया तथा

(श्री सुजान सिंह यादव)

नियम 131 के अन्तर्गत प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव माननीय श्री हरजीराम बुरडक द्वारा रखा है उसके बारे में तथ्यात्मक सूचना निम्न प्रकार से है—

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नागौर की सी. ए. आडिट रिपोर्ट वर्ष 1974-75 से 1987-88 तक की संचालन परिषद् के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई है। जिसका विवरण परिशिष्ट–1 पर अंकित हैं।

(2) यह सही नहीं है कि अभिकरण द्वारा जिन एजेन्सियों को कार्य करवाने के लिए जो अग्रिम राशि दी गई थी उनका हिसाब 10 वर्षों से नहीं आ रहा है। जब कि वास्तविकता यह है कि अग्रिम राशियों का हिसाब लगातार प्राप्त हो रहा है एवं अभिकरण द्वारा समायोजन भी हो रहा है। अग्रिम राशि का बिना सम्पूर्ण हिसाब प्राप्त किये तथा अग्रिम सिर्फ विकास की गति को निरन्तर बनाये रखने हेतु ही दिया जाता है। अभिकरण के खाते का अंकेक्षण मानक नियमों के अनुसार चार्टेड एकाउण्टेण्ट के द्वारा किया जाता है। अतः फर्जी आडिट रिपोर्ट तैयार करवाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। चार्टेड एकाउण्टेण्ट की नियुक्ति अभिकरण में संचालन परिषद की सहमति से ही की जाती है।

(3) यह सही नहीं है कि अभिकरण द्वारा पिछले 10 वर्षों से खर्चे का हिसाब व उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य सरकार को फर्जी भेजा जा रहा है। उपयोगिता प्रमाण पत्र में उसी राशि की उपयोगिता दर्शायी जाती है। उपयोगिता प्रमाण पत्र में उसी राशि की उपयोगिता दर्शायी जाती है जिस राशि का वास्तव में खर्चा हो चुका है तथा अभिकरण के लेखों में समायोजन कर लिया गया है। अग्रिम राशि को उपयोगिता प्रमाण पत्रों में उपयोग किया हुआ नहीं दर्शाकर अवशेष बताया जाता है।

(4) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सोसाइटीज एक्ट के तहत गठित एक स्वशासी संस्था है। इसकी अपनी संचालन परिषद है, जिसकी देखरेख व मार्ग दर्शन में अभिकरण कार्य करता है। फिर भी राज्य के विशिष्ठ योजना संगठन के वरिष्ठ अधिकारीगण जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का निरीक्षण करने तथा अभिकरण की संचालन परिषद की बैठकों में भाग लेने जाते रहते हैं तथा समय-समय पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के अधिकारियों को आवश्यक मार्ग दर्शन प्रदान करते हैं। अभिकरण की आडिट रिपोर्ट संचालन परिषद् के अनुमोदन के पश्चात् ही पारित की जाती है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की संचालन परिषद् की बैठक सामान्यतः तीन माह के अन्तराल पर आयोजित की जाती है।

(5) संचालन परिषद् की बैठक निर्धारित समयावधि में बुलाई जावे, इस हेतु विशिष्ठ योजना एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सभी जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को समय-समय पर निर्देश दिये जाते रहे हैं। यह सम्भव है कि विशेष परिस्थितियों में कुछ बैठकें समय पर नहीं बुलाई जा सकी हों।

जहां तक अध्यक्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का प्रश्न है कि वे प्रदत्त वित्तीय

(श्री सुजानसिंह यादव)

नियमों के अनुसार ही कार्य करते हैं। वार्षिक कार्य योजना में रखे प्रावधानों का अनुमोदन संचालन परिषद् द्वारा प्रतिवर्ष करवाया जाता है तथा व्यय वार्षिक कार्य योजना में अनुमोदित प्रावधानों के अनुरूप ही किया जाता है। वित्तीय नियमों के अनुसार 25 हजार रुपये से अधिक की राशि के चैक पर जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रति हस्ताक्षर करते हैं।

निर्धारित सीमा तक धनराशि का पुर्नविनियोजना एव एक लाख रुपये तक की वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने के अधिकार जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को प्रदत्त किये गये हैं।

(6) अभिकरण के वाहन अभिकरण के कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों में नहीं लिये जावें इस सम्बन्ध में आदेश प्रसारित किये गये हैं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नागौर द्वारा अभिकरण के वाहन को जिला प्रमुख जिला परिषद्, नागौर को जो कि शासकीय निकाय के सदस्य हैं, जन सम्पर्क कार्य हेतु दिया गया था। उक्त कार्य में लिये गये दिवसों का किराया स्थापित कर किराया जिला परिषद् से वसूलने हेतु अभिकरण को निर्देशित किया जा चुका है।

(7) प्रधान मन्त्री के राष्ट्रीय सहायता कोष से अनुसूचित जाति/जन जाति व अन्य लघु/सीमान्त कृषकों को निःशुल्क स्प्रिंकलर सैट वितरण करने हेतु जो पद्धति-प्रकिया दर्शायी गई थी उसके अनुसार प्रत्येक पंचायत समिति में दो स्प्रिंकलर सैट वितरित किये जाने थे।

यह स्प्रिंकलर मशीन उन अनुसूचित जाति, जनजाति एवम् लघु सीमांत कृषकों को निःशुल्क प्रदान किये जाने थे, जिनके पास पहले से ही सिंचाई हेतु कुएं हैं एवं उसमें डीजल के पम्पसेट लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त जिन कृषकों ने विभिन्न बैंक शाखा से ऋण स्वीकृत करवा करके स्प्रिंकलर मशीन लगवाने के सम्बन्धी सूचना अभिकरण में प्रस्तुत की गयी, उनके नाम जिला विकास अभिकरण, नागौर द्वारा विद्युत को अग्रेषित कर दिये गये। नियमानुसार जिन कृषकों के कुएं सूखते हैं, उनके ही आवेदन पत्र स्प्रिंकलर सेट क्रय करने हेतु बैंक द्वारा स्वीकार किये जाते हैं विद्युत मण्डल भी कुएं में पानी उपलब्ध होने की रिपोर्ट पर ही विद्युत कनेक्शन देता है।

इस प्रकार की कोई शिकायत कि कुओं के न होने पर विद्युत कनेक्शन दिया गया, अभिकरण में प्राप्त नहीं हुआ। अभिकरण स्तर पर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। मेड़ता और रियां पंचायत समिति द्वारा क्रमशः 22 एवं 28 कृषकों के नाम विद्युत मण्डल को अग्रेषित किये गये हैं। जिले में एक मात्र पंचायत समिति लाडनूं पंचायत समिति के किसी भी कृषक ने विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन नहीं किया।

(8) यह सही नहीं है कि मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला ग्रामीण विकास अभिकरण नागौर ने भयंकर घोटाले किये हैं। माननीय सदस्य द्वारा जो उदाहरण घास और चारा विकास योजना के सम्बन्ध

(श्री सुजानसिंह यादव)

में दिया गया है, उसका लक्ष्य यह है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्राम सिलणवास के श्री तुलसीराम, पुत्र श्री किसना राम को समेन्वित घास एवं चारा विकास योजना के तहत कुण्ड स्वीकृत किया गया था।

इस कुण्ड की उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र, उनके नाम सत्रह बीघा भूमि दर्शायी गयी है तथा भूमि उनके दादा के नाम खातेदारी में है जिसके नोशनल दादा के भागीदार हैं, के आधार पर उनके नाम स्वीकृत किया गया था। यह कुण्ड पुराना न होकर स्वीकृति के पश्चात् स्वीकृति के अनुसार नया बनाया गया है, जिसकी पुष्टि स्वयं पंचायत समिति के प्रधान महोदय ने भी की है। कनिष्ठ अभियन्ता ने माप पुस्तिका में मूल्यांकन करते समय इस आशय का कोई नोट अंकित नहीं किया कि यह कुण्ड पुराना है। कनिष्ठ अभियन्ता के मूल्यांकन के अनुसार ही कृषकों को भुगतान किया गया है तथा किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है।

(9) समन्वित घास एवं चारा निर्माण हेतु जारी स्वीकृति में यह स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि कृषक एक एकड़ में घास और पेड़ लगायेगा, जिसके लिए कृषक ने आवेदन पत्र में अपनी सहमति भी दी थी। चूंकि इस क्षेत्र में पानी की कमी है, इसलिए घास और पेड़ नहीं लगाये गये। अब वर्षा होने के कारण वहां भी पेड़ लगाये जाने की कार्यवाही चालू है।

(10) अभिकरण द्वारा जीवन धारा योजनान्तर्गत नियमानुसार एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को कृषि कूप निर्माण हेतु स्वीकृति जारी की गयी है। यह स्वीकृति एक वरिष्ठ भू-जल वैज्ञानिक एवं अनुसंधान द्वारा उपलब्ध करायी गयी एवं सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही पोटेंशियल जोन्स में दी गयी है। जहां तक पंचायत समिति लाडनूं के ग्राम कसौडी का प्रश्न है, इस ग्राम में जीवन धारा योजनान्तर्गत जो कूप स्वीकृत किये गये हैं, वह सर्वे रिपोर्ट के अनुसार ही किये गये हैं। फिर भी इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त होने पर कि उक्त ग्रामो में पानी पीने एवं सिंचाई योग्य नहीं है, अग्रिम आदेशों तक कार्य बन्द करने हेतु निर्देश दिये गये हैं तथा पूर्ण सन्तुष्टि के लिए वरिष्ठ भू-जल वैज्ञानिक, नागौर को पुनः सर्वे कर रिपोर्ट भेजने हेतु लिखा गया है।

(11) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नागौर द्वारा ग्राम पंचायत खामियात, पंचायत समिति लाडनूं में वर्ष 1987-88 में चयनित परिवारों के सर्वेक्षण में शेष रहे परिवारों का पुनः सर्वेक्षण 88-89 में करवाया गया था। इन परिवारों का चयन ग्राम सभाओं के माध्यम से प्रपत्र में सूचना प्राप्त कर करवाया गया था जिनमें पटवारियों के हस्ताक्षर भी हैं एवं सूचियां भी पंचायत समिति कार्यालय में उपलब्ध हैं। चयन में किसी प्रकार की अनियमितता या घोटाला नहीं किया गया।

(12) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण नागौर का गठन सोसाइटीज एक्ट 19 के अन्तर्गत किया गया था। अभिकरण एक

(श्री सुजानसिंह यादव)

स्वशासी संस्था है। अभिकरण द्वारा नियुक्त किये गये कर्मचारी राजकीय कर्मचारियों की परिभाषा में नहीं आते हैं अभिकरण के कर्मचारियों के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कर्मचारी सेवा नियम 1983 में बनाये गये थे। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नागौर की संचालक परिषद में अपनी बैठक, दिनांक 23-9-83 में इन नियमों का अनुमोदन किया गया था और तभी से उपरोक्त सेवा नियम लागू हैं। इस नियम के अन्तर्गत अभिकरण के निम्नांकित पद सीधे भर्ती, पदोन्नति द्वारा भरे जा सकते हैं : (1) कार्यालय अधीक्षक, कार्यालय सहायक, आशुलिपिक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, ड्राइवर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। अभिकरण के लिए सृजित अन्य सभी पदों पर अधिकारियों, कर्मचारियों को अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर लेने का प्रावधान सेवा नियमों में किया हुआ है। जो अधिकारी एवं कर्मचारी अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आते हैं, वे राज्य का कर्मचारी होने के कारण राज्य के कर्मचारियों के लिए बने सेवा नियमों से नियन्त्रित होते हैं।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कर्मचारीगण अभिकरण के ही नियमों के अन्तर्गत पदोन्नति पाने के हकदार हैं। वर्तमान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को, वेतन, भत्ते एवं वाहन ऋण का लाभ राज्य कर्मचारियों के समान ही प्राप्त है। अभिकरण के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समकक्ष अन्य भत्ते व सुविधायें दिये जाने की मांग विचाराधीन है।

(13) अभिकरण में मोटर साइकिलों का क्रय बायोगैस योजना को द्रुत गति से चलाने के लिए किया गया था। अभिकरण में तीन मोटर साइकिलों का क्रय किया गया जो खरीद के समय से ही बायोगैस को आवंटित किये हुए हैं तथा बायोगैस योजना के संचालन हेतु प्रयोग में लाये जा रहे हैं। मोटर साइकिलों पर किया जाने वाला व्यय योजना के हित में ही किया जा रहा है। अभिकरण के वित्तीय मामलों की राज्य सरकार के वित्तीय नियम जी. एफ. और ए. आर. लागू होते हैं तथा इन नियमों के पालन का दायित्व लेखा अधिकारी का होता है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की लेखकों को चार्टर्ड अकाउण्टेंट द्वारा आडिट करवाया जाता है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के आन्तरिक आडिट हेतु विशिष्ट योजना संगठन की आडिट पार्टी द्वारा समय-समय पर जांच की जाती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हरजीराम बुरड़क : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सुजान सिंह जी यादव ने जो स्टेटमेंट दिया, जो इनको लिख करके दे दिया, वह इन्होंने पढ़ दिया।

श्री उपाध्यक्ष : आप इसमें कुछ त्रुटियां हों, तो पूछ लीजिये।

श्री हरजीराम बुरड़क : भाग-एक में आपने बताया है कि जिला ग्रामीण विकास

(श्री हरजीराम बुरड़क)

अभिकरण नागौर की सी. ए. आडिट रिपोर्ट 1974-75 से अब तक की संचालन परिषद् के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, अभी एक संचालन परिषद् की मीटिंग बुलायी थी, इस साल में जनवरी में यह बैठक हुई थी, जबकि तीन महीने में मीटिंग होनी चाहिए थी। अब जब विधान सभा का सत्र शुरू हुआ, तो उन्होंने मीटिंग बुलायी और इस मीटिंग में हम तो जा नहीं सके, यहां विधान सभा सचिवालय से एक टेलीग्राम भी चला गया था कि विधान सभा सत्र शुरू हो गया, आप मीटिंग नहीं करें। इसके बावजूद भी यह मीटिंग हुई। 10 में से दो विधायक जो वहां रहते थे, वे चले गये और 74 से लेकर आज तक की आडिट रिपोर्ट इस मीटिंग में रखी गयी है। जब 15 वर्षों तक आडिट रिपोर्ट संचालन परिषद् के सामने नहीं आयीं, फिर आप कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है। संचालन परिषद् के सामने रख दी गयी। पहली बात तो उन्होंने रखी नहीं है। इस साल में मीटिंग बुलायी नहीं और अब सत्र शुरू होने के बाद एक मीटिंग बुला करके घण्टे भर में यह 15 वर्षों की आडिट को रिपोर्ट पास करवा दिया।

श्री सुजानसिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक पाइन्ट का एक पाइन्ट पर ही हो जाने दो। पाइन्ट ज्यादा हैं, जवाब नहीं दे पाऊंगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : हां, ठीक है, दे दीजिये।

श्री सुजानसिंह यादव : माननीय सदस्य ने एक बहुत सही बात कही है कि 27-6-89 को नौ आडिट रिपोर्ट रखी गयीं और यह भी मालूम है कि विधान सभा में इस बात के लिये आदेश भी हो गये थे कि विधान सभा सत्र चालू होने वाला है, यह मीटिंगें रखी नहीं जाये। परन्तु, फिर भी मीटिंग रखी गयी, इस बात की जांच मैं करूंगा, यह नौ आडिट रिपोर्टें एक ही तारीख में क्यों रखी गयीं, पहले क्यों नहीं रखी गयीं, माननीय सदस्य मेरे ख्याल से सन्तुष्ट होंगे इस बात से।

श्री हरजीराम बुरड़क : दूसरे में आपने यह बताया है कि····

श्री नाथूराम मिर्धा : वह मंजूरी भी नहीं मानी जायेगी जो दो आदमियों ने बैठ करके दी है। पूरी मीटिंग हो, फिर इस पर चर्चा हो, फिर इसको मंजूरी दी जाये, इतना तो आश्वासन दे दीजिये।

श्री सुजानसिंह यादव : मैं माननीय विपक्ष के नेता महोदय से निवेदन कर रहा हूं, मैंने तो स्पष्ट कह दिया कि इसकी मैं जांच कराऊंगा, जो एजेण्डा पहले रखा गया था, वह एजेण्डा दुबारा रखा जायेगा। उन्हीं में अनुमोदित किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है।

श्री हरजीराम बुरड़क : दूसरे में आपने यह बताया है कि वास्तविकता यह है कि अग्रिम राशियों का हिसाब लगातार हो रहा है एवं अभिकरण द्वारा उसका समायोजन भी हो रहा जबकि यह अभिकरण की कार्यवाही 28-11-88 की बैठक में यह मामला मैंने उठाया था। कि आप न तो यहां

(श्री हरजीराम बुरड़क)

आडिट रिपोर्ट रखते हैं, न आपके यहा एडवांस समायोजित होता है। इस पर परियोजना निदेशक ने यह बताया था। परियोजना निदेशक ने सदन को अवगत कराया कि केवल एक मरू विकास कार्यक्रम में ही अब तक विभिन्न विभागों में करीब 150 लाख रुपये के एडवान्स बकाया हैं, इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र आना शेष है, सदन ने इसे काफी गम्भीरता से लिया, फिर अन्तिम निर्णय यह हुआ था····

श्री नाथूराम मिर्धा : मरू विकास कार्यक्रम में 150 लाख रुपये का हिसाब नहीं आया, यह जानकारी इन्होंने दी है।

श्री हरजीराम बुरड़क : जो एडवान्स हैं उनका उपयोगिता प्रमाण-पत्र आना शेष है, उनके उच्च अधिकारियों को अग्रिम राशि का हिसाब निपटाने हेतु शीघ्र बुलाया जावे। यह वर्ष 88 की बात है। इस रिपोर्ट की अनुपालना जो अगली बैठक में बताई गई उसमें उन्होंने यह बताया कि दिनांक 12-1-88 को लेखा समायोजन हेतु बैठक आयोजित की गई परन्तु कोई अधिकारी उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद में अभी अभिकरण ने एक और अनुपालना रिपोर्ट निकाली है 18.6.89 को, उसमें लिखा है कि अभिकरण द्वारा दी गई अग्रिम राशि के समायोजन हेतु सभी सम्बन्धित इकाई, अधिकारी व विभागों को समय-समय पर निवेदन किया। इस हेतु सभी अधिकारियों की बैठक 12.6.89 को आयोजित की गई किन्तु उक्त बैठक में अधिक अधिकारी इस बाबत माह जनवरी में बुलाई गई बैठक की तरह ही अनुपस्थित रहे जिससे लेखों का समायोजन नहीं हो पा रहा है। यह 18.6.89 का उत्तर है, आपके जिला विकास अभिकरण का है और आप कह रहे हो कि समायोजन हो रहा है।

श्री सुजान सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न के खण्ड दो के निमित्त माननीय सदस्य ने यह फरमाया है कि इनका समायोजन नहीं हो रहा है। मैं आपसे वस्तुस्थिति से पूर्ण रूप से सहमति करूंगा कि 1978-79 में 38 लाख 67 हजार रुपये का समायोजन हुआ है, पैसा तो ज्यादा आदा होगा मगर इतना खर्च हो पाया है। दूसरे 1979-80 में 42.62 लाख रुपये, 1980-81 में 208.28 लाख रुपये, 1981-82 में 291.24 लाख रुपये, 1983-84 में 240.55, 1984-85 में 402.34 और 1984-86 में 279.73, 1986-87 में 450.49 लाख रुपये और 1987-88 में 438.7 लाख रुपये का समायोजन हुआ है। यह आंकड़े इस बात के आये हैं। इसका आडिट भी तीन एजेन्सियों से होता है। ए. जी. से भी आडिट होता है, इन्टरनल आडिट भी होता है और इनका समायोजन टाइम-टाइम पर होता रहा है। इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। मेरे ख्याल से माननीय सदस्य इस बात से भी संतुष्ट होंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर आपने सुन लिया। जब वर्ष 1974 की आडिट रिपोर्ट आज तक अभिकरण के सामने नहीं आई तो आडिट होने का क्या मतलब और जो अग्रिम राशि दी जाती है दस साल से पन्द्रह साल तक, उसका हिसाब ही नहीं होता उससे आडिट क्या होगी? ऑडिट खर्चे का होगा य·

(श्री हरजी राम बुरड़क)

एडवांस का होगा। दूसरे जो आप उपयोगिता प्रमाण-पत्र यहां भेजते हैं जब आपने उपयोग किया ही नहीं उसका अगर एडवांस ही नहीं दिखाया तो उपयोगिता प्रमाण-पत्र झूठा और जब स्टेट लेबल से सेण्ट्रल गवर्नमेंट को यह उपयोगिता प्रमाण-पत्र देकर जो आप एड ले रहे हैं वह उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी झूठा फिर भी आप कह रहे हैं कि तीन जगह से ऑडिट होता है। एक जगह का ही ऑडिट नहीं हुआ और हुआ तो उसका उपयोग कहां हुआ, उसका संचालक परिषद् के सामने ही नहीं आया····

श्री उपाध्यक्ष : जवाब सुन लीजिए।

श्री सुजान सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह फरमाया है कि 1975-75 का आडिट ही नहीं हुआ तो यह आडिट रिपोर्ट 19-5-79 को प्रस्तुत की जा चुकी है, आप गवर्निंग काउन्सिल के सदस्य हैं, आप पूरी तरह से परिचित हैं, आप प्रश्न पूछ लें····

श्री उपाध्यक्ष : इसको तो आपने जांच का मुद्दा बना दिया न, उस जांच रिपोर्ट को तो आपने अभी जांच का मुद्दा बना दिया।

श्री सुजान सिंह यादव : वह बात तो दूसरी है, मगर आडिट रिपोर्ट तो आ चुकी है।

श्री उपाध्यक्ष : इनका कहना वह है कि समायोजन कैसे हुआ ? जब रिपोर्ट ही नहीं थी पूर्व में तो समायोजन कैसे हो गया ?

श्री सुजान सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया ऐसी है कि हम अनेक एजेन्सियों को काम देते हैं और एजेन्सियों को एडवांस देते हैं और वह एडवांस धीरे-धीरे खर्च होता है। उसकी स्वीकृतियां जारी होती है, किसी न किसी कारण से पूरा पैसा खर्च नहीं होता वह साल के 31 मार्च के बाद अवशेष में हम लेते हैं कि यह पिछला बकाया है और राज्य सरकार में यह है कि 31-3-89 तक बजट लेप्स हो जाता है मगर एस. एस. ओ. का बजट लेप्स नहीं होता है। उसकी छह महीने की अवधि और होती है, उस पैसे को हम छह महीने तक और इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी माननीय सदस्य, मेरे ख्याल से संतुष्ट होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : संतुष्ट हो जाइये अब तो।

श्री हरजी राम बुरडक : इसमें आपने भाग 13 में उत्तर दिया है कि अभिकरण के वित्तीय मामलों में राज्य सरकार के वित्तीय नियम जी. एफ. एण्ड ए आर. लागू होते हैं तथा इन नियमों की पालना का दायित्व लेखाधिकारी का होता है। जी. एफ. एण्ड ए. आर. में तो यह साफ लिखा हुआ है कि एक बार एडवांस देने के बाद जब तक इसका समायोजन नहीं होता उसको दुबारा एडवांस नहीं दिया जा सकता और आप कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं।

श्री सुजान सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम एडवांस नहीं देंगे तो विकास की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जायेगी, काम रुक जायेगा, काम टाइम पर हो नहीं पायेंगे। विभाग की यह प्रक्रिया है।

(120)

श्री उपाध्यक्ष : हरजीरामजी, अब समाप्त करें। आपको लिखित में इतना बड़ा स्टेटमेंट आ गया।

श्री हरजी राम बुरड़क : स्टेटमेंट आ गया तभी तो मैं पूछ रहा हूं साहब।

श्री उपाध्यक्ष : ऑडिट के लिए तो आ गया कि उसमें पूरी जांच होगी।

श्री कल्याण सिंह कालवी : आडिट की जरूरत ही नहीं है।

श्री हरजी राम बुरड़क : भाग सात में आपने उत्तर दिया है कि स्प्रिंकलर सिंचाई का बिजली के कनेक्शन का, राज्य सरकार का यह आदेश था कि एक पंचायत समिति में दो स्प्रिंकलर सेट के बिजली के कनेक्शन डी. आर. डी. ए. की सिफारिश पर दिये जायेंगे। डी. आर. डी. ए., नागौर ने पंचायत समिति मेड़ता और सिंचाई में एक 22 और एक में 28 अप्लीकेशन्स फोरवर्ड की और ऐसे आदमियों की अप्लीकेशन्स फोरवर्ड की जिनके कुएं नहीं थे और राज्य सरकार के आदेश में यह भी था जब भूमि विकास बैंक फोरवर्ड करे, लोन सेंक्शन करें, उसके कुआ हो तभी आप एप्लीकेशन भेजेंगे लेकिन जिन काश्तकारों की एप्लीकेशन्स भेजी, जिनको बिजली विभाग ने कनेक्शन दिया उनके पास कुआ नहीं था। एक तो मेड़ता प्रधान ने अपने नाम से ले लिया, एक अपनी पत्नी के नाम से ले लिया....

श्री उपाध्यक्ष : आखिरी सवाल का जवाब सुन लीजिए....

श्री हरजी राम बुरड़क : इनके आज भी कुआ नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप व्यक्तिगत मामलों पर आ गये। अब माननीय मंत्रीजी, जवाब दें। आखिरी सवाल का आखिरी जवाब।

श्री हरजीराम बुरड़क : आखिरी नहीं है साहब, आखिरी कैसे होगा। अभी तो सात तक आये हैं हम।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं-नहीं, बिल्कुल नहीं।

श्री सुजान सिंह यादव : मैं दो मिनट में पूर्ति कर देता हूँ, जो शंका है उसका समाधान कर देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : शंकाओं का समाधान हो रहा है, सुनिये।

श्री सुजान सिंह यादव : यह बात बिल्कुल सत्य मानता हूं कि स्प्रिंकलर सैट में जो धांधलियां हुई हैं, आपके 22 कनेक्शन्स मिलने थे, पंचायत समिति वाइज ही कनेक्शन मिलने थे और यह पैसा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष से आता है और यह बात बिल्कुल गफलत हुई है। मैं इस बात को सत्य इसलिए मानता हूं कि यह धांधलियां हुई हैं, इनकी लाटरी निकालनी चाहिए थी। जहां ग्यारह पंचायत समितियां थीं, 22 कनेक्शन होने थे मगर विभाग ने यह गलतियां की हैं....

श्री दिग्विजय सिंह : स्प्रिंकलर सैट की तो सारे राजस्थान में धांधलियां हुई हैं आप सारी जांच कराओ।

श्री सुजान सिंह यादव : मेरी बात सुनें। मैं मान रहा हूं कि यह गलतियां हुई हैं और बिजली विभाग ने इस मामले में

(श्री सुजान सिंह यादव)

बड़ी गड़बड़ियां की हैं, मैं मानता हूं इस बात को। मैं इस बात की व्यवस्था करवाना चाहता हूं कि जो भी कनेक्शन्स इस तरह के दिये जाय उनकी लाटरी जिला अभिकरण कार्यालय में निकाली जाय और यही बात नीचे के अधिकारियों, बिजली विभाग को कही जाय कि हम इन दो आदमियों को लाटरी के अनुसार कनेक्शन्स दे रहे हैं। इसमें बड़ा भारी घोटाला हुआ है। तमाम 145 एप्लीकेशन्स विभाग की बिजली विभाग के पास भेज दी। वहां गरीब किसान लूटा है, परेशान हुआ है उसने पैसा लिया है और इसमें बड़ा घोटाला हुआ है। इससे मेरी आत्मा को संतुष्टि नहीं है। मैं भी यह चाहता हूं कि आइंदा जो कोई होगा वह जिला स्तर पर ही····(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : आइंदा नहीं····

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, स्टॉप इट। प्लीज सिट डाउन नाऊ।

श्री नाथू सिंह : जिन लोगों ने फौरवर्ड की है उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही कीजिए।

श्री सुजान सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय····(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी, बैठें आप। (व्यवधान)

श्री नवरंग सिंह : किसानों के साथ अन्याय हुआ है, सौतेला व्यवहार हुआ है····

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी कह रहे हैं, आप आप सुनना नहीं चाहते।

श्री दिग्विजय सिंह : मंत्रीजी, आपने सार सहानुभूति लेकर यह बात कह कर सारा + + + कर दिया कि आईन्दा से नहीं करेंगे। जो हुआ है उसकी भी जांच करवायेंगे, यह कहिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री दिग्विजय सिंह : आपने बहुत बढ़िया सहानुभूति ली है हमारी सबकी, पर आप जांच करवाने की भी कहो, जो घोटाला हुआ है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री सुजान सिंह यादव : मैं मानता हूं कि गलतियां हुई हैं····

श्री उपाध्यक्ष : नाथू सिंह जी, बैठें आप। प्लीज सिट डाउन।

श्री सुजान सिंह यादव : इन गलतियों की भी मैं अपने स्तर पर जांच करवा दूंगा।

श्री नाथू सिंह : हां, आप जांच करवाइये, कार्यवाही करिये उनके खिलाफ।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किए गए।

(122)

श्री उपाध्यक्ष : प्रकरण समाप्त हुआ । (व्यवधान)

श्री हरजी राम बुरड़क : एक सवाल मेरा रह गया....(व्यवधान)

श्री सुजान सिंह यादव : आप पण्डित हैं, दूसरे, पण्डित की भी बात आप सुन लिया करो कभी-कभी । ऐसे उताबले होकर बात न करो । जवाब दे रहा हूं ।

श्री हरजीराम बुरड़क : उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल करना चाहता हूं । यह आइटम नं. 7 हो गया । 8 में मैं पूछना चाहता हूं आपने यह उत्तर दिया कि ग्राम सीजनवास में तुलसीराम नाम के व्यक्ति को पुराने कुण्ड का भुगतान नहीं किया । मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप फाइल मंगाकर देखेंगे तो ओवरसियर ने लिखा है कि यह कुण्ड तीस साल पुराना है और जिस व्यक्ति का नाम बता रहे हैं कि उसके दादा की जमीन थी तो दादा जीवित हैं, उसका बाबा जीवित है, परिवार जीवित है तो उसका नोशनल शेयर कहां से आ गया और वह 30 साल पहले का है । आप रिकार्ड देखेंगे तो सारा समझ में आ जायेगा ।

दूसरा 13 में जो दिया था लेखाधिकारी का मामला आपने कहा कि हमारे यहां जी. एण्ड आर. लागू होता है तो क्या आप इससे सहमत हैं, कि लेखाधिकारी ने कोई गलत नहीं किया । जी. एण्ड एफ. आर. की अनुपालना नहीं की है । क्या आप इसकी जांच कराने को तैयार हैं कि उन्होंने जी. एण्ड एफ. आर. लागू की है और डी. आर. डी. ए. में घपला नहीं किया है ।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर देंगे ? आपने तो उत्तर दे दिया ।

श्री सुजानसिंह यादव : आप कहें तो उत्तर दे दूं । मैंने तो पाइन्ट वाइज डिटेल में प्रश्नों का उत्तर दे दिया । माननीय सदस्य यह भी उत्तर चाहते हैं तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं ।

श्री हरजीराम बुरड़क : उत्तर देने के लिए तैयार हैं तो उत्तर दिलायें ।

श्री उपाध्यक्ष : समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन । (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : रामसिंह जी जो संसद सदस्य हैं उनको सुजानसिंह ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : दो पाइन्ट हैं एक तो यह है कि यह कुण्ड चालीस साल पुराना है । जिसका पैसा पेमेण्ट कर दिया, उनको कहना चाहिए कि चालीस साल पुराना है, पेमेण्ट कर दिया है तो वसूल किया जायेगा । दूसरा सवाल यह था कि जो एकाउण्ट आफिसर हैं उसने नियमों की अनुपालना नहीं की । काम किया है तो ठीक किया है, अगर नहीं किया तो सजा दो ।

श्री सुजान सिंह यादव : यह बात मैंने सुनी नहीं आपने क्या फरमाया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप सुन लीजिए अच्छी तरह से । उन्होंने अभी दो सवाल

(श्री नाथूराम मिर्धा)

उठाये हैं एक सवाल तो यह है कि जिसको पूरा भुगतान किया गया वह चालीस साल पुराना है। वह कुण्ड नया नहीं बना है पूरा पेमेण्ट किस बात का।

दूसरा यह है कि जो आपका एकाउण्ट आफिसर वहां है उसका जो काम करने के लिए है वह किया नहीं। यह उनका एलीगेशन है। अगर आपने काम पूरा किया है तो कहिये, किया है, नहीं किया तो उनके खिलाफ एक्शन लीजिए।

श्री सुजानसिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न बड़ा अजीब सा है। मगर रिकार्ड के अनुसार वहां के प्रधान ने इस बात की तस्दीक की है कि यह कुण्ड स्वीकृति के अनुसार उसी डिजाइन से बनाया गया है। दूसरा कनिष्ठ अभियन्ता ने अपनी नाम पुस्तिका में लिखा है कि यह पुराना कुण्ड है नहीं। उपाध्यक्ष महोदय अब विभाग के दो अधिकारियों ने रिपोर्ट दे दी उसके अनुसार पेमेण्ट किया है। वैसे तो पेमेण्ट किया नहीं है।

श्री हरजीराम बुरड़क : जे. ई. एन. ने साफ यह लिखा है कि पुराना कुण्ड है। उसका भुगतान नहीं करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप इसकी जांच करा लीजिए।

श्री सुजानसिंह यादव : यह बात है यह रिकार्ड के अनुसार कह रहा हूं यदि इसमें कोई बात है तो मैं उसकी भी जांच करवा लूंगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : लेखाधिकारी ने कर्तव्य पूरा नहीं किया।

श्री सुजानसिंह यादव : पूरे नागौर जिले को आज ही ठीक करने जा रहे हैं क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मौके पर ही ठीक होता है।

श्री सुजानसिंह यादव : मैंने कह दी सारी बात। कुछ बाकी भी रहने दो।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप यह तो कहिये कि लेखाधिकारी का काम बहुत अच्छा है या यह कहिये कि खराब है जैसा कि ये कह रहे हैं।

श्री सुजानसिंह यादव : यह मेरी जानकारी में नहीं मैं कैसे कह सकता हूं कि लेखाधिकारी का काम बढ़िया है या घटिया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : उन्होंने सवाल पूछा है।

श्री सुजानसिंह यादव : मैंने तो अपनी तरफ से, अपने तरीके से बता दिया।

समिति का प्रतिवेदन

जनलेखा समिति का 34-वां प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

माननीय दिग्विजय सिंह।

श्री दिग्विजय सिंह (सदस्य, जनलेखा समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जनलेखा

(श्री दिग्विजय सिंह)

समिति, 1988-89 विनियोग लेखे 1983-84 में बताये गये दत्त-मत्त अनुदानों तथा प्रभृत विनियोगों में अतिरेक मामलों पर समिति का 34-वां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : डा. उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं 13 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित जयपुर स्थित चौकड़ी रामचन्द्र जी की नाहरबाड़ा कच्ची बस्ती के खटीक मोहल्ले में सड़क, नाली, बिजली एवं पानी उपलब्ध करवाने व शौचालय मरम्मत करवाने विषयक एक याचिका उपस्थापित करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हीरासिंह चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं 6 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित दीपावास बांध से रायपुर कस्बे के गणेश सागर तालाब को हमेशा भरा रखे जाने के लिए 6 किलोमीटर नहर बनाये जाने विषयक एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

विधायी कार्य

विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक

राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1989

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य। विचाराधीन लिया जाने वाला विधेयक। मन्त्री महोदय।

सुश्री गिरिजा व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्थान विनियोग संख्या (3) विधेयक, 1989 को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम मिर्धा।

विनियोग विधेयक पर विचार

श्री नाथूराम मिर्धा (मेड़ता) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब इस साल के बजट पास होने का यह आखरी स्टेज है। एप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर हम चर्चा करेंगे। कुछ मांगों पर चर्चा हुई और कुछ को बुलेटिन रखकर पास किया। एप्रोप्रिएशन-बिल की यह हमारी आखिरी स्टेज है।

इस साल का बजट जिस तरीके से पास हुआ, पहले लेखानुदान और फिर अब फाइनल बजट पास कर रहे हैं। यह स्थिति क्यों आयी? मेरे ख्याल से राजस्थान में इस तरह की स्थिति पहली बार इन पांच सालों में बनी है। पहले का मुझे पता नहीं है और यह आयी है रूलिंग पार्टी के अन्दरूनी टकराव की वजह से। उस समय जिस समय यह बजट पास होने की स्थिति थी रूलिंग पार्टी के अन्दर काफी असमंजसता थी और उनकी वजह से असेम्बली को आगे चलाना सम्भव नहीं हुआ और कई उतार-चढ़ाव के बाद जब कुछ शांति स्थापित हुई रूलिंग पार्टी में तो यह वापस असेम्बली का सेशन बुलाया और पेश किया है।

पार्टी के अन्दर जो उतार-चढ़ाव आते हैं और आज खास तौर से कांग्रेस (इ) की सरकारें चाहे राज्यों में हो, चाहे केन्द्रों

(श्री नाथूराम मिर्धा)

में हो, बराबर उनमें परिवर्तन, विभागों में फेरबदल, कुछ मंत्री थोड़े दिन काम करें, उनमें फिर उसका बदलाव, यह जिस प्रकार से केन्द्र में 36 बार कोई कहता है शायद 840 बार। भारत सरकार में महकमों और मंत्रिमण्डल के लोगों के चेहरों में परिवर्तन हुआ, राज्य सरकारों में भी कई चीफ मिनिस्टरों की उठा पटक हुई। यह सिलसिला जो देश के लिए बड़ा घातक है और इस परिवर्तनों से जब तक यह सरकार बनी थी पांच साल के पहले जब लोगों के सामने वचन दिया था कि हमारी सरकार देश की एकता कायम करेगी, टिकाऊ सरकार होगी।

देश के अन्दर मंहगाई को कम करेगी, कानून और व्यवस्था को अच्छा बनायेगी। देश को जो बिखरा हुआ नजर आता है उसको बांधेगी और सारे हालात ठीक करेगी। ऐसे हमारी कांग्रेस (इ) के वचन थे। कांग्रेस (इ) की सरकार जहां-जहां बनी, चाहे राज्यों में हो, चाहे केन्द्र में हो मैं सोचता हूं कि जिस विजिबल तरीके से इस बार फैल हुई है यह कांग्रेस की सरकार देश को आज बहुत ही निराशा के वातावरण में ढकेल चुकी है। चारों तरफ देश में जो समस्यायें खड़ी हो रही हैं उनका निराकरण करने का कोई अवतार भी नजर नहीं आता है। देश की एकता की बात छोड़िए आज क्या हो रहा है? पंजाब में क्या हो रहा है? देश के दूसरे हिस्सों में क्या हालत बन रही है?

देश के पड़ौसी इलाकों से क्या सम्बन्ध बन रहे हैं? मैं उनकी गहराई में नहीं जाऊंगा परन्तु देश की जो हालत आज से पांचसाल पहले चुनाव में खड़े हुए थे, उससे बदतर है और यह हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है देश के अन्दरूनी हालातों के अन्दर और भी कई तरह की स्थिति है और खास तौर से वित्तीय स्थिति को इतनी बुरी तरह से बिगाड़ दिया है, प्रभावित कर दिया है कि देश की आर्थिक स्थिति जर्जर होती नजर आ रही है। आज तमाम केन्द्रीय सरकार के घाटे के बजट हैं, राज्य सरकारों के सारे बजट घाटे के बजट हैं। केन्द्र सरकार के बजट के घाटे का मतलब क्या है? या तो योजनाये देर से चालू की जायें या योजनाओं में पैसे जोड़ने के लिए वोट चाहे जायें। मुद्रा स्थिती तेजी से बढ़ रही है। कुछ थोड़ी नियन्त्रण कभी आता है फिर वापस हट जाता है। मुद्रा स्थिती देश में होने से रुपये की कीमत कम हो गई। चीजों के भाव बढ़ते चले जा रहे हैं, कमर तोड़ मंहगाई देश में लोगों को मार रही है, परेशानी का कारण बनी हुई है।

बजट के घाटे को लेकर, और मैं खास तौर से राजस्थान के लिए भी कहना चाहता हूं घाटा 200-300 करोड़ का बताया है। उस घाटे की पूर्ति कैसे करते हैं? पहली बात तो चार महीने बजट के इसी तरह निकाल दिये कोई बजट का काम नहीं हुआ, योजना चार महीने ठण्डी रही। अब यह बजट पास होगा, स्वीकृतियां जारी करने में यह नवम्बर, अक्टूबर तक पहुंचा जायेगा।

स्कूल खोलने की चुनावी वर्ष में घोषणा करेंगे, अस्पताल खोलेंगे और बहुत सी

(126)

(श्री नाथूराम मिर्धा)

बातें हैं जो बजट में नहीं हैं वह करेंगे। हुकुम निकलते-निकलते नवम्बर-दिसम्बर पहुंच जायेगा। जो कुछ भी काम करने की कह रहे हैं वह आधे होंगे खर्च बचेगा और कहेंगे घाटा कम हो गया. पूर्ति हो गई, वित्तीय साधन हमारे उपलब्ध हो गये। मैं आपसे बहुत विशेष तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि देश की आज अर्थ व्यवस्था क्या है ? आज देश के अन्दर अन्दरूनी कर्ज जो देश के अन्दर ही लिये गये हैं उसकी मात्रा है करीब 2 लाख करोड़ के आस-पास। विदेशी कर्जा है करीब 90 करोड़ के आस-पास।

कर्जों के बोझ से देश की आर्थिक व्यवस्था दब रही है, बाहर से पैसे ला-ला करके, और पैसे ले करके हम योजनाओं को जिस तरह से उसका बड़ा आकार देते हैं, रुपये की वेल्यू घटती जाती है। योजनाओं इम्पलीमेन्टेशन में समय निकाल दिया जाता है और हर योजना लम्बी हो रही है कोई किसी योजना की मियाद नहीं है, खास तौर से सिंचाई की योजनाओं में तो कोई मियाद ही नहीं है। इस तरीके से जो हमारे देश में वित्तीय साधन जो कुछ भी हम जुटा पा रहे हैं कर्जों से, मुद्रा स्थिती से, योजनाओं के जरिये देश के विकास के लिए जो हमने बात सोची थी कि लोकतंत्र में हमारी योजनाओं का सहारा लेकर हम देश के लोगों की गरीबी मिटायेंगे, देश के लोगों को हम ऊंचा उठायेंगे।

यह गरीबी की रेखा तो इतनी फ्लैच्युएटेड है। उपाध्यक्ष महोदय, कि एक साल हो जाये तो लोग कुछ ऊपर आ जाते हैं दो साल अकाल पड़ गया तो उससे दुगने लोग नीचे चले जाते हैं। चारों तरफ गरीबी का आलम है और इस देश के अन्दर कुछ लोगों के पास इतना धन इकट्ठा हो गया है कि उसकी कोई सीमा भी नहीं है। कहीं बड़े पूंजीपति रोज नये कारखाने लगाते हैं, कहीं थाईलैंड में खोल रहे हैं, कहीं बैंकाग में खोल रहे हैं कहीं यहां पर खोल रहे हैं और उसके पास पैसे की कोई सीमा नहीं। इस कांग्रेस में मुझे याद है नारा दिया था। इस देश के अन्दर समाजवाद लायेंगे। जब इन्दिरा गांधी कांग्रेस में आई तबकि यह बात है। हम धन और धरती का बटवारा करेंगे।

देश के अन्दर गरीबी मिटायेंगे। कहां हुआ धन और धरती का बटवारा ? थोड़े दिन विनोबा भावे साहब धरती और धन का बटवारा करते-करते चले गये, सीलिंग का कानून इन्होंने लागू कर दिया और उसके बाद में धन बांटने का कहां सवाल है, आज कहां है सीमा इस देश के अन्दर कि इतने करोड़ से ऊपर आदमी नहीं जायेगा, इतनी से ज्यादा दुकानें नहीं होंगी, इतने से ज्यादा कारखाने नहीं होंगे। कोई नीति इस कांग्रेस सरकार की है, और उसका नतीजा क्या हो रहा है।

सारे देश में धन कुछ सीमित लोगों के पास इकट्ठा हो गया। इस देश का तमाम धन चार सौ, पांच सौ करोड़ में है, बारह आने धन उनके पास है और चार आने धन इस देश के अन्दर सारे 75 करोड़ लोगों के पास है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है। उसकी कोई चिन्ता नहीं है। परिवार कल्याण के कार्यक्रम और परिवार

(श्री नाथूराम मिर्धा)

चल रहे हैं। उसके बाद भी इसका कोई असर नहीं है।

देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जाये, गरीबी लोगों में बढ़ती चली जाये, मंहगाई से लोगों की कमर टूटती चली जाये, बेरोजगारी का आलम देश के अन्दर बिखरता जाये, आज कितने बेरोजगार हैं? कितने पढ़े-लिखे है। जिनके नियोजन कार्यालयों में नाम लिखे हुये हैं और जिन हाथों को काम देने की जरूरत है उनके पास क्या काम देने हैं। आज सारे मामले में ऐसा मशीनीकरण, कम्प्यूटराइजेशन है।

हमारे प्रधान मन्त्री जी नित नये नारे देते हैं। ऐसी मशीन लाओ जो ज्यादा उत्पादन करे और आदमी कितने कन्ज्यूम करे। कुल मिला कर आज देश की अर्थ व्यवस्था की यह हालत है कि नयी-नयी मशीनों से और माडर्न मशीनों से जो पुरानी कपड़ा मिलें 4-5 हजार आदमियों को रोजगार देती थी उतना प्रोडेक्शन और उससे ज्यादा प्रोडेक्शन में 4 सौ पांच सौ आदमियों को रोजगार दिया जाता है। आप बेकार आदमी को इण्डस्ट्री का काम देने के लिए आप दो तीन लाख रुपया खर्च करना पड़ता है। क्या हम इतने गरीब देश में दो-दो, तीन-तीन लाख रुपये एक-एक आदमी के इन्वेस्टमेण्ट करने के लिए खर्च कारक, कारखाने खोल कर लोगों की बेरोजगारी की समस्या हल कर सकेंगे। बड़ा अहम प्रश्न है। पर आज इन बातों को कहीं सोचने की कोई चिन्ता नहीं है।

आज इस देश के अन्दर इन बातों को रखने के लिए 7वीं योजना पूरी हो रही है, 8वीं योजना के आकार के बारे में सोचा जा रहा है इस देश की योजना की प्रायोरिटी क्या है? इस देश के अन्दर ओलम्पिक्स करवाने के लिए 2 करोड़ रुपये खर्च कर दिये जायेंगे। एक फाइव स्टार होटल बनाने के लिए 8 सौ करोड़ खर्च कर दिये जायेंगे। होटल की प्रायोरिटी, चल रही है और इस साल में माननीय उपाध्यक्ष जी आप गौर कीजिए हवाई जहाजों के खरीदने के लिए 21 सौ करोड़ रुपये का बजट कौन चलाता है इन हवाई जहाजों को? क्या इन हवाई जहाजों में चलने वाले लोग देश की सुपर फास्ट ट्रेनों में नहीं चल सकते? दुनिया के अन्दर आने जाने और आवागमन के साधन और दूसरे तरीकों से दुनियां के हवाई जहाजों से चलते हैं, उनमें बैठ कर नहीं जा सकते।

इस कारपोरेशन का आखिर लाभ क्या है एयर लाइन्स का? इतना बड़ा इन्वेस्टमेण्ट करने के बाद यह कमाती क्या है? और कमा कर देश के खजाने को क्या देती है? अगर हमें इन बातों का ख्याल नहीं होगा और हवाई जहाजों में उड़ने वाले हवाई जहाजों में उड़ेंगे और फाइव स्टार होटलों में बैठने वाले दिन के 5-7 हजार रुपये खर्च करेंगे, ओलम्पिक खेल खिलाये जायेंगे।

कई तरह की ऐसी प्रायोरिटीज है, आज डिफेन्स के ऊपर कितना खर्च हो रहे हैं? क्या आज कोई देश अपने खर्चे से, जब तक इस देश का सारा वातावरण नहीं बदला जायेगा कोई जिन्दा रह सकता है? करीब देश में अग्नि परीक्षण हो, दूसरी चीजें हो, कितना डिफेन्स का खर्चा बढ़ गया, कितना ही बढ़ायें आप डिफेन्स में

(श्री नाथूराम मिर्धा)

नहीं पहुँच सकते । क्या आज किसी देश का डिफेन्स कोई शस्त्रों-अस्त्रों से ही हो सकता है ? यह बड़े अहम प्रश्न है जो आज गरीब देशों में सोचे जाने चाहिए और सोचने की किसी को फुरसत नहीं है ।

योजनाओं की प्रायोरिटीज जैसा मैंने कहा बहुत गलत है । जो योजनायें बनायी जा रही हैं उस सुपरफ्युस खर्चा किया जा रहा है । चुनाव के नाम पर कुछ चीजों को याद किया जा रहा है, अब साढ़े चार साल पूरे हो गये, आधा साल बाकी रह गया । पंचायत राज को मजबूत करेंगे, जवाहर योजना से बेकारी मिटा देंगे, क्या है यह जवाहर रोजगार योजना ? 21 सौ करोड़ रुपये खर्च करेंगे....

श्री अशकअली टांक : सत्ता का विकेन्द्रीकरण है यह उसी लाइन में आगे बढ़ रहे हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : विकेन्द्रीकरण हम जानते हैं, विकेन्द्रीकरण की नींव लगाने वाला नाथू राम ही था इस हिन्दुस्तान से नाथू राम ने ही नींव लगाई थी । आपने कहां पहुंचा दिया इस विकेन्द्रीकरण को उसकी तस्वीर अगर सामने चाहो तो, पूरा समय तो नहीं है मेरे पास बहुत इशारे में कह रहा हूं अकल हो तो समझ लो ।

श्री अशकअली टांक : दिक्कत यह है कि लाइन तो आगे बढ़ रही है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप बैठ जाइये और बैठ कर सुनते रहो । धीरे-धीर बकोगे, +++ तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि ये योजनायें हैं जिसे खास तौर से आप मानेंगे । इस बात को कृषि आयोग ने बड़े अध्ययन के बाद सारी दुनियां की स्थिति समझ कर, यह देश कृषि प्रधान देश है, और आने वाले सौ साल तक कृषि प्रधान देश ही रहेगा । कृषि का मतलब क्या है ? कृषि का मतलब कोई खेती नहीं है । कृषि का मतलब वाइडर है, Production through water, production through land, production through animal. This will be the best of production for this country for another hundred years to come. I think nobody has gone into all these details. किसी ने देखा नहीं है । उस आयोग की रिपोर्ट को दुनियां की मानी हुई रिपोर्ट है मैं सोचता हूं राजीव गांधी ने शायद उसका एक चैप्टर भी नहीं पढ़ा अगर हमारे देश के शासनकर्ता लोग देश की महत्वपूर्ण स्थितियों को देखें नहीं, समझे नहीं और आज जो देश की समस्या बढ़ती जा रही है उसके बारे में चिंता जाहिर नहीं करें, अगर चुनाव आये और कोई न कोई नारा निकालकर सोचेंगे लोग दुनिया को पागल बना कर वोट लेकर राज बना लेंग, आज भी कहाँ कमी है इस कांग्रेस सरकार के पास 400 वोट्स हैं आपके पास पार्लियामेण्ट में । किस चीज की कमी है ? सब कुछ आपके हाथ में है पर यह लोकतंत्र ढीला पड़ गया आप लोगों की वजह से ।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

एक आदमी फैसला करे उसके मुंह की तरफ बैठ कर देखते रहें। यही हाल पार्लियामेण्ट में है, यही हाल राज्य में। एक आदमी इतने बड़े देश को नहीं चला सकता न उसके फैसले कर सकता। लोकतन्त्र का आपने सपाटा बिठा दिया। कोई सामने बोल करके कहने वाला नहीं है कि यह योजनायें गलत हैं, यह सही हैं इसमें यह होना चाहिए, इसमें यह होना चाहिए। जवाहर योजना नाम दे दिया। 21 सौ करोड़ खर्च करेंगे और दिया क्या है? और विकेन्द्रीकरण करने वालों सुनो एक लाख रुपये एक पंचायत को एक साल में। तमाम बेरोजगारी का नाश करेंगे।

अभी दी है पहली किश्त आपने 15 से लेकर 30 हजार तक फिर आगे थोड़ी सी किश्त। एक पंचायत के कितने आदमियों को औसत मान लीजिए तीन हजार, मान ले ढाई हजार मान लें। कितने पाती आयेंगे एक आदमी के? कितने दिन बेरोजगारी दूर करेंगे फिर, प्रतिदिन कितने चुकाओगे और फिर इसके एवज में क्या दिया? जो योजनायें एन. आर. ई. पी. की जो चल रही थी उनको सब को साफ कर दिया हैं। क्या आपने नई जवाहर योजना दी हैं? इस जवाहर रोजगार योजना में आप कह रहे हैं कि दो साड़ियां देंगे। अखबार में पढ़ा, दोगे कि नहीं दोगे। गिरिजा जी, आप मुझे बताओ आप देने वाली हो क्या? दो-दो साड़ियों को देकर आप गरीब के वोट लेना चाहते हो और साड़ियां कितनी बीच में खा जाओगे और फिर उसके बाद सुनिये, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष जी, इस जवाहर रोजगार योजना से दो साड़ियां और एक लाख रुपया एक पंचायत में विकेन्द्रीकरण करने वाले लोगों सुनो तो सही क्या करोगे। (व्यवधान)

सरपंचों से वोट ले लो आप, वोट आ रहे हैं आपकी आमदनी में से उठा लो बचे तो उठा लो। प्रधान को एक हजार रुपये, प्रमुख को डेढ़-डेढ़ हजार, दो-दो हजार रुपये, नई ब्राण्ड न्यू कार जो कलक्टर और अफसरों के पास तक नहीं और उसके बाद उसके पीछे एक जीप और क्यों खर्च बढ़ाकर मार रहे हैं इस गरीब देश को? इन लोगों से कोई वोट आने वाले हैं क्या? इनके तो खोजिए फट गये वोट गये नीचे। न सरपंचों के पास है, न प्रधानों के पास है, न प्रमुखों के पास है। यह आपको गलतफहमी है।

इनको राजी करने से आपको वोट नहीं मिलेगा क्यों पैसा बरबाद कर रहे हो। काम है नहीं, योजना है नहीं, पैसा है नहीं, इनको आप दिये जा रहे हो और राजी कर रहे हो। यह क्या विकेन्द्रीकरण है, आपने ज्यादा से ज्यादा एक कानून बनाया यह कहा कि चुनाव इलेक्शन कमीशन की तरह से करायेंगे, बहुत अच्छा है, करवाइये। अभी तक तो इलेक्शन कमीशन ने किया नहीं और आपके चुनावों का नक्शा भी हमने देखा है जिसको एक वोट दें, वह मेरे बैंक का चेयरमैन बना हुआ है यहां पर चुनावों में कितनी अच्छाइयां और बुराइयां हुई उसके बारे में आप खुद जानते हैं, अपने घरों में देखिये। आज चुनाव इन्साफ

(130)

(श्री नाथूराम मिर्धा)

से हुये कि नहीं और अब आगे इन्साफ कराओगे बहुत अच्छी बात है।

कानून में एक मोटी सी बात मैंने तो यह समझी कि पंचायती राज का विकेन्द्रीकरण और अब आप रोजाना यहां पर कांफ्रेंस कर रहे हैं। म्युनिसिपलिटीज में क्या हो, चुनाव फलानी तारीख तक करा देंगे, मण्डी वाला कहता है कि मण्डी के चुनाव फलानी तारीख तक करा लेंगे, और डेयरी वाला कहता है डेयरी के चुनाव फला तारीख तक करा लेंगे। लोकतन्त्र को लंगड़ा बना दिया। जब दिल्ली में बैठी पार्लियामेंट में भी लोकतन्त्र नहीं है तो यहां होने का तो सवाल ही नहीं है और नीचे होने का तो सवाल ही नहीं है। लोकतन्त्र का सत्यानाश इस पिछले पांच सालों में जितना हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। दुनियां के इतिहास में मैं आपको कहूंगा कि यह मशहूर चीज है, लोकतन्त्र का जीव निकाल दिया आज की कांग्रेस ने। जो सबसे बड़ी हमारी फण्डामेंटल चीज थी वह खतम हो गयी एक आदमी के हाथ में पूरा 75 करोड़ का देश आपने सौंप दिया और वह आदमी भी कोई तजुबेकार, बुड्ढा ठाडा होता और दुनियां का उसे तजुरबा होता और गांव और गलियों की रगड़ खाया होता तो समझ में आता। वह भी समझ में आता अगर किसी भील के छोरे को बैठाते तो हमको भी समझ में आता कि +++ रगड़कें तो खाये हैं, गरीबी देखी है.... (व्यवधान)

हैं। क्या कहा आपने ? सफेद वाला क्या बोले ?

श्री रेवतराम चौधरी : आप हमारे पुराने नेता हैं इसलिए हम आपका विरोध ज्यादा नहीं करते हैं.... (व्यवधान)

श्री नाथूराम मिर्धा : पर मैंने आपको कहा है कि एक कच्चे प्रधानमन्त्री को जिसने कोई जीवन के रगड़के नहीं खाये हैं, आपने देश सौंप दिया, आपके पास बुड्ढे आदमी बैठे थे कांग्रेस में, कहां गये वे। वह बैठे नरसिंह राव और फलानाफलाना, कई बैठे हैं.... (व्यवधान)

श्री माणक डाणी : माननीय नेता महोदय, छोटी सी बात बता दें, मुझे माफ करिये I am very sorry for the interruption.

माननीय अजीत सिंह जी, आपके महा मन्त्री हैं उन्होंने जिन्दगी में कितने थपेड़ें खाये, मात्र उनकी योग्यता यही है कि चरण सिंह जी के पुत्र हैं। महासचिव किस केपेसिटीं में व किस आधार पर....

श्री नाथूराम मिर्धा : कहां मुकाबला कर रहे हो चौधरी चरण सिंह जी के बेटे

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

का वह तो पार्टी का एक छोटा सा सिपाही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री नाथूराम मिर्धा : अच्छा, अच्छा आप प्रधान मन्त्री जी को हाथ जोड़ों और चरण छूओ जाओ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Anything important you want to say Something important.

माननीय सदस्य, प्लीज सिट डाउन। प्लीज सिट डाउन।

श्री डुंगरराम पंवार : (टी. बी.) गाड़ी चलाने वाला देश को नहीं चला सकता।

श्री हरिमोहन शर्मा : (टोंक) एक निवेदन कर रहा हूं आपसे कि आपका राजनैतिक जीवन शुरू से आखिर तक संघर्षमय रहा, सब निर्विवाद बात है, आपने राजस्थान की सेवा की और आप चरण सिंह जी के लड़के होने के कारण ही उनको अपना नेता मान रहे हैं यह भी तो ठीक नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरा नेता नहीं है, मेरा तो बच्चा है। (व्यवधान)

श्री माणक डाणी : आपका बेटा आपका महामन्त्री ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं मिर्धा साहब से निवेदन करना चाहूंगा, मैं एक बात आपसे ही पूछना चाहूंगा। आप एम. ए. एल. एल. बी. थे। 1948-48 में जब आपको पूरी पार्टी ने मन्त्री बनाया था तो क्या यह माना जाये कि आप ही एक होशियार थे, बाकि सब मूर्ख थे, तजुरबा होते-होते ही आप को अनुभव हो गया, होते-होते सबको अनुभव हो गया तो किसी की ठेकेकारी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : नाथूरामजी आपने यह कहा था।

श्री नाथूराम मिर्धा : अब सुनिये, मैं तो एक छोटा मन्त्री बना। मैं यही कह रहा हूं कि राजीव गांधी से बड़े तजुरबेकार लोग कांग्रेस में बैठे हुये थे यही तो मैं कह रहा हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह देश के प्रधान मन्त्री हैं भले ही आप कुछ कहिये यह भारत के प्रधान मन्त्री हैं, आप अपने हिसाब से विरोधी पार्टी में हो कुछ भी कहिये पर भारत और सारी दुनिया में उनका नाम है, यह आपको आखिर कहना पड़ेगा (व्यवधान)

श्री नाथूराम मिर्धा : मानता हूं, वे भारत के प्रधान मन्त्री हैं और आप लोगों ने चुनकर उनको बनाया है। मैं कहता हूं कि ना तजुरबेकार, अनएक्सपीरियसंड आदमी को देश की बागड़ौर सौंपदी....

श्री उपाध्यक्ष : Now this is not a

(श्री उपाध्यक्ष)

matter here to disclose.
(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह आपका व्यक्तिगत मत है। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : यह तो देश की सत्तर करोड़ जनता का निर्णय है। प्रजातन्त्र में आपको विश्वास कराना चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ताम्बी जी। Don't interrupt.

माननीय नाथूरामजी Come to Some Construeting points now.

श्री नाथूराम मिर्धा : अब आगे चलता हूं, लोकतन्त्र को लंगड़ा करना, कितने मुख्य मन्त्री कितने राज्य में कितनी बार बदलें, + + + क्यों बदले, हरिदेव जी को ठेठ भेजा आसाम और यहां पर आपने....
(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : No riply please.

श्री रघुनाथ विश्नोई : पार्टी का गवर्नर बना दिया, पार्टी में कहीं भी भेज सकते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं इस पार्टी की कृपाओं को कण्डेम कर रहा हूं और यह कण्डेम करना मेरा धर्म है क्योंकि पार्टी के काम अगर अच्छे नहीं होंगे तो....

श्री शीशराम ओला : जिनको कुछ नहीं मिला वह पार्टी छोड़-छोड़ कर भाग गये, नये आदमी पार्टी में आयेंगे और नेतृत्व को सम्भालेंगे। श्री राजीवजी हिन्दुस्तान के नहीं बल्कि विश्व के नेता हैं।
(व्यवधान)

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे पार्टी से न किसी ने निकाला और न उस समय पार्टी से कोई गिला थी। मैं तो खुद सिद्धान्तों में निकला और उन सिद्धान्तों पर ही लड़ रहा हूं। इसलिये आपकी पार्टी की पोलिटिकल बैंक ग्राउण्ड कमजोर होने की वजह से....
(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : आप तो अपनी पार्टी की चिन्ता करिये, हमारी पार्टी की चिन्ता क्यों कर रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप क्यों बीच में बोल रहे हैं, आप मेरी मान्यताओं को कहने दीजिए। आप बीच में मत बोलिये, यही तो मैं कह रहा हूं। आप फिर मेरी बात का जवाब देते रहना, अभी मुझे बोलने दें।

मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आज देश के अन्दर टिकाऊपन सरकार नहीं है। इस वजह से योजनायें ठीक नहीं बनतीं, बनती हैं वह ठीक तरह नहीं चलतीं। प्रशासनिक ढांचा पूरे देश का चरमरा चुका है। देश में प्रशासन की

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

व्यवस्था और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स में जो एक मौरल होना चाहिए वह भी करीब-करीब समाप्त हो गया है। आप लोगों के राजनीति के अपने मनमाने तौर-तरीकों से, उनके बार-बार बदलने से, आपकी गलत आर्थिक नीतियों से आज देश का ढांचा चरमरा चुका है इसलिए जनता काफी परेशान है। यह मैं आपको इस अवसर पर बताना चाहता हूं मेरे हृदय की वेदना। अब आप इसको कितना मानें कितना नहीं मानें, यह आपकी मर्जी का सवाल है। आठवीं योजना बनाने की बात चल रही है।

मैं आपसे इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करूंगा कि आठवीं योजना में जो कुछ भी आप प्रावधान करें या जिन योजनाओं को बनायें उनमें फालतू योजनाओं को छोड़ दें। जवाहर योजना का मैंने कहा। मैं पोषाहार योजना के बारे में मेरे दो शब्द कहना चाहता हूं। आपने कहा, महिलायें कमजोर हैं, गर्भवती हैं इनको खाना दिया जाय, दाना दिया, बच्चे जो स्कूलों में कमजोर हैं उनको दाना खिलाया जाय, खिचड़ी खिलाओ, कभी मीठी कभी फीकी। गुड़ खा जायं चीटियां या और कोई तो फीकी दे दो, तेल दे दो।

कितनी महिलाओं को आपने कितना तगडा बना कर कितने ताजा बच्चे पैदा किये हैं? आपने कितने बच्चों को, जिन से रोज तबेला लिवाकर भीख मंगवाते हो, तगड़ा किया है? यह क्या देश की गरीबी मिटाने का रास्ता है? ऐसी योजनायें बना-कर क्यों धन को बर्बाद कर रहे हो, यह मैं कहना चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं शीशरामजी, आप अगर सब जगह दलिया अच्छी तरह बांटते हो, तो कितनी महिलायें तगडी हुई हैं और बच्चे जवान-तगडे हुए हैं? करोडों रुपये बर्बाद कर रहे हो।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मिर्धा साहब, मंशा तो अच्छी है। आपस में खींचतान चलती है। इसका इलाज तो मौरल एटीट्यूड से ही होगा। आप खुद भी कभी मौरल्स की शिक्षा देते थे, वह किसी में है नहीं। अपनी-अपनी पार्टी को नजदीक लगाओ और बाकी गोल ठांको।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं यह कह रहा था कि चाहे कितना ही इरादा अच्छा हो, खिचड़ी खिला कर देश की गरीबी मिटा नहीं सकते।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप भी खिलाते थे।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने नहीं खिलायी कभी। मेरे जमाने में थी ही नहीं खिचड़ी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : 15-20 आदमी फार्म पर रहते हैं, वह खाना नहीं खाते? इसी तरह का यह है।

श्री नाथूराम मिर्धा : दो-दो महिलायें गांव में रहकर खिचडी बांट कर खिलावें, यह गलत है, मेरा यह कहना है। मानो तो मानो, नहीं मानो तो खिलाओ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप होते तो यही करते।

(134)

श्री कल्याणसिंह कालवी : समझ में नहीं आया, समझने की कोशिश करो।

श्री नाथूराम मिर्धा : अब सुनो, रघुनाथ जी आपने दो साल पहले बोला था कुटीर ज्योति। कहां हो गई? कितनी ज्योतियां लग गईं कुटीर में?

श्री रघुनाथ विश्नोई : लगी हैं, काफी लगीं हैं। सब एक साथ तो लग नहीं सकतीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विश्नोई जी, आप रिप्लाई न दें दें। छोड़ दीजिए।

श्री नाथूराम मिर्धा : कितने बरसों में लगाते हो? कोई योजना है क्या कि सारी झोंपडियों में रोशनी कर देंगे, कितने बरस का प्रोग्राम है?

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज कण्टीन्यू। नो क्वश्चन।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने पहले बोला जल धारा। जल धारा को सुधार किया जीवन धारा। जीवन धारा में कितनीं धारायें निकली? अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के कितने कुएं बनाकर उनकी माली हालत सुधर गयी? और सुन लीजिए, रघुनाथजी, मैं गांवों में देख कर आया हूं और मैंने उस दिन लोगों के सामने पेश भी किया था कि एक-एक किश्त का भुगतान जहां सात हजार का होना है वहां पेमेण्ट कर रहे हैं चार हजार, तीन हजार। एक-एक किश्त में तीन-तीन हजार रुपये ठोक रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कौन?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह बीच वाले अफसर।

श्री उपाध्यक्ष : नो क्वश्चन इन बिट-विन।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह क्या राज है, यही तो मैं कह रहा हूं। योजनाओं में भ्रष्टाचार, योजना बनाने के अन्दर गलत नीति और फिर कहो कि गरीबी मिटायेंगे, फिर कहते हो कि सबको मालदार बनायेंगे। जहां मालदार हैं करोड़पति बनते जा रहे हैं और गरीब वहीं हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह तो डैमोक्रेसी की अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपकी बात को मैं समझ रहा हूं, सब समझ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं कह रहा हूं आप बीच में न बोलें न बोलें।

श्री प्रभूलाल : खुद की योजना तक तो सही था और अब चश्मा दूसरा लग गया न इसलिए।

श्री नाथूराम मिर्धा : कन्क्लूजन मेरा यह है कि नैतिक चरित्र और भ्रष्टाचार, जहां + + + इतने आरोपों का घेरा लगा हो, हमारे बलरामजी, इतनी ऊंची

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

कुर्सी पर बैठने वाले के खिलाफ साढ़े तीन करोड़ की कस्टम्स ड्यूटी का मामला उठता हो। मैं नहीं चाहता कि सच्चा बुरा या असत्य है। मैं नहीं कह सकता।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, चार्जेज लगे थे आप के खिलाफ भी।

एक माननीय सदस्य : देवीलालजी का क्या हुआ, देवीलालजी की बात कहिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय नाथूराम जी से निवेदन कर रहा हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मेरे को बहुत गुस्सा आता था कि नाथूरामजी के खिलाफ क्यों चार्जेज लगाते हो। पढ़ सकते ही नहीं थे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रघुनाथ जी, प्लीज, मैं आप से करबद्ध प्रार्थना करता हूं।

श्री कल्याणसिंह कालवी : उपाध्यक्ष महोदय, यदि सत्ता पक्ष की तरफ से यही व्यवहार रहा, इसी तरह अनुशासन न मानने की कोशिश की ···

श्री उपाध्यक्ष : मैं इसी वजह से एक निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : + + +

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। नाट टू बी रिकार्डेड। (व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : × × ×

श्री यदुनाथ सिंह : × × ×

श्री कल्याण सिंह कालवी : × × ×

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

श्री प्रभूलाल : × × ×

श्री लालचन्द : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कालवी जी, बैठें आप, आप को क्या हो गया है। आसन पैरों पर है और आप बैठना नहीं चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री नाथूराम मिर्धा : इनको रोको।

श्री उपाध्यक्ष : इनको रोक भी रहा हूं और आपको निवेदन भी कर रहा हूं। आप जो भी बात कहें, प्रश्न न पूछें उनसे। आप मेरी तरफ मुखातिब हों, मेरी तरफ मुखातिब होकर कोई बात कहें।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपकी तरफ बोलूंगा।

इस हिन्दुस्तान की जमीन पर जहां पानी भी है जमीन भी, चारा तो जमीन

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

से उगाया जा सकता है। मशीन में बिजली लगावें, फिर जौ का दाना डालें, और फिर उसके अन्दर से इतना-इतना ज्वार निकले इससे क्या घास होगा ? साढ़े तीन करोड़ रुपये की कस्टम्स ड्यूटी और मैं किसानों के लिए मर जाऊंगा। मशीनों से चारा उगा कर किसानों के लिए बड़ा भारी कर जायेंगे ? कौन किसान है जो मशीन खरीद कर चारा उगा लेगा ? अगर इतनी बड़ी बात के लिए कोई सवाल उठे, इस हिन्दुस्तान की धरती पर जहां इतने कुएं हैं, पानी है चारा उगा ही नहीं सकते तो मशीनों से चारा उगा लेंगे ? सूरजपाल जी, जानवरों के महकमे के मिनिस्टर हो बताओ आप।

श्री उपाध्यक्ष : Now don't put the questions, please.

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि वह मेरे करीब हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रोवोकेशन है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप से मैं कहना चाहता हूं कि इस देश को खोखला बना रहा है। नीचे वाले कहते हैं कि अगर ऊपर खा रहे हैं तो 25 किलो गेहूं हम खा जायं तो क्या तकलीफ है। थानेदार बोलता है, 25 किलो गेहूं ही ठीक है। यह देश का भ्रष्टाचार का सिलसिला इस एडमिनिस्ट्रेशन को खोखला बना रहा है। योजनायें खोखली गलत योजनायें, उनमें जबर्दस्त भ्रष्टाचार। मैं क्या कहूं खुद बोला है। प्रधान मन्त्री जी खुद कहते हैं कि मैं भेजता हूं एक रुपया और नीचे दस पैसे भी नहीं पहुंचते।

अनेक माननीय सदस्य : बोलो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : What do you want ? चाहते हैं आप कि खड़े हो जायं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : प्रधान मन्त्री खुद इस देश के भ्रष्टाचार से परिचित हैं। उसने इन बातों को पब्लिक मीटिंग में कहा है कोई छाने कमरे में नहीं कि मैं भेजता हूं एक रुपया और नीचे आता है पन्द्रह पैसा, दस पैसा। (व्यवधान)

माननीय ताम्बीजी, आपको किसने आथोराइज किया जवाब के लिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारी बातों को नहीं सुधारेंगे और देश के अन्दर भ्रष्टाचार को कम नहीं करेंगे, रुपये की वेल्यू का निर्णय नहीं लेंगे, योजनायें ठोस बनायेंगे, जो कारगर योजना हो। बेकारी मिटाने के लिए हम कह रहे हैं कि इस देश अन्दर हर हाथ को काम दिया जाय और इसके लिए हम जनमत तैयार कर रहे हैं। अगर राज जनता दल और जन मोर्चे का आयेगा, तो संविधान में संशोधन किया जायेगा कि हर हाथ को काम मिले और काम देने का सरकार का जुम्मा होगा और जब तक काम नहीं देंगे तब-तक उसको सरकार द्वारा डिग्री के अनुसार तनख्वाह देकर रुपया चुकाया जायेगा। बोलो (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Now please. Why do you put up question to them ? You want to provoke them. फिर आप रोक दें । फिर आप कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं देते हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : अच्छा, मुझे माफ कर दीजिए । मैं आपकी आज्ञा को भूल गया । कान पकड़ता हूं, इससे ज्यादा तो मैं क्या कर सकता हूं तो मैं अब नहीं करूंगा । मैं आपसे निवेदन कर रहा था बेरोजगारी की समस्या इस देश में हल करने के लिए अभी जो आप कहते हैं कि कोटा हमने चार साल में तो पूरा नहीं किया, अनुसूचित जाति और जनजाति का कोटा अभी तो पूरा नहीं हुआ और अब हम उस कोटे को 15 अगस्त तक पूरा कर देंगे । (व्यवधान) अब मेरे ख्याल से मुझे इसमें सत्यता नजर नहीं आती और एकदम जैसे कह रहे हैं मेरे पास भी एक सर्क्यूलर आया जोधपुर मण्डल का कि आप अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग हों तो उनको जागृत करें, नाम भेजें । तारीख रखी 15, मेरे पास जानकारी आयी 11 तारीख को । कहां जानकारी करूं ? यह ताबड़तोड़ में जो कुछ हो रहा है इतनी गड़बड़ होगी कि डिजर्विग बेरोजगारों को तो जगह नहीं मिलेगी, फालतू के नाम के लिए कुछ भर्ती हो जायेंगे । फिर भी बहुत सी सीटें खाली रह जायेंगी । अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के वोटों का कटोरा मेरे थाले में परोस दिया जायेगा यह सोचकर सब खुश हो रहे हैं, हमारा कोटा पूरा हो रहा है । कुछ नहीं पूरा हो रहा है । बेचारे गरीब तो रह जायेंगे और उसी युग में पहुंच जायेंगे इस लिए यह ताबड़तोड़ से काम नहीं करना चाहिए । चार साल नींद आ गयी थी ? क्यों नहीं किया यह काम और पंचायती राज अब याद आ रहा है और अब याद आ रहा है नगरपालिका चुनाव । चुनाव में चार महीने रह गये और आपका मन हो तो कल भी कर सकते हो । इन सारी स्थितियों को क्यों तमाशा बनाते हो ?

आप कुछ तो नैतिकता रखो, कुछ तो सत्यता रखो, कुछ तो आचरण रखो, कुछ देश के अन्दर ठोस बात कहो । जैसे बच्चों की तरह बात करते हैं उसी तरह से राज चला रहे हो । इस तरह देश नहीं चलेगा बहुत बड़ा देश है । मैं आपसे कहना चाहता हूं आज इस देश के अन्दर कितने गरीब लोग हैं ? गरीब चपरासी जाय तो उसको कुछ पेंशन मिलेगी नौकरी से । कोई जायेगा पेंशन मिलेगी, सरकारी कर्मचारी हो या कोई आर्गेनाइसड इण्डस्ट्रीज वाला हो और जो सारी उम्र जो खान खोदता है उसका क्या है ? छोटी सी दुकान ले के बैठता है उसका क्या है ? इसकी कोई चिन्ता नहीं है । दुनिया भर के किसी कन्ट्री का उठाकर देख लीजिए चाहे वह कम्युनिस्ट कन्ट्रीज हैं, चाहे कैपीटलिस्ट कन्ट्रीज हैं बूढ़ों का इन्तजाकाम है वहां । इस हिन्दुस्तान में क्या हैं ? हमने कहा है कि अगर इस देश के अन्दर बूढ़ों की परवाह करनी हो तो यह जनता दल और जनमोर्चे का राज आयेगा वह करेगा, उनके जीने का कोई साधन बनायेगा, इज्जत देगा उनको समाज में । क्या इस कांग्रेस राज को ये सिद्धान्त मंजूर नहीं हैं ? छोड़ो देवीलाल जी, यह क्या सिद्धान्त है, मूछों वाले शेर । (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह एक

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सिद्धान्त है। इस देश में गरीब बूढ़े और बूढ़ी हैं।

श्री प्रभुलाल मीणा : यह मूछें आज राजस्थान का सिद्धान्त हैं। (व्यवधान)

श्री नाथूराम मिर्धा : करोड़ों बूढ़े और बूढ़ी गरीबी में पिस रहे हैं। उनके बेटों और उनकी औलादों की इतनी कमाई नहीं है कि उनका अच्छी तरह से इज्जत के साथ पेट भर सकें इसलिए हमने सोचा है अगर हमारा राज हिन्दुस्तान में जनता लायेगी तो हम ऐसे बूढ़ों को इज्जत के साथ जीवन-यापन करने के साधन देंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे उसके साथ बूढ़ों की इज्जत करेंगे और इस देश के विधान का परिवर्तन कर नई अर्थ-व्यवस्था लायेंगे। पूंजीवाद को नीचे लाया जायेगा, उद्योगों को एक सीमा में रखा जायेगा, कौनसी वस्तु हाथ से पैदा की जाय, कौनसी छोटी मशीन से पैदा की जाय, हाथों को काम मिलेगा। गांवों के अन्दर आज जितने भी उद्योग धन्धे हैं, घड़ियां स्वीटजरलैण्ड की तरह बनाकर हर बच्चा 5-10 रोज बना दे और शाम को लाखों घड़ियां तैयार हो जायं। क्या हिन्दुस्तान में यह योजनायें लागू नहीं की जा सकती? सिवाय खिचड़ी खिलाने के अलावा और कोई योजना नहीं है? गांधी जी की वह खादी का चलता है खादी बोर्ड। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य what has happened to you.

श्री नाथूराम मिर्धा : खादी चल रही है और बेचारी कातने वाली का कुछ नहीं है उसके बीच में खाने वाले 10 और तैयार। जो कुछ चल रहा था उसको भी खत्म कर दिया। इस खादी से बहुत काम हो सकता है, ऊन का हो सकता है, सूत का हो सकता है, सब काम हो सकते हैं और कई काम हो सकते हैं। एक साबुन की टिकिया जो चार आने की आती थी उसको चार रुपये में बेचती हैं बड़ी-बड़ी मल्टी नेशनल कम्पनीज। क्या हाथों से साबुन नहीं बना सकते? नौ सौ, हजार धन्धे ऐसे लिस्टेड हैं और भी इस कांग्रेस सरकार के पास उनको आज भी रि-इण्डस्ट्रिलाइज किया जा सकता है, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इनको तो पैसा चाहिए। तेल की मोटी घानी लगाकर के तेली को मार दिया। क्या ठीक नहीं कर सकते? चमड़े के मोची को मार दिया। सारा धन्धा एक जगह सीमित कर दिया। आपने बाटा को फंसा दिया और मार दिया रेगरों को। सारा नया दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। सोचो, कहो राजीव जी को कि इन बातों को सोचें। फालतू थोथे नारे लगाने में क्या तुक हैं। आपको इस देश में बुनियादी चीजें सोचनी पड़ेगी और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष जी, यह कृषि प्रधान देश है। सिंचाई की योजनायें–29 साल हो गये हैं राजस्थान कैनाल लिगर-लिगर चल रही है। एक पांचना बांध का कल जिक्र आया था आज दस साल से लटक रही है इन्जीनियरों के आपस के झगड़े से और वह अच्छा बांध बनाया। आज उसका ओवर-फ्लो बनने से उसके पिछले साल का पानी वेस्ट गया है, ऐसा हमारा बांध है। ईरिगेशन वाले यहां के महकमे ने एक रिपोर्ट बनायी है सात कालम्स की, 14

(श्री नाथूराम मिर्धा)

योजनायें हैं इसके रिवर्स में उसमें 59 उप-योजनायें हैं। कौन ध्यान देगा उनकी तरफ? कुछ योजनाओं में काम हुआ। सिंचाई के काम लम्बे किये जायं। लिफ्ट आयेगी 50 साल में। जो काम करने थे वे तो करेंगे नहीं, खिचड़ी खिलायेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं सिंचाई के बीच बात कर रहे थे कालवी साहब उनको रिपीट नहीं करूंगा। आज बीच का सारा प्रोग्राम फैल है। अगर किसान के बीज को साइन्टीफिक वे में नहीं बदला जायेगा, देश का उत्पादन नहीं बढ़ेगा। आज हमारी प्रोडक्टीविटी जितनी बढ़नी चाहिए वह नहीं बढ़ रही है और इस वजह से कृषि का उत्पादन जब तक नहीं होगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सारी योजनायें खोखली रहेंगी।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

नहीं, आप सुनने से थक गये तो मैं बन्द कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आपको पोन घंटा हो गया।

श्री नाथूराम मिर्धा : पोन घन्टा तो क्या मैं पहला स्पीकर हूं। मेरी पार्टी का टाईम है। तीन दिन आप बहस करेंगे। तीन दिन की बहस में मुझे सब लोगों ने इजाजत दे रखी है।

श्री उपाध्यक्ष : सीमा तो होगी।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप हमारा सारा टाइम काट लेना।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा, आप बोलकर थक जायं तो बैठ जायं।

श्री नाथूराम मिधा : अगर सबका मन हो तो मैं बैठ जाऊं।

श्री उपाध्यक्ष : जब भी आप समाप्त कर लें, बैठ जाइयेगा।

श्री नाथूराम मिधा : तो इसलिए आप मुझे रोकिये मत, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैंने काफी बातें कह दी हैं, थोड़ी सी बातें हैं। (व्यवधान)

कोई बात नहीं, उनको भी मालूम हो गया क्या है। बीच का काम हो होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। कमीशन की बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट है इसके ऊपर। इस देश में आज एग्रीकल्चर के अन्दर मैं माननीय उपाध्यक्ष जी, कहना चाहता हूं, फण्डामेंटल रिसर्च ठप्प है, रिसर्च जिनको करना है वे करते नहीं। आज जितने फार्म्स स्टेट्स के, पंचायत समितियों के हैं, बेकार पड़े हैं। मैं असत्य बोलता हूं तो कहिए कोई भी।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जो काम होने चाहिए वे नहीं हो रहे हैं और इसी तरह से किसान बेचारा पैदा करता है कभी ज्वार होता है, बाजरी आती है 30 रुपये क्विंटल। अमेरिका से ढाई सौ रुपये क्विंटल गेहूं ले आयेंगे और यहां पर 173 से ज्यादा नहीं देंगे। किसान की सारी चीजों के दाम नीचे। चाहेंगे जब एक्सपोर्ट बन्द कर देंगे, चाहेंगे जब एक्सपोर्ट में जबरदस्त नयी चीजों का आयात कर लेंगे। नतीजा क्या होगा ? दो लाख टन तेल आ

(श्री नाथूराम मिर्धा)

रहा है। आयेगा या नहीं आयेगा, थोथा हाका है तो भी मार्केट में किसान का तेल और सरसों मर गयी। इसी तरह से रूई, इसी तरह जीरा। जीरे में क्या बिगड़ता है।। बाहर खुल्ला रखो यह दवाओं के काम में आता है। हम तो बघार दे के खाने वाले लोग हैं। कौन सी दवा बना रहे हैं ?

लसण आज ढाई रुपये भी कोई लेने को तैयार नहीं। मार दिया किसान को। और आज इण्डस्ट्रियल प्राईस, मेसी फरगूसन ट्रेक्टर जब मैं कृषि मन्त्री था, मैंने किसानों को 9 हजार रुपये में दिया वह आज एक लाख तीस हजार का है। फर्टिलाइजर के दाम दस गुना, डीजल दस गुना, सारे दाम बढ़ गये हैं। बिजली के प्रोडक्ट जो किसान काम में लेता है, उन सबके दाम ऊंचे हो गये। बिजली के दाम ऊंचे, डीजल के दाम ऊंचे, सब चीजों के दाम ऊंचे पर उसके दाम वहीं के वहीं, 64 के आसपास चल रहे हैं। आज इस देश के किसान को जिस तरह से कांग्रेस (आई) की नीतियां मार रही है, अगर मर गया तो जो कुछ आज देश को थोड़ा टिकाये हुए है वह भी देश टूट जायगा। कौन परवाह करता है उस किसान की। इसलिए किसानों को वाजिब कीमत मिले, उद्योगों में पैदा होने वाली चीजों के दाम और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की कास्ट में कोई रिलेशनशिप होनी चाहिए।

एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जब मैं कहता हूं, तो शुरू में मैंने कहा था मछली के उत्पादन से लेकर जल-थल और दूसरी सभी प्रकार का उत्पादन, कृषि उत्पादन में आता है जो हमारी कण्ट्री का बेस है और रहेगा। इसलिए इसकी तरफ ध्यान जैसा होना चाहिए, नहीं है। लिगरिंग और लौंग स्कीम चलती हैं और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सुनिये और गौर से, एक शब्द और, मरू विकास योजना में, जिन इलाकों में, हमारे 11 जिलों में पानी के वेस्ट हैं, जहां नीचे खूब पानी हैं, उस पानी के अन्दर जहां किसान ट्यूब वैल बनाते थे, सिर्फ इतनी सरकार की गारन्टी थी, लोन मिलता था कि यदि तुम्हारा ट्यूबवैल बेकार जायगा तो हम, खुदाई की है उसका पैसा नहीं लेंगे, यह गारन्टी थी, हटा दी। और यह दिल्ली ने हटाई, क्योंकि दिल्ली की खोपड़ी पता नहीं अफसरों की, और वहां के लोगों की। ट्यूब वैल जहां मरू विकास का बेस है, उस योजना को खत्म कर दिया और यह सरकार उनको लिख-लिखकर थक गई। हम इनको लिखकर थक गये। पर इनकी कोई सुनता ही नहीं है। कह रहे हैं कमेटी आयेगी जब बोलेगी और उसमें + + + कोई डिप्टी सेक्रेटरी बताते हैं वह नहीं मानता। देखो, कहां तो डिप्टी सेक्रेटरी + + + मानता नहीं है। हमारे मरू विकास के सारे ट्यूब वैल के के प्रोग्राम थे वह खत्म हो गये। ऐसी सत्ता और असमर्थता है गिरिजा जी। आप जोर से इन बातों को ऊपर बोलिये और इन योजनाओं को मंजूर करवाकर लाइये। मरू विकास में यदि ट्यूब वैल और जल

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

की योजना नहीं है तो मरुस्थल का क्या धूल विकास करेंगे, धूड़ तो है ही। जो काम करने का है वह करते नहीं। खुद ही मरू विकास के रहने वाले हैं।

श्री हरि शंकर भाभड़ा : साड़ियां दिलवायेंगी।

श्री नाथूराम मिर्धा : साड़ियां तो गिरिजा जी बतायेंगी अभी, दो-दो आ रही हैं क्या ?

मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष जी, यह जो योजना जरूरी है उसको तो इवापरेट करते हैं। गैर जरूरी योजना को आगे यों ही धक्का देते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, गम्भीरता से यह सरकार सोचे और भारत सरकार को सोचने के लिए मजबूर करें। ट्यूब वैल के बिना, जल स्रोत के बिना कोई मरू विकास का प्रोग्राम आगे नहीं चल सकता। इसलिए आप योजना को तुरन्त मंगावें और ट्यूब वैल बनाकर इस स्कीम को चालू रखा जाय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नाथूराम मिधा : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आखिरी प्वाइन्ट, आप भी काफी थक गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, मैं नहीं थका हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप भी थक गये, मैं भी थक गया बोलता-बोलता।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे तो औरों को भी सुनना है।

श्री नाथूराम मिर्धा : हां सुनो।

श्री उपाध्यक्ष : इट इज माई जोब।

श्री नाथूराम मिधा : नहीं, नहीं, आप सुनिये। कोई मेरी मोनोपली नहीं है। मैं तो पूरे सेशन में अभी बोला हूं। कभी टूट-फूट भले ही बोल गया।

श्री उपाध्यक्ष : पौन घण्टे बाद मैंने महसूस किया कि आप थक गये हैं थोड़ा इसीलिए आपको कहा।

श्री नाथूराम मिर्धा : थकने के बाद भी क्या करें।

श्री उपाध्यक्ष : Please you must do it.

श्री नाथूराम मिर्धा : धन्धा ऐसा ही पकड़ा है यह राजनीति का। थकने के बावजूद भी रात दिन + + + फिरते हैं। सभी करना पड़ता हैं। सभी करना पड़ता है कर्त्तव्य के नाते।

मैं आपसे आखिरी प्वाइन्ट निवेदन कर रहा था बिजली की व्यवस्था के बारे में। अबकी इस सरकार ने कुछ जोर मारा

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

है कि तीस हजार कनेक्शन दिये जायेंगे। हमेशा दस-पन्द्रह हजार से आगे नहीं बढ़े। कुछ प्रायोरिटीज भी इन्होंने निकाली। अब पड़ौस के राज में आप देखिये, किसानों को क्या दिया, 24 घण्टे बिजली। तुम्हारे खेत में बिजली रहेगी पड़ौस के राज में। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं उन्होंने क्या कहा, कट इण्डस्ट्रीज पर आयेगा और अगर आपको खुद की बिजली जनरेट करना है तो आपको बहुत फेसिलिटीज है।

जनरेटर में आपको सबसिडी मिलती है, बिजली पैदा कीजिये। इस राज में किसान को छ-सात घण्टे बिजली, उसके बाद में किसानों की मोटरें जलने की समस्या, बिजली की रेट्स, यह कुछ ऐसे मामले हैं जिसके बारे में हमको कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा और वह परिवर्तन करना चाहिए। जहां डोप वाटर है, किसान को वहां पर बहुत गहरी मोटी-मोटी मोटरें लगानी पड़ती है। उनके ऊपर बिजली के लोग चार्जेज आते हैं, काफी बड़े चार्जेज हैं। रेट के बारे में भी जहां कुए गहरे हैं, कुछ सोचा जाय। किन-किन इलाकों में कुओं की रेट्स में भी कुछ ज्यादा वोल्टेज और खर्चा लगता है, उसके बारे में विचार करने की व्यवस्था करें, बोर्ड कर सकता है अगर सरकार का विचार हो। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता। सैलो वाटर ड्रा करने में थोड़ी कम तकलीफ होती है और पोजीशन यह हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, कि पिछले तीन-चार सालों के अकाल की वजह से और जैसा मैंने आपसे कहा, आज इस देश का 32 फीसदी पानी नदियों और पहाड़ों का बहकर नदी नालों में होकर देश के काम आता है जो जमीन के अन्दर भी जाता है और जो जमीन ऊपर भी सरफेसइरीगेशन करता है, देश के इरीगेशन का परसन्टेज 23-24 के आसपास चल रहा है जहां 52 पर्सेंट पोटेन्शियल है और राजस्थान के अन्दर करीब 21-22 पर्सेंट पोटेन्शियल है जो आज इरिगेशन से कवर हुआ है। राज-राजस्थान में भी हम हिन्दुस्तान की एवरेज के मुकाबले में इरिगेशन पोटेन्शियल बढ़ा सकते हैं ऐसी हमारे पास आज भी गुंजाइश है।

इरिगेशन की चीजों में बढ़ावा देना भूमि के जल का उपयोग करना और आज क्या हो रहा है, पिछले तीन-चार सालों से जो पानी बहकर नालो से होता हुआ नदी में जाकर समुद्र में चला जाता है और पानी की रुकावट नहीं होती। जो वाटर का रिचार्जिग होता है वह भी नहीं होता। और वाटर का रिचार्जिग नहीं होने से, आज कुओं का पानी सूख गया।

लोगों में कम्पटीशन है, एक बोर करता है, दूसरे का सूख जाता है, दूसरा करता है तीसरे का सूख जाता है। आज के इन हालात में डीप बोरिंग करना पड़ेगा कई इलाकों के अन्दर। और डीप वाटर जहां पर हैं उसको निकालना पड़ेगा। जो ट्यूब वैल की स्कीम रोक दी उसको लागू करना पड़ेगा।

राजस्थान के हर इलाके में ट्यूबवैल बनाने चाहिए। गहरा पानी राजस्थान में बहुत जगह है, मुझे मालूम है। उनका

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सर्वे भी हो चुका है, नहीं हुआ वहां कराना चाहिए। इसलिए कुओं का महत्व है, भूमिगत पानी का महत्व है, बिजली की समस्या से जुड़ी हुई एक समस्या है, किसान को 24 घण्टे बिजली देना, यह बातें हमें भी इस प्रान्त में लागू करनी चाहिए । जब एक राज कर सकता है तो सब राज क्यों नहीं कर सकते। यह तो सोचने का दृष्टिकोण है। इसलिए कांग्रेस के सब साथियों से मेरी अपील है वह भी गांवों से आते हैं, किसानों के आदमी हैं, । वह आज सिर्फ हां में हां नहीं मिलायें। कुछ जुबान खोले। और नीतियों मे कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश करें।

योजनाओं में जो जिस तरीके से, छाननी से जो छाज होकर छन रही है और गरीबों के पास जो पहुंचाना चाहिए वह नहीं पहुँच रहा है उसके के लिए पहले आप अपने चरित्र को ऊँचा करें। आप और हम सब, हमारे अगर चुने हुए लोग, श्री रघुनाथजी साहब, किसी जगह पर देख लें, आपके कांग्रेस के एम. एल. ए., और उनके कितने रिश्तेदार ठेकेदारी कर रहे हैं। सब ठेकेदारी कर रहे हैं, उस ठेके में क्या है, सबका इण्टरेस्ट है। यही कि हां खाओ और खाने दो।

आज हमारे लोग और रिश्तेदार और हम लोग भी इस भ्रष्टाचार की मुहिम में शरीक हो जायेंगे ऊपर से नीचे तक, कोई कहीं पर रोकने वाला नहीं है। देश काफी बरबाद हो चुका है। मेहरबानी करके इन सारी बातों को गहराई से सोचिये। नई ओरियण्टेशन दीजिये योजनाओं को, समस्याओं को हल करने के लिए नई नीतियों का प्रतिपादन कीजिये, विधान में संशोधन कीजिये और इस देश के अन्दर एक नया वातावरण लाइये। चार-छ महीने का टाइम है कुछ कर लो। हम करें उसके पहले आप कर लो।

आपका राज रह जायेगा हमारा राज नहीं आयेगा। और नहीं करोगे तो राज जायेगा और हमारा जायेगा। रेवतरामजी कितना ही हाथ हिलाओ, आवेला और लाठी लेकर आयेगा। इसलिए हमारी नीतियां सच्ची है। राज रखना है तो मेरी बात मान लो और आप राज रखने के लिए तैयार हो तो मैं आपकी जय-जयकार करूंगा। मुझे राज नहीं चाहिए। आपके पास में अच्छे लोग हैं, राज करो, आप नीतियां अच्छी रखो। काम इच्छा करो। थोथी बात मत करो और गलत बात मत करो। आचरण को ऊँचा बनाकर नैतिक बनो और देशके ऊंचे लोगों को भी कहो कि नैतिक नहीं बनोगे तो तुमको हटा देंगे। यही बात आपको कहनी है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रभुदयालजी बैठें, बैठिये आप । ...बैठ जायं। श्री रतनलाल ताम्बी ।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट की चर्चा के बाद आज विनियोग विधेयक पर विचार विमर्श कर रहे हैं मैं समझता हूं यह दो दिन, पिछले कई दिन की मांग के बाद एक तरह से फ्री स्टाईल की तरह से हैं जो जिस तरह की बात कह सकता है, कह रहे हैं। अपने-अपने ढंग से कह रहे हैं और ऐसा लगता है

(श्री रतनलाल ताम्बी)

जैसे कोई चुनाव सभाओं में भाषण देने की बात हो और विधान सभा से आज शुरुआत हो गई हो। मुझे आश्चर्य इस बात का है कई वर्षों तक एक संस्कृति, एक विचार, एक झण्डा, एक नेता और एक निशान और एक सिद्धान्त की बात करने वाले नेतागणों के विचार और दृष्टिकोण कैसे बदलता है उसका नजारा अभी देखने को मिला। अभी बड़े सपने देख रहे हैं जनता दल के और राष्ट्रीय मोर्चे के नाम से जो गठबन्धन हुआ उपाध्यक्ष महोदय, यह गठबन्धन भी अजीबोगरीब है कई दिनों से....

श्री रघुनाथ विश्नोई : मिर्धा साहब की बात का असर तो हुआ कालवी साहब ने मूछें कटवा लीं, असर तो हुआ है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रतनलाल ताम्बी : और मुझे ऐसा लगता है कि दूर के डूंगर बहुत हरे लगते हैं.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह मौसम की बातें आप नहीं समझेंगी....

श्री रतनलाल ताम्बी : बड़े-बड़े सपने, मुंगेरीलाल के सपने कह दें तो अतिश्योक्ति नहीं होगी पर इस प्रकार के सपने देखे जा रहे हैं। मिर्धा साहब आप बहुत वर्षों से जानते हो, कि सामान्तवाद के खिलाफ राजाशाही के खिलाफ और अत्याचारों के खिलाफ कांग्रेस ने जो झण्डा उठाकर के राजस्थान में अपने ढंग से जो वातावरण इस प्रदेश में बनाया और उसी देश के वातावरण का परिणाम है 1977 को आप छोड़ दें भूलभुलयां में देश व्यापी एक वातावरण चल पड़ा और चलने के बाद जैसा राज राजस्थान और देश को मिला, वह देश की जनता जानती है और उसका जवाब 1987 के लोकसभा चुनाओं में दिया और उसके बाद विधान सभा में 152 सीटें, राजस्थान में शायद कभी नहीं आई जो 1987 के चुनाव के बाद आई। इस लिये मैं कह सकता हूं कि राजस्थान की जनता इन नारों में, बन भूलभूलइयां में आने वाली नहीं है। छठी पंचवर्षीय योजना तक आदरणीय मिर्धा साहब मैं जानता हूं आपने उन योजनाओं को बहुत अच्छी बताई थी और जनता के बीच में बहुत प्रसार-प्रसार करते थे और 1987 के बाद आपका दिल और दिमाग बदला, और आज उन योजनाओं की आप आलोचना करने लग गये। मुझे आश्चर्य इस बात का है एक और आप कहते हैं कि गांव से राज चलाना चाहिये और हमारे देश के प्रधान मन्त्री ने इस बार योजनाओं को नीचे से लाने की बात कही, और नीचे से सारी योजनाओं के बनने की बात आई, पंचायती राज की आप बड़ी आलोचना कर रहे हैं। पंचायती राज जब जनता को सौंप दिया अपना फैसला आप करो, एक जवाहर योजना के नाम से एक योजना आई, उस योजना से गांव में रोजगार की बात हुई और रोजगार का फैसला भी जनता करेगी इस बात का बहुत शानदार निर्णय देश के प्रधान मन्त्री जी लेते हैं वह भी आपको पसन्द नहीं।....

(समय 3.35 म. प.)

(श्री रतनलाल ताम्बी)

(श्री रामचन्द्र जाट, सभापति, पदासीन)

18 वर्ष के युवकों को मताधिकार का अधिकार देने का एक शानदार निर्णय किया और मुझे आश्चर्य इस बात का है कि आपका विपक्षी दल जिसमें आप बंधे हुए हो वह लोग मांग करते रहे तब तो बात अच्छी थी और अब हमारे देश के प्रधान मन्त्री ने देश के युवकों की भावना को एक माहौल, वातावरण को समझा और कांग्रेस ने इस बात का फैसला किया कि 18 वर्ष के युवकों को मताधिकार देंगे और इनको राज में साझीदार बनायेंगे। तो आप इस बात की भी सराहना नहीं करते हैं, उस बात की भी आलोचना हो गई। क्योंकि चश्मा ही ऐसा लग गया कि चाहे कोई सी योजना हो, चाहे कोई सा कार्यक्रम हो, उसका हमको विरोध करना है। तो मैं समझता हूं यह चश्मा आप उतार दें और आप किस राज का सपना देख रहे हैं, आपको मालूम है कि आपके दल में कितना दलदल है, आपकी गाड़ी कैसे चलती है। रोज तो हवा निकाल देते है एक नेता दूसरे की गाड़ी के पहिये की, दूसरा तीसरे के पहिये की, यह तो वातावरण आपका राजस्थान में बन रहा है। आपकी आलोचना दौलतराम जी सारण जम करके करते हैं। आप उनकी करते हैं। आपकी पार्टी की यह हालत है और आप हमारी आलोचना कर रहे हो। हमारे तो बहुत महा समुद्र हैं, इस महा समुद्र में....

श्री नत्थी सिंह : आपके तो लाठियां चलती हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : इसलिये इस महासमुद्र में कोई छोटी-मोटी बात हो तो उसको आप बहुत बड़ी करके प्रस्तुत करते हो। आज राजस्थान में जनता दल और लोकदल के एकीकरण की कहानी भी मालूम है। विधायक दल के नेता का सवाल भी आपके यहां का मालूम है। तो आप तो अपने घर को देखो, पहले घर को ठीक कीजिये। आप दूसरे के घर को क्यों खेलते हो। हमारा घर तो इतना विशाल है उस सबको हम निपटा देंगे और हमारा नेता इस देश में इतना सक्षम है कि हिन्दुस्तान की 70 करोड़ जनता जिसको नेता मानती है उसको आप कहते हैं इस प्रकार का बच्चा है परिपक्व नहीं है। दुनिया मान रही है, हिन्दुस्तान ने नहीं, एक सौ कितने राष्ट्रों ने माना है इसलिये कृपा करो उस लोकतन्त्र में आपका विश्वास है और लोकतन्त्र में जनता जिस नेता को चुनकर के भेजे उसको सम्मान देना चाहिये बजाय आप इस तरह युवकों का और युवकों के नेता का उत्साह आप नहीं बढ़ायेंगे तो कैसे काम चलेगा। इस लिये आप युवकों के खिलाफ वातावरण न बनाइये, यह युवक मंहगे पड़ जायेंगे चुनाओं में आपको और हम सबको ही। इसलिये कृपा करके इस तरफ तो आपका ध्यान जायेगा पर मैं कहना यह चाहता हूं कि आज देश में जिस तरह का माहौल बन रहा है उस सब को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। नई शिक्षा के नाम पर देश में मैकाले की शिक्षा पद्धति को राजीव गांधी ने बदली, इसमें दो राय नहीं। जिस शिक्षा के बारे में आप कहते थे कि यह शिक्षा इस देश को बरबाद कर देगी उसको बुनियादी शिक्षा को महात्मा गांधी ने जिस शिक्षा के लिये सोचा था वह

(श्री रतनलाल ताम्बी)

शिक्षा राजीव गांधी लाये उसकी तारीफ में एक शब्द भी आप नहीं कहेंगे। आप महिलाओं की बात बहुत करते हैं और एक बार धरना भी दिया महिलाओं की बातें आई। अब 30 प्रतिशत महिलाओं को हम अपने राज-काज और सब कामों में शामिल करने की बात कांग्रेस ने की तो एक शब्द आप उसके लिये भी नहीं बोले। इस लिये कांग्रेस के अच्छे कार्यक्रम भी आपको अच्छे नहीं लगते और रात और दिन आप इसी उधेड़-बुन में रहते हैं कि बुराई कहां है उसको निकालें। इस बुराई निकालने से काम नहीं चलेगा। आप देश की जनता को कार्यक्रम और नीतियों के नाम से गच्चा देना चाहते हो, यह सवाल सामने है। इस लिये आपके दल और दल यह पता नहीं कौन से दल-दल मिलकरके आप कितना दलदल बनाओगे, यह समय बतायेगा।

आप भारतीय जनता पार्टी से कहते हैं कि हम इनसे समझौता नहीं करेंगे, इनके सिद्धान्त हमारे खिलाफ हैं। और इधर आप कहते हैं कि हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट से नहीं करेंगे। कभी आप कहते हो उनसे हम नहीं करेंगे और चुनाव में सत्ता हथियाने के लिये आप सब सिद्धांत और और नीतियां ताक में रखकर आप वोट मांगने जनता के पास पहुंच जाओगे। इसलिये आपकी कथनी और करनी में इस देश की जनता ने हमेशा अन्तर पाया है और इसी अन्तर का जवाब आने वाला चुनाव देगा निश्चित रूप से हमारी मान्यता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन चार पांच अच्छे कामों के आधार पर कांग्रेस ने देश के जन-जन के सामने अपनी बात बताई और देश के जन-जन ने इसका स्वागत किया और उसी की बौखलाहट का नजारा आपके भाषण में नजर आता है। मैं यह बात कहना चाहता हूं चाहे आप जवाहर योजना को लें, आप कहते हैं कम पैसा है अभीभी योजना शुरू की है, आगे आप देखे जाओ। शुरूआत के बाद कितने खेष पहुंचाने वाले हैं गांव में, योजना बनाई है सोच समझ करके बनाई है।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : आत्मा से कह रहे हो ?

श्री रतनलाल ताम्बी : आत्मा से। इस लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जवाहर योजना इस देश के गांवों की काया कल्प करने वाली योजना होगी जिसमें गांवों की चौपाल पर बैठकर गांव के प्रतिनिधि गांव में करने वाले लोगों का चयन करेंगे और गांव में विकास के काम का वह चयन कर संचालित करेंगे। कितनी शानदार योजना है गांव का जन-जन इसका स्वागत करता है आप चाहे यहां बैठकर इसका एतराज कर लीजिये। इसी तरह, मैं कहना चाहता हूं महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कही, युवकों की बात कही, शिक्षा की बात कही और पंचायत राज की, स्वायत्त शासन की आम बहस करके जन-जन के राजस्थान को नहीं हिन्दुस्तान के कोने-कोने से लोगों के विचार प्राप्त करके उनके आधार पर देश में कानून कायदे बना रहे हैं उन योजनाओं को लागू कर रहे हैं। इसलिये मेरा यह खयाल है कि आप चाहे कुछ भी कर लें आपको भविष्य साफ नजर आ रहा है तो सारी पार्टियां गठबन्धन करने के बाद सब विचारों को एक तरफ रख कर चलने के

(श्री रतनलाल ताम्बी)

बाद भी राज कोसौं दूर भी आपको नजर नहीं आ रहा है। इसलिये आप यह सब बातें करते हैं। मेरी यह मान्यता है कि हिन्दुस्तान में 1985 के चुनावों में जिस प्रचण्ड बहुमत से देश का नेतृत्व राजीव गांधी सौंपा और जिस आशा और आकांक्षाओं के साथ देश की जनता ने जो अपनी चयन की थी वह निश्चित रूप से राजीव गाधी ने पूरी की है। चुनाव घोषणापत्र में जितनी बातें जनता के सामने रखी आज वह सबकी सब बातें आप देखेंगे लगभग पूरी हो गई और फिर यह विश्लेषण कर रहे हैं कौन सा काम बाकी रह गया उन्हीं कामों को पूरा करने के बारे में फिर सोचा जा रहा है। वह शिड्यूल्ड कास्ट शिडयूल्ड ट्राइब्ज अल्पसंख्यक इन सब के हितों के लिये यह कार्यक्रम तय किये हैं।

इस प्रकार के वह बहुत प्रावधान किये गये हैं, वह सबका सब विश्वास कांग्रेस को मिलने वाला है इसलिये आपके खजाने के वोट्स जैसे खाली रहते आये हैं, मुझे लगता वैसे ही खाली रहेंगे और इस बार जितना प्रचण्ड महुमत जो पिछली बार मिला हमारे कार्यक्रमों के आधार पर वह अब ज्यादा मिलने वाला है इसलिये आप इन बातों को गम्भीरता से लें। मैं तो सोच रहा था कि मिर्धा साहब जैसे परिपक्व व्यक्ति अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर कुछ बतायेंगे लेकिन बातें ही उन्होंने ऐसे शुरू कीं। इन बातों का जवाब थोड़ा बहुत दिमाग में था वह मैंने देने की कोशिश की। मिर्धा साहब अभी 10-12 दिन पहले मेरे निर्वाचन क्षेत्र जहाजपुर में भी गये। आपने सोचा होगा जनता दल बहुत बड़ा मजबूत दल होगा, बहुत जनता स्वागत सत्कार करेगी। एक कार्नर पर सस्ती निकलती है. वहां माताजी के स्थान पर बमुश्किल 70-80 आदमी आप इकट्ठे कर पाये। 10 हजार पर्चे वहां बांटे। यह आपको अपने दल का परिचय मिल रहा है....

श्री मोहन छंगाणी : आप वापिस कांग्रेस में आ गये।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं तो कभी किसी पार्टी में नहीं गया हूँ। आपका ख्याल गलत है। मैंने किसीं पार्टी की सदस्यता नहीं ली, किसी झण्डे के नीचे गया नहीं, कभी मैं अलग से गया नहीं। किसी भी दल के कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। नहीं इसलिये मेरा तो शायद आपको पुराना परिचय मालूम नहीं होगा। मेरा परिवार तो प्रजा मण्डल के जमाने से फ्रीडम फाइटर रहा है और मेरे मरते दम तक कांग्रेस के विचारों से दूर होने वाला नहीं हूं इसलिये इस प्रकार की बातें कह करके आप भ्रमित करने की कोशिश न करें। (व्यवधान)

वैसे मैं मानता हूं छंगाणी साहब प्रगतिशील विचारों के हैं और अभी आन डेपूटेशन भेजा हुआ है कभी भी आ सकते हैं, बुला लेंगे, कोई खास बात नहीं है.... (व्यवधान)

तो ये प्रतिक्रियावादी सामन्ती तत्वों के साथ और साम्प्रदायिक तत्वों के साथ ऐसा गठ बन्धन हो ही नहीं सकता है। इनके विचार ही ऐसे हैं इसलिये आप विचार मत

(148)

(श्री रतनलाल ताम्बी)

करो, ठिकाने आ जायेंगे इसलिए इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं.... (व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह : आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर.... (व्यवधान)

श्री सभापति : ताम्बी जी व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री रतन लाल ताम्बी : थोड़ी देर बाद में। बाद में साहब।

श्री सम्पत सिंह : सभापति महोदय मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि....

श्री रतनलाल ताम्बी : यह कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। अभी पाइन्ट आफ आर्डर का कोई सवाल ही नहीं है। सभापति महोदय, आपके न्याय पर तो मैं हमेशा कायल रहा हूं, यह क्या करते हो आप

श्री सम्पत सिंह : जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य....

श्री रतनलाल ताम्बी : बाद में करें साहब। आप जब इनका अवसर आये तब कह देना मुझे कोई एतराज नहीं होगा। बाद में कह दें। मैं बस मौके पर....

श्री सम्पत सिंह : आप व्यवस्था का प्रश्न नही उठाने देंगे।

श्री रतनलाल ताम्बी : अभी कोई दूसरा पाइन्ट ही नहीं है।

श्री सम्पत सिंह : आप कोई शयाने हो या भोपा हो कि मेरे बोलने से पहले ही पता लग गया कि मैं यह बोलने वाला हूं।

श्री रतनलाल ताम्बी : हां, लग गया मुझे अन्तर्यामी हूं मैं।

श्री सम्पत सिंह : सभापति महोदय, जो हम बैक बैन्चर्स हैं आखिर मैं बोलने की हमको मौहलत आती है तो फिर दो-दो मिनिट में सुलटते हैं तो माननीय ताम्बी जी का समय आप निश्चित करें। आधा घंटा तो इनको हो गया।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह बात तो कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। यह मामला नहीं चला। मैं तो जान रहा था कि आप कोई महत्वपूर्ण बात कहने वाले हैं इसलिये मैं कहना चाहता हूं अपनी-अपनी पार्टी, अपने-अपने सिद्धान्त अपने-अपने कार्यक्रम और नीतियां हैं उनके बारे में चर्चा होनी चाहिये बजाय आपने आज ऐसी बात कह दी जिसका अर्थ तो राजस्थान की जनता समझती है। मैं समझता हूं आने वाले समय में नीति और कार्यक्रम के आधार पर इस राजस्थान और देश की जनता कांग्रेस के प्रचण्ड नेतृत्व में अपना समर्थन देगी और आगे बढ़ायेगी उन कार्यक्रमों और नीतियों को लागू करने में कांग्रेस को सहयोग करेगी इसलिये इसमें दो राय नहीं हो सकती। अब प्रश्न उठता है इस मौके पर कुछ दूसरी बातें कहना चाहता हूं। आज हमारे सामने इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि हम योजना बद्ध कार्यक्रम और नीति के आधार पर हर क्षेत्र में काम करने जा

(श्री रतन लाल ताम्बी)

रहे हैं। इस मौके पर जब हम चिन्तन करते हैं तो हमारे संसाधन बढ़ाने की बात खास तौर से सोची जानी चाहिये। राजस्थान में इतना पिछड़ापन था, इतनी गरीबी थी, राजस्थान के 22 रजवाड़ों को एकीकृत करके जो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में और हर प्रकार बिजली के क्षेत्र में जहां राजस्थान ने इतनी बड़ी प्रगति की है उसके बावजूद एक माहौल बन गया राजस्थान में और विकास के कार्यक्रमों की गांवों में मांग बढ़ी इसलिये हमें आज इस बात की आवश्यकता है। हमारे वर्तमान संसाधन बहुत अपर्याप्त हैं। राज्य सरकार को संसाधन बढ़ाने के लिये बहुत गंभीरतापूर्वक आगे सोचना होगा तब जाकर हम राजस्थान की आवश्यकतायें व आकांक्षायें जो जनता की है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। इसके लिये मैं आय के कुछ वर्तमान श्रोतों को बढ़ाने के साथ जन कल्याण के कौनसे आवश्यक कार्य हैं, उस पर अपनी बात कह कर अपने विचार समाप्त करना चाहूंगा। सर्व प्रथम तो मैं चाहता हूं राजस्थान में जहां मैं वन विकास की बात शुरू करना चाहता हूं राजस्थान में अरावली पर्वत माला का एक अच्छा स्वरूप रहा है और हरा भरा राजस्थान अरावली पर्वत माला के आस पास का माना जाता है।

सभापति महोदय, पहले जहां राजस्थान में 35 या 36 प्रतिशत वन क्षेत्र था वहां लगभग 9 या 10 प्रतिशत के आस पास वन क्षेत्र रह गया। यह हमारे लिये बहुत चिन्ता का विषय है। यह केवल आय की दृष्टि से नहीं कहना चाहता हूं राजस्थान में पर्यावरण की दृष्टि से भी कहना चाहता हूं। राजस्थान में वर्षा और जलवायु के आधार पर जो वातावरण बनता चला जा रहा है और ज्यों-ज्यों रेगिस्तान आगे बढ़ता जा रहा है यह समस्या हमारे सामनें गंभीर चुनौती की है।

सभापति महोदय, जब हर वर्ष वृक्षारोपण के आंकड़ें देखते हैं, सामाजिक वानिकी के आंकड़ें देखते हैं उसके हिसाब से राजस्थान में वन क्षेत्र जहां 35 प्रतिशत था वह 50 प्रतिशत पहुंच जाना चाहिये था, इतना आगे बढ़ जाना चाहिये था बजाय उसके आज 10 प्रतिशत है तो मैं राज्य सरकार से चाहूंगा कि इस गम्भीर विषय की तरफ पूरी तत्परता से ध्यान दें और इस बात का चिन्तन करें, अन्वेषण करें कि वास्तव में यह वन क्षेत्र क्यों और कैसे कम हो रहा है और किस ढंग से वापिस बहुत तेजी से विकसित किया जाय। यह राजस्थान की सबसे पहली आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता मैं यह कहना चाहता हूं राजस्थान खनिज सम्पदा के मामले में सम्भवत: बिहार के बाद राजस्थान या एकआध प्रदेश आन्ध्र वगैरह और ले लें अपना स्थान रखता है पर अनियमित ढंग से जो खनिज का खनन हो रहा है वह भी एक चिन्ता का विषय है। अभी कुछ प्रश्न और खनिज विभाग की चर्चा के दिन मैं उपस्थित नहीं था पर जो मामले सामने आये उससे ऐसा लगता है कि राजस्थान में वर्तमान में जो खनिज क्षेत्र है उसको ही यदि हम वैज्ञानिक ढंग से खनन करें और हाथ से काम करने वाले लोगों को हम प्राथमिकता दें तो उसकी सम्पूर्ण रूप से आय राज्य के खजाने में

(श्री रतन लाल ताम्बी)

आये तो मैं समझता हूं वर्तमान आय से लगभग पांच गुणा आय ज्यादा हो सकती है और इसमें जितना लीकेज हैं चाहे वह अधिकारी स्तर पर हो चाहे राजनैतिक संरक्षण हो तो उस आधार पर इस मामले को गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह भीलवाड़ा का सुरेश वर्मा कौन है। यह लीकेज तो उनको वहां पकड़ कर देखो आप। आप उनको जानते होंगे। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : भीलवाड़ा हो, चाहे करोली हो चाहे मकराना हो कहीं भी राजस्थान में नाजायज खनन हो रहा है और राजस्थान के खजाने में यदि कमी आ रही हो, पूरी आय नहीं हो रही हो तो उसको गंभीरता से देखने की जरूरत है और मैं तो यह भी कहना चाहता हूं खनिज क्षेत्र का सारा एक व्यापक सर्वेक्षण कराया जाय और कराने के बाद में जहां-जहां नाजायज खनन हो रहा है, फर्जी नाम से खनन हो रहा है उन सबकी आय राजस्थान के खजाने में हो तो इस बात के प्रयास के लिये मैं अपनी ओर से भी मांग करना चाहता हूं और मेरा सुझाव है कि यह मामला जो है इसके लिये उच्च स्तरीय जांच समिति बैठा देनी चाहिये, न्यायिक जांच करानी चाहिये कि राजस्थान में जहां जहां भी ये खनिज क्षेत्र हैं उसमें बड़ी तादाद में नाजायज और फर्जी खनन हो रहा है और करोड़ों रुपयों की चोट राजस्थान को पहुंच रही है।

मेरा एक निवेदन तो इस मामले में भी देखा जाना चाहिये। हमने राजस्थान में इस बात के लिये कहा था कि एक खिड़की पर हम उद्योगों की व्यवस्था करेंगे और एक जमाना था राजस्थान में बाहर के औद्योगिक घराने आकर उद्योग बढ़ाना चाहते थे पर सभापति महोदय, आज कहना चाहता हूं राजस्थान में कोई उद्योग लगाने को तैयार नहीं है। आज राजस्थान में जो उद्योग है वे भी वापिस जाने की सोचते हैं तो इसके पीछे क्या कारण हैं इसकी भी चिन्तन करने की आवश्यकता है वरना राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से जो आगे बढ़ाने की इसमें क्षमता होते हुए, गुंजाइश होते हुए भी नहीं बढ़ पाया, यह हमारे लिये चुनौती का विषय है। मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि वाणिज्य कर और अन्य जो कर हमारे है इनका भी फिर से परीक्षण करने की आवश्यकता है और इनमें भी बहुत बड़ा लीकेज हो रहा है।

मैं समझता हूं सब मोटे-मोटे प्रश्नों पर हमको देखकर चलने की आवश्यकता हैं। कई तरह की आय राजस्थान में बढ़ सकती है। उन सब आय के लिये किस तरह हम आगे बढ़ा सकते हैं। यह हमको आज किसी न किसी रूप में बहुत स्पष्ट ढंग से चिन्तन करना चाहिये चाहे किसी का भी नुकसान होता हो। इस बात को देखते हुए राजस्थान के व्यापक हितों में देखें कि हमारी आय कैसे बढ़े वह बात मैं करना चाहता हूं। अभी राजस्थान केनाल और दूसरे जो हमारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, वर्षों हो गये और करोड़ों रुपये लग रहे हैं फिर भी पूरा नहीं होता है।

सभापति महोदय, गत वर्ष आर.एल.ई.जी. पी., एन. आर. ई. पी. में बड़े बड़े

(श्री रतनलाल ताम्बी)

प्रोजेक्ट्स इन पिछले दो वर्षों में चले। किसी में 15 लाख लग गये, किसी में 50 लाख लग गये, किसी में 75 लाख लग गये और किसी में पांच लाख या सात लाख का काम बाकी है। सभापति महोदय, जब यहां एक चर्चा आ रही थी तो मुझे आश्चर्य हो रहा था कि विधि मंत्री जी ने या किसी ने भाषण में आर. एल. ई. जी. पी. या एन. आर. ई. पी. के अधूरे कामों के लिये 20 प्रतिशत पैसा प्रत्येक जिले में योजना के लिये रखा गया है। सभापति महोदय, जिस जिले से आप आते हैं, आपको मालूम है आर. एल. ई. जी. पी. और एन. आर. ई. पी. के लिये जो काम भीलवाड़ा जिले में अधूरे हैं वैसे राजस्थान में कमी बेस सब जगह अधूरे हैं तो क्या 20 प्रतिशत में वह काम पूरा हो सकता है इसलिये करोडों रुपया उन पर लग गया और उनकी और हमारी योजनाओं में चाहे लघु सिंचाई योजना हो, चाहे रोड्स के काम हों उनका प्रावधान न करके हम नये कामों को हाथ में ले लेते हैं तो उन कामों का वहीं का वहीं रह जाने से नुकसान हो जायगा। बहुत सारा मेटेरियल समाप्त हो जायगा इसलिये मेरा निवेदन यह है कि इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त करें। संक्षेप में कह दें।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले पांच साल में जहां 24.37 प्रतिशत राजस्थान का शिक्षा का प्रतिशत रहा है, एक सेकेण्डरी स्कूल नहीं खोला गया है। यह पंचवर्षीय योजना समाप्त होने जा रही है। मैं राज्य सरकार से मांग करना चाहता हूं कि आपने इस साल 600 सेकेण्डरी स्कूल का प्रावधान रखा है, उन सेकेण्डरी स्कूलों को एक हजार करने की आवश्यकता है। इस बात की आवश्यकता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक कन्या सेकेण्डरी स्कूल खुले। कन्या शिक्षा की बात हम करते हैं। महिला विकास करने की बात हम करते हैं तो उसका एक व्यवहारिक पक्ष हमारे सामने हैं। पांच-पांच स्कूलें एक ही इलाके में नहीं खोली जावें। एक नीति का निर्धारण कर दें कि राजस्थान में ऐसा कोई पंचायत हैड क्वार्टर नहीं रहेगा जहां पर इस वर्ष मिडिल स्कूल नहीं खोला जायेगा, चाहे कितने ही पंचायत हैड क्वार्टर बाकी हों।

गत वर्ष हम ने चिकित्सा के क्षेत्र में ध्यान दिया। आज भी बहुत बड़ा इलाका ऐसा है जहां पर चिकित्सा की पूरी सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस दिशा में भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। इन सब प्रश्नों का सही ढंग से निराकरण करें। इतना विकास किया है उसके बाद भी चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अन्य प्रदेशों के मुकाबले हमारा प्रतिशत कम है। तो इस बात का प्रयत्न कर के इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

संचार की दृष्टि से हमारे यहां पर फेमिन की सड़कें हैं। आपने 1000 की जनसंख्या पर सड़कें बनाने की बात कही है। राजस्थान में ऐसे कई इलाके हैं जहां एक हजार से पन्द्रह सौ की जनसंख्या है, वे गांव आज तक पंचायत हैड क्वार्टर से नहीं जुड़े हैं। हम हमारी योजनाओं में जो बात

(श्री रतनलाल ताम्बी)

कहते हैं, उसमें इस बार इन कामों को सम्मिलित करके इन कामों को पूरा करने का मेरा सुझाव है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री रतन लाल ताम्बी : पंचायती राज में जहां हम लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं ···

श्री सभापति : माननीय ताम्बी जी काफी चर्चा कर चुके हैं। आपके और माननीय सदस्यों को भी बोलना है।

श्री रतन लाल ताम्बी : ····मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायतों को जहां हम आत्म निर्भर बनाने के लिये अधिकार देने और संसाधन बढ़ाने की बात करते हैं, उसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप ऐसे अधिकार, और आधार न करें जिससे कोई विषमताएं खड़ी हो जायें या कोई कठिनाई खड़ी हो जाये उसके बजाये ऐसी बात कीजिये जिससे पंचायतें वास्तव में आत्म निर्भर बन जायें और उनकी आय बढ़े। एक मेरा सुझाव है। 50 एकड़ से नीचे के तालाब में आपने दोहरी व्यवस्था कर रखी है। पंचायत को भी आपने दिया है और उसके पेटे को आज भी तहसील वाले अपना रिकार्ड में बताते हैं। मैं चाहता हूं कि 50 एकड़ का सम्पूर्ण तालाब पंचायत के खाते में दर्ज करें और उसकी सारी आय पंचायत को दे दी जाये ताकि उस पेटे के आधार पर पंचायत की आय बढ़ सके। यह दोहरी व्यवस्था आप करते हैं जिससे पटवारी पैसा ले रहा है और उधर पंचायत उसको नीलाम करती है। आपस में तालमेल नहीं है। झगड़ा हो रहा है। इसलिये राजस्व विभाग और पंचायत विभाग दोनों मिल कर इस व्यवस्था को ठीक करें।

इसी तरह से ग्रुप सचिव की बात है, कृषि कार्यकर्त्ता लगाने की बात है। पटवारी लगाने की बात है। यह नीति काम नहीं करेगी। अब मैंने सुना है कि कृषि कार्यकर्त्ता को एक पंचायत में लगा कर वह कृषि का काम भी करेगा और पंचायत का काम भी करेगा। यह दो बात नहीं चलेंगी। कृषि का काम सेपरेट है। इसलिये पंचायत को सचिव देने की बात होनी चाहिये।

स्कूलें जो गांवों में चल रही हैं उनमें भवन की व्यवस्था नहीं है। स्टाफ नहीं है। इन सब बातों को नहीं देखेंगे और केवल विस्तार करेंगे, तो हम गुणवत्ता की दृष्टि से पिछड़ जायेंगे। इन बातों पर फिर से ध्यान देने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ, मैंने कुछ बातें बताने का प्रयत्न किया है, कोशिश की है। मैं चाहता हूं कि राजस्थान में इन सब योजनाओं का एक बार फिर से पुनरीक्षण करके देखें। यह योजना का आखरी वर्ष है। जो हमारे टारगेट्स थे उनका अचीवमेन्ट हुआ या नहीं, उनको देख कर पूरा करने के बारे में सोचा जायेगा। इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। सभापति महोदय, आपने समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : सभापति महोदय वित्त विधेयक पर बहस हो रही है। माननीय मिर्धा साहब ने विपक्ष की ओर से शुरूआत की और माननीय ताम्बी जी ने कांग्रेस का पक्ष रखा। इन बातों पर न जाकर मैं इतना कहना चाहता हूं कि कुछ सगुन होते हैं जिन से राज्य के आने और जाने का पता लगता है। सभापति महोदय, आप जब पहले इस आसन पर बिराजते थे उपाध्यक्ष के रूप में तो आपको पता है प्याज महंगा हो गया था और चीनी सस्ती थी। जनता पार्टी का राज्य चला गया। जिस समय चीनी मंहगी होती है और प्याज सस्ता होता है तो उस समय विपक्ष का राज आता है। सगुन ऐसे हैं इस समय कि चीनी दस, बारह और पन्द्रह रुपये तक जा रही है और प्याज फोकट में कोई लेने को तैयार नहीं है। यह कांग्रेस का राज जाने का रास्ता साफ हो रहा है। इसलिये इस बात पर विवाद न करें। यह सगुन आपके जाने के हैं। यह काम आपके जाने का हो रहा है। इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है। तकलीफ भी करने की जरूरत नहीं है।

लेकिन मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि यह वित्त विधेयक पास नहीं करना है क्योंकि सदन इस बात का साक्षी है कि आज मुख्य मंत्रीजी सदन में नहीं है, वित्त मंत्रालय के वित्त राज्य मंत्री सदन में नहीं हैं। आज इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुख्य मंत्री उपस्थित नहीं है। जिस दिन, पी. एच. ई. डी. की बहस हो रही थी उस रोज माननीय अशोक गहलोत उपस्थित थे, सुपर चीफ मिनिस्टर, लेकिन उन्होंने बहस का जवाब नहीं दिया। माननीय भैरूंलाल भारद्वाज को खड़ा कर दिया। एक भी तथ्य का किसी भी मंत्री ने इस सदन में जवाब नहीं दिया। जिन्होंने जवाब देने की कोशिश की उन्होंने गलत जवाब दिया। यह दो चार बातें मैं आपके सामने प्रमाणित करना चाहूंगा जिससे यह बात प्रकट होती है कि यह वित्त विधेयक हमको पास नहीं करना है। क्योंकि जो सरकार काम नहीं कर सकती, जिसको काम नहीं करना आता है, जिन को तनख्वाह बांटने के अलावा कोई काम नहीं है और जिस सरकार के मंत्री करीब करीब भ्रष्टाचार में डूबे हों उसका हाल ही खराब हो रहा है।

माननीय रामदेवसिंह जी को मैं सौभाग्यशाली मानता हूं इसलिये मानता हूं कि वे इस मंत्रि मण्डल में नहीं हैं क्योंकि माननीय शिवचरण जी माथुर के मंत्रिमण्डल का एक नियम है कि जो इनके मंत्रिमण्डल में होगा उन अधिकांश मंत्रियों के टिकिट कट जाते हैं। पिछली बार 12 मंत्रियों का पत्ता साफ हो गया था। (व्यवधान)····मेरा पत्ता कहां कटेगा, चीनी मंहगी हो रही है, मेरी पत्ता जब कटता जब प्याज मंहगा होता है। बस चीनी मंहगी हो रही है हमारे आने का काम हो रहा है।

मैं यह कह रहा था कि 12 मंत्रियों का पत्ता साफ हो गया। इस बार भी जो मंत्रिमण्डल में आये हैं उनका पत्ता साफ है क्योंकि शिवचरण माथुर का यह सगुन है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं····

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : आप क्यों दुखी हो रहे हो। कोई फूल है, कोई पत्ती है हमारे यहां पर····

श्री सभापति : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इनका स्थान तो दूद में है। वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं। सभापति महोदय, यह किताब एक्जीक्यूटिव समरी करके है, अभी माननीय साल्वे साहब आये थे फाइनेन्स कमीशन को लेकर, उनके सामने राजस्थान सरकार ने पेश की थी। उसमें राजस्थान सरकार ने लिखा है :

"Percentage plan exdenditure on industries and mines during the first 8 years of the decade 1980-90 increased marginally from 3.85 to 4.08. The contribution of manufacturing and mining sector in State Domestic Product, at current prices, increased from 11.98 to 13.13."

दस साल में चाहे उद्योग हो, चाहे माइन्स हो, चाहे कृषि हो, चाहे सहकारिता हो, चाहे सिंचाई हो, राज्य सरकार पिछले दस साल के सारे के सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही है। जहां हिन्दुस्तान की औद्योगिक दर 6% बढ़ने की बात कही गई है, आप तीन प्रतिशत भी प्राप्त नहीं कर सके। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हुआ है, बेरोजगारों की संख्या जो हिन्दुस्तान में बढ़ी है, उसके एवरेज में देखें तो आपका राज्य आने के बाद 200 प्रतिशत बेरोजगारी राजस्थान में बढ़ी है और बेरोजगारों की फौज लगी हुई है। जनता पार्टी के राज के बाद कांग्रेस पार्टी का राज आया और उसमें आज मंहगाई जिस प्रकार बढ़ी हैं, उसमें दुनिया में मंहगाई बढ़ने के रिकार्ड को आपने मात कर दिया है। आज आपकी राशन की दुकानों पर कुछ नहीं है। सारा माल ब्लेक हो रहा है। आज जनता त्राहि-त्राहि कर रहा है। आप रोजगार उपलब्ध नहीं करा सके, न मिलों को चला सके, न श्रमिकों की समस्या का समाधान कर सके। एक ही काम कर सके, इस मंत्री को हटाया जाये और इस को लिया जाये। यह खेल खेलते रहे। आपने इस खेल-खेल में राजस्थान की जनता का खेल बिगाड़ा। इस सदन में मैं कह रहा था सभापति महोदय, कि जवाब नहीं दिया गया। मैंने इस सदन में माइन्स की डिमाण्ड पर जो बहस हुई थी माननीय मुख्य मंत्री को चेलेन्ज करके कहा था कि माननीय मुख्य मंत्रीजी आप गलत कह रहे हैं। आज मैं पुनः मुख्य मंत्री को चेलेन्ज करता हूं। पिछले दिनों एक विवाद चला था खान सचिव और खान मंत्री का। समाचार पत्रों में छपा था। माननीय सभापति, यह मामला अखबारों में छप गया। मुख्य मंत्री ने कहा था कि हम इस बात को छोड़ दें। मैं सदन में पूरी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि अटवाल के मामले को मैंने उठाया था।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि मैं इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं। मैं आपके माध्यम से पूरी निष्ठा के साथ यह कहना चाहता हूं, माननीय भूतपूर्व खान मंत्री लक्ष्मणसिंह और मुख्य मंत्री शिवचरण माथुर ने अटवाल के पैसा देने और पंच फैसला मान लेने के लिये उस फाइल पर हस्ताक्षर किये थे वह फाइल हस्ताक्षरित होने के बाद जब विभाग में गई, विभाग ने आब्जेक्शन किया उसके बाद फाइल रुकी है। अब लक्ष्मणसिंह जी इस्तीफा देकर चले गये, मुख्य मंत्री यहां बैठे हुए हैं। लक्ष्मण

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सिंह जी एक ही बात पर नहीं गये, लक्ष्मणसिंहजी आज सदन में नहीं हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं, विजय कुमार शर्मा ए. एम. ई. का प्रमोशन हुआ। मकराना से अजमेर लगाया गया, फिर बूंदी लगाया गया। दो फाइलें साथ-साथ आई थीं फोरमेन से ए. एम. ई. बनने की, ए. एम. ई. से एम. ई. बनने की। दोनों फाइलें साथ-साथ लक्ष्मणसिंह के पास गई थीं। एक फाइल को 16 दिन तक रोके रखा और दूसरी फाइल को निकाला। विजय कुमार शर्मा को प्रमोट करके बूंदी लगाया गया, बूंदी से एडीशनल चार्ज उनको मकराना का दिया गया और मकराना का चार्ज तब तक रखा गया जब तक माइन्स उनके साले के नाम से अलाट नहीं कर दी गई। उसके बाद क्या किया इन्होंने ? उसके बाद यह किया गया कि दस दिन तक बूंदी के आदमी को चार्ज देकर वहां रखा गया।

यह एक आदेश ही सिर्फ मंत्री के पास और विजय कुमार शर्मा के पास रहा है। विभाग तक में नहीं भेजा गया। उसके बाद उसकी एक अपील लेकर कोई चीफ मिनिस्टर के पास आ गया। एक कागज लिखा कांग्रेस 'आई' अल्प संख्यक प्रकोष्ठ के हाफिज टांक ने। उस कागज में कहा है कि यह गलत किया गया है। उन्होंने निगरानी की। चीफ मिनिस्टर ने उसे स्टे कर दिया। स्टे करने के बाद मुख्य मंत्रीजी ने लक्ष्मणसिंह की बात मानकर बिजनेस रूल्स का उल्लंघन करके ही उस सैकिण्ड की पावर डी. एस. फर्स्ट को दिये। यह देने का मुख्य मंत्रीजी को कोई अधिकार नहीं था। संविधान के अन्तर्गत जो कानून बनाती है वह केबिनेट बनाती है, बिजनेस रूल्स और उसको केबिनेट ही चेंज कर सकती है। मुख्य मंत्री बदली कर सकते थे सैन की फर्स्ट पर फर्स्ट वाले की सैकिण्ड पर लेकिन बिजनेस रूल्स में उनको चेंज करने का अधिकार नहीं था। लेकिन क्योंकि मुख्य मंत्री और लक्ष्मणसिंह की मिली भगत थी इस कारण से चेंज किया गया।

मैं आज इस बात का चार्ज लगा रहा हूं कि पंवार के नाम से, बलदेवा के नाम से भूतपूर्व खान मंत्री और मुख्य मंत्री ने मिल कर लाखों रुपयों का घपला किया है। इसमें मुख्य मंत्री ने मिल कर लाखों रुपयों का घपला किया है। इसमें मुख्य मंत्रीजी ने भी हाथ धोये हैं और लक्ष्मणसिंह ने भी हाथ धोये हैं। मैं चुनौती से कहता हूं, चैलेंज से कहता हूं, सदन में डाकूमेंट्स के आधार पर इस बात को प्रमाणित कर सकता हूं, एक की बलि देने से काम नहीं चलेगा। लक्ष्मणसिंहजी उस समय उछल रहे थे, अखबारों के आधार पर चार्ज नहीं लगायें। मैं अखबारों के आधार पर चार्ज नहीं लगा रहा हूं, डाकूमेंट के आधार पर लगा रहा हूं। मैं कहता चाहता हूं, मकराना की खान को आवंटित करने में गड़बड़ की गई। मैं कहना चाहता हूं, सिरोही की डेयरी की खान है उस डेयरी की खान को पंवार को देने का आदेश फाइल पर लिखा है, वह लक्ष्मणसिंहजी ने दिया था। मुख्य मंत्रीजी ने जो वह असहमति व्यक्त की थी लेकिन अधिकारियों के कारण रुकी है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि विजय कुमार शर्मा का जो स्थानान्तरण था, लक्ष्मणसिंहजी ने उसको एडीशनल चार्ज दिला कर फिर उल्लंघन किया है। जब तक चार्ज अपने पास रखा जब तक खान उनके साले को अलाटमेंट नहीं हो गई।

(156)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मैं यह भी कहना चाहता हूं इसी सैन का इसलिये ट्रांसफर किया गया और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के अफसर को भेजा गया वहां पर। आफिस में भेजा गया, सैक्रेटेरिएट में भेजा गया कि जाकर इसकी जांच करो । जवाहरलाल नाम के व्यक्ति के आधार पर फर्जी रिपोर्ट एण्टी करप्शन में कराई। एण्टी करप्शन डिपार्टमेंट भी लक्ष्मणसिंह के पास था। वह एण्टी करप्शन का अफसर वहां पर गया। उसको धमकाया और धमकाने के बाद जवाहरलाल नाम का आदमी फर्जी निकला । भूतपूर्व खान मंत्री ने चार बार टेलीफोन करके राजेन्द्र शेखर को, जो डी. जी. हैं एण्टी करप्शन के, उसको भेजा गया । आप सरकार को कहां तक ले जाना चाहोगे। आप कहां तक चाहोगे कि आपके साले सम्बन्धियों को इस राज का पूरा फायदा नहीं मिले तो आप पुलिस भेज कर आफिसर्स को धमकायेंगे । किसी आफिसर ने कानून के अन्तर्गत, संविधान के अन्तर्गत स्टे कर दिया तो आप उसको निकाल दोगे ? उसके अधिकार छीन लोगे ? आप चाहते हो कि जो आप चाहे वह करें। आपके भाइयों को मिले, आपके घरवालों को मिले, दिनेश वर्मा को मिले, सुरेश वर्मा को मिले, गोविन्दसिंह को मिले। सालों को मिले, सम्बन्धियों को मिले। मैं कहना चाहता हूं, आज चार उनके ममेरे भाई हैं....

श्री हरिमोहन शर्मा : नाम पूरे बतायें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पूरे के पूरे आ गये बाकी आप बता देओ याद हैं तो ।

श्री हरिमोहन शर्मा : आपको भी याद है, अधूरे नाम क्यों बता रहे हैं । आप पूरे अपने-अपने भी बोलो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं पी. एच. ई. डी. के मामले में। मुख्य मंत्रीजी आखिर कुछ तो ध्यान रखें। दो आदमियों को मुख्य मन्त्रीजी बचा रहे हैं । मैंने चार्ज लगाया था लेकिन जवाब नहीं दिया । आज मैं उनके डाकूमेंट पेश करना चाहता हूं आपके सामने। एक बात तो पहले यह है, आप भीलवाड़ा के हैं, मुझे माफ करेंगे। मैं चार्ज लगाता हूं, राजस्थान में 130 रिग मशीनें हैं उससे दस हजार बोर प्रतिवर्ष किये जा सकते हैं ट्यूब वैल के, हैण्ड पम्प बनाने के। उन रिग मशीनों पर बीस करोड़ से अधिक रुपया खर्च हुआ है। भीलवाड़ा जिला इस साल इसलिये रखा गया था कि वहां पर जो हैण्डपम्प होंगे वह सरकारी रिग मशीनों से बनाये जायेंगे। अभी जब बहुत गर्मी पड़ी तो कंटीन्जेंसी फण्डस् में रहे। भीलवाड़ा जिले को 10-15 लाख रुपया दिया गया और यह कहां गया कि सरकारी रिग मशीन से खुदाई कराई जायगी। सरकार के पास पर्याप्त रिग्स भी थीं । सारे राजस्थान भर में पी. एच. ई. डी. द्वारा यह काम कराया गया लेकिन भीलवाड़ा जिले में डी. आर. डी. ए. के थ्रू कलक्टर को कह कर यह काम करवाया गया। काम भी प्राइवेट कांट्रेक्टर से कराया गया। बिना बजट के 85 लाख रुपये का पेमेन्ट किया गया । वह प्राइवेट कांट्रेक्टर कौन है ? वह कांट्रेक्टर मुख्य मन्त्री के खास

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

नजदीकी आदमी हैं। जिला प्रमुख भी हैं कांग्रेस के। उन सब को 85 लाख का बिना बजट के पेमेन्ट किया गया, यह मेरा चार्ज है।

मैं कहता हूं, मैं इस चार्ज को प्रमाणित करने के लिये सदन में तैयार हूं। इसके साथ-साथ ही मैं कहना चाहता हूं, उस दिन सी. पी. साहब पूछ रहे थे कि कहां हैं मानसिंह. कहां है वाकल। मानसिंह वाकल परियोजना का जो शिलान्यास किया है वह उदयपुर की जनता को धोखे में डालने के लिये किया गया है। मैं यह भी चार्ज लगाना चाहता हूं, गिरिजा जी व्यास जो उदयपुर की मंत्री बैठी हुई हैं वह भी इस धोखे में उदयपुर की जनता को धोखा देने के लिये मुख्य मंत्री के साथ मिली हुई हैं। आप जवाब दे देना। मेरा चार्ज है, जो मीटिंग की, आपको प्रोसिडिंग्स पेश कर सकता हूं, टेक्नीकल कमेटी की। राजस्थान वाटर सीवरेज एण्ड मैनेजमेंट बोर्ड की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में यह तय किया गया है इस प्रकार की मानसिंह वाकल नाम की कोई योजना सैंक्शन नहीं की गई है। और माननीय मुख्य मंत्रीजी को इसका उद्घाटन नहीं करना था। केवल इरिगेशन डिपार्टमेंट ने उदयपुर से 38 किलोमीटर उत्तर पूर्व में वाकल नदी पर एक छोटा सा बांध बनाने का तय किया है। वह बांध 20 वर्ष में जाकर बनेगा। क्योंकि जो कैचमेंट एरिया है वाकल का और मानसिंह का वह बहुत कम है और उसमें एवरेज बहुत कम है। 60 लाख गैलन पानी आपको उदयपुर में चाहिये। 60 लाख गैलन पानी मानसिंह वाकल से नहीं मिलने वाला है। 60 लाख गैलन पानी सिर्फ 6 पर्सेन्ट पानी लाने पर जयसमन्द से उदयपुर को मिल सकता है। उसके लिये सात करोड़ के पाइप आये हुए पड़े हैं लेकिन मुख्य मंत्रीजी को तीन कांग्रेस के एम. एल. ए. को प्रसन्न करना था। इस कारण से उदयपुर को बलि का बकरा बनाया।

मैं कहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने बिना किसी टेक्नीकल सैंक्शन के, बिना किसी फाइनेन्शियल सैंक्शन के, बिना किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन के और बिना किसी योजना के मानसिंह वाकल परियोजना का गलत उद्घाटन करके असत्य रूप से उदयपुर की जनता को प्यासा रखने का राजनैतिक धोखा किया है उसके लिये मुख्य मंत्रीजी जिम्मेदार हैं। इस बात का जबाब दें। क्षमा मांगे उदयपुर की जनता से। यह हर कहीं जाते हैं, घोषणा करते हैं। हर जिले में मदर इण्डस्ट्री बन जायेगी। कहां गई मदर इण्डस्ट्री? मैं एक और कहना चाहता हूं। पी. एच. ई. डी. के दो आदमियों को मुख्य मंत्रीजी बचा रहे हैं। एक हैं श्री दाऊलालजी माथुर और दूसरे श्री गोविन्दलाल जी माथुर। दाऊलालजी माथुर के बारे में मैं दो लाइन पढ़ कर आपको सुनाता हूं, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। जनलेखा समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसके 120 पेज पर पैरा 3.75 में साफ लिखा है, आप नोट कर लीजिये, "इससे यह सिद्ध होता है कि जी आई पाइप के भारी मात्रा में किये गये अनौचित्यपूर्ण तथा अविवेकपूर्ण खरीद के कारण राजकोष को भारी हानि हुई है।

(158)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

समिति सिफारिश करती है कि इसमें तकनीकी सदस्य एवं मुख्य अभियन्ता तथा वित्तीय सदस्य समान रूप से उत्तरदायी हैं। उन सब के विरुद्ध नियमान्तर्गत कठोरतम कार्यवाही की जाय।" इसमें तीन आदमी थे। चीफ इन्जीनियर्स, टेक्नीकल मैम्बर और वित्तीय सदस्य। वित्तीय सदस्य थे मदान, उनको सरकार ने सस्पैण्ड कर दिया। चीफ इन्जीनियर थे एम. बी. जैन, उनको सरकार ने सस्पैण्ड कर दिया। टेक्नीकल मैम्बर थे गोविन्दलालजी माथुर, उनको सस्पैण्ड न करने के लिये सरकार ने टू मैम्बर्स की कमेटी बनाई। एक भार्गव की और एक शंकरन् की कमेटी बनाई गई, जो जांच करेगी। इस कमेटी ने रियोर्ट दे दी कि गोविन्दलाल माथुर और दाऊदयाल माथुर दोनों, गोविन्दलाल माथुर चीफ इन्जीनियर थे और मदान से ज्यादा जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। उनको सिर्फ चार्ज शीट पकड़ा दी। उन दोनों को ससपेण्ड कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि गोविन्दलाल माथुर को क्यों बचाया जाय और बचाया ही नहीं जा रहा है, यह 30 तारीख को रिटायर होने वाले हैं, इनका एक्सटेंशन कर दिया जाएगा और एक्सटेंशन करने के लिए सरकार ने फाइल चला रखी है। इतना बड़ा गबन कर लिया, अब तो क्वालिफाइड हो गये।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं दाऊदयाल माथुर के बारे में। मेरा यह चार्ज प्रमाणित है कि उन्होंने भारत पाइप और डायना प्लास्ट से पाइप खरीदे, पी. वी. सी. रेग्जिन पाइप। उनमें 50 लाख का नुकसान उन्होंने राजकोष का पहुंचाया। प्राइस वेरिएशन का क्लाज गलत ढंग से डाला गया। विश्व बैंक का ग्लोबल टेण्डर था। फार्म प्राइस पर दिया जाना चाहिए था सारा कानून से गलत काम किया और 90 लाख के पाईप परचेज हो गये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1.9.86 को बोर्ड की बैठक हुई थी, राजस्थान सीवरेज एण्ड मैनेजमेंट बोर्ड की। उसमें यह पाया गया कि 40 लाख का राज्य कोष को घाटा हुआ है उसके लिए दाऊलाल माथुर एडिशनल चीप इंजीनियर, जोधपुर जिम्मेदार है। उन्होंने गलत ढंग से राजकोष से पैसा चुकाया और उनको चार्ज शीट दी जाय। मैं सभापति महोदय, आपको कहना चाहूंगा कि फाइनेंस मेम्बर ने चार्ज शीट की कापी बना कर पांच पाइंट लिखकर, कि यह चार्ज शीट उनको सर्व कर दी जाय और उनको सस्पेण्ड कर दिया जाय। यह चार्ज शीट जारी करने का फाइनेंस मेम्बर एन. एल. कानूनगो ने लिख दिया। उनका लिखा हुआ कागज डी. ओ. पी. में गया। वहां से वापिस जोर लगाया गया डी. ओ. पी. में कि उनके खिलाफ कार्यवाही केवल मिनिस्टर के आदेश से ही होगी। वह फाइल डी. ओ. पी. से वापिस सेक्रेटरी मजीठिया साहब के पास आई और मुख्यमन्त्री जी के आदेश से वह फाइल अभी तक वहां पड़ी हुई है। मैं मुख्य मंत्री जी को चैलेन्ज देकर कहना चाहता हूं कि 40 लाख का नुकसान और राजस्थान कैनाल में 15 लाख की सीमेंट सैट हुई उसका नुकसान, दोनों के लिए जिम्मेदार दाऊलालजी माथुर को राजस्थान वाटर एण्ड सीवरेज मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग में पाया गया जिसके पी. एच. ई. डी के सचिव भी सदस्य हैं और उनको नोटिस देकर ससपेण्ड करने की,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

चार्ज शीट देने की बात कही थी। यह प्रमाणित हो गया चार्ज। लेकिन मुख्यमंत्री जी के आदेश से उसको रोक दिया गया। मुझे पता है मुख्य मंत्री जी इसका जवाब नहीं देंगे और जवाब देंगे तो मैं सारी कापियां सदन के पटल पर रखने को तैयार हूं, मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे उस दिन रख दूंगा कि इसमें यह दोषी पाये गये।

इसके साथ ही मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। हमारा राज करने का तरीका ही बदल गया। हम हिन्दुस्तान में किस प्रकार का राज कायम करना चाहते थे ? समाज के कमजोर और अल्प संख्यक वर्ग की चिन्ता करते समय उनकी बात करें जो गंगानगर में हमारे सिख भाई रहते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सिख हमारे ही समाज के इस प्रकार के अंग हैं जिस प्रकार के हिन्दु हैं, आर्य समाजी, बौद्ध और मुसलमान सब हैं। आज हम हर सिख को समता की दृष्टि से नहीं देखेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात होगी लेकिन राजस्थान का पुलिस प्रशासन कैसे काम करता है उसके चार उदाहरण मैं देना चाहता हूं। एक उदाहरण में ही चार उदाहरण आ जाएंगे। आज आपने अजमेर में कोर्ट बनाया हुआ है–इन दी कोर्ट आफ जज डेजिग्नेटेड कोर्ट फार राजस्थान, अजमेर--उसमें सेशंस केस नं. 2, 3, 4 और 6–स्टेट बनाम बचेतरसिंह, स्टेट बनाम बूटासिंह अदर स्टेट बनाम अवतार सिंह और स्टेट बनाम मोहनसिंह और पांच अन्य। मैं जजमेंट पढ़कर आपका समय खराब नहीं करना चाहता। इसमें एक में लिखा है कि पुलिस ने बिना किसी कारण के राजनैतिक द्वेषता निकालने के लिए बेकार, कन्कोकेड स्टोरी बनाई, फाल्स एविडेंस क्रिएट की और उनको इस प्रकार से फंसाया कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया उसको इतने दिन तो जेल में रहना पड़ा और दस हजार का जुर्माना करके वसूली की कार्यवाही की जाय, एस.एच. ओ. पर दस हजार वसूल करने की कार्यवाही की जाय। पांच और केसेज में कुल दस मुल्जिम थे—अवतारसिंह, मोहनसिंह, बचेतरसिंह, बूटासिंह वगैरा उन सब को अजमेर की कोर्ट ने बरी किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ स्ट्रिक्चर्स पास किये। उन्होंने कहा, यह गलत ढंग से इनको राजनैतिक रूप से इनाम पाने के लिए फाल्स स्टोरी करके उन लोगों को फंसाया गया अनावश्यक रूप से कानून का दुरुपयोग करके करके जेल में रखा गया। यह रिमार्क है। यह स्ट्रिक्चर्स काला धब्बा है, हमारे प्रशासन और पुलिस के काम करने के तरीके पर। हम हर सिख पर दाग साबित करना चाहते हैं ? आप समझ लीजिए सिख उसी प्रकार से देश भक्त हैं जिस प्रकार से घनश्याम तिवाड़ी है, शिवचरण माथुर हैं। अगर राजस्थान का सिक्ख शंका की दृष्टि से देखा जाएगा तो हम किसी प्रकार बरदाश्त नहीं कर सकते। माननीय सभापति महोदय, हम को सिक्खों की देश भक्ति में तनिक मात्र भी शंका नहीं है और हम सरकार को किसी की भी देश भक्ति पर शंका करने का अधिकार नहीं दे सकते मैं मांग करता हूं, आतंकवादी जो हैं सो हैं उनके हम भी खिलाफ हैं, उनसे हमारा दल लड़ रहा है, मर रहा है और हम भी लड़ रहे हैं लेकिन हर सिक्ख को आतंकवादी मान कर हम नहीं चल सकते। हम जो अपराध करने वाले हैं उन अपराधी

(160)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

व्यक्तियों को सजा दिलाना चाहते हैं। मैं मांग करता हूं कि जिन लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्चर्स पास किये गये, मुख्यमंत्री जी अपने जवाब में बतावें कि उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करना चाहते हैं।

इसके साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम इस सदन में कोई बात करते हैं तो मजाक करने के लिए नहीं गम्भीरतापूर्वक करते हैं····

श्री सभापति : चर्चा समाप्त करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं कर रहा हूं। हम इस सदन में कोई गम्भीर बात कहने आते हैं और वह इसलिए कि सरकार उसका जवाब दे। आज हालत यह हो रही है कि भी चार्जेज हमने लगाये हैं उनका जवाब नहीं देंगे। जो-जो प्रश्न हमने उठाये उनका जवाब नहीं दिया गया।

मैं कहना चाहता हूं क्या बल्देव प्लाजा का इस सदन में डिस्कसन होने के बाद आज तक क्या किया गया ? आपसे बात करते हैं तो कहते हैं केन्द्रीय नेताओं के खिलाफ मत बोलिए। एक्सपंज कर देंगे। इस सदन में आये हैं, राजस्थान का बल्देव प्लाजा जो आज अजमेर रोड पर खड़ा हुआ है वह कांग्रेस पार्टी का महल है क्या उस महल को ढ़हाया नहीं जाएगा ? इसका सदन में जवाब नहीं दिया गया। मैं चाहता हूं मुख्यमंत्री जी बल्देव प्लाजा का जवाब दें। कलक्टर ने लिख दिया, यहां जवाब दे दिया, क्या है, कोई स्टे नहीं है। रेवेन्यु अपीलेट ओथोरिटी के यहां भी उनकी अन्तिम अपील को निरस्त कर दिया गया है। अब इसको रीइन्स्टेट कराने की कार्यवाही करेंगे। वह खड़ा है, +++ इसलिए खड़ा है वह। वह इसलिए खड़ा है कि शिवचरणजी माथुर ने हाथ जोड़े थे बूटासिंह जी के, रामनिवास जी मिर्धा के। बूटासिंह जी को कहा था कि अटवाल को भुगतान कर दूंगा। धोलपुर स्टोन कम्पनी की लीज केंसिल नहीं करूंगा। रामनिवास जी मिर्धा को कहा था कि बल्देव प्लाजा खड़ा हो जाएगा और आर्यावर्त प्लाइवुड बूटासिंह जी का था इसलिए खड़ा है और इसलिए कहते हैं कि बोलो मत। जाखड़ साहब ने 98 बीघा जमीन कैसे ले ली ? हम कहते हैं कि वह आदमी कहां से आ गये भिवाड़ी में ? चार्ज लगे हैं और लगेंगे। 3·64 करोड़ रुपये अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि 3·64 करोड़ की केन्द्रीय करों की एक्साइज ड्यूटी की चोरी करने के बाद में राज्य सरकार जब खरीदती है तो चुका कर खरीदती है बोलेंगे नहीं ? +++।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि बूटासिंह जी, रामनिवास जी मिर्धा, बलराम जी जाखड़ और राजेश पायलट पर लगाये गये आरोपों का इस सदन में जवाब लिया जाएगा। हम यहां पर जवाब सुनने के लिए आये हैं, कोरी बहस करने के लिए नहीं आये हैं।

+++ अभिव्यक्ति शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मैं कहना चाहता हूं +++ यह राजस्थान का शोषण करते हैं। यह दिल्ली के सूबेदार बन कर राजस्थान को लूटना चाहते हैं जिस प्रकार मुगलिया सल्तनत में दिल्ली के बादशाह को सूबेदार लूटना चाहते थे, आज राजस्थान को लूट रहे हैं। माथुर साहब इनकी कृपा पर बैठे हैं। जो इनकी कृपा पर बैठे हों वह उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहते। बोलो मत। डरो मत। आपमें किसी में जवाब देने की हिम्मत है? ललित भाटी पर मैंने बात कही। मैं कहना नहीं चाहता था, मुझे दुख है, मेरे मित्र हैं लेकिन सोच समझकर काम किया जाना चाहिए। आज एक-एक मंत्री पर लगे चार्ज, इनमें कुछ मंत्री ईमानदार हैं लेकिन उनकी मुख्यमंत्री से नहीं पटती। वह +++ पगड़ी बांध कर एक तरफ बैठे रहते हैं। किसी की नहीं पटती उसको पिटवा दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं, अलवर की घटना सीरियस है। सुजानसिंह जी यादव को पकड़ कर जिस प्रकार से +++ से वह गलत बात है, यह राजस्थान के कानून और व्यवस्था का पर्दाफाश है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मुझे बहुत सी बातें कहनी हैं....

श्री सभापति : कृपया चर्चा समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपके कहने से मैं चर्चा समाप्त कर रहा हूं लेकिन अन्त में मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपने पंचायतों को अधिकार दे दिये और जिस प्रकार की टीचर्स की आपने समस्या खड़ी कर दी हैं, आज जिला प्रमुख हो और जिला प्रमुख के पास जिस प्रकार से टीचर्स की लाइन लगी है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह शिक्षक के साथ अन्याय है और शिक्षा के साथ अन्याय। मैं विपक्ष के नेताओं से भी निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षकों और शिक्षा के साथ किये जा रहे इस अन्याय के खिलाफ वे राज्य सरकार को चेताएं और इन्हीं शब्दों के साथ अंत में मैं समापन करता हूं। जनता पार्टी का राज–ये बार-बार कहते हैं। मैंने कहा था और इसी के साथ समाप्त करता हूं, जब प्याज महंगा होता है तो जनता पार्टी का राज चला गया था, जब चीनी महंगी होती है और प्याज सस्ता होता है तो हमारा राज आता है। अब चीनी महंगी और और प्याज सस्ता है, राज हमारा आने वाला है चिन्ता मत करो। आज आप जवाब दो या मत दो। आपका न तो बलदेव प्लाजा चलने वाला है, न जमीन चलने वाली है, न आर्यावृत चलने वाला है। यह पूंजीपतियों से कमाया हुआ पैसा, यह पाप का पैसा आपके पास नहीं टिकेगा। जनता आती है, जनता आयेगी और यह पैसा आपके खाते जायेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : श्री हेमाराम चौधरी। (अनुपस्थित)

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री सभापति)

श्री भंवराराम सूपका। (अनुपस्थित)

श्री भूदरमल वर्मा।

श्री भूदरमल वर्मा (दौसा) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर जो चर्चा हो रही है उसके बारे में अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं सर्वप्रथम आपके माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूं कि जो विरोधी दल के नेता लोग, हमारे माननीय सभी वरिष्ठ नेता बार-बार हरिजनों के हिमायती बनते हैं और हरिजनों की रक्षा करने का दावा करते हैं। मैं विनम्र शब्दों में आपके सामने आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कल भी मैं कहते-कहते रह गया उसी बात को आज पूरा करना चाहता हूं। कल मैं वह कह रहा था कि ये सभी लोग जो माननीय सदस्य हैं, सर्वोपरि पदों पर हैं वे यह स्वीकार कर लें कि शैड्यूल्ड कास्ट के लोग हिन्दू भी हैं या नहीं हैं। यह मेरा प्रश्न था।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जो विरोध से जुड़े हुए लोग हैं चाहे विश्व हिन्दू परिषद हो, चाहे आर एस. एस. हो और कई इस तरह की संस्थाएं हो जो हिन्दुओं के नाम को कहते हैं हिन्दू राष्ट्र हो और हिन्दू हो लेकिन बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि ये लोग हरिजनों को हिन्दू मानते ही नहीं है। अगर ये मानते हैं तो वास्तविकता में हरिजनों को जो सार्वजनिक स्थान हैं उस पर क्यों नहीं आने दिया जाता। जो हमारा मानवीय हक है, जो संविधान में हमको मिला है उसके हिसाब से एक अच्छे इन्सान की भारतीय नागरिक की जो जिन्दगी हमारी गुजरनी है उसको गुजरने में क्यों नहीं सहयोग करते। यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वास्तविकता में इस के लिए....

श्री हीरालाल आर्य : जिस सरकार में बैठे हो, जिन वोटों को लेकर बैठे हो उनसे पूछो।....(व्यवधान)

श्री भूदरमल वर्मा : कांग्रेस इन हरिजनों की हमदर्द है। कार्यक्रम के तहत हमारे कांग्रेसजन का एक सिद्धान्त है कि वे हरिजनों की रक्षा करें, कमजोर वर्ग की रक्षा करे, अल्पसंख्यकों की रक्षा करें और उनके हितों की रक्षा करें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सभी हमदर्द बनते हैं लेकिन वास्तव में कथनी और करनी में फर्क है। कांग्रेस का तो एक आन्दोलन है कि गरीबी मिटाओ, छुआछूत मिटाओ और गरीबों को आगे लाओ और हरिजनों की रक्षा करो, उनको सब तरह से प्रोटेक्शन दो। लेकिन बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि ये लोग वास्तविकता में हम को हिन्दू स्वीकार नहीं करते, हमको मजबूर होकर एक दिन यह भी सोचना पड़ेगा कि हमारे हिन्दुओं से किस तरह हमारी रक्षा की जाय। हिन्दुओं ने हम लोगों को किस तरह से अलग कर रखा है। वास्तविकता में हमारे साथ ये जो कई पार्टियां हैं और कई तरह की संस्थाएं हैं, यही लोग भ्रमित करके और हिन्दुओं का बंटवारा करके इस देश को तोड़ना चाहते हैं, राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। राजस्थान की जनता और राजस्थान के शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग इतने सस्ते नहीं हैं कि उनके भ्रामक प्रचार में आवें, हम अवश्य कांग्रेस के हाथ मजबूत करेंगे और कांग्रेस

(श्री भूदरमल वर्मा)

के इस छुआछूत मिटाओ आन्दोलन को पूरा करके ही दम लेंगे और राजीव गांधी के हाथ मजबूत करेंगे।

इसी के साथ-साथ मैं माननीय सभापति महोदय, अपने क्षेत्र दौसा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सिंचाई के बारे में मैंने कटौती प्रश्न दिये थे। दौसा क्षेत्र में आज से 100 साल पहले, आज से 50 साल पहले एक जमवारामगढ़ बांध था जो जयपुर के पेयजल के लिए सुरक्षित कर दिया गया। उस बांध को आज पेयजल के लिए काम में लेने के बाद दौसा क्षेत्र की हरियाली थी वह समाप्त हो गई है और इसके बदले हमें एक चांदना बांध दिया उस बांध में पानी पर्याप्त नहीं है क्योंकि उसकी ऊंचाई कम है। जर्मन की एड से उसकी गये साल भी 4-5 फीट ऊंचाई करने का कार्यक्रम था जो पूरा हो चुका है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे दौसा क्षेत्र का भला करने हेतु मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बांध का जो विचाराधीन चल रहा हैं पांच फीट ऊंचा और कराया जाय जिससे 150 गांवों को सिंचाई का लाभ होगा और उस बांध का जो औचित्य है वह पूरा हो जायेगा।

इसी के साथ-साथ मेरे क्षेत्र में झिलमिलिया बांध है, गैटावला बांध है, चुड़ियावास बांध है, इन तीनों बांधों के लिए नवीनीकरण करने के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो नयी योजनाएं हैं सिंचाई की और जो फण्ड है उसके अन्दर इन तीनों बांधों का नवीनीकरण करवाने का प्रस्ताव करता है।

इसी के साथ-साथ पेयजल व्यवस्था के लिए मैंने कटौती प्रश्न दिये थे और उसमें यह निवेदन किया था कि गत दो वर्षों में दौसा क्षेत्र में जो हैण्ड पम्प की स्कीम थी वह किसी भी कारण से स्वीकृत नहीं की। इससे मेरे क्षेत्र में काफी असन्तोष है। मुझे उम्मीद है कि कम से कम एस. सी. और एस. टी. के क्षेत्रों में, गांवों में जो उनकी कोलोनीज़ हैं जिनके लिए प्रस्ताव आते हैं उनको हैण्ड पम्प स्वीकृत करें। पूर्व में उनके स्वीकृत हो गये थे लेकिन कुछ असरदार लोगों ने अपने इलाके में लगाने से उन शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की कोलोनीज में काफी असन्तोष है। तो आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हैण्ड पम्प का जो प्लान है उसको स्वीकृत किया जाय।

इसी के साथ-साथ मैं एक आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो डार्क जोन है, इनका सिस्टम है, इनके नार्म्स हैं, जिस सिस्टम से, जिस तरीके से इन्होंने डार्क जोन घोषित किया है उससे बहुत असन्तोष है इसका दुबारा सर्वे करायें यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

इसी के साथ-साथ सहकारिता के ऊपर भी मैं अपनी एक बात कहना चाहता हूं। मंशा तो यह थी कि कोआपरेटिव सिस्टम से गांव के किसान, मजदूर और गरीब लोगों का इन पूंजीपतियों से पीछा छुड़ाया जाय लेकिन जो सपना था वह पूरा नहीं हुआ। क्योंकि इसकी व्यवस्था किसी कारण से गड़बड़ हो गई जिसके बारे में काफी चर्चा हो

164

(श्री भूदरमल वर्मा)

चुकी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो भी लिक्विडेशन में ग्राम सेवा सहकारी समितियां आ गई और जो भी अनियमितताएं हैं इनको सहकारिता मंत्रीजी दूर करते हुए गांव के जो किसान और मजदूर की जो रोजमर्रा काम में आने वाली चीजें हैं उनको ग्राम सेवा सहकारी समितियों में समावेश करें और जो कमियां हैं उनको दूर करिये और जो पूंजीपतियों का जाल बिछा हुआ है किसानों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर जाल को तोड़िये और सहकारिता के सपने को पूरा करिये।

अब मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि दौसा क्षेत्र का जो इलाका है वह शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स का है उसमें वहां के गरीबों को, मजदूरों को जो थोड़े पैसे में, थोड़ी एज्युकेशन करने के बाद पेट नहीं भर सकते और इस कारण से उनको दिल्ली, पंजाब अपने रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता है उसके लिए मैं निवेदन करता हूं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वहां पोलीटेक्निक कालेज खोले जाय और पोलीटेक्निक नहीं खोले तो आई. टी. आई. तो जरूर ही इस सत्र में खोले दी जाय। दौसा एक छोटा कस्बा है और वहां पर लोग अपनी बच्चियों को हायर एज्युकेशन में दिलाना चाहते हैं लेकिन इतना एडवांस नहीं होने की वजह से अपने मन को कसोट कर रह जाते हैं। करीब साढ़े तीन हजार लड़के हमारे महाविद्यालय में है। उस विद्यालय के अन्दर को-एज्युकेशन भी है। करीब 800-900 लड़कियां को-एज्युकेशन में पढ़ती हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां गर्ल्स कालेज खोला जाय और अगर वित्तीय साधनों की कमी की वजह से यह व्यवस्था नहीं कर सके तो सीनियर आनन्द कन्या विद्यालय में अलग से लड़कियों की व्यवस्था कर दी जाय ताकि उनकी अलग से क्लासेज लग सके और हायर एज्युकेशन में उस क्षेत्र की बच्चियां पढ़ सकें। ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। दौसा में जो मौजूद अस्पताल है वह आज से करीब 40-50 साल पहले का है, एक नाम मात्र की डिस्पेन्सरी है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि निकट भविष्य में दौसा जिला बनने वाला है, अभी करीब 50 की आबादी है और आसपास का काफी एरिया घना है।....

जयपुर में अस्पतालों की हालत बहुत खराब है। इन हालात को देखते हुए मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि दौसा में सौ बेड का एक अस्पताल खोला जाये तो उस क्षेत्र की जनता को भी लाभ होगा। साथ ही साथ जयपुर में जो अस्पताल हैं, हमारे क्षेत्र से उन लोगों को यहां आना पड़ता है। अब आपको आरक्षण की तरफ लाना चाहता हूं। अभी तक जितने भी माननीय नेता बोले, विपक्ष के बोले, अगर यह वास्तविकता में एस. टी. और एस. सी. के रक्षक बनने का दावा करते हैं, तो इनको भी पुरजोर शब्दों में, जो मैं कहना चाहता हूं उसका समर्थन करना चाहिये। एस. सी. और एस. टी. के लड़कों को जो छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, उसके पेरेंट्स की तनख्वाह का जो मापदण्ड रखा है, वह आज से पन्द्र

(श्री भूदरमल वर्मा)

बीस साल पहले का था। उस के बाद बराबर तनख्वाह बढ़ती जा रही है, रुपये का अवमूल्यन होता जा रहा है और तनख्वाह इतनी बढ़ गयी है, काम काज की रेट इतनी बढ़ गयी है कि चपरासी के भी बेटे को छात्रवृत्ति मिलनी दुर्लभ हो रही है। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रस्ताव करता हूं, निवेदन करता हूं कि इसकी जो रेंज है, उसको बढ़ाया जाये और केन्द्र सरकार से प्रस्ताव किया जाये कि इसकी जो रेंज है, वह बढ़ायी जाये ताकि सभी छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध हो सके।

इसके साथ-साथ मैं आपको दूसरी ओर लाना चाहता हूं प्रशासन की तरफ कि जयपुर में एस. पी., रूरल की पोस्टिंग कर दी और उससे देहात की पुलिस व्यवस्था कण्ट्रोल की जाती है। जयपुर में एक कलक्टर है, जयपुर शहर के लिये कलक्टर पर्याप्त है, लेकिन देहात के काम की तरफ ध्यान नहीं देता है। इसके लिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि कलक्टर, रूरल की नई पोस्ट क्री-एट करनी चाहिये और एस. पी. और कलक्टर का हेडक्वार्टर दौसा किया जाये, ऐसी मेरी प्रार्थना है क्योंकि निकट भविष्य में दौसा जिला तो बनने वाला है ही।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जिले की घोषणा चुनाव के समय करेंगे, आप भी कहां रह गये ?

श्री भूदरमल वर्मा : एक्स. इ. एन. के हेडक्वार्टर दौसा कर दिये गये, कागजों में कर दिये गये, लेकिन कुछ आफिसरों के स्वार्थ या कुछ लोगों के स्वार्थ की खातिर राज्य सरकार का पैसा भी खर्च किया जा रहा है और काम भी सही ढंग से नहीं देखा जा रहा है। जैसे आर. एस. बी. सी. के एक्स, ई. एन. को जयपुर में रखने का क्या सेन्स है ? जबकि दौसा में बाणगंगा पुलिया बन रही है, उधर लालसोट में मोरेल और बनसा की पुलिया बन रही है और इधर एक पुलिया और बन रही है। इसी प्रकार से पी. डब्ल्यू. डी. का एक्स. ई. एन. यहां लगा हुआ है, इर्रिगेशन का एक्स. ई. एन. यहां लगा रखा है। इन तीनों के ट्रांसफर तभी हो गये, लेकिन फिजिकली अभी ट्रांसफर नहीं हुए। इससे सरकार के रेवेन्यू का भी नुकसान है और कार्य को भी देखने से यह लोग वंचित रहते हैं। सारे अधिकारी जयपुर में घूमते रहते हैं, इससे इलाके का काम सही ढंग से नहीं देखा जाता। हमारे देश के नेता राजीव गांधी जी ने एक आंदोलन का आह्वान किया है कि एस. सी. और एस. टी. के कोटा के बैकलाग तीन महीने में पूरे कर दिये जायें। मैं राज्य सरकार, माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस दौड़ में भी वह पीछे नहीं रहे। राजस्थान को इस आव्हान में पीछे नहीं रखें।

(समय-समाप्ति-सूचक- घंटी)

मैं एक बात कहूंगा, दो मिनट में। जिस प्रकार से केन्द्र सरकार की पालिसी है कि कैसे बैकलाग को पूरा किया जाये, उसी प्रणाली के अनुसार राजस्थान में भी जब सभी कैबिनेट के मंत्री और सम्बन्धित विभाग के डाइरेक्टर्स, सेक्रेटरीज को यह आदेश दिया जाय कि जिस तरह से केन्द्र की योजना है, सभी विभागों में बैकलाग

(श्री भूदरमल वर्मा)

पूरे किये जायें, चाहे सीधी भर्ती करनी हो चाहे उनका प्रोमोशन करना हो, अगर प्रोमोशन करना हो, तो उसके लिये एडहॉक पोस्टिंग कर दी जाये और जो सीधी भर्ती से किये जा सकते हैं, उनको सीधी भर्ती में लिया जाये। चाहे चपरासी हो, पुलिस का सिपाही हो, स्टेनोग्राफर हो, निरीक्षक हो, अन्य कई पोस्टें ऐसी हैं, जिनमें सीधी भर्ती से किया जा सकता है। माननीय मुख्य मंत्री जी इस कदम में पीछे नहीं रहेंगे, ऐसी मेरी आशा है। लेकिन साथ-साथ जो यह बैकलाग पूरा नहीं होने के कारण हैं, उन बिन्दुओं की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। यहां पर कुछ अधिकारी–जिनका एक इटेंशन, जिनका एक चिन्तन है कि एस. सी. और एस. टी. के लोगों को सर्वोच्च पदों पर नहीं पहुंचने दिया जाये, उसके लिये एक योजनाबद्ध तरीके से कानून का इम्प्लीमेन्टेशन करने में होशियारी करते हैं। आर. पी. एस. सी. के सेलेक्शन के अन्दर उन्होंने रूल्स में यह दिया है कि 45 प्रतिशत जब नम्बर आयेंगे, तो उसको क्वालिफाइड माना जायेगा। तीन सौ में से 135 नंबर। लेकिन उसको मिनिमाइज कर दिया और 120 नम्बर तक कर दिया। 120 नम्बर देने के बाद वह पास कर देते हैं। 35 नम्बर में से फिर उसको कितने नम्बर आयेंगे? टोटल एग्रीगेट 151 होना चाहिये। 335 का 45 परसेंट। लेकिन उसको 151 में नहीं ले जा करके 147 और 148 कर देंगे। क्योंकि 120 आया है और उसके बाद 35 में से कितने नम्बर लेकर आयेगा, यह बहुत मुश्किल बात है। तो डेलीबेरेटली इसके पीछे एक साजिश है, योजना है, अगर इस नियम में कहीं कोई गलती है, या खामी है तो कहूंगा जब 45 प्रसेन्ट कम से कम पास मार्क्स है और 151 लाना है, तो निश्चित रूप से सरकार इसे निश्चित करे कि 145 प्रतिशत ही नम्बरों में उनको पास किया जाये।

(समय 430 बजे म. प.)

(श्री किशन मोटवानी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

रिटन टेस्ट में, ताकि वह जो पास है, वह 151 नम्बर ला करके या कम नम्बर ला कर के उसमें चयनित हो सके। इसके पीछे बैकग्राउण्ड यह है कि जब इसमें कोई पास नहीं होता है, तो वेकेंसी को दो साल तक दिखाते हैं और तीसरे साल में उन वेकेंसीज को सामान्य कर देते हैं। उनको जनरल में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह से जितने आर. पी. एस. सी. में सेलेक्शन हुए हैं, चाहे आर. पी. एस. या आर. ए. एस. या मजिस्ट्रेट के हों, इन पोस्टों पर जो वेकेंसीज हैं, वह कंटीन्यू दो साल रख करके उनको सामान्य करते हैं। इसीलिये आज तक चालीस साल होने के बावजूद भी कोटा पूरा नहीं हुआ। इससे साफ जाहिर होता है कि बैकलाग पूरा नहीं करना चाहते हैं। इसी तरह की और नियमों में दिक्कत है। आई. पी. एस., आर. पी. एस.। आर. पी. एस. के अन्दर कोई रिजर्वेशन का कोटा नहीं है। आर. ए. एस. को आई. ए. एस. के लिये कोई कोटा नहीं है। जितने भी हमारे एस. सी. और एस. सी. और एस. टी. के लोग आये हैं, आर. ए. एस. या आर. पी. एस. या और राजस्थान की सर्विसेज से, उनमें से इंडियन सर्विसेज के

(श्री भूदरमल वर्मा)

कैडर का एक भी नहीं है। मैं आपको रेकार्ड के साथ प्रूफ कर सकता हूं। इसी के साथ-साथ सात साल का जो सुपर टाइम स्केल देने लगे हैं, तो सात साल की सी. आर. देखते हैं। सात साल तक हमारे लोगों की सी. आर. अच्छी कैसे हो सकती है क्योंकि ऐसे समाज कण्टक आफिसर भी तो बैठे हैं, जिनके दिल और दिमाग में यह बात है कि एस. सी., एस. टी. के आदमी तो हिन्दुस्तान के नागरिक ही नहीं हैं। वह तो नफरत की नजर से देखने वाले हैं। वह लोग कैसे हमारा भला करेंगे ? कहीं न कहीं घोंचा जरूर लगा देते हैं, चाहे कितनी ही एफीशिएन्सी से काम करो। जो हमारे यहां यह लगा रखे हैं, अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि अभी सेल्स टेक्स डिपार्टमेंट में डिप्टी कमिश्नर्स को लिया है। 12 तारीख की बात है, चार डिप्टी कमिश्नर्स लगे, उनमें एक भी एस. सी., एस. टी. का नहीं है। जबकि जोन आफ कंसिडरेशन था. फिर भी उनको नहीं लिया गया। सिर्फ इसी कारण कि इनकी सात साल की सी. आर. खराब है। सी. आर. सिम्पल बनायेंगे ? एडवर्स रिमार्क्स देंगे, यह कौन देते हैं ? यह राजीव जी की नीति पर चलने वाला देश है, उनके आह्वान को विफल करने वाले लोग हैं, जिनके मन में यह है। अगर वास्तव में हम लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और इस कोटे को पूरा करना चाहते हैं तो गंभीरता से सब लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं कि एक मत होकर ऐसे लोगों का विरोध करें और मैं इसके लिये प्रस्ताव करता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि जिस तरह से केन्द्र के अन्दर हर डिपार्टमेंट में हरेक पद के लिये चाहे वह सीनियर स्केल का पद हो, चाहे चपरासी का हो, उन सारे पदों की अलग अलग सीनियरिटी होती है....

श्री उपाध्यक्ष : I have noted the time I kuow. 17 मिनट हुए हैं।

श्री भूदरमल वर्मा : जो जनरल सीनियरिटी लिस्ट होती है; उसको तीन भागों में बांटा जाना चाहिये : जनरल कास्ट, एस. सी, और एस. टी। जिस वक्त प्रोमोशन किया जाये, उस वक्त सीनियरिटी में अलग-अलग लिस्ट में से उनके जोन आफ प्रोमोशन के हिसाब से ले करके उनका प्रोमोशन किया जाना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि आप इस नियम में अमेण्डमेंट करें कि जो नार्म्स इनके हैं, वह तोड़ें। लेकिन जो वाजिब बात है, उसके लिये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं. माननीय मुख्य मंत्री जी, सभी अधिकारियों को सचिवालय में और जितने भी अधिकारी हैं, डाइरेक्टर्स को यह आदेश दें कि केन्द्र के माफिक तीनों वरिष्ठता सूची अलग-अलग बनायें। अगर नियमों में कोई प्रावधान करना पड़ा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि माथुर साहब इस की हिम्मत करेंगे और एस. सी., एस. टी. के इस संवैधानिक अधिकार को दिलाने के लिये पूरा प्रयास करेंगे। हाईकोर्ट या और कोई भी कोर्ट हो, उनके लिये भी मैं मांग करता हूं. यही मांग है। आज हमें बड़ा दु:ख है कि किसी भी सर्वोच्च पद पर हमारा अधिकारी नहीं है, चाहे चीफ इंजीनियर हो, मैं आपको फिगर्स दे सकता हूं।

(168)

(श्री भूदरमल वर्मा)

हरेक विभाग की, कहीं चार प्रतिशत कोटा पूरा हुआ है, कहीं तीन प्रतिशत हुआ है और इसका महज कारण यही मानकर चलता हूं कि जोन आॅफ कन्सीडरेशन के पचड़े हमको फंसाकर रखते हैं। जब जोन आॅफ कन्सीडरेशन से किसी तरह आगे निकलते हैं तो हमारे साथ यह लगाते हैं कि सात साल की सी. आर, ठीक नहीं है। सुपर टाइम स्केल में आर. ए. एस. में एक भी नहीं लिया, आर. पी. एस. में नहीं लिया, चाहे सेल्सटेक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे इन्कम टेक्स डिपार्टमेंट हो, किसी भी विभाग में, पुलिस में-नहीं लिया, पुलिस में एक भी आई. पी. एस. बना दिया हो तो वह बताओ ? सबसे सीनियर महावीर प्रसाद दौसा में बैठें हैं, उनकी सी. आर. खराब कर दी। सी. आर. खराब भी किसने की, डी. जी. ने। अब एक आर. पी. एस. आफिसर की डी. जी. सी. आर. खराब करे यह बात बड़े दुःख की है। एक आई. पी. एस. भी हो तो डी. जी. करे, वहां तक तो समझ में आता है। सी. आर. का डाइरेक्ट कन्सर्न होता है डी. आई. जी. तक, एस. पी. तक जिसकी डी. जी. करें, इसका मतलब यह है, किस तरह के लोग इस राजस्थान में अधिकारी हैं ? मैं आपसे पुरजोर निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे अधिकारों की रक्षा कीजिए, हम हम लोगों को प्रोटेक्शन दीजिए। हम तो 28 प्रतिशत ही हमारा हक मांगते हैं, उससे ज्यादा नहीं मागते।

इसी के साथ-साथ अगर आप मुझे मौका दें तो मैं एक-दो डिपार्टमेंट का आपको बताऊं कि कौन-कौन से डिपार्टमेंट में क्या हालत है ? इरिगेशन में चीफ इंजीनियर, एडीशनल चीफ इंजीनियर पच्चीस हैं, एक भी शिड्यूल कास्ट का, शिड्यूल ट्राइब का नहीं है। सुपरिन्टेण्डिग इंजीनियर नब्बे हैं उसमें से दो शिड्यूल कास्ट के हैं, शिड्यूल ट्राइब का एक भी नहीं है····

श्री शिवचरण सिंह : राज्यपाल को दो तब उनको ताड़ना मिलेगी।

श्री भूदरमल वर्मा : आप कृपा करके मेरी बात सुन लें, अगर मेरी बात सही हो तो आपको भी सहयोग देना चाहिए। तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसी तरह से हर विभाग में····

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हम तो आपको रास्ता बता रहे हैं।

श्री भूदर मल वर्मा : हरेक विभाग में यही हालत है····

श्रीमती सुमित्रा सिंह : रास्ता बता रहे हैं। प्रतिनिधि मण्डल ले जाओ, राज्यपाल महोदय से मिलो (व्यवधान)

श्री भूदर मल वर्मा : टोटल राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेशन का, आर. एस. एस. केडर की बात बताता हूं कि सात सौ पोस्टें हमारे यहां हैं····

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये। क्या आपत्ति है आपको ? आप बैठिये।

श्री भूदरमल वर्मा : उसमें से 63 पोस्टें शिड्यूल कास्ट की है और 53 पोस्टें शिड्यूल ट्राइब की कोटा नौ प्रतिशत हुआ है, 16 प्रतिशत से 9 प्रतिशत हो गया और शिड्यूल ट्राइब का कोटा 7·5 प्रतिशत हुआ है । इस तरह के कई उदाहरण मेरे पास हैं, सारे राजस्थान के डाटाज हैं, फिगर्स हैं, मैं फिगर्स के साथ यह कोट करना चाहता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर निवेदन करना चाहता हूँ कि हमको यह कोटा पूरा करवाया जावें और हमारे कोटे के जो लेप्सेज हैं, जो नियम है, इनमें जो कमियां है, अगर राजस्थान सरकार को उनमें कुछ अमेण्डमेंट करना पड़े तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, साथ ही गृहमंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह सारी चीजें मिनिस्ट्री आफ होम अफेयर्स से रिलेटेड हैं इसलिए उनको भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमारे लिए रिजर्वेशन का कोटा है इनको बहुत जल्दी पूरा करवायेंगे, ऐसी आशा है । इन्हीं शब्दों के साथ, आपने मुझे जो टाइम दिया एवं सभी माननीय सदस्यों ने मेरी बात सुनी, उसके लिए सबका आभारी हूं और आपको धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री महेन्द्र शास्त्री ।

श्री महेन्द्र शास्त्री (अलवर) : माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान की जनता और राजस्थान का सदन जब भी इस प्रांत के सम्बन्ध में चर्चा करते हैं तो तभी एक बात राजस्थान की जनता को भी कही जाती है और सदन के सामने भी आंकी है । और वह है हमारे प्रांत का इतिहास । जब भी कहीं चर्चा होती है तो इतिहास को सामने लाकर रखा जाता है और यह कहा जाता है कि आज से चालीस साल पहले जब यहां राजाशाही थी या ब्रिटिश राज था तो हमारे प्रांत की हालत बहुत खराब थी । मैं आपके मार्फत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जब हम इतिहास की चर्चा करते हैं, इतिहास का जिक्र करते हैं तो हमको वर्तमान पर आकर खड़ा होना पड़ेगा ।

आज चालीस साल बाद जब हम विज्ञान की प्रगति देखते हैं, जब हम ज्ञान की प्रगति देखते हैं, जब हम प्रजातांत्रिक प्रगति देखते हैं जब हम औद्योगिक प्रगति देखते हैं तो हमको विश्लेषण करना पड़ेगा कि वर्तमान में हम कहां खड़े हैं और हमारा प्रांत कहां खड़ा है ? हमारी स्थिति आज यह है कि जब हम अपने प्रांत की चर्चा करते हैं तो सबसे पहली चर्चा हम यह करते हैं कि हमारा प्रांत बहुत लम्बा-चौड़ा और दूर-दूर तक विस्तृत है और उस विस्तृत प्रांत में बहुत संख्या में बहुत बड़ी जनसंख्या गांवों में रहती है । गांव के परिप्रेक्ष्य में जब हम चर्चा करते हैं तो मै आपके माध्यम से पहली बात यह कहना चाहूंगा कि हमने सामाजिक परिप्रेक्ष्य को बदलने के लिए इस देश में एक आजादी की लड़ाई लड़ी । दोनों तरफ के लोग इस बात का ढोल भी पीटते हैं, निष्ठापूर्वक भी बात कहते हैं, संकल्प भी लेते हैं कि यह देश गांधी का देश है, यह देश जवाहर लाल नेहरू का देश है, यह गौतम, कपिल और कुणाल का देश है, हम इस देश के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को परिवर्तित करने का श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक संकल्प भी लेते हैं और प्रयास करते हैं ।

(170)

श्री महेन्द्र शास्त्री)

मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं इस सामाजिक परिप्रेक्ष्य को बदलने के लिए जो व्यवस्थाएं कीं–क्या आज गांव में मोसर नहीं होता, क्या गांव में छोटे बच्चों की शादियां नहीं होती, क्या गांव में आज भी छूआछूत का वातावरण नहीं है, क्या गांव में स्त्रियों का स्तर कोई ऊंचा उठा ? इसके मायने यह कि हमारा सामाजिक परिप्रेक्ष्य नहीं बदला। साथ-साथ मैं गांव की दूसरी बात भी कहना चाहता हूं कि हमारा आर्थिक परिप्रेक्ष्य भी नहीं बदला। आज गांव में पीने का पानी नहीं है, महिलाओं के लिए शौच जाने का स्थान नहीं है और इसके अलावा अगर आज गांव के छोटे-छोटे किसान, गांव के दस्तकार, गांव के के श्रिसान, कारीगर और शिक्षा प्राप्त किये हुए बेरोजगार बच्चों की पूरी योजना और लिस्ट हम बनाकर देखें तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, सिवाय इसके कि हम सरकार को यह कहें कि आप भी मनुष्य हैं, हम सरकार को यह कहें कि आप चुने हुए लोगों की सरकार हैं और यह सरकार इस प्रांत के विकास के सम्बन्ध में, इस प्रांत की प्रगति के सम्बन्ध में वहां कुछ सोचने की बात कहती है तो उसको हम आगे सामने रखते हैं तो सरकार बड़ी अपाहिज और पंगु-सी नजर आती है।

मैं मानता हूं कि हम बूटासिंहजी का कुछ नहीं कर सकते। मैं यह भी मानता हूं कि हम बलराम जाखड़ के खिलाफ भी कुछ नहीं कर सकते। मैं यह भी मानता हूं कि कि हम रामनिवास मिर्धा की बात करें तो उनका भी कुछ नहींकर सकते। आपके माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय, यह पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे प्रांत में नौकरशाही का, क्या हमारे प्रांत के प्रशासन में जो लोग कर्मचारी हैं जिनको इस स्टेट के एक्स चेकर से तनख्वाह मिलती है, जिनको हम इस देश की गाढ़ी कमाई से टेक्स के रूप में जो पैसा वसूल करते हैं, उनका भी कुछ नहीं कर सकते ? क्या हम उनसे भी यह नहीं कह सकते कि हम जो योजनाएं बनाते हैं वे पूरी होनी चाहिए ? क्या हम उनसे भी नहीं कह सकते कि हमने पाइप खरीदे थे और पाइप के घोटाले में अगर एम. बी. जैन यहां सस्पेण्ड किये जाते हैं, मगर पाइप के घोटाले में जैसा कि तिवाड़ी जी बता रहे थे, दूसरे घोटाले प्रकाश में आते हैं तो क्या हम यह नहीं कह सकते कि हमारा चीफ इंजीनियर जहां-जहां पाइपों की आवश्यकता है, जहां-जहां पीने की पानी के पाइपों की आवश्यकता होगी वह भिजवा दिए जाय।

मैं अलवर जिले की बात कहना चाहता हूं। पीने के पानी की पाइपों के बारे में बराबर हम कहते रहें, 20 सूत्री प्रोग्राम की मीटिंग में यह बात कहते रहे और पूरी पाइप उपलब्ध नहीं कराई गई। जहां पीने के पानी की जरूरत थी वहां पीने का पानी नहीं पहुंचा। गांवों में पीने का पानी नहीं है, शौच जाने का स्थान नहीं है। दूसरी बहुत जरूरी आवश्यकता शिक्षा की है। दो सौ बच्चों को एक अध्यापक पढ़ाता है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने भी अध्ययन किया होगा। इस देश की शिक्षा-दीक्षा, जिसको आधार बताते हैं, जिसको नींव बता रहे हैं रखने की, एक अध्यापक दो सौ बच्चों को पढ़ाता है। आज अभी

(श्री महेन्द्र शास्त्री)

मेरे दूसरे माननीय सदस्य जो दौसा से आते हैं, हरिजनों का बड़ा जिक्र कर रहे थे, राजीव गांधी, अनुसूचित जाति और जनजाति की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि जो हमारी सीटें कम हैं वे पूरी कर दी जाय। उपाध्यक्ष महोदय, आरक्षण की सीटों को कम करने की बात के साथ-साथ आप परिचित होंगे, राजस्थान सरकार ने एक लाइन का आदेश निकाला हुआ है कि यहां कोई भी नई नियुक्ति नहीं की जायेगी। इस प्रांत में कम से कम पांच हजार अध्यापकों की आवश्यकता है लेकिन कोई नई नियुक्ति नहीं की जायेगी। मिडिल स्कूलों में सिर्फ दो अध्यापक पढ़ाते हैं। लड़कियों का अगर मिडिल स्कूल है तो वहां दो-दो और तीन-तीन से ज्यादा अध्यापिकाएं नहीं हैं। शिक्षा की हमारी यह स्थिति है और स्वास्थ्य की? स्वास्थ्य की स्थिति हमारी इससे भी बदतर है। भगवान तो खैर स्वास्थ्य का मालिक है ही पर हमको पता यह चलता है, उपाध्यक्ष महोदय, आप भी मालिक है। आप मालिक नहीं हैं तो हम आपके माध्यम से क्यों बात कहें? पर कह किससे रहे हैं यह हमको भी पता है, आप सुनते हैं। आपके इस पेशेन्स को तो हम धन्यवाद देते ही हैं, हम कहते हैं इसलिए हम भी धन्यवाद के पात्र हैं, पर सुनता कौन है, यह भगवान जाने। उस भगवान को इसी बात का धन्यवाद देते हैं कि वह सुनता है कि नहीं सुनता है। शिक्षा की स्थिति हमारी यही है। पानी पीने के लिए हमको उपलब्ध नहीं है। हमारे स्वास्थ्य की रक्षा का तो प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। गांवों में ए. एन. एम. के नाम पर, कहीं होम्योपैथी के नाम पर, कहीं आयुर्वेदिक औषधालय के नाम पर, जो भी कुछ खोले गये हैं उनमें कहीं-कहीं ढूंढने से कोई-कोई कर्मचारी आपको मिल जायेंगे पर दवा नाम की चीज नहीं मिलेगी। पेट के दर्द की दवा नहीं मिलेगी, कान की दवा नहीं मिलेगी, आंख के दर्द की दवा नहीं मिलेगी। कोई तकलीफ हो जाय तो उन पूरे के पूरे औषधालयों में दवा नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी। कहां जाता है यह पैसा? मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं।

अब मैं आपसे आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि गांव की आर्थिक स्थिति की क्या अवस्था है? गांव के दस्तकार का, कुम्हार का, लुहार का, चमार का, बढई का, सुथार का, जुहाले का सारा व्यापार आज ठप्प हो चुका है। इस बात को सब लोग जानते हैं। यह पुराने इतिहास का किस्सा नहीं है, मैं रजवाड़ों की बात नहीं कह रहा, मैं आज वर्तमान की बात कह रहा हूं। हम जहां खड़े हुए हैं, उन सब लोगों को पता है कि इन बड़ी-बड़ी मिलों ने जुलाहे का धन्धा छीन लिया, बड़े-बड़े कारखानों ने सुथार का धन्धा छीन लिया, बड़े-बड़े कारखानों ने हरिजन-चमार का धन्धा छीन लिया और गांवों में इन सब धन्धों के छिन जाने के बाद आपने उनको क्या दिया, अनुदान। सरकार उनको क्या बांट रही है, कर्जा। कर्जा और अनुदान देकर हम उनका पालन-पोषण करना चाहते हैं। स्थिति क्या है? मैं अपनी जबान से नहीं कहना चाहता। जिसका सुबह से शाम तक नाम लेते हैं सत्ता पक्ष के लोग, जिसकी माला जपते हैं

(श्री महेन्द्र शास्त्री)

सत्ता पक्ष के लोग, जिसकी नौका में तिरना चाहते हैं सत्ता पक्ष के लोग, इसके प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने यह कहा है कि 88 फीसदी रुपया अनुदान का और कर्जे का गलत तरीके से बंटता है....

मैं पूछना चाहता हूं कि आप राजीव गांधी का तो कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन जो लोग गलत तरीके से बांटते हैं, जो अनुदान गलत तरीके से बांटा जाता है, क्या इस सम्बन्ध में भी कुछ नहीं कर सकते हैं ? आज स्थिति यह हो गयी कि गांव का हर आदमी, देश में पैदा होने वाला हर बच्चा, साढ़े तीन हजार रुपये का कर्ज अपने सर पर लेकर पैदा होता है। जब हम यह कहते हैं कि कर्ज माफ किये जायं और हमारा यह बहुत निष्ठापूर्वक संकल्प है, हमारे दल का संकल्प है कि कर्ज माफ किये जायं। क्योंकि गांव के एक-एक बच्चे अपने ऊपर, साढ़े तीन हजार का कर्ज लेकर पैदा होता है। आपके इस अनुदान से, आपके इस वोट की राजनीति से और वोट की गोटी से एक-एक आदमी को कर्जदार बना दिया। रात को सोने वाला आदमी गरीब, मजदूर, किसान कर्ज के बारे में चिंतित रहता है कि मेरे कर्ज का क्या होगा और उसके सर पर ब्याज दर, ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता जा रहा है।

हमारा निवेदन है कि इस कर्जे से जो आज के दिन गांव में लगा हुआ है, अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर और किसानों के सर पर है, इस कर्जे को माफ किया जाय। कहते हैं कि पैसा कहां से आयेगा ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि आप प्राथमिकताएं तय कर लीजिए अगर आप में थोड़ा सा नैतिक साहस है तो सिर्फ राजीव गांधी के दौरे कम कर दीजिए। सारे देश के कर्जे उससे चुक जायेंगे। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। गांव के कर्जे चुकाने चाहिए। सरकार के लोग कहते हैं कि कर्ज चुकाने की बात कहीं जाती है तो देश को पंगु बनाने की बात कही जाती है, कमजोर बनाने की बात कही जाती है। हम इस बात को दूसरी तरह से कहना चाहते हैं। आप उसकी शक्ति को बढ़ाने की बात कहिए। जो आदमी कमजोर हो गया है उसके पास आज कोई शक्ति नहीं है, उसकी शक्ति को आगे बढ़ाना है। दूसरी तरफ कहते हैं कि गाँव के किसान को जो भूमिहीन हैं, कर्ज के साथ भूमि दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर के अन्दर मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार ने जमीन की कीमत तय की और एक बार नहीं अनेक बार तय की और इन कीमतों को बराबर बढ़ाते चले गये और आज भी बढ़ाते चले जा रहे हैं औरइतना ही नहीं अगर थोड़ी सी भी गैरत है सरकार में, मैं आपके माध्यम से चुनौती देना चाहता हूं कि जितनी भी जमीनों के अलाटमैण्ट किये गये हैं उन सब की जांच करायी जाय। उपाध्यक्ष महोदय, एक भी अलाटमैण्ट आज गरीब आदमी के पास नहीं है। एक भी अलाटमैंट आज भूमिहीन आदमी के पास नहीं है। उस अलाटमेण्ट की जांच करायें तो पता चलेगा कि

(श्री महेन्द्र शास्त्री)

पूरी की पूरी भूमि जो आवंटित की गयी थी उसके बेनामी हस्तांतरण हो चुके हैं और वह बंट चुकी है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री रघुनाथ परिहार (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय सदन की आज्ञा से एक घण्टे के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की राय है कि सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ा दिया जाय ? (स्वीकृति)

सदन का समय 6 बजे तक के लिए बढ़ाया गया।

राजस्थान विनियोग (संख्या-31) विधेयक, 1989

श्री महेन्द्र शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गांव के आदमी की स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा कर रहा था। गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की बात कहना चाहूंगा। बीस सूत्री कार्यक्रम की मीटिंग हुयी। 20 सूत्री प्रोग्राम के अध्यक्ष श्री दूलाराम जी अलवर में बीस सूत्री प्रोग्राम की मीटिंग में उपस्थित थे। मैं जिले की बात कहना चाहता हूं कि हर वर्ष गरीबी की रेखा से ऊपर उठने वाले लोगों के जितने आंकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं अगर उन पूरे आंकड़ों का योग कर दिया जाय तो प्रान्त की जनता जो गरीबी की रेखा से नीचे थी आज की तारीख में ऊपर आ जायेगी। एक भी आदमी गरीब नहीं होगा। मैं इस बात को इसलिए दोहराना चाहता हूं कि हम प्रशासन में बैठे हुए लोगों से यह उपेक्षा करते हैं कि जहां भी इस तरह गड़बड़ियां हैं, जहां इस तरह की कमी है, उसके बारे में प्रशासन ध्यान दे। आज बेरोजगारी की हालत यह है कि गांव के बेरोजगार दस्तकार, कारीगर तो है ही लेकिन पढ़े लिखे नौजवान भी बहुत भारी संख्या में बेरोजगार हैं और बेरोजगारी का आलम यह है कि किसी भी रोजगार कार्यालय में एक छोटी-सी दरखास्त मांग लें, चार जगह निकाल दीजिए। चार हजार, आठ हजार दरखास्तें आती हैं। पुलिस की भर्ती हो या फौज की भर्ती हो। 50 आदमी लेने हों तो 50 हजार आदमियों की, नौजवानों की भीड़ वहां इकट्ठा हो जाती है और उनको रोजगार नहीं मिलता है। आज तो और भी खराब है। 18 साल के बच्चों को आपने वोट का आधिकार दिया है, 18 साल के बच्चे भी वोट का अधिकार लेकर के इस प्रजातंत्र की नीति का फैसला करने के लिए आने वाले रण संग्राम में मौजूद होंगे और उन लोगों को रोजगार नहीं दिया गया तो देश की क्या स्थिति होगी, यह सोचने की बात है। गांव की स्थिति रोजगार की दृष्टि से बदतर है, आर्थिक स्थिति बदतर है, सामाजिक स्थिति बदतर है। हम इस बात की कोई चिन्ता नहीं कर रहे हैं। रोजगार को मुहय्या कराने की व्यवस्था सरकार को करनी होगी।

(174)

(श्री महेन्द्र शास्त्री)

अब मैं कुछ चन्द बातें सरकार के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि सरकार को मालूम हो, इस प्रान्त के मुख्य सचिव को किसी बात की जानकारी हो जाय, मुख्यमन्त्री को जानकारी हो जाय, गृहमन्त्री को जानकारी हो जाय, जिले के कलक्टर को जानकारी हो जाय, जिले के एस. पी. को जानकारी हो जाय और अगर उसका समाधान नहीं निकले, अगर उसको रिट्रेस नहीं किया जाय, अगर कोई उपाय नहीं ढूंढे जाय तो फिर प्रशासन किसलिए है ? आज हमारे देश में, हमारे प्रान्त में और हमारे गांव में गांव के सामान्य व्यक्ति के हाथ पैर बांध दिये गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हाथ पैर बांधकर उसको चीतों के सामने डाल रखा है। उसको एक तरफ पटवारी खा रहा है, एक तरफ तहसीलदार खा रहा है, पुलिस खा रही है, बिजली वाले खा रहे हैं, कर्मचारी जो जाता है वह खाता है, हमारी इस स्थिति के बारे में राजीवजी की जय बोलने वाले लोगों क्या आपने सोचा है ?

उन्होंने सोचा है इस बात को, सरकार फैल हो गयी, यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, प्रधानमन्त्री देश में कुछ नहीं कर सकते हैं, यह बात भी मैं नहीं कह रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, यह विधान सभा कुछ नहीं कर सकती है, मुख्यमन्त्री फैल हो गये, यह बात भी मैं नहीं कह रहा हूं, जब आपने यह बात कही कि हम पंचायत राज को अधिकार देने जा रहे हैं निर्णय हो गया कि इस देश में संसद कुछ नहीं कर सकती है, इस देश का मुख्य मन्त्री कुछ नहीं कर सकता है, अब इस देश में सरपंच ही सब कुछ करेगा।

रोजगार देगा तो सरपंच देगा, योजना बनायेगा तो सरपंच बनायेगा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि प्रशासन के विकेन्द्रीकरण की बात की जा रही है वह एक चैक से पूरा हो जाता है ? 18 हजार का चैक सरपंच को दे दिया कि सरपंच और सचिव दोनों मिलकर इस रुपये को खर्च करेंगे। इससे क्या विकेन्द्रीकरण हो गया ? क्या पंचायत की, क्या उस सरपंच को जिसको लोकतांत्रिक सुधार कह रहे हो सड़क बनाने वाली पी डब्ल्यू डी का इंजीनियर, उसकी सड़क में कोई इन्वाल्वमेण्ट है ? क्या उसका अनुदान के बांटने में इन्वाल्वमेण्ट है ? क्या बिजली का कनेक्शन बांटा जायेगा उसमें ईन्वाल्वमेण्ट है ? क्या पुलिस के थाने में होने वाले अत्याचार में उसका कोई योगदान है ? हम उसकी बात को स्वीकार कर लेते, सत्ता को विकेन्द्रित कर दीजिए। मानते हैं बहुत बड़ा कदम है लेकिन कहीं न कहीं नीयत तो साफ हो कहीं कोई ईमानदारी तो हो। अगर आप सत्ता के विकेन्द्रीकरण में जा रहे हैं तो यह आपने सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया है सिवाय इन 18 हजार रुपये के और क्या योगदान है ?

उपाध्यक्ष महोदय, बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि उसको दो सो रुपये महीने की नौकरी और दे दी और वह भी दो सौ रुपये कहां से लायेगा ? अगर उसको पंचायत राज से कोई अपनी आमदनी है तो। जिस चीज का ढोल पीटा जा रहा है, इतनी किताबें छापकर हम लोगों के पास

(श्री महेन्द्र शास्त्री)

भेजी गयी हैं। सत्ता के विकेन्द्रीकरण की चर्चा बड़ी तेजी से की गयी है। यह पंचायती राज को सफल बनाया जा रहा है। पंचायत राज के माध्यम से काम हो रहा है इस पंचायत राज में कहीं कोई किसी तरह का इन्वाल्वमेण्ट नहीं है। हम चाहते हैं ब्यूरोक्रेसी, जो आज ब्यूरोक्रेसी काबू में नहीं है, सरकारी कर्मचारी जो हुक्म नहीं मानता है, सरकारी कर्मचारी जो आप पर हावी हो रहा है, उससे सत्ता को छीना जाना चाहिए फिर कौन छीनेगा ? उससे छीनने की उम्मीद की जा रही है पंचायत से, सरपंच छीनेगा।

हम उपेक्षा किये बैठें हैं कि हमारा सरपंच, हमारा मुख्य मन्त्री नाकारा हो गया, हमारा मन्त्रीमण्डल नाकाम हो गया, अब हमारी पंचायत कारगर काम करेगी ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे सत्ता का विकेन्द्रीकरण ही होगा। मैं आपके सामने दो चार तथ्य उदाहरण के रूप में रखना चाहता हूं।

जिन बातों की जानकारी राज्य सरकार को मिल गयी, जिन बातों की जानकारी मुख्य मन्त्री को मिल गयी, जिन बातों की जानकारी सक्षम अधिकारियों को मिल गयी उसके बाद कुछ नहीं हो पाया। मेरे इलाके में जंगल की कटाई शुरू हो गयी, इस देश से जंगल समाप्त किये जा रहे हैं और इस देश में पेड़ लगाये जा रहे हैं। बड़ी तेजी से वृक्षों की चर्चा की जा रही है, विश्व बैंक से बहुत सारा रुपया आ रहा है और मेरे यहां बीसनवास जगह पर, किशनगढ़ तहसील में उपाध्यक्ष महोदय, ढाई लाख पेड़ काट दिये गये। और वहां के पेड़ों को काटने वालों का जो सरगना था जब हमारे लोकसभा के अध्यक्ष बलरामजी जाखड़ आये, उनके साथ वह बराबर खड़ा था, डिनर में खड़ा था, मंच पर खड़ा था और उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुयी थी और फोटो छपी थी....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जाखड़ साहब किसलिए आये थे ?

श्री महेन्द्र शास्त्री : + + +। देखने आये थे कि पूरे पेड़ कट गये या नहीं। वहां कुल्हाड़ी टैक्स के नाम से एक टैक्स लगा हुआ था। उपाध्यक्ष महोदय, जितने लोग पेड़ काटेंगे उनको कुल्हाडी टैक्स देना होगा पचास रुपये की कुल्हाड़ी देना होगा ? क्या होगा उस पैसे का - वह पैसा कलेक्ट होकर के थानेदार के पास जायेगा, तहसीलदार के पास जायेगा, वह पैसा कलक्टर के पास जायेगा और वह पैसा कलेक्ट होकर रेंजर के पास जायेगा और उससे पेड़ कटेंगे इतना ही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, जिस दिन यह बात जानकारी में आयी मैं आज भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब यह बात जानकारी में आयी और कलक्टर महोदय ने इसका आदेश

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(176)

(श्री महेन्द्र शास्त्री)

दिया तो राज्य सरकार ने यहां से 16 रेंजर, 28 फोरेस्टर और 40 गार्ड भेजे। वन मंत्रीजी कहीं सुन रहे हों तो इस जानकारी को नोट करें। वह 15 दिन तक वहां रहे। 15 दिन तक यह सब लोग वहां रहे और 15 दिन की परेशानी के बाद गिनती गिनी तो उनको पता चला कि 80 हजार ठूंठ तो गिन लिये लेकिन वहां ढ़ाई लाख पेड़ काटे गये। 160 भट्टियां चल रही थीं।

विश्व बैंक से आने वाला पेसा इतनी भारी रकम और वहां हजारों लोग इस काम को करते हों और मुतवातिर में कई साल तक क्योंकि थानेदार डिजायर से लगाये जाते हैं, तहसीलदार डिजायर से लगाये जाते हैं और रेन्जर डिजायर से लगाये जाते हैं फिर उनसे यह काम लिया जाता है। जिनकी चल सकती है इच्छा तो उसी की काम करेगी, जो सक्षम होगा। जो सक्षम नहीं हो उसकी इच्छा थोड़े ही काम करेगी।

यह बात सबकी नार्लेज में आने के बाद मैं आपके माध्यम से यह बात कहना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में एक ट्रांसफार्मर लगाना आम किसानों से 58 हजार रुपये रिश्वत का इकट्ठा हुआ। 58 हजार रुपया एक-एक कुएं से इकट्ठा हुआ और इस बात की जानकारी बिजली विभाग के अध्यक्ष को, बिजली विभाग के सब लोगों को है। पूरे इलाके को जानकारी है। उपाध्यक्ष महोदय, रिश्वत चल रही है देश में। चल रही है, स्वीकार करते हैं। बीमारी फैल रही है, लेकिन आप कमाल देखिये कि लोग रिश्वत को कलक्ट करते हैं, चन्दा इकटठा किया जाता है। 301 कनैक्शन मेरे क्षेत्र में हुए मैं दावे के साथ कह सकता हूं 15 लाख रुपये इकटठे किये गये। कोई कनैक्शन दस हजार, पांच हजार बिना नहीं हुआ यह हमारे किसान जानते हैं यह किसान की उत्थान करने की बात है आप कुछ भी उसके लिए मत कीजिए जाने दीजिए अतीत के इतिहास को। हम रजवाड़े में रहे हैं हम बेकवर्ड रहे होंगे हम पीछे भी रहे होंगे, लेकिन मैं यह भी नहीं कहता कि आप सब काम को ठीक कर देंगे, आपको सब पता है लेकिन जो बात जानकारी में आ जाये, जिस बात का पता चल जाये जो आपके पास पहुंच जाये, हम विधायक हैं साहब, प्रतिनिधि हैं हम कोई बात आपके सामने लाकर रख दें आप हमारे सामने स्वीकार करें कि यह बात गलत है और फिर गलत बात पर एक्शन नहीं होता है। कहां से शुरूआत होगी इस देश में कब शुरू करेंगे, प्रजातांत्रिक ढांचें में ढ़ालना, कहां से, सत्ता की स्थिति शुरू होगी और क्यों यह सारा का सारा काम किया जा रहा है, इस बारे में क्या कभी राज्य सरकार ने विचार किया? आप 40 वाद, छोड़िये इधर या उधर वोट किसको मिलेंगे। वोट की गोटी अपने-अपने विचारों से मिलेगी। और क्या आप और हम सब लोग इतने जिम्मेदार नहीं हैं? छोड़ दीजिए सारी चीजों को ठीक नहीं कर सकते लेकिन क्या जिन चीजों की जानकारी है उनका सुधार करना भी हमारा कर्तव्य नहीं है। हम नहीं कर सकते दिल्ली वालों का इन्तजाम परन्तु क्या हम प्रान्त का इन्तजाम भी नहीं कर सकते क्या हम

(177)

(श्री महेन्द्र शास्त्री)

कलक्टर, एस. डी. ओ. और रेन्जर को भी कुछ नहीं कह सकते ? जो बातें हमारे सामने आती हैं, जो चीज हमारे सामने आती है, मैं उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरी खुद की बात बता देता हूं आपको, हमारी जमीन को सरकार एक्वायर करना चाहती थी हमने सरकार से कहा कि आपको इसकी आवश्यकता नहीं है तो प्रश्न यह आया क्योंकि आप विधायक हैं, जिम्मेदार आदमी हैं राज्य के लोग हैं। आपको रोकना चाहते हैं, जरूर वह चीज एक्वायर की जायेगी और उपाध्यक्ष महोदय, आप सुनकर आश्चर्य चकित होंगे उस जमीन के लिए सरकार के कर्मचारी घर आये हमको सौंप कर आये कि यह आपकी जमीन ले लीजिए इसकी आवश्यकता नहीं है। सब अफसरों से, सब मंत्रियों से सब से कहा कि यह हुआ क्या हमको दस साल तक क्यों परेशान किया गया, क्या नीयत थी इसके पीछे ? और जिन कर्मचारियों ने यह काम किया आपने उनका क्या किया ? ऋण लेने के लिए जाते हैं आर. एफ. सी. में, ऋण लेने के लिए जाते हैं रीको में जाते हैं बड़ी दुहाई दी जाती है, कि बाहर के व्यापारियों को, बिजनिसमैनों को बुलाइये कि यहां काम करें।

उपाध्यक्ष महोदय, आप किसी भुक्त-भोगी आदमियों से पूछें, भुक्तभोगी आदमी इस बात को बतायेगा कि एक दरख्वास्त देने के बाद अगर किसी को लोन लेना है तो उसके चारों तरफ शाम सुबह लोग पहुंच जायेंगे, इतना पैसा और इतनी रिश्वत आप देंगे तो बात करेंगे। मैं बहुत डिटेल में नाम नहीं लेकर चाहता हूं एक केस में मैं स्वयं मुख्य मंत्रीजी के मुख्य सचिव से मिला, इण्डस्ट्री सेक्रेटरी से मिला रीको के चैयरमैन से मिला और आर. एफ. सी. के चैयरमैन से मिला और मैंने कहा कि 75 हजार रुपये हमसे मांगे जा रहे हैं आप कहें तो हम दे दें वरना हमारा लोन सैंक्शन नहीं होगा। हम अपंग की तरह देखते रहते हैं, हम अपाहिज की तरह देखते रहते हैं।

मैं इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहता हूं ठीक है हम लोग नाम लेते है, आपको परेशानी होती है कि बलरामजी जाखड़ का कुछ नहीं होगा, राजीव जी का कुछ नहीं कर सकते, रामनिवास जी का, बलदेव प्लाजा का कुछ नहीं कर सका लेकिन जो हमारे पास और हमारे सामने है हम उसका भी कुछ नहीं कर सकते। सरकार की अगर यह असहाय स्थिति है सरकार अगर इस स्थिति में पहुंच गई, हम इतने पंगु और अपंग हो गये तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं परिवर्तन की स्थिति तो छोड़िये इस प्रान्त के आदमी को रिलीफ कहां से मिलेगा ? गांव का साधारण से साधारण आदमी, छोटी से छोटी स्थिति, मैंने आपके सामने यह बात रखी आज ही नहीं रखी है पिछले चार पांच से हम जब भी सदन में आये है, उपाध्यक्ष महोदय, आप हमारी भी हिमम्त देखिये कि और हमारी बेशर्मी भी देखिये आप कि हम बराबर कहते चले जा रहे है हमारी हिम्मत भी तो देखिये और आपकी भी हम दाद देंगे, सुनने वालों की, पान चबाते रहते हैं, हिलते ही नहीं कितना ही कह दो चींटी

178

(श्री महेन्द्र शास्त्री)

खा जाये तो भी नहीं हिलते, खिसकते ही नहीं ? अभी हरिजनों के आरक्षण की बात आ रही थी इकबाल ने भी लिखा है और मैं भी एक दिन कह रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी एक दिन यह बात सूझी थी :

इतिहास हुआ लाचार आज यहां वर्तमान पर गर्द छा गई–

कि आंगन में महकी तुलसी को छज्जे बैठी धूप खा गई।

हमारी स्थिति क्या है ? जो लोग रक्षक बन कर बैठे हैं इस सदन के समक्ष अनुसूचित जाति जनजाति के बड़े गीत गाये जाते हैं, बड़े ढ़ोल पीटे जाते हैं, अनुसूचित जाति और जन जाति के अनुसूचित जाति के एक माननीय सदस्य अभी बोल रहे थे एक तरफ तो कह रहे थे राजीव गांधी की जय हो, शिवचरण जी माथुर की जय हो, महात्मा गांधी की जय हो और दूसरी तरफ यह बोल रहे थे कि हरिजनों का आरक्षण कोटा पूरा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे भैरोंसिंह जी ने पूरा नहीं किया हो, ऐसे शिकायतें कर रहे थे जैसे महेन्द्र शास्त्री ने कहीं गड़बड़ी कर रखी हो, आरक्षण कोटा पूरा नहीं हुआ, क्यों पूरा नहीं हुआ। कोई आई. पी. एस. हमारा नहीं बनाया गया, कोटा पूरा नहीं हुआ जितने कर्मचारी लगाने थे वह नहीं लगे····

हरियाणा के चौधरी साहब जो थे वह एक दिन मिल गये उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई उनके यहां क्या था एक उनके सब्जी बेचने वाला आदमी था उसकी बड़ी कमजोर गधी थी वह उस पर सब्जी लाद कर ले जाता था वह गधी थोडी दूर चल कर फिर बैठ जाती तो उस सब्जी वाले ने क्या किया दो मूलियां निकाली और उस गधी के मुंह के आगे कर दी तो उसको हरा-हरा दिखा और वह चली उसको वह धीरे-धीरे दिखाता-दिखाता मंडी से तक ले गया और जब मंडी पहुंच गया तो दो डंडे लगाये और अपनी मूलियां अपनी झोली में रख दी। मैं कह रहा था कि इन हरिजनों के आगे कांग्रेस वाले मूली बांध देते हैं जब टाइम आता है वोट का तो वह मूली बांध देते हैं, हरा-हरा दिखाते रहते हैं कि यह आई नौकरी यह आई नौकरी और जैसे ही उनके वोट पड़े वह मूली अपने थेले में डाल लेते हैं, उनकी नौकरियां भी गई तो यह तो उनकी नौकरी की स्थिति है। अब अनुदान की स्थिति तो भयंकर खराब है। जितने हरिजनों को अनुदान दिये हैं भैंस पर चौधरी की, तो किसी गूजर की, सबके ठप्पे लगे हुये हैं या जितनी ऊंट गाड़ियां हैं उन पर भी किसी न किसी राय साहब और ठाकुर साहब का ठप्पा लगा हुआ है। यह + + + तो ठप्पे ठप्पे लगाने में लगे रह गये। इनकी स्थिति को अगर सम्भालने की

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री महेन्द्र शास्त्री)

बात सोचनी है उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो सत्ता पक्ष में बैठें और हरिजनों के पक्ष में भाषण दे रहे हैं। उल्टी बात है कि सत्ता पक्ष में बैठकर हरिजनों के पक्ष में भाषण दे रहे हैं। हरिजन परेशान हो रहा है और भाषण दे रहे हैं।

मैं उनसे पूछना चाहता हूं भाइयों 20 सूत्री योजना हमने तो नहीं बनाई, जलधारा भी हमने नहीं दी आपको। अनुदान भी हमने नहीं बांटे और एक-एक गांव, और आपके साथ जो बात बीतती है वह कौन देखता है। गड़बड़ी कहां होती है, आप मन्दिरों में नहीं जाने देते। हमारे हरियाणा का एक ताऊ कह रहा था, समझा रहा था वहां झोटडी बंध रही है दुध पीओगे क्या करना है कौन रोकता है मन्दिरों में आपको। मन्दिरों में कौन रोकता है? खूब जाइये मन्दिर में छिप कर जाते हैं तो दिक्कत होती है, कौन दिक्कत पैदा करता है। और उपाध्यक्ष महोदय, खत्म करने से पहले मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे गांव के लोग पूछ रहे थे कि साहब यह जो सेवादल पैदा हुआ है यह क्या चीज है? एक सेवादल और पैदा हो गया और पूरे गांव की सेवा में लग रहा है कोई जगह बाकी नहीं जहां सेवा नहीं कर रहा हो। उस सेवा दल की स्थिति यह है कि उसमें 10, 20-50, 25 अध्यक्ष, मंत्रियों, के पेपर छपे हुये हैं। बेरोजगार तो हैं ही बेचारे अब सेवादल की नौकरी मिल गई। मेरे यहां भी सेवादल के चार दफ्तर खुले हुये हैं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में। आप चाहें या गृह मंत्री जी चाहें तो मैं 10-15 दफ्तरों के पते नोट करा देता हूं एक तो गिरवास में खुला हुआ है, एक दफ्तर खुला हुआ है उल्हाडी में, एक दफ्तर खुला हुआ है शिवदास में और एक दफ्तर खुला हुआ है इन्दिरा बस्ती में। यह सब तीर्थ स्थान है। इन तीर्थ स्थानों में से गिरवास में एक दिन पुलिस चली गई मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि राज को पता होने के बाद क्या स्थिति होती है। पुलिस चली गई, पुलिस भी क्या चली गई जब सेवादल के कार्यक्रम वहां शुरू हुये। तो कुछ लोगों ने थाने में इत्तला कर दी कि आप लोग जाइये तो वहां जाते ही थानेदार पर लोग पिल पड़े।

श्री पोकरलाल परिहार : कौन से बिल पर आप बोल रहे हो?

श्री महेन्द्र शास्त्री : आपके कारनामों पर बोल रहा हूं साहब, बिल पर नहीं बोल रहा। अपने भी हैं कुछ मेरे और कुछ आपमें, उनकी व्याख्या कर रहा हूं। आप सुनेंगे तो आपको कविता जैसा आनन्द आयेगा। अपनी खुद की बात आदमी बहुत कम सोचता है।

वहां पिटाई शुरू हो गयी तो कुछ महिलाओं के भी लगी आखिर वह जीप में महिलाओं को भर लाये और लाकर कहने लगे कि महिलाओं को पीटा गया है और सेवा दल का कर्तव्य है कि महिलाएं नहीं पिटनी चाहिये। गांव के लोग गये और असामाजिक तत्वों की स्थिति अब उत्पन्न

(श्री महेन्द्र शास्त्री)

हुई है और उससे जो गांवों में प्रशासनिक स्थिति खराब होती जा रही है मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान उस ओर ले जाना चाहता हूं। ठीक है हम लोग राजनैतिक लोग हैं, हम किसी आदमी से नफरत नहीं कर सकते, किसी को बुरा भी नहीं बता सकते, हमारे दल में कोई आयेगा उसको हम लेंगे भी लेकिन इतनी तो कृपा करें अगर यह गांधी का देश है, अगर यहां राजीव गांधी जिक्र करते हैं अगर यहां जवाहर लाल की जन्म शताब्दी मनाना चाहते हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ हिन्दुस्तान की सभ्यता और संस्कृति गवाह है इस देश को आप उन लोगों के हाथों में नहीं सौंप सकते, उस तरह की सरकार इस देश में नहीं चल सकती जिसको पता चल जाये कि अन्याय हो रहा है, जानकारी मिल जाये कि अन्याय हो रहा है, सामने बड़ा अपराध हो रहा है और सरकार पंगु बनी रहे, निःस्सहाय बनी देखती रहे।

इस तरह से देश आगे नहीं चलेगा। हम चुनौती के साथ चलना चाहते हैं, संकल्प के साथ चलना चाहते हैं। आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं कि ठीक है आप नहीं कर सकते आपकी कुर्सी की रक्षा आपको बहुत समय लगाना पड़ता है पर महानुभाव इतनी तो कृपा करें कोई बात अगर, मक्खी आ ही जाये मुंह में तो कम से कम उसको निगलने में तो शर्म कर जाओ।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री महेन्द्र शास्त्री : मैं आपके माध्यम से यह बात कहते हुये कि आज हमारे गांव की आर्थिक स्थिति खराब है, कर्ज माफी की बहुत आवश्यकता है, युवकों के लिए रोजगार की व्यवस्था कीजिये। इसके साथ साथ जो धन आपके पास है उसको गांवों में लगाइये, गांवों के लोगों की व्यवस्था के लिए लगाइये।

इसके साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, बात मत कहियेगा उसमें कुछ करके दिखाइये और जो सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात कही जा रही है उसके लिए एक निष्ठा और संकल्प पालियेगा तब तो उसका कोई अर्थ है वरना जिस तरह से आपने असंगत बना दिया है इन संस्थाओं को, यह संस्थायें उससे भी बुरी अवस्था में हो जायेंगी।

आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरचन्द।

श्री अमरचन्द (गंगरार) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हाउस के अन्दर मैं समझता हूं कोई एक डिमाण्ड पर ही नहीं अलग-अलग बिन्दुओं पर माननीय सदस्य अपना अपना विचार दे रहे हैं। मैं भी आपके माध्यम से कुछ बातें कहना चाहता हूं।

मान्यवर, राजस्थान के मुख्य मन्त्री माथुर साहब ने जो बजट रखा है। 1989-90 का, उसका मैं समर्थन करता हूं, स्वागत करता हूं, क्योंकि भयंकर चार साल के सूखे से निपट करके और फिर पांचवा

(श्री अमरचन्द)

साल में प्रवेश किया और सबसे बढ़िया बात यह रही कि चारों ओर से उस बजट की सराहना की गयी। किसी प्रकार का हमारे किसानों के हित में कोई टैक्स नहीं लगाया गया। इस राज की स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए इस रूप में उन्होंने इस बजट को रखा। पर निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट में एस. सी. और एस. टी. के लिये चूंकि यह बात साफ है कि जब तक एस. सी., एस. टी. के अन्दर शिक्षा का विस्तार नहीं होगा तब तक यह समाज, यह वर्ग आगे नहीं बढ़ सकता। इसके लिए शिक्षा के मामले में हमारे जहां-जहां छात्रावास चल रहे हैं उनकी हालत बड़ी खस्ता है। आज मंहगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है।

ऐसी स्थिति में जो राज्य सरकार ने अगर उन छात्रों के लिये छात्रावास के अन्दर जो पैसा मन्जूर किया वह आज की मंहगाई के हिसाब से बहुत ही कम है। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विशेष तौर से वह छात्रों की शिक्षा की ओर अग्रसर हों, इसके लिए विशेष ध्यान दिया जाये। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि छात्रावास जहां बने हुए हैं वहां उन छात्रावासों की हालत जब हमारी कमेटी गयी थी दौरे पर बहुत सी जगह छात्रावास हैं लेकिन भवन नहीं हैं और जहां भवन हैं वहां भवन ऐसी जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है तो एक बात मैं बड़े दुःख के साथ कहूंगा कि आज विपक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य भी इस बात की तरफ इंगित करते हैं एस. सी., एस. टी. का नाम लेकर के क्योंकि यहां एस. सी., एस. टी. के लोग चाहे कितना भी मीठे शब्दों का प्रयोग करें लेकिन उनकी तरफ झुकने वाले नहीं हैं। इधर हमारी कांग्रेस सरकार के अन्दर जितना भी दुःख होगा, सुख होगा तो भी इस पार्टी के अन्दर ही रहेंगे कहीं और जगह विचलित होने वाला हमारा यह वर्ग नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को यह विशेष तौर से ध्यान देना चाहिये, एस. सी., एस. टी. के लिए कि इनके बच्चों को आगे पढ़ा करके यह लोग जीवन का आगे आधार अच्छा बना सकें तो यहां भवन की जो स्थिति है, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि यहां बहुत सी जगह भवन नहीं हैं, जहां भवन हैं उसकी हालत भी खस्ता है। इस बारे में भी हमारे समाज कल्याण मन्त्री जी ध्यान दें।

खास करके मैं आदरणीय मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक निष्पक्ष व्यक्ति हैं और किसी समाज से प्रभावित नहीं हैं, राजस्थान के हित चिन्तन में आप पूरा ध्यान देते हैं। ऐसी स्थिति में विशेष तौर से मैं आग्रह करूंगा आपसे कि एस. सी., एस. टी. के लोगों की तरफ आपका पूरा-पूरा ध्यान विशेष तौर से जाये और वह लोग अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकें।

मान्यवर, अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे एस. सी., एस. टी. के कोटा के लिये, मैं अपनी बात उनके विचारों से जोड़ता हुआ दो शब्द उस सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहता हूं। वास्तव में सरकार के दिल और दिमाग में हमारे प्रति

(182)

(श्री अमरचन्द)

ऐसी कोई द्वेष भावना या दुर्भावना नहीं है। सरकार एस. सी., एस. टी. के लोगों को काफी आगे बढ़ाना चाहती है लेकिन कुछ अधिकारी उसमें घुसे हुये हैं जो ऐसी नीयत और इस प्रकार की भावना रखने वाले हैं कि येन-केन प्रकारेण या किसी प्रकार बहाने बाजी बना करके जब कभी भी ऐसा प्रसंग आता है इण्टरव्यू का तो उसमें पहले तो बता देंगे अभ्यार्थी उपस्थित नहीं हुआ और हो भी गया तो उसमें यह नुस्ख बताकर छोड़ देंगे कि अयोग्य है इसलिए इसको नहीं लिया गया और यह पोस्ट अन्य से भर दी गयी।

मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं राजीव गांधी को कि उन्होंने एस. सी., एस. टी. के लिए सहानुभूति पूर्वक कोटा कायम करने के लिए फिक्स कर दिया कि जो पद उनके लिए हैं चाहे आज रहे, चाहे दस दिन बाद में भरे जायें लेकिन उन्हीं सदस्यों को ही भरा जायेगा, मैं उनको धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। राजस्थान सरकार ने भी इस बात का संकल्प किया है कि एस. सी., एस. टी. के कोटे को पूरा किया जाये पर इस बात की पूरी चौकसी रखी जाये कि ऐसे अधिकारी जो इस वर्ग को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, मैं सबके ऊपर दोष नहीं लगाना चाहता इस प्रशासन के अन्दर बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं।

कुछ एक व्यक्तियों की बात कहना चाह रहा हूं कि इस पर अच्छी तरह से ध्यान रखा जाय, और एस. सी., एस. टी. का कोटा पूरा किया जाय। इसके साथ ही निवेदन करना चाहता हूं कि सर्विसेज में एस. सी., एस. टी. के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए कोई बैन नहीं है। हमारे आदरणीय मुख्य मन्त्री महोदय ने भी इस बात को स्वीकार किया है। लेकिन अब तक मैं क्या देखता आया हूं कि एस. सी. एस. टी. के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कहीं पर भी प्रवेश नहीं दिया गया। कोई मौका आया भी तो यह कह कर टाल दिया गया अधिकारियों द्वारा कि इस पर बैन लगाया हुआ है। जब बैन की हमने उनसे बात पूछी कि लिखित में इस सम्बन्ध में कोई आदेश आया हो तो बताइये तो उन्होंने इसका गोलमाल उत्तर देकर टाल दिया।

मैं समझता हूं कि राजस्थान के अन्दर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अब तक किसी पद पर नहीं लिया गया। मैं मांग करता हूं कि इस प्रकार के बन्धन को साफ करियेगा और यह निर्देश दीजियेगा कि जहां एल. डी. सी., यू. डी. सी. के रिक्त स्थान पड़े हुए हैं वहां एस. सी., एस. टी. के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती हो जाय ताकि उन लोगों के लिए अपनी आजीविका का साधन बन जाय। इस सम्बन्ध में मैं मांग करता हूं कि इस बन्धन को साफ किया जाय, इस निर्बन्धन किया जाये।

मान्यवर, यह बात बिल्कुल साफ है कि चाहे कितनी विडम्बना हो, एस. सी., एस. टी. और अल्पसंख्यकों के वोट कांग्रेस की पाकेट के नोट के मुताबिक हैं, संकट के समय कांग्रेस का साथ देने वाले वोट हैं। कांग्रेस महलों में नहीं है, कांग्रेस सेठों के घरों में नहीं है, कांग्रेस शहरों में नहीं है, कांग्रेस झोंपडों में है। विपक्ष में बैठने वाले

(श्री अमरचन्द)

माननीय सदस्य और आदरणीय नेता महोदय इस बात को कहते हैं कि शहरों की तरफ ध्यान ज्यादा दिया जाय।

यह लोग इसलिए ज्यादा जोर देते हैं क्योंकि उनके वोट शहरों में ज्यादा हैं। जब कभी मौका आता है शहर वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं दे सकती। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस का आधार एस. सी., एस. टी. हैं, उनकी तरफ राज्य सरकार का ध्यान पूरी तरह से जाना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एस. सी., एस. टी. का छात्रावृत्ति का कोटा कम रखा गया है उसको बढ़ाया जाय।

अब थोड़ी बात मैं मेरे क्षेत्र के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। मान्यवर, चित्तौड़ जिले के अन्दर गंगरार मेरी कान्स्टीट्यूएंसी है। उसमें मूल समस्या पीने के पानी की है। इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी संकटमय स्थिति जहां है वहां हमारी सरकार को एक मास्टर प्लान बनाना चाहिए। जहां दो हजार की आबादी वाले पंचायत हैडक्वार्टर हैं वहां पनघट योजना का कार्यक्रम शुरू करना चाहिए जिससे आने वाले समय में इस संकट से लोगों को उबारा जा सके।

मैं दूसरा निवेदन वन विभाग के सम्बन्ध में भी करना चाहता हूं क्योंकि मेरे क्षेत्र में भी वन लगा हुआ है। आदरणीय गुर्जर साहब उसके मन्त्री हैं विपक्ष के माननीय सदस्य बोले, मैं उनमें अपने विचार नहीं जोड़ता लेकिन यह कहना चाह रहा हूं कि हमारी सरकार पूरी तरह से सावधान तो है पर अधिकारियों के भरोसे नहीं रहे। गुर्जर साहब, यह विभाग आपके पास आया है, आप किसान भी हैं तो आपका ध्यान इस ओर पूरा जाना चाहिए।

आज जल संकट की जो स्थिति पैदा हुई है उसका कारण वनों का कम होना और इस कारण बरसात का कम होना रहा है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि आपकी जितनी नग्न पहाड़ियां हैं वह पहाड़ियां आस-पास जो आबादी बसी हुई है उसके सुपुर्द कर दीजिए। आपको वन नहीं लगाना पड़ेगा, वन लगाकर करोड़ों रुपयों की बर्बादी नहीं करनी पड़ेगी, आप यह वन केवल गांव वालों को सुपुर्द कर दीजिए कि वन से जो आमदनी हो वह आप लोग लेंवे। आप देखना कि पांच वर्षों में क्या हालत हो जायेगी, डूंगर बिलकुल ढक जायेंगे और आपको कुछ खर्च भी नहीं करना पड़ेगा।

वन विभाग के जिम्मे कोई और काम दे दीजिए, पूरे विभाग को बदल दीजिए, मैं तो यहां तक मांग करता हूं आपसे क्योंकि वनों के विनाश का मूल कारण यह विभाग है। यह वनों के अन्दर घुस कर कटाई करवाते हैं। इस का मन्त्री महोदय को पता भी लग जाता है तो अधिकारी लोग इस तरह गुमराह कर देते हैं कि यह तो टूटे हुए वृक्ष थे, नीलाम कर दिया। इस तरह करके उस बात को टाल देते हैं। एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि नेशनल हाई-वे जो बने हुए हैं उनके साथ जो पेड़ लगे हुए हैं, काफी सुन्दर पेड़ हैं। जयपुर के आसपास काफी पेड़ हैं। उन पेड़ों

(श्री अमर चन्द)

की भी कटाई हो जाती है, आस पास के लोग उस को काट कर ले जाते हैं। किसान, खेतिहर लोग जाते हैं तो सोचते हैं कि अपना तो काटना नहीं, सरकार का है इसलिए काटो।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री अमर चन्द : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रोड़ साइड पर जो वृक्ष लगे हुए हैं उन की चाहे पी. डब्ल्यू. डी. के माध्यम से निगरानी कीजिए कि कोई भी पेड़ कट जाय, उस की जवाबदारी है, उस के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए।

मान्यवर, शिक्षा के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : बहुत हो गया।

श्री अमर चन्द : आप ने घण्टी बजा दी। आप भी जानते हैं कि मैं बहुत कम बात रखता हूं।

शिक्षा का जो स्तर है, अभी आप ने मिडिल स्कूल का कार्यभार जिला परिषदों को सौंपा है। यह बहुत अच्छा किया, ज्यों-ज्यों बढ़ोतरी हो रही है विभाग का हिस्सा भी बंट जाय, एक के ऊपर जवाबदारी नहीं रहे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आयुर्वेद शिक्षा को आप ने उन को दिया है। लेकिन यह जब तक सक्षम नहीं हो जाय सम्भालने में तब तक उन के ट्रांसफर का नियन्त्रण उन के हाथ में मत दीजिए, वह राज्य सरकार के हाथ में ही रहना चाहिए क्योंकि और बात तो होगी नहीं होगी लेकिन ट्रांसफर का मामला पहले सामने आता है, एक-दूसरे की शिकायत करते हैं, दूसरा कहीं लगना चाहता है। इसलिए ट्रांसफर वाला अधिकार राज्य सरकार के नियन्त्रण में रहना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री अमर चन्द : मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर शास्त्रीजी, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, विचार भी हुआ इस बात का, हम उन का आदर करते हैं, वह मधुर भाषी हैं पर वह न जाने ऐसे उदाहरण कहां से ढूंढ लाये हैं एस. सी., एस. टी. के लिए गद्दी वाला कि गद्दी को कोयला बताते हैं, फिर मण्डी में ले जाते हैं और फिर डण्डा लगा कर उतार देते हैं। आप के दिल और दिमाग में एस. सी., एस. टी. के प्रति किस प्रकार की भावना है वह इस से जाहिर हुई है। आप की इस भावना से क्यों साम्प्रदायिक भावना पैदा नहीं होगी ? सहज ही पैदा होगी। लोगों के दिल-दिमाग में इस प्रकार की भावना होगी तो उन लोगों का हीन भावना से और तिरस्कार करेंगे और बारात के साथ मार-पीट करेंगे। यही उपाय इन का है जो काम आता है। माननीय शास्त्रीजी हम आप से आशा करते हैं। आदरणीय विपक्ष के नेता महोदय भैरोंसिंह शेखावत साहब बोलते हैं तो हम सुनते हैं इसलिए कि हम को भी कुछ सीखने को मिले। बोलते ठीक हैं, अच्छा बोलते हैं। ऐसी बात नहीं है। सत्य और असत्य इन की आत्मा जाने, मैं नहीं कहता, मेरे पास तराजू भी नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह पांच साल पूरे होने जा रहे हैं। हम यह आशा करते

(श्री अमर चन्द)

थे चूंकि आप लीडर हैं, मुख्य मन्त्री भी रह चुके हैं चाहे विपक्ष के हों, निम्बाहेड़ा से जीत कर आये हैं, कि कोई न कोई विकास का काम विशेष तौर से होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी तो आप को जिंक स्मैल्टर प्लाण्ट दिया है।

श्री अमर चन्द : माननीय हमारे विपक्ष के नेता महोदय ने आपको यह हिन्दुस्तान जिंक की बात कही तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी निम्बाहेडा फैक्ट्री पहले से ही बनी हुई है और वह किस प्रकार का प्रदूषण फैला रही है उसी को कहीं न कहीं आधार बनाकर के इस हाऊस में अगर उसकी पीड़ा यहां रखते हो तो हमें यह भी विश्वास हो जाता मान्यवर, कि आपने हमारे जिले के लिए कोई बात नहीं, निम्बाहेड़ा के लिए तो कुछ न कुछ आपने कहा है। आप चाहते मान्यवर, विपक्ष के नेता महोदय तो उन फैक्ट्री वालों को ही नहीं यह प्रदूषण फैलाने वालों को जिला चित्तौड़गढ़ के अन्दर और उदयपुर के अन्दर कटघरे में खड़ा करते थे और आपमें वह सामर्थ्य और ताकत है पर नहीं, क्या पता आपके दिल के अन्दर हमारे प्रति इतनी उपेक्षा हो गयी कि आने वाले समय में मुझे चित्तौड़ से कोई लेना देना रहेगा ही नहीं इसलिए उन्हें छोड़ दो + + +। पर ऐसा नहीं आप चाहे जहां रहें।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य। माननीय शिवचरण सिंह जी।

श्री अमरचन्द : हमारे दिल में इसके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन यह अच्छा होता कि आप हमारे लिए मान्यवर कुछ न कुछ बोलते। अन्त में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अमरचन्द जी, बैठें आप। प्लीज सिट डाउन। माननीय शिव-चरणसिंह जी बोलें। बहुत बोल लिया आपने। बहुत धन्यवाद आपको।

श्री अमरचन्द : समय दिया उसके लिए मैं उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद देता हूं और मेरे कहने में अगर किसी को बुरा लगा तो उसके लिए माफी भी चाहता हूं।

श्री शिवचरण सिंह (करौली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विनियोग विधेयक का विरोध करता हूं। आशा तो मुझे यह थी कि हमारे देश और राजस्थान की बिगड़ती हुई स्थिति को केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार कुछ सुधारेगी। हमारे प्रान्त के अन्दर राजस्थान बनने के पश्चात् से आज तक 70 प्रतिशत जो हमारा रेवेन्यु रिसोर्सेज हैं, हमारे जो आर्थिक स्रोत हैं, उसका धन मात्र प्रशासन पर खर्च होता है। हमारी सात पंचवर्षीय योजनाओं के पश्चात् भी हम जो कुछ अपना आर्थिक इन्फ्रास्ट्रक्चर सबल करना चाहते थे वह नहीं कर पाये। भारत सरकार के बजटों का आप अवलोकन करें तो वहां भारी घाटा

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(186)

(श्री शिवचरण सिंह)

है, राजस्थान के बजटों का अवलोकन करें तो वहां भी भारी घाटा है। इन सब के उपरान्त भी अगर हम इण्डस्ट्रीज और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कुछ तरक्की करते तो हमको इस बात का सन्तोष होता कि हमने किसी दशा में आगे बढ़ने की चेष्टा की है। आज हमारे देश की दशा यह है कि कृषि का जो उत्पादन था 60 के दशक में यह लोग सरप्लस की स्थिति में आ गये थे। आज 15 लाख टन हमको गल्ला इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। आज चीनी की मंहगाई की बात आयी, पांच लाख टन हमको चीनी इम्पोर्ट करनी पड़ रही है, 15 लाख टन हमको तिलहन, एडीबिल आयल इम्पर्ट करना पड़ा। यह हमारे देश के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की दशा है। इंडस्ट्रियल डवलपमेंट की दशा में जायं तो मैं राजस्थान की बात नहीं करता सारे देश के अन्दर हमारा इण्डस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है वह डाउन गया है। राजस्थान के अन्दर बड़ी इण्डस्ट्रीज को चाहे सवाई माधोपुर की इण्डस्ट्री को लें, चाहे कोटा की फैक्ट्री लें, चाहे आप शुगर मिल लें, चाहे कपड़ा मिल लें, प्रत्येक क्षेत्र में हमारी बड़ी-बड़ी मिलें बन्द हुयी हैं और अलवर भिवाड़ी और जयपुर जैसे इलाके में भी स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज की आज क्या दशा है यह आप जानते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान के पिछले बजट का ही अवलोकन करने पर आपको मालूम होगा कि 70 प्रतिशत रुपया हम एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च कर रहे हैं। जिस राज्य का 70 प्रतिशत रुपया केवल प्रशासन पर, तनख्वाह पर खर्च होता हो, 30 प्रतिशत मात्र योजनाओं के काम पर रहता हो जिसमें स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कई चीजें हैं, तो उसकी दशा क्या होगी। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर केवल तीन महत्वपूर्ण आमदनी के साधन हैं। इससे बड़ी आमद होती है सैल्स टैक्स की, दूसरे नम्बर की आमद होती है एक्साइज की तीसरे नम्बर की आमद होती है माइन्स की। मैं आपको इन तीन रेवेन्यु रिसोर्सेज जो राजस्थान के हैं, की दशा बताना चाहता हूं। आज हमने सैल्स टैक्स के अन्दर दूसरे स्टेट के मुकाबले में क्या प्रगति की है। हमारी सैल्स टैक्स की आमद को हम कई गुना बढ़ा सकते थे लेकिन हमारी जो भ्रष्टाचार आधारित नीति सैल्स टैक्स की है उसके कारण से सैल्स टैक्स से उतनी आमदनी प्राप्त नहीं कर पाये। कई मीटिंग भारत सरकार के स्तर पर हुई लेकिन कई स्टेट्स से सैल्स टैक्स की रेट को टेली करते हैं? आज लोग उत्तर प्रदेश, और दिल्ली के नजदीक रहने वाले लोग प्रेक्टिकली हम लोग जानते हैं कि हमारे यहां का आदमी जो दिल्ली जाता है और वह वहां से सामान खरीदकर लाता है क्यों लाता है? जितनी भी जरूरत की चीजें हैं। आज किसान इस बात की कोशिश करता है कि ट्रेक्टर मैं हरियाणा से लाऊं, पंजाब से लाऊं, या यू. पी. से लाऊं। आज कोई मोटर या कार खरीदता है तो वह दिल्ली से लाता है, चण्डीगढ़ से लाता है, मध्य प्रदेश से लाता है लेकिन हमारी गवर्नमेंट प्रेक्टिकल नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ने इस बात की कोशिश नहीं की सैल्स टैक्स में कि हमारा सबसे बड़ा स्रोत मिनरल वैल्थ है। मिनरल वेल्थ में हम सैल्स टैक्स के माध्यम से कई करोड़

(श्री शिवचरण सिंह)

रुपये की आमद बढ़ा सकते थे। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे हमारा जितना मिनरल वैल्थ है उस पर सैल्स टैक्स लगता है फर्स्ट पाइंट पर। आज सोप स्टोन जब गोलेछा निकालता है तो जिस सोप स्टोन से दवाई के कैप्स्यूल बनते हैं जिसकी हजारों दस हजार रुपये टन कीमत हो जाती है लेकिन वहां पर तीन रुपये टन के हिसाब से सैल्स टैक्स लगता है। जिस पत्थर की कीमत मेरे इलाके के अन्दर तीन रुपये फीट के बिल से चलता है मस्कट, दुबई अमेरिका, युनाइटेड नेशन्स के दफ्तर में जाते हुए वहां सौ डालर की जिसकी रेट है। जिस मार्बल की कीमत फर्स्ट पाइंट पर जिसका सैल्स टैक्स है उसकी लास्ट पाइंट पर जाकर के क्या दशा है, हमारे सैल्स टैक्स वालों ने कभी कोशिश नहीं की। हमारे राजस्थान में सैल्स टैक्स में सब चीजों में अण्डर बिलिंग होता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं सैल्स टैक्स की जितनी आमद है उसका 25 प्रतिशत रुपया करप्शन में जाता है। यह सैल्स टैक्स की दशा का एक चित्रण मैंने आपको दिया है।

मैं आपको माईन्स के बारे में बताना चाहता हूं। दूसरे नम्बर का हमारा रेवेन्यु रिसोर्स एक्ससाइज है जिसकी सैल्स टैक्स के बाद बड़ी आमद होती है, लगभग दो अरब से ऊपर। हमारी एक्ससाइज की जो पालिसी है वह फुल-प्रूफ है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं एक्ससाइज के अन्दर निश्चित तौर पर पिछले एक साल में हमारी एक्ससाइज पालिसी में सुधार आया है और हमारी आमद में भी काफी बढ़ोतरी हुई है लेकिन हमारी एक्ससाइज में जो करप्शन है, इल्लीसी-डिस्टीलेशन है और अदर स्टेट से हमारे यहां आकर जो गड़-बड़ होती है। क्या उसे रोकने की कभी किसी ने कोशिश की, कभी नहीं की। मैं आपको बताना चाहता हूं हम एक्ससाइज से भी बहुत बड़ा धन अर्जित कर सकते हैं क्योंकि हमारे एक्ससाइज का बहुत बड़ा शेयर गुजरात के ड्राई एरिया में और, और जगह जाता है।

यह गवर्नमेंट को मालूम है और गवर्नमेंट ही कराती है कि यहां से जाय। हमारा मिनरल वैल्थ जो धन का तीसरा स्रोत है। मिनरल्स से हमारी करीब दो करोड़ की आमद है लेकिन माईन्स की डिमाण्ड पर बताना चाहता हूं कई माननीय सदस्यों ने कई प्रश्नों के जरिए, जो माईन्स के बारे में घोटाले आये, करोड़ों की बात धौलपुर स्टोन के रेफरेंस में चली, करोड़ों रुपये का लीकेज आपके आर. एस. एम. एम. और आर. एस. एम. डी. सी. के अन्दर है वहां सारा काम सब-लैटिंग के जरिए होता है। डाइरेक्ट वर्किंग नहीं है और सबलैटिंग होता है लीगल। रेजिंग कान्ट्रेक्ट एक्ट के अन्तर्गत रेजिंग कान्ट्रेक्ट रजिस्टर्ड होता है तभी कान्ट्रेक्ट कर सकते हैं नहीं तो नहीं कर सकते लेकिन आप ताज्जुब करेंगे राजस्थान की गवर्नमेंट सबलैटिंग का इल्लीगल काम कराती है, कोई रोकने वाला नहीं है।

उस पक्ष में बैठे रहने वाले लोग समाजवाद की बात करते हैं। मैंने माईन्स की डिमाण्ड पर कहा था, इन्होंने माईनिंग

(188)

(श्री शिवचरण सिंह)

लीजेज का जो टाइम था स्वर्गीय सुखाड़िया के जमाने से तीन वर्ष के समय को 10 वर्ष का कर दिया जब कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य एक-एक वर्ष का ऑक्शन करते हैं लेकिन यहां क्या है? यहां चाहते लोगों को दे देते हैं। अन्धा बांटे सीरणी घर-घर वालों को देय। यह है यहां की दशा। माननीय अध्यक्ष जी, यह तीनों डिपार्टमेंट जो हमको धन देते हैं उनकी दशा मैंने आपको बतायी। कभी राजस्थान की गवर्नमेंट ने इस बात की कोशिश नहीं की कि हमारा धन कैसे बढ़ाना चाहिए। कभी मुख्य मन्त्री जी ने कोशिश नहीं की बल्कि इन लोगों ने कोशिश इस बात की की कि इस धन को हम कैसे लुटायें। मैं आपको बताना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारी सोशल अमेनिटीज चाहे हम स्वास्थ्य की बात लें, चाहे हम शिक्षा की बात लें। आज स्वास्थ्य और शिक्षा की दशा क्या है?

मैं मानता हूं, भूतपूर्व रियासतों के विलीनीकरण के पश्चात् हमारे यहां पर हास्पिटल्स बने। लेकिन पुरानी रियातों के जमाने में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, उस वृक्ष में बैठे रहने वाले महानुभावों को, इन सवाई मानसिंह होस्पिटल की दशा क्या थी। इस सवाई मानसिंह हास्पिटल के अन्दर कैसे डाक्टर थे, इस सवाई मानसिंह हास्पिटल की जयपुर रियासत के अन्दर क्या रेपुटेशन थी।

आज सवाई मानसिंह हास्टिल की दशा क्या है। कोई मरीज सवाई मानसिंह हास्पिटल में इण्डोर पेशेण्ट नहीं भर्ती हो सकता जब तक वह किसी डाक्टर को टिप नहीं करें। आप ताज्जुब करेंगे इमर्जेन्सी वार्ड के अन्दर, कोई एक्सीडेन्ट का केस जब तक नहीं दिखा सकते जब तक कि आप किसी डाक्टर को टिप नहीं कर दें। आपका एक्स-रे बगैर पैसे के नहीं होता, आपका इन्जेक्शन बगैर पैसे के नहीं होता। आप काटेज वार्ड में बिना चीफ मिनिस्टर की सिफारिशी चिट्ठी के नहीं रह सकते। रूल्स रेग्यूलेशन की कोई बात नहीं। आप मेहता की बात ले लें।

एक मेहता वह थे जो डाइरेक्टर हैल्थ हुआ करते थे किसी जमाने में। वह अपनी सम्पत्ति यहां दान देकर चले गये और आज एक मेहता यह है उसी हेल्थ डिपार्टमेन्ट में जिनका भ्रष्टाचार की चर्चाओं से वह सदन रोज गूंजता है। क्या बनेगा इस देश का। कहां ले जाना चाहते हो आप। अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने यह कहा था कि पांच हजार पोस्ट अध्यापकों की खाली हैं। मैं इससे पूछना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, इनसे पूछिये प्लान का कितना रुपया मिनिस्ट्री ऑफ एजूकेशन से मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजूकेशन का प्लान का रुपया मिलता है, उसके अगेन्स्ट में एक स्कूल खोलना दिखाते हैं, और का अपाइन्टमेण्ट नहीं करते, भारत सरकार का पैसा खाते हैं।

इसी तरह से हैल्थ डिपार्टमेंट के अन्दर मिनिस्ट्री ऑफ हैल्थ से, माननीय उपाध्यक्ष जी, सारे देश के अन्दर करोड़ों रुपया मलेरिया के प्रोग्राम पर, फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम पर और अदर हैल्थ एक्टिविटीज के प्रोगामों पर भारत सरकार से आता है। यह लोग अपाइन्टमेन्ट नहीं करते। प्लान का रुपया लाते हैं और उस प्लान के रुपये

(श्री शिवचरण सिंह)

के जरिये यहां पर सेलेरीज और दूसरे कामों को चलाते हैं। यह दशा आपके हास्पिटल्स की है। एजुकेशन की दशा लें, यूनिवर्सिटीज की दशा लें, तो आज हमारे राजस्थान की बड़ी शोचनीय दशा हो चुकी है और हुई क्यों यह। हमारी एजुकेशन बड़ी डिफेक्टिव रही, माननीय उपाध्यक्ष जी, चाहे हम राधाकृष्ण आयोग की रिपोर्ट लें, चाहे हम कोठारी आयोग की रिपोर्ट लें। माननीय जोशीजी, आप माथुर आयोग की रिपोर्ट पढ़ लीजिये। टेन प्लस टू की देखिये, हमारी एजूकेशन निकम्मी एजूकेशन है। हमारे देश के अन्दर आज रोजगार की बात क्यों चलती है। हमने निकम्मी एजूकेशन दी।

माननीया इन्दिरा गांधीजी की आप बहुत बात करते हैं। मैं भी उनकी इज्जत करता हूं। इन्दिरा गांधीजी ने हिन्दुस्तान में कभी सच नहीं बोला। अगर सच बोला तो एक बार चेकोस्लाविया के अन्दर बोला था। वहां जब किसी पत्रकार ने उनसे प्रश्न किया था कि इन्दिराजी आप तरक्की की बात करती हैं, आपके देश के अन्दर केवल 26 प्रतिशत एजूकेशन है। इन्दिराजी ने कहा, ना ना ना बाबा, यह एजुकेशन तो अल्फाबेटिकल एजुकेशन है। हमारे देश में तो हण्ड्रेड परसेन्ट फन्क्शन लिटरेसी है। फन्क्शन लिटरेसी की बात चेकोस्लावाकिया के अन्दर करते हैं। लेकिन हिन्दुस्तान में नहीं करते। माननीय उस पक्ष में बैठने वाले सदस्यों को कहना चाहता हूं। आज हमारे को इस प्रकार के एजूकेशन की जरूरत है जो आदमी धन्धे में लगे, जो आदमी प्रेक्टिकली कुछ करना चाहे। जिसको कर्तव्य निष्ठ बनाया जाय। आज डिगनिटी आफ लेबर जिसके दिमाग के अन्दर हो। आज आपके खुद के आचरण ऐसे हैं, आपने डिगनिटी आफ लेबर का सबक नहीं सिखाया।

डिगनिटी आफ लेबर की बात नहीं बताई। आज जो आदमी पढ़ लिखकर आता है वह नौकरी चाहता है। आज सिविल इन्जिनियर, मैकेनिकल इन्जिनियर, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर, डाक्टर इनकी लम्बी लाइन लग गई और इनको रोजगार नहीं। कितने बेरोजगार लोग हैं देश और राजस्थान के अन्दर और वह बेरोजगार लोग आपका गला पकड़ते हैं। आपका मेरिट फार्मूला चलता नहीं। आप लोगों को रोज ट्रान्सफर और सिफारिशें करनी पड़ती हैं। हमारे देश का ढांचा बिगड़ गया। माननीय उपाध्यक्ष जी, यह एजूकेशन की बात रही।

अभी माननीय सदस्य उधर से बड़े जोर से बोल रहे थे, हम यह आशा करते थे कि हमारे देश में आजादी के पश्चात्, यह तो भला हो अम्बेडकर का, भला हो संविधान बनाने वाली उस समिति का, जिसने शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को रिजर्वेशन दिया। उस संविधान सभा की यह भी मन्शा थी कि ट्रोडन क्लास के दबे हुए तबके के लोगों के हितों की रक्षा की जाय लेकिन अफसोस की बात है कि आजादी के चालीस साल के पश्चात् भी आज हिन्दुस्तान का दबे तबके का आदमी, आज हिन्दुस्तान का मुसलमान, आज हिन्दुस्तान का शिड्यूल्ड कास्ट का कोई आदमी अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं

190

(श्री शिवचरण सिंह)

करता। कान्स्टीट्यूशन के अन्तर्गत उनको मिलने वाले हकूक नहीं मिलते। मैं पूछना चाहता हूं उस तरफ बैठने वाले लोगों को, शिड्यूल्ड कास्ट के रिजर्वेशन का कोटा पूरा नहीं हुआ, तो दोष का भागी कौन है। मुसलमानों के हितों की रक्षा नहीं हुई तो दोष का भागी कौन। कांग्रेस पार्टी।

(व्यवधान)

मैं इसीलिए छोड़कर गया कि +++ कथनी और करनी का फर्क है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, यह +++ शब्द निकाल दीजिये।

श्री शिवचरण सिंह : सारी, मैं माफी चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सबको ही, आपने एक जैसा समझ लिया।

श्री शिवचरण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय मैं माफी चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह आशा करता था कि अदर बैकवर्ड क्लासेज की बात बहुत करते हो, आपके आखिरी वक्त में तो उसके बारे में कुछ सोचोगे। आपको फुरसत नहीं। आप तो लेमनचूस की गोली, हम बोर्ड बना रहे हैं, जैसे बच्चों को बहलाते हैं, ले लेमनचूस की गोली चूस ले। आपका कोई कार्यक्रम नहीं। शिड्यूल्ड कास्ट के उस तरफ बैठने वाले दौसा से आये माननीय सदस्य बड़ी +++ कर रहे थे, वह कह रहे थे यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ, दोष के भागी हम हैं? क्या जनता पार्टी ने नहीं किया। जनता पार्टी के जमाने में तीन साल के पीरियड के अन्दर शत-प्रतिशत कोटा पूरा हुआ। मुसलमानों के हितों की रक्षा की गई। आपके जमाने के अन्दर आज मुसलमान असुरक्षित हैं। कितने झगड़े हुए। माननीय दौसा से आने वाले सदस्य ने यह नहीं कहा कि अभी अलवर के अन्दर शादी के अन्दर कौन पिटा, किसने पीटा कैसे पीटा, यह किसका राज है। शिवचरणजी माथुर का राज नहीं है? शिवचरणजी माथुर के राज्य में आज एक हरिजन घोड़ी पर बैठकर नहीं निकल सकता, यह लज्जा की बात है। राजीव गांधी के राज के लिए लज्जा की बात है। शिवचरणजी के लिए लज्जा की बात है। हमसे कहते हो, हमारा राज आयेगा जब आप देखना, हरिजन की क्या पोजीशन हो, दलित की क्या पोजीशन हो,

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

अलग-अलग सम्प्रदाय के लोगों की क्या पोजीशन हो। लेकिन आप राज करो और फिर रोओ, हमसे गिड़गिड़ाओ, ऐसे नहीं चलेगा। माननीय उपाध्यक्षजी, आज हमारे राजस्थान प्रान्त की जो दशा है उसमें आप ताज्जुब करेंगे, हमको राजस्थान की भलाई के लिए सबसे ज्यादा काम करना चाहिए–

श्री अमर चन्द : उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप यह कह रहे हैं कि हमारा राज

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री अमर चन्द)

आ जाय तो हम यूं कर देंगे। लेकिन मैं मेरी बात कह रहा हूं, कि यह ऊपर चढ़ाना तो ठीक है, लेकिन जो आज चढ़ रहे हैं उसको भी रगड़ मारेंगे, यह लोग तो राज के इस इन्तजार में बैठे हुए हैं। यह लोग तो आरक्षण खत्म करने लगे थे और राज की इच्छा करते हैं। जनता जानती है। आपको राज सौंपने वाली नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमर चन्द जी।

श्री शिवचरण सिंह : माननीय सदस्य को मालूम नहीं, आरक्षण की बात हमने बढ़ गई, आरक्षण अगर दिया तो संविधान ने दिया। यह नहीं देने वाले थे। इनका राज्य है। यह सामाजिक तरीके से भी सुरक्षा नहीं दे पाये हैं। आज इनके राज के कुकर्मों का कारण है कि घोड़ी पर चढ़कर शादी नहीं कर सकता आदमी। यह इनके राज का नमूना है। यह संविधान में सब कुछ होने के पश्चात आपको नहीं दे सकते। (व्यवधान)

हम आपको गारन्टी देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण सिंह : हमारा राज आयेगा भविष्य के अन्दर क्योंकि आपके बुरे दिन आ चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री शिवचरण सिंह : हम आपको पूर्ण तरीके से सुरक्षित रखेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज फिनिश इट।

श्री शिवचरण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

श्री रतनलाल ताम्बी : कौनसी पार्टी वाला राज है, आपका।

श्री शिवचरण सिंह : आप बैठे रहें ताम्बीजी, मन की बात तो घर पर बतलायेंगे आप। चुप रहो, घर की बात घर यहां नहीं। नहीं, तो मैं कह दूंगा सब बातों को।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। शिवचरणजी समाप्त करें आप।

श्री शिवचरण सिंह : उपाध्यक्षजी,

श्री रघुनाथ विश्नोई : सब हरिजनों का कूट-कूटकर भुर्ता बना दिया था, मेरे को अच्छी तरह मालूम है।

श्री शिवचरण सिंह : आपकी मैं थोड़ी इज्जत भी करता हूं, भले आदमी हो।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें। आपने 20 मिनट ले लिये।

श्री शिवचरण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी,

श्री रघुनाथ विश्नोई : लास्ट में आपको ही मन्त्री बना दिया था भैरोंसिंह जी शेखावत साहब ने।

श्री शिवचरण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान की तरक्की की गरज से क्योंकि हमारे देश का और राजस्थान का 85 प्रतिशत व्यक्ति गांवों में रहता है।

गांव का विकास है तो सबका विकास है। अगर गांवों का विकास नहीं तो कोई विकास नहीं। हमारे देश की जो इकानोमी है, हमारे देश का जो अर्थतन्त्र है वह एग्रीकल्चर बेस्ड है। आज एग्रीकल्चर के मामले में, हमारे देश के भावों की दशा देखिये, हमारे देश का जो उत्पादन है, भावों की दशा देखो। सरसों का भाव लो, गेहूं का भाव लो।

श्री उपाध्यक्ष : वह बोल चुके आप।

श्री शिवचरण सिंह : हमारे यहां सीलिंग लाज आ गये। जमीन फ्रेगमेन्ट हो गई। जमीन की होल्डिंग थोड़ी हो गई। आज छोटी होल्डिंग वाला किसान अपनी जमीन बेच-बेच कर पलायन कर रहा है, शहरों की तरफ। शहरों में आबादी बढ़ गई। अरबेनाइजेशन हो रहा है। इन सबको देखते हुए हमारे पास कृषि पर ज्यादा से ज्यादा वजन है पापूलेशन का। अगर कृषि के क्षेत्र में हमने विकास नहीं किया, पानी की सुविधा नहीं दी, चाहे गंगा का पानी लायें, यमुना का पानी लायें, चाहे आप रावी और व्यास का पानी लायें, लेकिन राजस्थान के किसान को आपको पानी देना चाहिए। माननीय उपाध्यक्षजी, आपको ताज्जुब होगा, राजस्थान के विकास के अन्दर जबरदस्त क्षेत्रीय असन्तुलन है। ईस्ट के जो इलाके हैं, कोटा, बून्दी, झालावाड़, सवाई माधोपुर के, वहां वाटर पोटेन्शियल है, वहां सरफेस वाटर सरप्लस है. वहां के सरफेस वाटर को कितना टेप किया है

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

मैं आपसे पूछना चाहता हूं चित्तौड़, भीलवाड़ा और उदयपुर के अन्दर विदाउट बी. सी. रेशो, जो आपने मीडियम प्रोजक्ट बनाये, उसकी प्लानिंग पर क्या सैण्ट्रल वाटर कमीशन ने एतराज नहीं किया।

(सयय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री शिवचरण सिंह : आपके इरिगेशन मिनिस्टर्स की कान्फ्रेन्स में राजस्थान के लिए लताड़ लगाई गइ थी कि वहां के जितने प्रोजक्ट हैं वह सारे प्रोजक्ट्स फैल्योर है। उनका बी. सी. रेशो फिजिवल नहीं है। उनसे रिजल्ट्स अचीव नहीं किये गये। और राजस्थान ईस्टर्न बैल्ट के अन्दर जो इरिगेशन प्रोजक्ट मेरे जिले के अन्दर मास्टर प्लान बनाया, मास्टर प्लान के अन्दर 19 प्रोजक्ट है, झालावाड़ और कोटा में प्रोजक्ट है, उनको पालिटिकली नहीं बनाया जाता कि वह फिजिबल स्कीम है। फिजिबल स्कीम बनेगी तो इन फिजिबल स्कीम को कैसे आने दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री शिवचरण सिंह : राजस्थान का ईस्ट भाग हमारे राजस्थान की रेवेन्यू रिसोंसेज है उसका 7 प्रतिशत भागीदार है 7 प्रतिशत रुपया हम देते हैं। हमारे यहां कितना रुपया आप खर्च करते हैं। कोटा का ज्योग्राफी कल पोजीशन चाहे वहां का कम्युनीकेशन हो चाहे वहां पर अवेलेविलिटी हो चाहे पावर की अवेलेबिलिटी हो, चाहे जमीन उपलब्धि हो चाहे मिनिरल वैल्थ

(श्री शिवचरण सिंह)

की उपलब्धि हो, उसके कारण से विकास का मौका मिला। अलवर के विकास में जो दिल्ली कैपिटल के नजदीक था इस कारण से मिला, बाकी आपने क्या दिया हमको ? आपने कुछ नहीं दिया। राजस्थान के विकास में राजस्थान की इकोनोमी में····

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त करें।

श्री शिवचरण सिंह : हमारे ईस्टर्न राजस्थान के लोगों का जबरदस्त कन्ट्रीब्यूशन है। अगर आपने इसी तरह का भेदभाव पूर्ण रवैया रखा तो राजस्थान के लिये उपयुक्त नहीं है····

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त करें।

श्री शिवचरण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने समय दिया, माननीय उस पक्ष में बैठने वाले महानुभावों ने मेरी बात शांति से सुनी, वह अपने मित्रों को, उनके मिनिस्टर्स को मेरी बात कहेंगे इसी आशा के साथ मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुक्तिलाल मोदी।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आज राजस्थान के एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस हो रही है। माननीय उपाध्यक्ष जी, आज राजस्थान के अन्दर इतनी ज्यादा बेकारी फैल रही है, और राजस्थान के अन्दर आज सबसे ज्यादा दिन प्रतिदिन महंगाई की हालत खराब हो रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के अन्दर जो इनकम होनी चाहिये, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ना चाहिये, वृक्षारोपण ज्यादा होना चाहिये और राजस्थान के अन्दर जो बेकारी है, वह दूर होनी चाहिये इसके लिये कोई भी माननीय सदस्य बुरा नहीं माने यहां 200 माननीय सदस्य हैं मगर यह बात सोच लें····(व्यवधान)

देखो, जो बात कहूंगा सो कहूंगा। मैं भी आपके अन्दर शामिल हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, दो सो माननीय सदस्य हैं····(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मोदी जी का समय खराब न करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : अगर दो सौ सदस्य इस बात के लिये कि राजस्थान का जो पैसा है वह हमारे खून का पैसा है, हमारे राजस्थान में एक आदमी का जो ऐश और आराम करता है और दूसरा आदमी भूखा सोता है। माननीय उपाध्यक्ष जी, बिधान सभा के यह सदस्य जब तक इस बात के लिये नहीं सोचेंगे और हिन्दुस्तान के अन्दर मैं ही नहीं कहता हूं, हिन्दुस्तान की पार्लियामेण्ट के अन्दर जो लोग बैठे हैं वह हिन्दुस्तान की बात नहीं सोचेंगे तब तक हिन्दुस्तान में जो बेकारी की परेशानी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, वह दूर नहीं होगी और आज भारत सरकार और राजस्थान सरकार जो सारे के सारे प्लान बनाती है वह सारे के सारे प्लान एकदम खराब हैं और यह प्लान जिस तरह से बनते हैं और यह जितने आई. ए. एस. आफिसर्स बैठे हैं, इन आई,

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

ए. एस आफिसर्स के जरिये सारे प्लान बनाये जाते हैं और उस प्लान के ऊपर यह ध्यान नहीं देते कि यह बेकारी कैसे दूर होगी, महंगाई जो आज दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, माननीय उपाध्यक्ष जी, वह महंगाई कैसे दूर होगी। जिस चीज की आज पैदावार होनी चाहिये, वह पैदावार नहीं बढ़ेगी तब तक यह राजस्थान आगे नहीं बढ़ेगा। आज हम लोग जानते हैं कि रिश्वत का सबसे ज्यादा जोर है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज हाउस में जितने सदस्य हैं आज ईमानदारी से यह कह दें कि यह आफिसर रिश्वत लेता है। वह कहते हैं कि एण्टी करप्शन में दो। एण्टी करप्शन में कौन जायेगा उसके पास खाने के लिये रोटी ही नहीं है, एण्टी करप्शन में कैसे जायेगा। दो, महीने तीन महीने एन्टी करप्शन में डोलेगा, गवाही दो, पैसा खर्च करो, खाने के लिये तो रोटी नहीं है, कहां से जायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष जी, जब तक यह बात नहीं सोचेंगे, यह तो सबको मालूम है कि आज मैं विधान सभा का सदस्य हूं, मेरी चीज भी आज लोगों को मालूम है कि कितना साहूकार हूं, कितना +++ और इस तरह से हर आदमी आफिसर को चाहे आर. ए. एस. आफिसर हो, आई. ए. एस. आफिसर हो या दूसरे इन्जीनियर हो, हम सब लोग जानते हैं। परन्तु जानते हुए भी वह नहीं कर पाते हैं और जाकर के भाषण देते हैं। अब यह भाषण से कुछ होने वाला नही है। जनता भूखी मर रही है। जनता इस बात के लिये जानती है कि मेरे दो बेटे हैं, तीन बेटे हैं, नौकरी पर लगे हैं। नौकरी का इतना बड़ा सिलसिला हो गया है कि हर आदमी सरकारी नौकरी चाहता हैं तो जब तक राजस्थान सरकार इस तरह का बजट नहीं बनायेगी कि हम लोग सबको रोजगार दें, सबको धन्धा दें, तब तक यह जो सारा बजट बना है वह सब व्यर्थ है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज जब तक ठेकेदारी प्रथा खत्म नहीं होगी, आज कई हजार इन्जीनियर बैठे हैं, डाक्टर बैठे हैं, पोलोटेक्निक में किये हुए बैठे हैं आज जिस डिपार्टमेंट में भी देखो, पहले मेडिकल की बात थी, आज मेडिकल डिपार्टमेंट के भी बैठे हैं, एग्रीकल्चर की बात कहोगे, एग्रीकल्चर के इन्जीनियर बैठे हैं तो जब तक यह पूरी योजना नहीं बनाओगे, आज कहते हैं आफिसर ने विख दिया ठेके पर दो, ठेके पर क्यों हो। ठेकेदारी प्रथा खत्म करो। प्रेक्टिकल काम के अन्दर उनको परमानेन्ट नौकरी मत दो प्रेक्टिकल काम कराओ। आज राजस्थान के अन्दर एक आदमी बेकार नहीं होगा। पर यह कोई हिम्मत नहीं कर सकता। आज अगर यह हिम्मत करें तो आज यहां विधान सभा में बैठे यह लोग सब से ज्यादा विरोध करेंगे कि ठेकेदारी प्रथा चालू रहनी चाहिये। मैं यह साफ कहना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, आज जितने कारपोरेशन बने हैं, उन कारपोरेशन्स में भी आज यही

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

हालत है कि सब जगह जबरदस्त भ्रष्टाचार है।

मैं जानता हूं, कोई कहे कि भ्रष्टाचार नहीं है, मैं साबित कर सकता हूं कि भ्रष्टाचार है और आज राजस्थान की सरकार और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि भ्रष्टाचार मिट जाना चाहिये। आज उनको मालूम है, उनको ध्यान नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, आज हर डिपार्टमेंट के अन्दर, 80 परसेन्ट, 90 परसेंट भ्रष्टाचार है और माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपको यह कहना चाहता हूँ आज जिस तरह की योजना बनाई जा रही हैं जैसे कि माईनिंग के लिये समझ लीजिये, आज मैंने राजीव गांधी तक को लिखा कि हिन्दुस्तान के अन्दर इतना करोड़ रुपया

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें। आपको जितना करोड़ रुपया चाहिये, उतना करोड़ रुपया आ सकता है। राजस्थान सरकार को लिखा परन्तु मेरी बात को कोई मानता नहीं है····

श्री उपाध्यक्ष : मोदी जी समाप्त करें। मोदी जी की बात को मान रहे हैं क्या आप लोग।

श्री मुक्तिलाल मोदी : इन योजनाओं को ठीक ढंग से बनाओ। योजना ईमानदारी से चलानी है तो यह सोच लो, सी. आई. डी. का आदमी लगा दो। सी. आई. डी. में आज आई. जी, डी आई जी, दुनिया भर के भर रखे हैं, आप इनको लगा दो कि यह इन्जीनियर रिश्वत खाता है कि नहीं खाता है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल बुधवार 19 जुलाई, 1989 को प्रातः 11-00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6-00 बजे बुधवार, दिनांक 19 जुलाई, 1989 को पूर्वान्ह 11-00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न और उत्तर

डार्क जोन तहसील गंगापुर

388. श्री हरीश चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या भू-जल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील गंगापुर में पेयजल एवं सिंचाई का मुख्य साधन कुए हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि गंगापुर तहसील को डार्क जोन घोषित कर दिया है जिसके फलस्वरूप कृषक सरकार से मिलने वाली सुविधा से वंचित हो गये हैं ? यदि हां, तो डार्क जोन घोषित करने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या अब उक्त तहसील को उपरोक्त कारणों से डार्क जोन से मुक्त कराने का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । किसी भी भू-जल इकाई को डार्क श्रेणी में तब ही वर्गीकृत किया जाता है जब उस इकाई से भू-जल निकासी (ड्राफ्ट), भू-जल रिचार्ज से 85 प्रतिशत या अधिक हो ।

(3) गंगापुर पंचायत समिति का पुनः भू-जल मूल्यांकन के परिणाम अगस्त, 89 तक आने की संभावना हैं, अगर परिणाम आशाजनक रहे तो भू जल इकाई डार्क जोन की श्रेणी से मुक्त हो सकती हैं ।

पर्यटन स्थल लोहार्गल

389. श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : क्या पर्यटन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या लोहार्गल जिला झूंझुनूं को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

(2) क्या सरकार लोहार्गल के सौन्दर्य को ध्यान में रखते हुए लोहार्गल व नवलगढ़ को कोई होटल बनाने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि झुन्झुनूं जिले के नवलगढ़, मण्डावा व अन्य स्थानों पर भारी संख्या में पर्यटक आते हैं ? यदि हां, तो सरकार इस जिले में कहां-कहां पर पर्यटकों के आवास के लिये होटल आदि की व्यवस्था करने का विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) लोहार्गल में पर्यटन विकास की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है ।

(2) जी नहीं । फिलहाल लोहार्गल

(पर्यटन राज्य मन्त्री)

एवं नवलगढ़ में होटल बनाने के कोई प्रस्ताव नहीं है।

(3) जी हां। नवलगढ़ एवं मण्डावा में काफी संख्या में पर्यटक प्रतिवर्ष आते हैं, इसकी सूचना पर्यटक विभाग द्वारा वर्तमान में संकलित नहीं की जा रही है। पर्यटन विभाग झुंझुनूं में एक केफेटेरिया व आवास के लिए कमरों की व्यवस्था पर विचार कर रहा है, जिसके प्रस्ताव भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय को भेजे जा चुके हैं।

डूंगरपुर जिले के आदिवासी छात्रावास

390. **श्री शंकरलाल आहारी** (चौरासी) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डूंगरपुर जिले में कितने व कौन-कौन से आदिवासी छात्रावास भवनों का निर्माण ट्राईबल डवलपमेन्ट मद से किया गया है ?

(2) क्या उक्त छात्रावास भवनों का निर्माण सम्पूर्ण करा लिया गया है यदि हां, तो कौन-कौन से छात्रावास भवन पूर्ण करा लिये गये हैं ? यदि अपूर्ण हैं, तो कौन कौन से और इनको कब तक पूरा करा लिया जायेगा ?

उत्तर

(1) डूंगरपुर जिले में 15 आदिवासी छात्रावास भवनों का निर्माण कार्य जनजाति विकास मद से किया गया है, उनकी सूची संलग्न परिशिष्ट (ऊ) अनुसार है। 7 आदिवासी छात्रावास अकाल राहत योजनान्तर्गत निर्माणाधीन हैं, जिनमें से केवल 25 प्रतिशत राशि जनजाति विकास मद से दी गई। सूची परिशिष्ट (ब) पर उपलब्ध है।

(2) उक्त 15 में से 11 छात्रावासों का निर्माण कार्य पूर हो चुका है एवं 4 छात्रावासों का कार्य निर्माणाधीन है, जिनकी सूची परिशिष्ट (अ) पर है। इन अपूर्ण छात्रावास भवनों को वर्ष 1989-90 में पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है। इनके अतिरिक्त 7 आदिवासी छात्रावास जो अकाल राहत योजना व जनजाति विकास मद के अन्तर्गत निर्माण किए जाने हैं वे अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। इसे पूर्ण कराने के लिए भी राशि उपलब्ध कराये जाने हेतु वार्षिक योजना में प्रस्तावित है। (परिशिष्ट ब)

परिशिष्ट "अ"

जनजाति उपयोजना क्षेत्र, डूंगरपुर में जिन आदिवासी छात्रावास भवनों का निर्माण ट्राइबल डवलपमेंट मद से किया गया है, उनकी सूची निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	पं. स.	छात्रावास का नाम	पूर्ण/अपूर्ण
1.	आसपुरा	रीछा	पूर्ण
2.	डूंगरपुर	रघुनाथपुरा	पूर्ण
3.	डूंगरपुर	मालचौकी	पूर्ण
4.	बीछीवाड़ा	माडा	पूर्ण
5.	बीछीवाड़ा	तलईया	पूर्ण
6.	सीमलवाड़ा	डूंका	पूर्ण
7.	डूंगरपुर	सूराता	पूर्ण
8.	सागवाड़ा	नोखना	पूर्ण
9.	सागवाड़ा	चिबुड़ा	पूर्ण
10.	आसपुरा	पचलासा छोटा	पूर्ण
11.	सागवाड़ा	ओबरी	पूर्ण
12.	डूंगरपुर	कहारी	अपूर्ण
13.	बीछीवाड़ा	बिछीवाड़ा	अपूर्ण
14.	सीमलवाड़ा	बडगामा	अपूर्ण
15.	डूंगरपुर	राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, डूंगरपुर (प्रतिभाशाली छात्रावास)	अपूर्ण

परिशिष्ट "ब"

अकाल राहत योजना में निर्मित किये जाने वाले अपूर्ण आदिवासी छात्रावास

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 7 आदिवासी छात्रावास भवन इस योजना के अन्तर्गत निर्मित किये जाने थे, जिसमें 25 प्रतिशत खर्च जनजाति विकास विभाग द्वारा दिया गया। यह छात्रावास अभी अपूर्ण है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. स.	छात्रावास का नाम
1.	देवल
2.	आसपुर
3.	भामडी अहाडा
4.	चुण्डावाडा
5.	जलाप
6.	गंधवापाला
7.	निठाउवा

इन्हें वर्ष 1989-90 में पूर्ण कराने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 4 जुलाई, 1989)

चूरू जिले के कच्चे मार्गों पर बसें

76. श्री रेवतराम चोधरी (डूंगरगढ़) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू जिले में बसों के कितने कच्चे रूट स्वीकृत हैं ? कृपया तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें। उक्त रूट किस-किस के नाम से स्वीकृत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त रूटों पर कितनी-कितनी बसें चलती हैं ? बसों का नम्बर, चैसिस नम्बर एव इंजन नम्बर क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या स्वीकृत रूटों पर स्वीकृत नम्बर की ही बसें चलती हैं ? स्वीकृत रूटों की बसों में कितनी सीट पास हैं ?

(4) श्री डूंगरगढ़-बिदासर रूट पर कौन-कौनसी बसें किसकी चल रही हैं सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

चूरू जिले में 58 कच्चे रूट स्वीकृत हैं। इन रूटों की तहसीलवार सूची, मय परमिटधारी के संलग्न परिशिष्ट (क) में उपलब्ध है।

(2) सूचना संलग्न परिशिष्ट (क) में उपलब्ध है।

(3) जी हां। बैठक क्षमता की सूचना परिशिष्ट (क) में उपलब्ध है।

(4) डूंगरगढ़-बीदासर मार्ग पर चलने वाली बसों के नम्बर बस मालिक के नाम सहित इस प्रकार हैं :—

क्र. सं.	बस मालिक का नाम	बस संख्या
1	2	3
1.	श्री धूडाराम पुत्र बस्ताराम, डूंगरगढ़	आर जे एफ 3293
2.	श्री किशनाराम पुत्र बस्ताराम,	आर जे एफ 5661
3.	श्री पृथ्वीराज पुत्र श्री गणपतराम बीकानेर	आर एस बी 3156
4.	श्री रेखा राम पुत्र श्री मग्धाराम ,,	आर जे एफ 6371

1	2	3
	(यातायात मन्त्री)	
5.	श्री विमल कुमार पुत्र रिद्धकरण ,,	आर जे आई 2265
6.	श्रीमती जमना पत्नी श्री निहाल चन्द ,,	आर एस एफ 7051
7.	श्री बद्री नारायण पुत्र श्री नत्थूराम ,,	आर एस एस 3839

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गई)

रेलड़ा से चांग सड़क

391. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व कृषि मन्त्री जी ने ब्यावर से बिलाड़ा रोड पर रेलड़ा से चांग 5 कि. मी. तथा ब्यावर से चांग 5 कि.मी. सड़क निर्माण के प्रस्ताव मांगे थे ? यदि हां, तो तत्संदर्भ में क्या प्रगति है ?

(2) क्या यह सही है कि ब्यावर मंडी में कोटड़ा से गारद जिला पाली की सीमा तक वाहनों के चलने योग्य सड़क नहीं है, जबकि इस सड़क से हजारों मन कृषि पैदावार ब्यावर मंडी में आती है ? यदि हां, तो इस 5 कि. मी. सड़क को कब तक ब्यावर मंडी समिति बना देगी ?

उत्तर

(1) हां। चांग से रेलड़ा सड़क 3 कि. मी. की स्वीकृति दिनांक 23-6-89 को प्रदान की जा चुकी हैं। ब्यावर से चांग तक करीबन 3.7 कि. मी. की सड़क कृषि उपज मण्डी ब्यावर क्षेत्र में आती है शेष जैतारण के क्षेत्र में आती है। ब्यावर मण्डी में चांग क्षेत्र की आवक नगण्य है। अतः इस सड़क का निर्माण कराने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

(2) जी हां। प्रस्ताव आने पर कार्यवाही हो सकेगी।

चूरू जिले के आंगनवाड़ी केन्द्र

392. श्री चुन्नी लाल मेघवाल (सुजानगढ़) : क्या महिला बच्चे पोषाहार राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू जिले में पोषाहार केन्द्र द्वारा कुल कितनी आंगन बाडियां चलाई जा रही हैं ? क्या इनमें से कुछ आंगन वाड़ी केन्द्रों को बन्द करने का विचार है ? यदि हां, तो किस-किस को और क्यों ?

(2) विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ में कितने आंगन वाडी केन्द्र स्वीकृत थे ? इनमें से कितने केन्द्र खोले गये व कितने केन्द्र खोलने के बाद बन्द कर दिये गये तथा क्यों ? अब तक इन केन्द्रों पर कितना व्यय हुआ ?

(3) उक्त क्षेत्र में कितने। केन्द्रों से अनियमितताओं के मामले प्रकाश में आये

(श्री चुन्नीलाल मेघवाल)

हैं तथा इनमें किन-किन के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चुरू जिले में चार बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत 550 आंगनवाड़ी केन्द्र चलाये जा रहे हैं। इनमें से किसी भी आंगनवाड़ी केन्द्र को बन्द करने का विचार नहीं है।

(2) बाल विकास परियोजा सुजानगढ़ में 188 आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं इनमें से 177 आंगनवाड़ी केन्द्र खोले गये तथा खोलने के बाद 12 केन्द्र बन्द कर दिये गये। इन केन्द्रों को निम्न लिखित कारणों से बन्द किये गये :—

1. कार्यकर्ता द्वारा त्याग पत्र देने से	9
2. केन्द्र में अनियमितता के कारण	2
3. कार्यकर्ता की मृत्यु के कारण	1
योग	12

जनवरी, 1988 से इन केन्द्रों पर किये गये व्यय का विवरण निम्नानुसार हैं :—

1. मानदेय	6,62,631/-रुपये
2. ईंधन	71,739/-रु.
3. पिसाई	14,211/-रु.
4. मकान किराया	29,681/रु.
5. यात्रा व्यय	6,298/-रु.
(6. पोषाहार	11,58,975/-रु.

(3) उक्त क्षेत्र के 10 आंगनवाड़ी केन्द्रों में अनियमितताओं के मामले प्रकाश में आये हैं जिनके खिलाफ कार्यकर्ताओं को हटाने की कार्यवाही की गई तथा जांच के बाद नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

(तारांकित प्रश्न संख्या 393.—स्थगित)

बाड़मेर जिले में ब्लेक बोर्ड योजना

394. श्री मोटाराम (सिवाना)

श्री हेमा राम चौधरी (गुढा मालानी) : क्या शिक्षा राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) बाड़मेर जिले की कितनी पंचायत समितियों को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत लाभान्वित किया गया है?

(2) क्या बची हुई अन्य पंचायत समितियों को उक्त योजना से लाभान्वित करने का राज्य सरकार विचार रखी है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत चयनित पंचायत समितियों में

(श्री हेमाराम चौधरी)

सिंगल रूम व भवन रहित प्राथमिक विद्यालयों में क्रमशः एक अतिरिक्त कमरा व दो कमरों की स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले की 6 पंचायत समितियों को आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया।

(2) जी हां। बाड़मेर जिले की शेष दो पंचायत समितियों के प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाये जा रहे हैं वित्तीय वर्ष 1989-90 में इसकी स्वीकृति प्राप्त करने के प्रयास किए जायेंगे।

(3) जी हां। बाड़मेर जिले की 45 प्राथमिक विद्यालयों में दो-दो कक्षा कक्ष मय बरामदा, 307 प्राथमिक विद्यालयों में एक-एक कक्षा कक्ष मय बरामदा निर्माण कराये जाने की स्वीकृति दी जा चुकी है एवं निर्माण कार्य प्रगति पर है।

खैरथल मंडी की सड़कें

395. **श्री महेन्द्र शास्त्री** (मण्डावर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि निर्वाचन क्षेत्र मुंडावर जिला अलवर में कृषि उपज मण्डी समिति खैरथल के माध्यम से निम्न सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है :—

(क) उलाहेडी के तिबारे से जसाई तक

(ख) मुंडावर से सराय कलां तक

(ग) सियाखोह से मुंडिया खेडा तक वाया मउ

(घ) कुमपुर से सिहम्ली कलां तक वाया रडवा

(ङ) कांदइया से बासनी तक वाया तिगांवा

(च) खानपुर अहीर रेलवे फाटक से तिनरीरूडी फार्म तक

(2) उपरोक्त सड़कें कितनी-कितनी लम्बाई के लिये कब-कब स्वीकृत की गई ?

(3) इनमें से कौन-कौन सी सड़क कितनी-कितनी लम्बाई की निर्मित हो चुकी हैं ?

(4) शेष को कब तक और किस रूप में पूरा किया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। सड़क नं. (घ) तथा (ण) में वाया रड़वा व तिगावा स्वीकृत नहीं हैं।

(2) सड़कों की स्वीकृति लम्बाई एवं स्वीकृति वर्ष की सूचना परिशिष्ट (क) के कलाम संख्या 3 व 4 में दर्शायी गई हैं।

(3) निर्मित सड़कों की लम्बाई की सूचना परिशिष्ट (क) के कालम संख्या 5 में दर्शायी गयी हैं।

(4) शेष कार्य एवं कार्य का प्रकार परिशिष्ट (क) के कालम संख्या 6 एवं 7 में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट–"क"

क्र. सं.	सड़क का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृति लम्बाई (कि. मी.)	भौतिक प्रगति	सड़क का प्रकार	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	सम्पर्क सड़क मुंडावर से सरायकलां	81-82	6.00	4.00 कि. मी. डामर	डामर	शेष 2.00 कि. मी. संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा यथाशीघ्र कार्य पूर्ण कराने हेतु कार्यवाही की जा रही है।
2.	सम्पर्क सड़क ऊलाहेड़ी गस स्टेण्ड	88-82	6.00	4.00 कि. मी. डामर	,,	,, ,,
3.	सम्पर्क सड़क सियाखो से मूंडिया-खेड़ा	84-85	2.00	---	—	भूमि विवाद के कारण कार्य सम्पन्न नहीं कराया जा सका है।

1	2	3	4	5	6	7
		86-87	2.50	2.50 कि. मी. ग्रेवल	डामर	इसी वित्तीय वर्ष में कार्य पूर्ण किया जाना सम्भावित है।
4.	सम्पर्क सडक कुमपुर से सिहालीकलां	84-85	4.00	—	,,	2.00 कि. मी. में भूमि-विवाद के कारण कार्य नहीं कराया जा सका। शेष 2.00 कि. मी. में कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।
		87-88	2.50	2.50 बी. टी.	,,	कार्य प्रगति पर है इसी वित्तीय वर्ष में कार्य पूर्ण होना सम्भावित है।
5.	सम्पर्क सड़क कादेया से बासनी	81-82	6 00	2.00 बी. टी.	,,	कुछ कार्य अलाइमेंट एवं भूमि विवाद के कारण कार्य पूर्ण नहीं

1	2	3	4	5	6	7
						किया जा सका। शेष कार्य हेतु संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है।
6.	सम्पर्क सडक तिनकूडी फार्म से खानपुर	83-84 84-85	3.00 1.00	2.20 कि. मी ग्रेवल	डामर	800 मी. में भूमि विवाद के कारण कार्य नहीं हो सका। शेष कार्य हेतु संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है। कार्य शीघ्र कराने की कार्यवाही की जा रही है।

पंचायत समितियों में विद्युत कनेक्शन

396. **श्री रामदेव चौधरी** (मूंडवा) **श्री हरजी राम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जो गांव विद्युतीकृत किया जाता है उसमें घोषणा करने के पहले ट्रांसफार्मर लगाया जाता है? यदि हां, तो पंचायत समिति नागौर व मुण्डवा जिला नागौर में गत पांच वर्ष में कौन-कौन से गांव कब-कब विद्युतीकृत घोषित किये गये और उनमें कब-कब ट्रांसफार्मर लगाये गये? गांव वार सूची सदन की मेज पर रखें?

(2) उपरोक्त गांवों में कितनी-कितनी एल. टी. लाईनें कब-कब खींची गई और स्वीकृत स्कीमों में कितनी एल. टी. लाईनें स्वीकृत थीं?

(3) क्या उपरोक्त ग्रामों में ऐसे भी गांव हैं जो विद्युतीकृत घोषित होने के बावजूद भी किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है? यदि हां, तो कौन-कौन से और कब-कब से तथा उनमें कितने-कितने प्रार्थना पत्र कब-कब से विचाराधीन हैं तथा कनेक्शन नहीं देने के क्या कारण हैं? गांववार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सामान्यत: पोटेंशियल ग्रामों में ट्रान्सफारमर स्थापित किया जाकर ग्राम विद्युतिकृत घोषित किया जाता है। नौन पोटेंशियल ग्रामों में मांग के अनुसार ट्रान्सफारमर स्थापित किया जाता है। पंचायत समिति नागौर व मूण्डवा में गत पांच वर्षों की अवधि में क्रमश: 37 व 41 ग्रामों का विद्युतिकरण किया गया। पंचायत समिति वार ग्रामों के विद्युतिकरण की तिथि तथा ट्रान्सफारमर लगाये जाने की तिथि का विवरण संलग्न परिशिष्ट (अ) में दर्शाया गया है।

(2) पंचायत समिति नागौर व मूण्डवा में गत पांच वर्षों में विद्युतिकृत किये गये ग्रामों में कितनी-कितनी एल. टी. लाइनें खींचना प्रस्तावित था तथा कितनी लाईने खैंची गई का विवरण संलग्न परिशिष्ट (ब) में दर्शाया गया है। ये लाइनें मांग/ आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर खेंची गई।

(3) जी हां। गत पांच वर्षों में विद्युतिकृत किये गये ग्रामों में से 32 ग्रामों में किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है। ग्रामवार प्रार्थना पत्रों की प्रथम व अन्तिम तिथिवार सूची परिशिष्ट (स) में कारणों सहित संलग्न है।

205

208

परिशिष्ट–"अ"

पंचायत समिति मुण्डवा में गत पाँच वर्षों में विद्युतिकृत की तारीख व ट्रांसफारमेर लगा है या नहीं, का विवरण :—

क्र. सं.	ग्राम का नाम	विद्युतिकरण की तारीख	ट्रांस फार्मर लगा है या नहीं
1	2	3	4
1.	धुंधियारी	31-10-84	लगा हुआ है।
2.	मैंडा	,,	नहीं लगा।
3.	जौधराम	,,	लगा हुआ है।
4.	अछुताई (एन. पी.)		नहीं लगा।
5.	चकजुझन्डा ,,	,,	,,
6.	खेड़ा धाधियावास ,,	,,	,,
7.	धगावरी ,,	,,	,,
8.	पिगरावण्डी ,,	,,	लगा हुआ है।
9.	चिन्दरी ,,	,,	नहीं लगा।
10.	चरड़ा ,,	,,	,,
11.	नागरी ,,	30-9-84	लगा हुआ है।
12.	लालवास ,,	,,	,,
13.	इन्दोक्ली (एन. पी.)	,,	नहीं लगा हुआ है।
14.	चितापी ,,	,,	लगा हुआ है।
15.	ढावा ,,	,,	,,
16.	मौडी ,,	,,	नहीं लगा
17.	गुडिया ,,	,,	लगा हुआ है।
18.	महेशपुरा ,,	,,	नहीं लगा।

1	2		3	4
19.	जोरावपुरा	एन. पी.	30-9-84	लगा हुआ।
20.	अखावास	,,	,,	नहीं लगा।
21.	लूण्वास	,,	,,	नहीं लगा।
22.	वैरावास	,,	,,	लगा हुआ है।
23.	मानकपुरा	,,	30-10-84	,,
24.	खुन्डाला		30-12-84	,,
25.	नरवा कलां		31-3-86	,,
26.	नोरवा खुर्द		,,	,,
27.	कुच्छी		,,	,,
28.	इश्रनावडा		,,	,,
29.	वरबटा		,,	,,
30.	काटियां		31-3-87	,,
31.	पांचला सिद्धा		30-3-87	नहीं लगा
32.	बिरलोखा		,,	लगा हुआ है।
33.	खटोडा		,,	नहीं लगा।
34.	खोडवा		,,	,,
35.	साटिका कलां		,,	,,
36.	बैराथल कलां		,,	नहीं लगा।
37.	साटिका खुर्द		30-3-88	,,
38.	माडपूरा		31-3-87	लगा हुआ है।
39.	बैराथल खुर्द		30-3-88	नहीं लगा।
40.	आंकला हमीराना		,,	नहीं लगा।
41.	धारणवास		,,	लगा हुआ।

(207)

परिशिष्ट "अ",

पंचायत समिति नागौर में पिछले पांच वर्षों मे विद्यु तिकृत किए ग्रामों की सूची :--

क्र.सं.	ग्राम का नाम	दिनांक	वर्तमान में ट्रांसफार्मर लगा है या नहीं लगा है।
1	2	3	4
1.	तितिरी	25-1-85	लगा हुआ है।
2.	कवलीसर	,,	,,
3.	जोधियासी	,,	,,
4.	हिगोनिया	,,	नहीं लगा हुआ है।
5.	खेतास	25-2-85	,,
6.	इन्दास	31-2-86	लगा हुआ है।
7.	लूणदा	,,	नहीं लगा हुआ है।
8.	भवाद	31-1-87	लगा हुआ है।
9.	गोरेरा	30-3-87	नहीं लगा हुआ है।
10.	भोजावास	25-2-85	लगा हुआ हैं।
11.	झाडीसरा	,,	,,
12.	मटेरा	,,	नहीं लगा हुआ है।
13.	माडेली	,,	लगा हुआ है।
14.	पीपासर	31-3-86	,,
15.	चतरामाजरा	31-12-88	,,
16.	चाऊ	,,	,,
17.	गोवा खुर्द	25-4-85	,,
18.	बुढ़ी	31-3-85	,,

1	2	3	4	5
19. बसबानी		15-3-85	लगा हुआ है।	
20. बासड़ा		31-3-85	नहीं लगा हुआ है।	
21. सालवा		15-3-85	लगा हुआ है।	
22. जबरासी		25-2-85	नहीं लगा हुआ है।	
23. फागली		31-3-85	लगा हुआ है।	
24. कावपुरा		30-1-86	नहीं लगा हुआ है।	
25. सीनोद		31-3.86	लगा हुआ है।	
26. टाकला		31-2-86	,,	
27. अहमदपुरा		30-3-87	,,	
28. डीगसरा		,,	,,	
29. सिघाणी		10-1-87	,,	
30. सारनवास		31-3-88	,,	
31. बापोड़		23-9-84	,,	
32. जीवनवेरा		25-2-85	नहीं लगा हुआ है।	
33. जिन्दास		30-4-85	,,	
34. रामसिया		30-1-86	लगा हुआ है।	
35. निम्बोला		30-1-87	,,	
36. भोजास		,,	,,	
37. बालवा		28-12-87	लगा हुआ है।	

(209)

परिशिष्ट "ब"

पंचायत समिति नागौर में 1984-85 से 1988-89 तक विद्युतिकृत ग्रामों में स्कीम के अनुसार स्वीकृत एल० टी० लाईन व एल० टी० लाईन का किए गये कार्य का विवरण :—

क्र.सं.	ग्राम का नाम	ग्रामों में स्कीम के अनुसार स्वीकृत एल० टी० लाईन	खींची गयी एल० टी० लाईन कि० मी० में
1	2	3	4
1.	कंवलोसर	0.25	1.300
2.	जोधियासी	0.85	0.938
3.	हिंगोनिया	0.50	—
4.	खेतास	0.50	—
5.	इन्दास	0.60	0.350
6.	लूण्दा	0.25	—
7.	भवाद	0.50	7.70
8.	गोरेरा	0.60	—
9.	भोजावास	0.50	1.25
10.	झाड़ोसरा	0.60	0.30
11.	भटेरा	0.60	—
12.	भाडेली	0.60	0.536
13.	पोपासर	0.50	1.10
14.	चाऊ	1.2	—
15.	बसरा मांजरा	0.25	—
16.	गोवा खुर्द	0.50	0.80

1	2	3	4
17.	बुढो	0.85	0.20
18.	बसवानी	0.60	0.30
19.	बांसड़ा	0.25	—
20.	मालवा	0.5	0.30
21.	जबरासो	—	—
22.	फामलो	0.25	0.70
23.	कादापुरा	0.25	—
24.	सिनोद	1.10	0.67
25.	टाकला	1.6	0.25
26.	अहमदपुरा	1.1	—
27.	ढीगसरा	0.8	—
28.	सिंघानो	0.5	0.42
29.	सारणवास	0.25	0.82
30.	बापोड	0.35	0.70
31.	जीवनबेरा	0.25	—
32.	जिन्दास	—	—
33.	निम्बोला	0.6	0.39
34.	भोजास	1.5	—
35.	बालवा	0.9	0.22
36.	रामसिया	0.5	2.520
37.	तोतरो	0.6	0.459

परिशिष्ट "ब"

पंचायत समितित मूंडवा में गत पांच वर्षों में विद्युतीकृत घोषित ग्रामों में एल० टी० लाईन का विवरणः—

क.सं.	ग्राम का नाम		एल० टी० लाईन का विवरण (कि. मी.)	
			स्वीकृत एल० टी० लाईन	खेंची गई एल० टी० लाईन
1	2	3	4	
1.	घूघियाड़ो		0.90	2.0
2.	मंडास		0.50	2.70
3.	जोधड़ास एन. पी		—	0.30
4.	अछुताई एन. पी.		—	0.50
5.	खेड़ा धाघियावास एन. पी.		—	—
6.	घिगावड़ो एन. पी.		—	—
7.	गिरावन्डो	एन. पी.	—	—
8.	चिन्दड़ो	,,	—	—
9.	चरड़ा	,,	—	—
10.	नाएड़ो	,,	1.12	0.70
11.	लालवास	,,	0.65	0.20
12.	इन्दोकलो	,,	—	—
13.	चिताणी	,,	—	—
14.	ढावा	,,	—	—
15.	मोडो एन. पी.	,,	—	—
16.	गुड़िया	,,	—	—

1	2		3	4
17.	महेशपुरा	एन. पी.	—	—
18.	जो रावरपुरा	,,	—	—
19.	अखावास	,,	—	—
20.	लूणवास	,,	—	—
21.	खुण्डाला		0.65	0.30
22.	नोखा कलां		0.90	0.20
23.	नारवा खुर्द		0.65	0.52
24.	कड़छी		1.72	0.40
25.	ईशर नावडा		0.65	0.30
26.	बरंवटा		0.65	0.20
27.	पाचला सिद्धा		0.37	5.20
28.	बिरलोखा		1.65	0.20
29.	खोडवा		0.55	0.84
30.	बारसा		0.65	
31.	साटिका खुर्द		0.56	
32.	खोटड़ा		0.55	0.55
33.	बैरथल कलां		0.55	
34.	साटिका कलां		0.55	
35.	माडपुरा		1.65	
36.	बैराथल खुर्द		0.25	—
37.	आंकला हमोराना		0.85	—
38.	धारनावास		0.55	—
39.	चकजुझूंडा	एन. पी	—	—
40.	कांटिया		1.35	0.55
41.	मानकपुरा		0.50	—

411]

परिशिष्ट–"स"

पंचायत समिति नागौर में मार्च, 1989 तक विद्युतीकृत उन गांवों की सूची जिनमें एक भी कनेक्शन नहीं है तथा बकाया आवेदनों को श्रेणीवार संख्या मय प्रथम व अन्तिम आवेदन आने की तारीख सहित विवरण :—

क्र. सं.	ग्राम का नाम	विद्युतिकरण की तिथी	घरेलू	वाणिज्य	उद्योग	कृषि	जलदाय विभाग	रोड लाईट	विद्युत संबंध नहीं होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	भोजास	30-1-87	13/ 13-10-97 से जून ,89 तक	2/ 20-1-88 से 22-3-88	—	—	1/ 24-5-89	—	संसाधनों की कमी के कारण।
2.	जिन्दास	30-4-85	1/6-5-89	—	—	—	—	—	,, ,,
3.	जीवन बेरा	25-1-85	—	—	—	—	—	—	आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण
4.	हिंगोनिया	25-1-85	28/9-4-85	--	—	4/26-3-85	—	—	संसाधनों की कमी के कारण
5.	खतास	25-2-85	54/5-4-85 से जून, 89	—	—	2/30-11-88 से दिस., 88	—	—	,, ,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	लूणदा	31-3-89	—	—	—	—	—	—	आवेदन पत्र प्राप्त नही होने के कारण।
7.	गोरेरा	30-3-87	15/22-12-88	—	1/20-12-88	—	1/18-9-87	—	संसाधनों की कमी के कारण
8.	भटेरा	25-2-85	11/16-6-89	—	1/25-4-89	—	1/20-4-89	—	,, ,,
9.	बांसड़ा	31-3-85	—	—	1/16-5-87	5/8-4-85 से जून, 89	—	—	,, ,,
10.	कादपुरा	30-1-86	21/19-12-87	—	1/17-12-87	—	—	—	,, ,,
11.	चतरामाजरा	13-12-88	45/3-3-89 से जून, 89	1/25-3-89	2/4-3-89	—	—	—	46 मांग पत्र जुलाई 89 में जारी किये।
12.	जबरासो	25-2-85	—	—	—	—	—	—	आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण।

(215)

परिशिष्ट–"स"

पंचायत समिति मुण्डवा में विद्युतिकृत गांवों की सूची जिनमें विद्युतीकृत होने के उपरान्त भी विद्युत कनैक्शन नहीं दिये गये :—

क्र. सं.	ग्राम का नाम	बकाया आवेदन पत्रों की संख्या — घरेलू	अघरेल	छो. ओ. ई.	कृषि कनै.	कनेक्शन नहीं देने के कारण	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	पांचला सिंध	90	4	8	3	5/87 से लम्बित	
2.	नबरलौखा	39	2	3	1	5/87 से ,,	संसाधनों की कमी के कारण
3.	काठिया	23	1	1	6	9/87 से ,,	
4.	मैडास	22	–	1	4	12/87 ,,	
5.	धारणवास	–	–	3	8	3/88 ,,	
6.	चिन्दरी	34	–	1	5	3/88 ,,	
7.	अकिला हमीराना	–	–	2	11	3/88 ,,	
8.	बैराथल खुर्द	–	–	–	1	12/88 ,,	
9.	चरड़ा	34	–	1	5	12/88 ,,	
10.	अखावास	–	–	–	2	4/89 ,,	
11.	मोड़ी	31	–	1	–	4/89 ,,	
12.	साटिका खुर्द	–	–	1	–	3/89 ,,	
13.	खटौड़ा	–	–	–	4	5/88 ,,	
14.	ईश्र नावडा	–	–	6	–	12/88 ,,	
15.	महेशपुरा	–	–	–	1	6/88 ,,	

1	2	3	4	5	6	7
16.	चक्र भुभंड़ा	–	–	–	–	आवेदन पत्र नहीं
17.	खेडा धंधवास	–	–	–	–	,,
18.	धीगांवडी	–	–	–	–	,,
19.	लूणवास	–	–	–	5	संसाधनों की कमी के कारण।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 4 जुलाई, 1989)

लालसोट तहसील को सिवायचक भूमि का आवंटन

82. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की तहसील लालसोट में सन् 1986, 1887, 1988, 1989 में सिवाय चक भूमि का आवंटन व नियमन विशेष अभियान चलाकर किया गया था ? यदि हां, तो किस-किस गांव में किस-किस व्यक्ति को कितनी-कितनी भूमि आबंटित की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें :—

(2) क्या यह सही है कि सन् 1986-87, 88, 89 में जिन व्यक्तियो को भूमि आवंटित की गई है उन्हें अब तक भूमि के पट्टे नहीं दिए गए हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या इन अनुसूचित जाति के आवंटितों की भूमि पर अन्य वर्ग के लोगों का अतिक्रमण है उन्हें सरकार शीघ्र भूमि का कब्जा आवंटियो को दिलाने का इरादा रखती है ?

(4) तहसील लालसोट में कितने अनुसूचित जाति के लोगों को आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं मिलने की शिकायत है ? शिकायत कर्त्ताओं की सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) यह सही है कि जयपुर जिले की तहसील लालसोट में सन् 1986, 1988

(राजस्व मंत्री)

एवं 1989 में राज्य सरकार के आदेशानुसार "प्रशासन गांवों की ओर" अभियान चलाया जाकर सिवाय चक भूमि का आवंटन एवं नियमन किया गया था। वर्ष 1987 में कोई अभियान नहीं चला गया।

अभियान की अवधि में वर्षवार सिवाय-चक भूमि का आवंटन व नियमन निम्न-प्रकार किया गया :—

(क) भूमि आवंटन

वर्ष	व्यक्तियों की संख्या	क्षेत्रफल बीघा	बिस्वा
1986	78	195	15
1988	149	377	11
1989	485	1166	15
योग	712	1740	01

(ख) नियमन

वर्ष	व्यक्तियों की संख्या	क्षेत्रफल बीघा	बिस्वा
1986	–	–	–
1988	–	–	–
1989	2	8	01
योग	2	8	01

ग्रामवार व्यक्तिवार किये गये भूमि आवंटन की सूची (परि. "क") सदन के मेज पर रख दी गई है।

(2) यह पूर्ण रूपेण सही नहीं है कि सन् 1986, 1687, 1988, 1989 में जिन व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गयी है, उन्हें अब तक भूमि के पट्टे नहीं दिये गये। वर्ष 1986 के आवंटियों को पट्टे वर्ष 1986 में ही अभियान के तुरन्त बाद जारी कर दिये गये। वर्ष 1988 व 1989 के अभियान के दौरान किये गये भूमि आवंटन के पट्टे फार्म उपलब्ध न होने के कारण जारी नहीं किये जा सके। अब शीघ्र जारी किये जा रहे हैं।

(3) जी हां, सरकार अनुसूचित जाति के आवंटियों की भूमि जिस पर अन्य वर्ग के लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है का कब्जा आवंटियों को शीघ्र दिलाने के लिए कृतसंकल्प है।

(4) तहसील लालसोट में अनुसूचित जाति के निम्न आवंटियों की कब्जा नहीं मिलने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनका निराकरण कर दिया गया है।

1. ग्राम इन्दावा—4
2. ग्राम राजोली—1

———
5
———

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गई।)

(तारांकित प्र. सं. 397)

अध्यापकों के स्थानान्तरण

398. **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीम का थाना) : क्या शिक्षा राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

(1) द्वितीय व तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के स्थानान्तरण की नीति (मानदण्ड) क्या हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1988-89 में उक्त श्रेणियों के अध्यापकों के स्थानान्तरणों पर कब-कब रोक लगाई गई ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अध्यापकों के स्थानान्तरण संबंधी दिशा निर्देश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 88-89 में लगाये गये प्रतिबन्धों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम हरीपुरा (सीकर में एनीकट) निर्माण

399. **श्री हरलालसिंह खर्रा** (श्री माधोपुर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भू-संरक्षण विभाग द्वारा ग्राम हरीपुरा, ग्राम पंचायत झाडली, पंचायत समिति खण्डेला, जिला सीकर में एनीकट बनवाया गया था ? यदि हां, तो उस पर कुल कितना पैसा कब-कब खर्च हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त निर्माण कार्य सही ढंग से नहीं होने के कारण एनीकट के टूटने व ग्राम हरीपुरा को खतरा है ? यदि हां, तो क्या उसको ठीक कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य की मजदूरी की राशि लगभग डेढ़ साल से बाकी है ? यदि हां, तो किस-किस श्रमिक की कितनी-कितनी राशि बाकी है व उसको भुगतान नहीं होने का क्या कारण है ?

(4) अब कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

(5) विलम्ब का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां, इस पर खर्च हुई राशि निम्न प्रकार है :—

वर्ष 1986-87 में	रु. 2,32,137.00
वर्ष 1987-88 में	रु. 2,73,154.00
वर्ष 1988-89 में	रु. 61,770.00
कुल खर्चा रुपये :	5,67,061.08

(2) इस नाला बंडिंग कार्य पर साईफन पाइप डाली हुई है प्रस्तावित डिजाइन प्लान के अनुसार अस्थाई वेस्ट वेयर का निर्माण कार्य करवा दिया गया है। इससे ज्यादा वर्षा होने पर पानी इनसे निकल जायेगा।

(कृषि मंत्री)

इस निर्माण कार्य के टूटने की संभावना नहीं है। इस वर्ष इस पर डी. डी पी. के अन्तर्गत रुपये 2.99 लाख का पक्का कार्य करने का प्रावधान किया गया है, और कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

(3, 4, 5) इस कार्य पर अनियमितताओं की जानकारी होने के कारण भुगतान रोक दिया था। जांच अब पूर्ण हो चुकी है। इस आधार पर अब जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सीकर से मजदूरी का भुगतान करने के लिए आवश्यक राशि की मांग भेज दी गई है। राशि का आवंटन होने पर शीघ्र ही भुगतान करवा दिया जायेगा। श्रमिक वार बकाया मजदूरी की सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

निजी उपयोग हेतु किराये पर सरकारी वाहन

400. श्री विजेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) :

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजपत्रित अधिकारी निर्धारित किराया देने पर सरकारी गाड़ी निजी कार्य में ले सकते हैं? यदि हां, तो कृपया नियम/निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या साधारण कर्मचारी या आम जनता सरकारी गाड़ी निजी कार्य पर किराया राशि देने पर ले सकती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सरकारी आदेशों की प्रतिलिपियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) साधारण राज्य कर्मचारी उपलब्धता के आधार पर सरकारी गाड़ी निजी कार्य से किराया राशि देने पर काम में ले सकते हैं। आम जनता मोटर गैराज विभाग की केडलाक कार निर्धारित किराया राशि देने पर काम में ले सकते हैं।

(आदेशों की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

थ्री व्हीलर आटो मोटर

401. श्री बिरधमल सिंघवी (जोधपुर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में किराये के थ्री व्हीलर आटो मोटर से चलने का कोई कानून बना हुआ है? यदि हां, तो उसके प्रावधान सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में इस कानून का पालन बराबर हो रहा हो है यह सुनिश्चत करने

(श्री बिरदमल सिंघवी)

के लिए सरकार ने क्या प्रभावी व्यवस्था कर रखी है ? क्या सरकार इस हेतु प्रवृत्त नियमों को अधिक सशक्त बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रावधान सदन की मेज पर रख दिये गये हैं।

(2) आटो रिक्शा मीटर से ही किराया वसूल करें यह सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर चैकिंग की जाती है। वर्तमान नियम पर्याप्त हैं।

THE RAJAETHAN MOTOR VEHICLES RULES, 1951

Rule 141.–Motor cabs may be required to carry taxi-meters :

(1) A Regional Transport Authority may, by notification in the Rajasthan Gazette, require that within the limits of any municipality, or other area, as may be specified in the notification, all motor cabs intended in the notification, all motor cabs intended for private hire shall be fitted with taxi-metors.

(2) Where a notification as aforesaid has been issued, permits shall not be granted in respect of any motor cab not fitted with a taxi-meter, except in the following cases :—

(a) Where the permit is granted with the following condition :–

(i) That the owner of such cab shall maintain not less than six motor cabs,

(ii) That such owner shall provide such garage accomodation for the cabs as is approved by the Regional Transport authority, and

(iii) That the cabs shall not be offered for hire at public stands or at any public place.

(b) Where the permit is granted to Automobile Companies or Associations recognised by the Government of Rajasthan in this behalf, on the condition that the permit holder shall maintain motor cabs for the bona-fide use of tourists and shall suppiy them only in accordance with the specific request of the Regional Tourist Officer concerned or the Regional Transpart Officer concerned.

(3) No motor cab required to be fitted with a taxi-meter under this rule shall be used as a motor cab unless it is so fitted. The Taximeter shall be of the type or types approved by the State Transpart Authority. Snch taxi-meter shall be fixed to, and operated from, a nondriving wheel and shall bear the seal of the registering authority or any other official appointed in this behalf by the State Government to indicate that it has been tested and is in proper working order.

(4) Every taxi-meter shall be fitted with an indicator or handle in the form of a flag on which shall be printed the words 'For-Hire'. The taxi-meter shall be so constructed that, when the indicator is vertical, the taxi-meter shall be out of action. Such indicator shall be so plaeed as to be clearly Uisible to any person outside of, and in front of, the vehicle and to the hire when inside.

(5) The vertical position shali indicate that the vehicle is avallble for hire, and no driver shall, without reasonable excuse, refuse to accept any offer for hire when the indicator is in a vertical position.

बून्दी जिले के विद्यालयों में एन. सी. सी. प्रशिक्षण

402. **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बून्दी जिले के कौन-कौन से विद्यालयों में एन. सी. सी. प्रशिक्षण को व्यवस्था कब से शुरू को गई ?

(2) क्या जनता एवं जन प्रतिनिधियों की मांग के सन्दर्भ में कापरेन हायर सैकेण्ड्री में भी एन. सी. सी. प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक शुरू कर दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) ऐसा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) बून्दी जिले के निम्नलिखित विद्यालयों में एन. सी. सी. प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रत्येक के आगे अंकित विवरण के अनुसार सन् 1979 से पूर्व प्रारम्भ की गई है :–

(अ) राजकीय महाविद्यालय, बून्दी ।	2 प्लाटून सीनियर डिविजन
(ब) राजकीय उच्च-माध्यमिक विद्यालय, बून्दी ।	1 ट्रूप आर्मी का जूनियर डिविजन
(स) राजकीय महाविद्यालय, बून्दी ।	1 ट्रूप एयर जूनियर डिविजन

(2) जी नहीं । केन्द्र सरकार द्वारा एन. सी. सी. के नये ट्रूप्स खोलने पर पूर्णतया प्रतिबन्ध है ।

(3) जी हां । एन. सी. सी. के प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए एन. सी. सी. एक्ट व नियम 1948 के अन्तर्गत जो शर्तें निर्धारित की गई हैं उनका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है ।

परिशिष्ट-अ

राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम और नियम-1948 के अनुसार सीनियर/जूनियर डिवीजन खड़ा करने के लिए शर्तें -

(क) विद्यालय अपने स्टाफ के सदस्यों में से प्रति सब-यूनिट 1 आफिसर के हिसाब से आफिसर उपलब्ध करायेगा।

(ख) विद्यालय यह वचन देगा कि वह यूनिट या उसके भाग में उतने संख्या बल तक, जो उसे आवंटित किया जाये, भर्ती कर सकता है और उसे बनाये रख सकता है।

(ग) विद्यालय उस यूनिट या उसके उस भाग के, जो उसके आवंटित किया जाये, लिए कपड़ों तथा उपस्कर के भण्डारण के लिए भण्डार कक्ष उपलब्ध करायेगा।

(घ) विद्यालय एक उपयुक्त छोटी राइफल रेंज उपलब्ध करायेगा और उक्त राइफल रेंज के उपयोग की व्यवस्था करेगा।

(ड.) विद्यालय अपनी ही निधि में से, राज्य सरकार द्वारा उस यूनिट या उसके भाग के, जो उसे आवंटित किया जाये, के लिए दिये गये वित्तीय अनुदानों की अनुपूर्ति करने की स्थिति में रहेगा।

नगर कृषि उपज मंडी समिति का भवन एवं यार्ड

403. श्री सम्पत सिंह (नगर)

श्री मोतीलाल मीणा (सवाई माधोपुर)

श्री लक्ष्मीनारायण किसान (फुलेरा)। क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर कृषि उपज मण्डी समिति का भवन एवं यार्ड निर्माण कार्य किस चरण पर है ? क्या वर्तमान में कार्य चालू है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) कितने वर्षों में उपरोक्त कार्य के पूर्ण होने की संभावना है ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, नगर के अन्तर्गत नवीन मण्डी यार्ड के निर्माण कार्यों की स्थिति एवं प्रगति की विस्तृत सूचना परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) सम्पूर्ण कार्य वर्ष, 1990–91 में पूर्ण हो सकेगा। कार्यालय भवन, आन्तरिक सड़कें, चाहरदीवारी आदि कार्य वर्ष, 1989-90 में पूर्ण हो जावेंगे।

परिशिष्ट—क

क्र. सं.	कार्य का नाम	वर्तमान स्थिति	कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि
1	2	3	4
1.	कार्यालय भवन	लन्टल स्तर तक कार्य हो चुका है	दिसम्बर, 1989 तक
2.	खुदरा दुकानें 10 नं.	कार्य लगभग पूर्ण	—
3.	आंतरिक सड़क	मिट्टी का कार्य पूर्ण	मार्च, 1990 तक
4.	डब्लू. सी. कम यूरीनल ब्लोक	ठेकेदार द्वारा कार्य न करने के कारण नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।	मार्च, 1990 तक
5.	क्योस्क 2 नं.	कार्य प्रगति पर है।	अक्टूबर, 89 तक 9/89
6.	वाटर ट्रब	कार्य पूर्ण हो चुका है।	—
7.	जल व्यवस्था	निविदा विचाराधीन है।	—
8.	पानी की प्याऊ	कार्य आदेश 9-1-89 को दिया जा चुका है।	अक्टूबर, 1989 तक
9.	स्ट्रीट लाईट	कार्यादेश 6-1-89 को दिया जा चुका है	—
10.	छायादार नीलामी चबूतरा	निविदायें दिनांक 10-8-89 को पुनः आमंत्रित की गई है।	आगामी वित्तीय वर्ष में
11.	दुकान मय गोदान	निविदायें दिनांक 10-8-89 को पुनः आमंत्रित की गई हैं।	,,
12.	चाहर दीवारी मय गेट	कार्य प्रगति पह है।	9/89

तारांकित प्रश्न सं. 404 (स्थगित)

जिला परिषदों को उच्च प्राथमिक शालाओं के अधिकार

405. **श्री इन्दसिंह पूनिया** (सादुलपुर)

श्री रेवतराम चौधरी (श्री डूंगरगढ़) : क्या शिक्षा राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू जिले में जिला परिषद् को उच्च प्राथमिक विद्यालयों का प्रशासनिक अधिकार किस तारीख को हस्तान्तरित किया।

(2) क्या उक्त तारीख के बाद में भी जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) चूरू द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालयों का हस्तान्तरण किया गया ? यदि हां, तो कितने तथा किस-किस तारीखों को एवं किस-किस विद्यालयों को ? सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जिला परिषदों को प्रशासनिक अधिकार दिये जाने के बाद भी जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) चूरू द्वारा किये गये हस्तान्तरण को राज्य सरकार नियम विरुद्ध मानती है ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही करने की सोच रही है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के आदेश दिनांक 8-11-88 के द्वारा दिनांक 14-11-88 से ग्रामीण क्षेत्र की उच्च प्राथमिक विद्यालयों का प्रशासनिक नियन्त्रण राज्य के संबंधित जिला परिषदों को हस्तान्तरित किया गया।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला भू-संरक्षण अधिकारी जैसलमेर के विरुद्ध शिकायतें

406. **श्री मुल्तानाराम** (जैसलमेर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले के जिला भू-संरक्षण अधिकारी को वर्ष 1987-88 के दौरान निलम्बित किया गया ? यदि हां, तो किस कारण ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारी को निलम्बन के तत्काल 15 दिन में बिना जांच के बहाल कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें थीं ? यदि हां, तो क्या-क्या ? शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त शिकायत पर राज्य सरकार ने कोई जांच कराई ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि जांच कराई गई तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 21 व 22 सितम्बर 1987 को केन्द्रीय कृषि मन्त्री

(कृषि मंत्री)

श्री गुरुदयाल सिंह ढिल्लो के जैसलमेर भ्रमण के दौरान जिला भू-संरक्षण अधिकारी, जैसलमेर के अधीन चल रहे चारा डिपो के निरीक्षण के समय उपस्थित नहीं होने के कारण इन्हें निलम्बित किया गया।

(2) जी हां। बाद में यह पाये जाने पर कि सम्बन्धित अधिकारी उस दिन राजकीय कार्य हेतु जोधपुर गया हुआ था, जैसलमेर में नहीं था अतः उसे बहाल कर दिया गया।

(3) अन्य कोई शिकायत नहीं थी।

(4) केन्द्रीय कृषि मन्त्री जी के निरीक्षण के समय मौके पर नहीं रहने का पूर्ण औचित्य पाये जाने के कारण कार्यवाही बन्द कर दी गई।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 4 जुलाई, 1989)

संरक्षित स्मारक

84. श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : क्या पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्व के ऐसे कितने स्मारक है जो संरक्षित घोषित हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इसमें से कितने स्मारकों में अतिक्रमण की शिकायतें राज्य सरकार को मिली हैं ?

(3) क्या सरकार के पास इस आशय की जानकारी है कि इन स्मारकों में से कुछ की या तो बिक्री कर दी गई है या फिर विचारणीय है ?

(4) यदि हां, तो ऐसे कितने मामलों में अदालतों में मुकदमें विचाराधीन हैं तथा राज्य सरकार की क्या भूमिका रही है ? कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा 222 स्मारक संरक्षित घोषित हैं। जिलेवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सात स्मारकों पर अतिक्रमण की शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त हुई हैं जो निम्न हैं :—

1. भरतपुर शहर को कच्ची चार दीवार (कच्चा डंडा), भरतपुर।
2. भरतपुर का किला।
3. महारानी की छतरियां जयपुर।
4. जयपुर नगर का परकोटा।
5. प्राचीन महल पहाड़ी के नीचे (कदीपी महल), आमेर।
6. जालौर का किला, जालौर।
7. इसरलाट, जयपुर।

(3) केवल भरतपुर किले के अन्दर के क्षेत्र के महल खास के पास के भूखण्डों की भू. पू. महाराजा बृजेन्द्र सिंह द्वारा बिक्री की गई है।

(4) उपरोक्तअनुसार एक मामला। यह मामला मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट भरतपुर के यहां विचारधीन है जिसमें अभी अन्तिम बहस होनी शेष है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

परिशिष्ट–2

अतारांकित प्रश्न 540 की सूची

पंचायत समिति जहाजपुर के क्षेत्र में वर्ष 1981–82 से 1988–89 तक बायोगैस संयन्त्र लगाने हेतु दिये गये अनुदान का विवरण

क. सं.	नाम मय पिता	जाति	ग्राम	संयन्त्र की क्षमता व प्रकार	निर्माण का वर्ष	भुगतान की गई अनुदान राशि	क्या संयन्त्र से ऊर्जा उत्पादन की गई	संयन्त्र की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	श्री जगदीशचंद/केसरीमल	बसेर	पीपलन्द	6 घ. मी. डोम	81-82	1940/–	हां	चालू
2.	,, अमोलकचंद/मोहनलाल	बसेर	,,	,,	81-82	1940/–	,,	,,
3.	,, सौनाथ/सेवाराम	मीणा	बिनदियाभाटा	,,	82-83	2910/–	,,	,,
4.	,, किशना/सेवाराम	,,	,,	,,	82-83	2910/–	,,	बन्द
5.	,, हीरा/सेवाराम	,,	,,	,,	,,	2910/–	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	श्री मोती/देवा	,,	इटून्दा	6 प.-मी.-डीम	82-83	2910/–	हां	बन्द
7.	,, लून्दा/शंकर	,,	,,	,,	,,	2910/–	,,	,,
8.	,, गंगाराम/भूरा	,,	भाव का गूढा	,,	,,	2910/–	,,	,,
9.	,, रामेश्वरलाल/भैरूंलाल कुमावत		ऊँचा	,,	,,	1550/–	,,	,,
10.	,, बहादुर्सिह/गंगाराम मीणा		कालाभाटा	,,	,,	2910/–	,,	चालू
11.	,, मोहन/रामनारायण नायक		अम्बरवासी	,,	,,	2910/–	,,	बन्द
12.	,, देवा/रतना भील		रौपा	,,	,,	2910/–	,,	,,
13.	,, मोती/ऊँकार खटीक		,,	,,	,,	2910/–	,,	,,
14.	,, गोमा/कल्याण मीणा		जालरा	,,	,,	2910/–	,,	,,
15.	,, रंगलाल/गोमा मीणा		टोक्कड़	,,	,,	2910/–	,,	,,
16.	श्रीमती रामप्यारी/बृजनारायण मीणा		,,	,,	,,	2910/–	,,	,,
17.	श्रीमती छोटी/मानसिंह मीणा		,,	,,	,,	2910/–	,,	,,
18.	श्री मूलसिंह/सुजानसिंह राजपूत		महलों का मानपुरा	के. वी. आई. सी.	,,	1940/–	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	श्री नाथू	रामबक्ष मीणा	रावतखेड़ा	6 क्यू. एम. डौम	82-83	2910/–	हां	बन्द
20.	,, कालू	सालगराम मीणा	लक्ष्मीपुरा	,,	83-84	2910/–	,,	,,
21.	,, रामनारायण	हजारी मीणा	,,	,,	,,	2910/–	,,	,,
22.	,, नारायण	जुवारो मीणा	,,	,,	,,	2910/–	,,	,,
23.	,, मांगूलाल	वरदा मीणा	,,	,,	,,	2910/–	,,	,,
24.	,, हरजी	दयाला मीणा	,,	,,	,,	2910/–	,,	,,
25.	,, कजोड़सिंह	हरदेवसिंह मीणा	लुहारीकलां	,,	,,	2910/–	,,	,,
26.	,, शोभागमल	गंगाराम मीणा	कालीभाटा	,,	,,	2910/–	,,	,,
27.	,, लालाराम	हरदेवसिंह मीणा	टिक्कड़	,,	,,	2910/–	,,	,,
28.	श्रीमती सोहनीदेवी	भीमसिंह	,,	,,	,,	2910/–	,,	चालू
29.	श्री रंगलाल	चंदा मीणा	ऊँचा	,,	,,	2910/–	,,	,,
30.	,, कान्हा	ग्यारसा मीणा	रोवतखेड़ा	,,	,,	2910/–	,,	बन्द
31.	,, सूरजा	रामचंद मीणा	,,	क्यू. एम. डौम	,,	2310/–	,,	,,
32.	,, उंकारराम	नानगराम	सरसिया	,,	,,	2320/–	,,	,,
33.	,, कान्हा	हरदेव मीणा	कुराड़िया	,,	,,	2320/–	,,	,,

1	2 3	4	5	6	7	8	9
34.	श्री अम्बा/गंगा मीणा	भाव का गूढ़ा	6 क्यू. एम. डोम	84-85	2910/–	हां	बन्द
35.	,, रामलाल/भूरा मीणा	लक्ष्मीपुरा	,,	,,	2910/–	,,	,,
36.	,, खोजोराम/प्रतापसिंह मीणा	टिक्कड	,,	,,	2910/–	,,	,,
37.	,, जयदेवसिंह/प्रतापसिंह राजपूत	टिटोड़ा	,,	,,	1940/–	,,	चालू
38.	,, जयराम/धन्ना मीणा	फतेपुरा	,,	,,	3020/–	,,	,,
39.	,, बद्री/छोगा मीणा	,,	4 क्यू. एम. डोम	,,	3020/–	,,	बन्द
40.	,, भूरा/हरदेव मीणा	,,	,,	,,	3020/–	,,	चालू
41.	श्रीमती चक्कू/मगना मीणा	,,	,,	,,	3020/–	,,	,,
42.	श्री नंदा/केसरा मीणा	,,	,,	,,	3020/–	,,	बंद
43.	,, रणजीत/घीसा मीणा	,,	,,	,,	3020/–	,,	,,
44.	,, कानां/भज्जा मीणा	,,	,,	,,	3020/–	,,	,,
45.	,, बादामा/बरदा मीणा	,,	,,	,,	3020/–	,,	,,
46.	श्रीमती एजन/रतना मीणा	,,	,,	,,	3020/–	,,	चालू
47.	श्री रामलाल/हजारी मीणा	,,	,,	,,	3020/–	,,	बन्द

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48.	श्री भंवरलाल मीणा		बोराणा	6 क्यू. एम. डोम	84-85	1600/–	नहीं	सिर्फ खड्डा खुदा है।
49.	श्रीमती सोदरी मीणा		टिक्कड़	,,	,,	1500/–	,,	,,
50.	श्रीमती दाखी मीणा		,,	,,	,,	1500/–	,,	,,
51.	श्रीमती पुष्पा मीणा		,,	,,	,,	1500/–	,,	,,
52.	श्री दयालसिंह गवारिया		कुछलवाड़ा	4 क्यू. एम. डोम	,,	1000/–	,,	,,
53.	,, रामनारायण मीणा		भवानीपुरा	6 क्यू. एम. डोम	,,	600/–	,,	,,
54.	,, चुन्नीलाल मीणा		बोरानी	,,	,,	2000/–	,,	,,
55.	श्रीमती शांति मीणा		टिक्कड़	4 क्यू. एम. डोम	,,	1500/–	,,	,,
56.	श्री पूरणमल मीणा		बिजेठा	6 क्यू. एम. डोम	,,	2000/–	,,	,,
57.	,, रामकुमार मीणा		,,	,,	,,	2000/–	,,	,,
58.	,, प्रेमसिंह मीणा		टिक्कड़	,,	,,	1500/–	,,	,,
59.	,, एजन/रामनारायण		,,	,,	,,	1500/–	,,	,,
60.	,, रामनारायण/छीतर मीणा		भवानीपुरा	,,	,,	1800/–	,,	प्लान्ट डाइजेस्टर तक पूरा कर लिया है।
61.	,, भैरू मीणा		,,	4 क्यू. एम. डोम	,,	1900/–	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62.	श्री जमनालाल/मोहनलाल	मीणा	लुहारी कला	6 क्यू. एम. डोम	85-86	3920/–	हां	बन्द
63.	,, भैरू/कान्हा	मीणा	भवानीपुरा	4 क्यू. एम. डोम	,,	3220/–	,,	,,
64.	,, रामकुमार/छीतर	मीणा	,,	,,	,,	3220/–	,,	,,
65.	,, बालूराम/छीतर	शर्मा	टिटोड़ानाकी	,,	86-87	2140/–	,,	चालू
66.	,, विजयसिंह/उदयसिंह	राजपूत	,,	,,	,,	2140/–	,,	,,
67.	,, भैरूसिंह/राजूएजन	राजपूत	,,	,,	,,	2140/–	,,	बन्द
68.	,, सुगना/भागूता	मीणा	,,	,,	,,	3220/–	,,	चालू
69.	,, छोटूलाल/भूरालाल	मीणा	,,	,,	,,	3220/–	,,	बन्द
70.	,, लादूराम/कन्हैयालाल	शर्मा	,,	,,	,,	2140/–	,,	चालू
71.	,, कल्याणमल/मथुरालाल	दाखेड़ा	उल्लेला	3 क्यू. एम. ड्रम	,,	1900/–	,,	,,
72.	,, मदनलाल/गोकुललाल	दाखेड़ा	,,	,,	,,	1900/–	,,	,,
					रुपये	182110/–		

(233)

परिशिष्ट–3

अतारांकित प्रश्न सं. 542 की सूची

प्रपत्र 'अ'

अजमेर वृत कार्यालय के अधीन पेयजल हेतु विचाराधीन प्रत्रावलियों का विवरण

स्थान का नाम	विवरण/स्थिति
1. अडरका	1. उक्त पत्रावली दिनांक 27.6 89 को प्राप्त हुई है, जिस पर कार्यवाही की जावेगी।
2. सहायक अभियन्ता, पी. एच. ई. डी. बीसलपुर, किशनगढ़।	2. यह पत्रावली दिनांक 8.9.1988 को जमा कराई गई है परन्तु जलदाय विभाग द्वारा स्थान निश्चित न करने के कारण आगे की कार्यवाही नहीं की गई है। जैसे ही जलदाय विभाग द्वारा स्थान निश्चित किया जावेगा, विद्युत कनेक्शन देने की कार्यवाही चालू की जायेगी।
3. डेर की ढाणी	3. इसका सारा कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं 15 दिनों के भीतर विद्युत सम्बन्ध जारी किया जायेगा।
4. रामसर	4. जलदाय विभाग द्वारा मांग पत्र की राशि जमा कराई जा चुकी है। "एल" फार्म आते ही विद्युत कनेक्शन जारी किया जायेगा।
5. बीसलपुर प्रोजेक्ट, अजमेर रोड ब्यावर	5. उक्त कनेक्शन की विद्युत विभाग द्वारा सारी कार्यवाही पूर्ण है परन्तु 'एल' फार्म अभी तक जलदाय विभाग द्वारा प्राप्त होगा विद्युत सम्बन्ध जारी कर दिया जावेगा।

1	2
6. विजयनगर	6. उपरोक्तानुसार।
7. जीतपुरा	7. उपरोक्तानुसार।
8. कादेरा	8. उक्त कनेक्शन को जारी करने के लिये मांग पत्र दिनांक 15-6-1989 को जारी कर दिया गया है परन्तु जलदाय विभाग द्वारा अभी तक राशि जमा नहीं कराई गई है।
9. जगेरा	9. उक्त कनेक्शन का मांग पत्र दिनांक 12. 7.1989 को जारी किया गया है। जिसके जमा होते ही कनेक्शन देने की कार्यवाही चालू कर दी जावेगी।
जिला—पाली	
10. बाबरा	10. जलदाय विभाग द्वारा अभी तक 'एल' फार्म नहीं दिया गया है।
11. सुमेल	11. उपरोक्तानुसार।

परिशिष्ट—4

पाली जिले में पंचायत समितिवार प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या	
1.	सोजत (बागडी)	100	केन्द्र सरकार की योजना
2.	मारवाड़ जंक्शन	100	
3.	रानी	100	
4.	रानी	100	नेहरू युवक केन्द्र द्वारा
5.	रायपुर	200	केन्द्र सरकार की योजना
6.	जैतारण	100	

Sd/-
राज. विजय।
15.7.1989.

परिशिष्ट–5

परिशिष्ट–क

अतारांकित प्रश्न संख्या 549 की सूची

कार्यालय सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, जोधपुर प्रदेश, जोधपुर

ब्यावर–बलाड़ा मार्ग की समय सारणी

अपसर्पित

ब्यावर	बलाड़ा	
9–30 ए. एम.	11.30 ए. एम.	
12.15 पी. एम.	2.15 पी. एम.	
4.15 पी. एम.	6.50 पी. एम.	
ब्यावर	गिरी	
2–00 पी. एम	3-15 पी. एम	
6–30 पी. एम	7-45 पी. एम	
ब्यावर	गिरी	बर
3–00 पी. एम.	4-14 रात्रि विश्राम 8-15 ए. एम	9-45 ए. एम.

डाउन सर्विस

बलाड़ा	ब्यावर	
12.15 पी. एम	2-15 पी. एम	
3-00 पी. एम	5-00 पी. एम	
8-45 ए. एम	10-45 ए. एम	
गिरी	ब्यावर	
8-00 ए. एम.	9-15 पी. एम	
	5-00 पी. एम	
11-00 ए. एम	12-00 दोपहर	
बर	गिरी	ब्यावर
5-00 पी. एम	5-45 पी. एम	7-00 पी. एम

एस. डी.
सचिव,
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार,
जोधपुर।

परिशिष्ट–ख

ब्यावर—बलाडा मार्ग की किराया सूची

1	2	3
1.	ब्यावर से चांग	1.10 रु.
2.	कन्यावडी	1.50
3.	पुरिया	1.50
4.	पितार	2.00
5.	तलाईनीकी	2.00
6	प्याऊ	2.00
7.	रेलडा	2.50
8.	नानडा	3.00
9.	जवाहरपुरा प्याऊ	4.00
10.	गिरी	4.00
11.	खोडा	5.00
12.	बिगरिया खोखरी	5.00
13.	बर	5.00
14.	बुटियावास	5.00
15.	मैश्वानोराया	5.50
16.	विजयगढ़	5.50
17.	पुलंडा	6.00
18.	बलाडा	7.00

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न संख्या 552 की सूची

अनुबन्ध पत्र

राजस्थान सरकार जरिये सहायक जिलाधीश, (प्रथम पक्ष)
दौसा मुख्यालय लालसोट
श्री रामफूल बल्द श्री हजारी लाल जाति माली निवासी कोथून रोड,
नई कालोनी, कस्बा लालसोट जिला जयपुर (राजस्थान)

(द्वितीय पक्ष)

जो कि कस्बा लालसोट में प्रथम पक्ष की ओर से सहायक जिलाधीश का न्यायालय खोला गया है तथा प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष की इमारत मकान सम्पूर्ण किराये पर लिया है। इस मकान की स्थिति निम्न प्रकार है :—

पूर्व में	पंचायत समिति की इमारत
पश्चिम में	रास्ता आम, न्यू कालोनी
उत्तर में	श्री रामजीलाल पुराका का पुख्ता मकान
दक्षिण में	श्री राधेश्याम जी मास्टर का पुख्ता मकान

इन सीमाओं के बीच द्वितीय पक्ष का मकान नम्बर इ/ब पुख्ता है, इस सम्पूर्ण मकान में चार कमरे, दो हाल, एक बरामदा व गैलेरी व पुख्ताबाउण्ड्रीवाल तथा लैट्रिन व स्नानघर है। नल, बिजली की सुविधा मकान में मौजूद है। इस मकान को न्यायालय केलिए प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से तारीख 26-7-86 से किराये पर लिया जिसमें निम्न शर्तें उभयपक्ष को स्वीकारा है :—

(1) मकान 6 साल की अवधि के लिए किराये पर रहेगा। अगर सहायक जिलाधीश न्यायालय की नवनिर्मित बिल्डिंग 6 साल पहले बनकर तैयार हो जाता है तो प्रथम पक्ष को इसमें शिफ्ट होने की पूर्ण छूट रहेगी, लेकिन दूसरी किराये की बिल्डिंग 6 साल पहले नहीं ले सकता है।

(2) किराया माह की माह प्रथम पक्ष को अदा करेगा।

(3) मकान का मासिक किराया पी. डब्लू. डी. विभाग जो भी निर्धारित करेगी वही प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को अदा करेगा ।

(4) नल व बिजली का सरकारी चार्ज, प्रथम पक्ष किराये के अतिरिक्त अदा करता रहेगा ।

(5) मकान में लाईट सम्बन्धी कोई भी तब्दीली कार्यालय के खर्चे से ही प्रथम पक्ष को करनी पड़ेगी ।

(6) अनुबन्ध की समाप्ति पर द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष से आवश्यकता पड़ने पर भवन खाली कराने का हकदार होगा ।

(7) अगर दोनों पक्षों की रजाबंदी से मकान छः साल बाद भी किराये पर चलता है तो प्रथम पक्ष जब भी भवन को खाली करना चाहेगा तो खाली करने से पहले 1 माह का नोटिस देकर खाली कर सकता है व द्वितीय पक्ष मकान को जब भी खाली कराना चाहेगा तो वह भी एक माह का नोटिस देकर खाली करा सकता है ।

(8) मकान हर प्रकार से ठीक रखा जावेगा । कोई टूट-फूट नहीं होने दी जावेगी यह सारी जिम्मेदारी प्रथय पक्ष की होगी ।

इन सभी शर्तों का पालन उभय पक्ष स्वेच्छिक रूप से करते रहेंगे ।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष
श्री रामफूल पुत्र श्री हजारी लाल माली,
निवासी न्यू कालोनी, कौथून रोड,
लालसोट (जयपुर) राजस्थान ।

ह./ द्वितीय पक्ष 7-3-87
राज. सरकार जरिये
सहायक जिलाधीश, महोदय
दौसा मुख्यालय लालसोट

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न 553 संख्या की सूची

पटेल नगर (बीकानेर) रिक्त कृषि भूमि द्वारा जमा कराई गई रूपान्तरण शुल्क का विवरण

राशि जमा कराने की भू-खण्ड का रूपान्तरण शुल्क की (व. गज में) जो जमा कराई गई है।

क्र. सं.	नाम आसामी	दिनांक	ख. नं.	क्षेत्रफल	राशि
1	2	3	4	5	6
1.	चन्द्रकिशोर पुत्र रामलाल	1-3-82	330/178	225 गज	1650/-
2.	श्रीमती पार्वती पत्नी रामेश्वरलाल	22-3-82	178	113 गज	3390/-
3.	रमेशलाल पुत्र सांगीलाल	24-3-82	281/178	466 गज	4500/-
4.	परमेश्वरीदेवी पुत्री रामचन्द्र	24-3-82	281/178	266 गज	2500/-
5.	रामसहाय गुप्ता	24-3-82	281/178	266 गज	2600/-
6.	भूदेवसिंह पुत्र बाजसिंह	25-3-82	281/178	266 गज	2345/-
7.	भतेरीदेवी पत्नी गोवर्धन	25-3-82	281/178	266 गज	1345/-
8.	शारदाचौधरी पत्नीजी आर चौधरी	25-3-82	178	236 गज	8529.36
9.	गायत्रीदेवी पत्नी अमीलाल	25-3-82	178	236 गज	2220-00
10.	चन्देदेवी पत्नी सूरजभान	25-3-82	274/178	266 गज	2550/-
11.	चन्दगीराम पुत्र घम्मूराम	25-3-82	274/178	266 गज	2510/-
12.	सूरजभान पुत्र रामजीलाल	25-3-82	178	236 गज	2220/-

1	2	3	4	5	6
13.	घासीराम पुत्र उदमीराम	25-3-82	178	188 गज	1770/-
14.	हरदयालसिंह पुत्र कृपासिंह	27-2-82	281/178	266 गज	2650/-
15.	गिरजाशंकर पुत्र रमाकान्त	27-3-82	268/178	380 गज	3831/-
16.	परमजीतकौर पत्नी हर-दयाल	27-3-82	274-178	166 गज	1570/-
17.	यशोदादेवी पत्नी बनवारी-लाल	27-3-82	268/178	133 मज	1351 रु.
18.	देवीसिंह पुत्र दीपसिंह	27-3-82	178	155 गज	5115/-
19.	कमलाबेनीवाल पत्नी लालचन्द	27-3-82	268/178	266 गज	2690/-
20.	कृष्णकुमार पुत्र जगन्नाथ	27-3-82	371/178	247 गज	2323
21.	सम्पतराजजैन पुत्र जीवन-लाल	37-3-82	271/178	144.94 गज	2023/-
22.	पवनकुमार पुत्र जगन्नाथ	,,	371/178	247 गज	1883/-
23.	देशराज सिंगल पुत्र बालू-राम	27-3-82	371/178	200 गज	1883
24.	बिमला पत्नी हनुमान	27-3.82	330/178	682 गज	6420/-
25.	गायत्रीदेवी पत्नी प्रभुराम	27-3-82	268/178	105 ,,	1089/-
26.	चन्द्रवती पत्नी परमहंस	29-3-82	268/178	295 ,,	2973/60
27.	दुलारीदेवी पत्नी राम-नारायण	29-3-82	268/178	230 ,,	2267/-
28.	इन्द्राजलाल छीपा पुत्र परमहंस	29-1-82	268/178	295 ,,	3411/-
29,	सतीशकुमार पुत्र देशराज	29-3-82	268/178	765 ,,	7285/-
30.	कमलादेवी पत्नी सत्य-नारायण	7-4-82	178	266 ,,	2691/-

1	2	3	4	5	6
31.	उमाशंकर भारद्वाज	8-4-82	270/178	366 ,,	3720/-
32.	सारोसतीदेवी पत्नी संत प्रसाद	12-4-82	270/178	334 ,,	3180/-
33.	सुगनाराम पुत्र ठाकुर सिह	13-4-82	278/178	444 ,,	4175/-
34.	सीतलकोर पत्नी गुरमख सिह	13-4-82	278/178	552 ,,	5440/-
35.	सतीशचन्द्र पुत्र नानूराम	14-4-82	178	266 ,,	2508/-
36.	नन्दरामकस्वां पुत्र एम. आर. पुनिया	,,	178	268/-	4400/-
37.	मितरसेन पुत्र रघूवीरसिह	,,	178	200	1980/-
38.	रामकिशन पुत्र सीताराम	,,	178	178	2115/-
39.	रतनलाल पुत्र लक्ष्मी-नारायण	,,	178	133 गज	1268/-
40.	गुरदीपसिह पुत्र गुरमाल-सिह	,,	279/178	451 ,,	4299/-
41.	अन्नपूर्णा पत्नी श्याम-सुन्दर	,,	281/178	267 ,,	2692/-
43.	प्रमोदकुमार पुत्र सरदारी लाल	,,	178	779 ,,	7440/-
42.	सुरेश कुमार पुत्र देजराज	15-4-82	178	573 ,,	3896/-
44.	दर्शनसिह पुत्र बहादुर सिह	,,	178	451. 56 ,,	1553/-
45.	मोतीलाल पुत्र नत्थुराम	15-4-92	178	178 ,,	1693/-
46.	छबीलदास पुत्र सागरमल	,,	178	493 ,,	4641/25
47.	शांतीदेवी पुत्री इन्द्रसिह	,,	178	820 ,,	8266/-
48.	सरस्वतीदेवी पत्नी भागीरथ	,,	178	665 ,,	6711/-

1	2	3	4	5	6
49.	विमलादेवी पत्नी सोहनलाल	,,	178	266 ,,	2540/-
50.	सुरेन्द्रकुमार पुत्रमूलचन्द	,,	178	760 ,,	7232/-
51.	शारदा विश्नोई	,,	178	903 ,,	8598/-
52.	माणकचन्द पूनीया	,,	178	444 ,,	4228/-
53.	लीलादेवी पत्नी मांगेराम	,,	178	658 ,,	6633/-
54.	दौलतराम सारण पुत्र कुशलाराम	,,	178	889 ,,	8464/-
55.	गायत्रीप्रसाद पुत्र कुशलाराम	,,	178	889 ,,	8464/-
56.	प्रभाती पत्नी शंकरलाल	,,	178	284 ,,	2805/-
57.	सावित्रीदेवी पत्नी श्रवण-कुमार	,,	178	910 ,,	9173/-
58.	वंचितकौर पत्नी अमरजीत	,,	178	466 ,,	4705/-
59.	सुशीलाल पुत्री उदयसिंह	,,	178	467 ,,	5491/-
60.	तुलछीदेवी पत्नी रामचन्द्र	19-4-82	178	388 ,,	3811/-
61.	राजसिंह पुत्र बख्तावर सिंह	20-4-82	178	518 ,,	4930/-
62.	सुदेशचावला पत्नी गुरुबचन	,,	178	903 ,,	9104/-
63.	सहीराम पुत्र भीयाराम	24-4-82	178	449 ,,	4227/-
64.	गुरुदेवसिंह पुत्र किशनसिंह	,,	178	451 ,,	4300/-
65.	आसूराम पुत्र बागाराम	,,	178	541 ,,	2206/-
66.	अहमयबक्स पुत्र हाजी मौला बक्स	,,	178	1500 ,,	14784/-
67.	वजीरदीन पुत्र मौलाबक्स	,,	178	1500 ,,	14112/-
68.	प्रेमीदेवी पत्नी अमरचन्द	,,	178	450 ,,	1836/-
69.	मनोहरीदेवी पत्नी जुगलाल	30-4-82	178	906 ,,	3655/-
70.	गोपालकृष्ण पुत्र हरीशंकर	30-4-82	178	899 ,,	3626/-

1	2	3	4	5	6
71.	रामनगीना पुत्र शिवसिंह	30-4-82	178	1320 ,,	1373/-
72.	सतवन्तकौर पुत्री इन्द्रसिंह	,,	178	215 ,,	1597/92
73.	लीलादेवी पत्नी जे. के. मितल	,,	178	415.56 ,,	4298/-
74.	श्रीराम वर्मा पुत्र बृजलाल	,,	178	205 ,,	1722/-
75.	लालचन्द पुत्र लुहनिलाल	,,	178	280 ,,	2352/-
76.	बृजलाल ओवरसियर	,,	178	308 ,,	2595/-
77.	भंवरीदेवी पत्नी ब्रह्माराम	,,	178	424 ,,	2793/-
78.	सुभाष छाबड़ा	,,	178	534 ,,	5263/-
79.	केसरदेवी पत्नी गुरु-दयाल	,,	178	171 ,,	814/-
80.	जयश्री शर्मा पुत्री वंशीधर	,,	178	186 ,,	2301/-
81.	ललितादेवी पत्नी बी. एल. खाण्डा	,,	178	506 ,,	2503/58
82.	मायाखाण्डा पत्नी अमृत-खाण्डा	,,	178	171 ,,	815/-
83.	भरत खाण्डा पुत्र बी. एल. खाण्डा	,,	178	88 ,,	680/-
84.	सिद्धार्थखाण्डा पुत्र बी. एल. खाण्ड	,,	178	151 ,,	720/-
85.	सीतादेवी पत्नी हेतराम	,,	178	353 ,,	3564/-
86.	चमनलाल पुत्र रामस्वरूप	,,	178	200 ,,	1360/-
87.	भूपसिंह पुत्र बहादुरसिंह	,,	,,	587 ,,	2958/-
88.	चांदकंवर पत्नी नत्थूसिंह	,,	,,	125 ,,	1260/-
89.	गोपाराम पुत्र गंगाराम	,,	,,	1302 ,,	5286/-

1	2	3	4	5	6
90.	करनाराम पुत्र फूसाराम	27-5-82	,,	1208 ,,	4957/-
91.	सन्तोषशर्मा पत्नी दिलीप सिंह	28-5-82	,,	179 ,,	957/60
92.	पृथ्वीसिंह पुत्र भागीरथ	29-5-82	,,	683 ,,	3442/-
93.	मिथलेश माथुर	,,	,,	141 ,,	3913/-
94.	गोपालकृष्ण	,,	,,	850 ,,	4448/-
95.	बंतासिंह पुत्रप्रतापदान	,,	,,	850 ,,	3350/-
96.	श्रीराम पुत्र श्रीराम	,,	,,	340 ,,	3350/-
97.	भागीरथ पुत्र मालूराम	,,	,,	759 ,,	9192/-
98.	लाबूराम विश्नोई	,,	,,	738 ,,	9192/-
99.	जैतां पत्नी रूपाराम	,,	,,	1066 ,,	13139/-
100.	अर्जनराम पुत्र मालूराम	,,	,,	850 ,,	3672/-
101.	जीवनराम पुत्र चुन्नी-लाल	,,	,,	903 ,,	1842/-
102.	कृष्णगोदाराम पत्नी अक्षयचन्द	,,	,,	450 ,,	1814/-
103.	श्रीरुमचौधरी पुत्र भगवानाराम	,,	,,	272 ,,	2680/-
104.	कृष्णाकुमारी पत्नी मानसिंह	31-5-82	,,	1500 ,,	6048/-
105.	भंवरलाल पुत्र नानकराम	,,	,,	840 ,,	2218/-
106.	मंजूदेवी पत्नी ख्यालीराम	,,	,,	888 ,,	2240/-
107.	ओमप्रकाश पुत्र संताराम	,,	,,	1500 ,,	6050/-
108.	भैराराम पुत्र गुमानाराम	,,	,,	526 ,,	2122 /-

1	2	3	4	5	6
109.	मिथलेश पत्नी वी. बी. माथुर	,,	,,	190 ,,	958/-
110.	चन्द्रप्रकाश पुत्र बाबूलाल	,,	,,	446 ,,	2247/-
111.	ताजवरसुल्ताना	,,	,,	391 ,,	1971/-
112.	मनोजकुमारी पत्नी नरेश	,,	,,	506 ,,	2046/-
113.	वीनारेहान पत्नी अमृत-लाल	,,	,,	402 ,,	2031/-
114.	रामा पत्नी हनुमानप्रसाद	,,	,,	302 ,,	2977/-
115.	गोपालराम पुत्र राम-नारायण	,,	,,	840 ,,	8278/-
116.	श्रीमतीचन्द्रदेवी पत्नी गोपा	,,	,,	408 ,,	1675/-
117.	मोहनीदेवी पत्नी बुधा-राम	,,	,,	351 ,,	1432/-
118.	जयकिसन पुत्र पुरखाराम	,,	,,	840 ,,	8278/-
119.	जसवन्तसिंह पुत्र अवतार-सिंह	24-7-82	,,	150 ,,	1428/-
120.	शान्तीदेवी पुत्री अवतार	27-7-82	,,	117 ,,	818/-
121.	सुमनतलवार	10-8-82	,,	240 ,,	2888/-
122.	फूलमतीउपाध्याय	9-2-83	,,	133 ,,	3191/-
123.	नारायणराम पुत्र उमा-राम	23-3-83	,,	200 ,,	3960/-
124.	मोहनलाल पुत्र उमाराम	23-3-83	,,	200 ,,	3960/-
125.	प्रतिभादेवी पत्नी रणवीर	6-4-83	,,	312 ,,	5896/-
126.	रुखमागोदारा पत्नी एम. आर.	3-5-83	,,	100 ,,	1475/-

1	2	3	4	5	6
127.	जीवनसिंह पुत्र	3-5-83	,,	200 ,,	952/-
128.	पूरादेवीपत्नी एम. आर	2-6-83	,,	253 ,,	2408/-
129.	लालसिंह पुत्र हरिराम	,,	,,	386 ,	7308/-
130.	यशोदाकुमारीपत्नी चन्दनमल	4-6-83	,,	100 ,,	1266/-
131.	मूलचन्द पुत्र अलख-नारायण	29-11-88	,,	100 ,,	1980/-
132.	दिलबागराय पुत्र रामचन्द	21-12-88	,,	246 ,,	7749/-

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 554 की सूची

विधानसभा क्षेत्र टोडारायसिंह में जनवरी, 1985 से अब तक स्वीकृत कार्यों का विवरण

विभाग :—भू-संरक्षण, सार्वजनिक नि. विभाग, सिंचाई/वन विभाग

क्र.सं.	कार्य का नाम मय स्थान	ग्राम पंचायत का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	मद
1	2	3	4	5	6
अ—भू संरक्षण					
1.	सनोदिया एनिकट	मूण्डिया कला	1.074	1.24	आर एल ई जी पी
2.	खजुरिया ,,	दबाडदुम्बा	0.716	0.725	,,
3.	देवपुरा ,,	कासीट	0.716	0.561	,,
4.	लाम्बा कला ,,	लाम्बाकला	0.90	1.045	,,
5.	मेहरू ,,	मेडरू	0.80	0.735	,,
ब—सार्वजनिक निर्माण विभाग					
1.	टोडा से गणेती वरवास सडक		5.50	1.62	एन आर ई पी
2.	हमीरपुर से कृपाल भैरू सड़क		6.00	2.51	,,
3.	सवांरिया से झालरा सडक		7.00	3.42	आर एल ई पी
4.	गणेती से मोर भाटियान सड़क		9.00	3.84	,,
5.	मालेडा से नासिरदा सडक		8.00	2.00	,,

1	2	3	4	5	6
स—सिंचाई विभाग					
1.	बोटून्दा सिंचाई परियोजना		9.00	8.72	एन आर ई पी
2.	नार्थ केनाल बन्ध टोरडीसागर		5.00	5.07	,,
द—वनविभाग					
1.	नर्सरी टोडारायसिंह	....	0.21	0.25	एन आर ई पी
2.	,, नेगडिया	नेगडिया	0.27	0.16	,,
3.	,, राजमहल	राजमहल	0.15	0.11	,,
4.	,, टोडारायसिंह		0.23	0.30	,,
5.	,, हमीरपुर	हमीरपुर	0.25	0.18	,,
6.	,, देवडावास	देवडावास	1.85	1.66	,,
7.	राजमहल	राजमहल	1.58	0.85	,,
8.	नेगडिया	नेगडिया	2.15	0.52	,,
9.	नर्सरी टोडारायसिंह			0.09	,,
10.	,, हमीरपुर		0.11	0.06	,,
11.	,, बीसलपुर			0.05	,,
12.	नर्सरी नेगडिया	नेगडिया	0.11	0.25	,,
13.	,, राजमहल	राजमहल		0.03	,,
14.	,, पौधशाला	रामपुरा	1.60	0.14	,,
15.	पोधशाला बीसलपुर	बीसलपुर	0.70	0.03	,,
16.	नर्सरी नेगडिया	नेगडिया	0.35	0.44	,,
17.	प्लान्ट मालेडा	मालेडा	0.63	0.27	,,
18.	प्लान्ट. पनवाड	पनवाड	0.62	0.27	,,
19.	बीसलपुर पोधशाला	बीसलपुर	0.70	0.51	,,
20.	नर्सरी टोडा	लाडपुरा	0.13	0.03	,,
21.	पोध रामपुरा	रामपुरा	1.60	0.63	,,

1	2	3	4	5	6
22.	प्लांट, बीसलपुर	बीसलपुर	0.60	0.55	आर एल ई जी पी
23.	,, ,,	,,	0.69	0.57	,,
24.	कासीर प्लांट.	कासीर	0.69	0.56	,,
25.	रीण्डल्या प्लान्ट.	रीण्डल्या	0.69	0.24	,,
26.	पनवाड संधारण	पनवाड	0.18	0.18	,,
27.	मालेडा	मालेडा	0.19	0.19	,,
28.	बोटून्दा ,,	बोटून्दा	0.50	0.55	,,
29.	हमीरपुर नर्सरी	हमीरपुर	0.25	0.06	,,
30.	चारागाह रीण्डल्या	रीण्डल्या	0.19	0.21	,,
31.	प्लांट. कासीर द्वितीय	कासीर	0.18	0.16	,,
32.	प्लांट. बीसलपुर	बीसलपुर	0.19	0.23	,,
33.	प्लांट. बोटूंदा	बोटून्दा	0.32	0.30	,,
34.	हमीरपुर नर्सरी	हमीरपुर	0.13	0.23	,,
			72.016	42.076	

पंचायत समिति का नाम—टोडारायसिंह

क्र. सं.	कार्य का नाम मय स्थान	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	मद
1	2	3	4	5	6
1.	जनाना घाट भांसू	भांसू	5000/-	5000/-	एनआरईपी
2.	कूप गहरा मोतीपुरा	अलियारी	4000/-	3998/-	,,
3.	कूप गहरा पथराज कलां	भांवता	4000/-	4000/-	,,
4.	कूप गहरा भांवता	,,	,,	3980/-	,,
5.	कूप गहरा पथराज खुर्द	,,	,,	2000/-	,,
6.	कूप गहरा सीतारामपुरा	लाम्बाकलां	5000/-	4998/-	,,
7.	कूप गहरा हर भगतपुरा	इन्दोकिया	4000/-	4000/-	,,
8.	उ. प्रा. शाला हमीरपुर	हमीरपुर	5000/-	4997/-	,,
9.	पंचायत भवन दावडदुम्बा	दावडदुम्बा	15000/-	15000/-	,,
10.	कूप गहरा दावडदुम्बा	,,	4000/-	4000/-	,,
11.	कूप गहरा सवांरिया	संवारिया	4000/-	3664/-	,,
12.	कूप गहरा श्रीनगर	मोर	4000/-	4000/-	,,
13.	प्राथमिक शाला कुहाडाबुजुर्ग	कुहाडाबुजुर्ग	7500/-	7442/-	,,
14.	कूप गहरा कुहाडाबुजुर्ग	,,	4000/-	3985/-	,,
15.	कूप गहरा खेजड़ों का वास	मांदोलाई	4000/-	3380/-	,,
16.	कूप गहरा हरीपुरा	मोरभाटियान	5000/-	4936/-	,,
17.	दुग्ध डेयरी भवन उनियारा खुर्द	उनियाराखुर्द	7500/-	7500/-	,,
18.	कूप मरम्मत गोपालपुरा	वासेडा	5800/-	5000/-	,,
19.	कूप गहरा बीबोलाव	गणेती	4000/-	4000/-	,,
20.	नवकूप बालापुरा	महरू	10000/-	9188/-	,,

1	2	3	4	5	6
21.	कूप गहरा मूंडियाकला	मूंडियाकलां	4000/-	3984/-	एन.आर.ई.पी
22.	कूप गहरा नीमेडा	,,	,,	4000/-	,,
23.	कूप गहरा बावडी	बावडी	4000/-	3966/-	,,
24.	उच्च प्राथ. विद्या. इन्दोकिया	इन्दोकिया	3200/-	15947/-	,,
25.	उच्च प्राथ. शाला कुहाडाखुर्द	कुहाडाखुर्द	17000/-	14004/-	,,
26.	तालाब मरम्मत कोठडी	उनियारा-खुर्द	20000/-	19100/-	,,
27.	उच्च प्राथ. शाला कुहाडाबुजुर्ग	कुहाडाबुजुर्ग	12000/-	5973/-	,,
28.	अपूर्ण कार्य कूप लाम्बाखुर्द	,,	6000/-	6000/-	,,
29.	सामाजिक वानिकी कुहाडाबुजुर्ग	,,	18000/-	12001/-	,,
30.	प्राथ. शाला खरेडा	खरेडा	15000/-	14991/-	,,
31.	नाली निर्माण खरेडा	,,	4000/-	3781/-	,,
32.	पशु औषधालय गणेती	गणेती	7000/-	6910/-	,,
33.	प्राथशाला गणेती	,,	6000/-	2997/-	,,
34.	अपूर्ण आयुर्वेदिक औषधालय गणेती	,,	6000/-	4432/-	,,
35.	अपूर्ण पूलिया भेडा	थडोली	10000/-	6056/-	,,
36.	उ. प्रा. शाला थडोली	,,	6000/-	556/-	,,
37.	क्षति ग्रस्त शाला थडोली	,,	7500/-	3667/-	,,
38.	उच्च प्राथमिक शाला दावडदुम्बा	दावडदुम्बा	12500/-	11489/-	,,
39.	नवीन प्राथमिक शाला रामसिंहपुरा	,,	10000/-	10000/-	,,

1	2	3	4	5	6
40.	पंचायत भवन दावडदुम्बा	दावडदुम्बा	22500/-	4459/-	,,
41.	सामाजिक वानिकी दाबडदुम्बा	,,	18000/-	13927/-	,,
42.	अपूर्ण उ. प्राथ. शाला दतोब	दतोब	6000/-	2794/-	,,
43.	उच्च प्राथ. शाला नया कमरा	,,	10000/-	7548/-	,,
44.	सार्व. तालाब दतोब	,,	18000/-	17225/-	,,
45.	प्राथ. शाला नया गांव	पंवालिया	6000/-	1442/-	,,
46.	माध्य. शाला पंवालिया	,,	5000/–	1319/–	,,
47.	आवास गृह पंवालिया	,,	9000/–	9000/–	,,
48.	माताजी का तालाब पंवालिया		18000/–	18000/–	,,
49.	उ. प्रा. शाला बनेडिया-चारनान	बोटूंदा	8500/–	8500/–	,,
50.	उ. प्रा. शाला बोटन्दा	,,	6000/–	5597/–	,,
51.	नवीन प्रा. शाला झोपड़िया	,,	10000/–	9993/–	,,
52.	अपूर्ण कूप सालगियावास	बस्सी	7000/–	6932/–	,,
53.	प्राथ. शाला बस्ती	,,	6000/–	5997/–	,,
54.	,, ,, ठाठा बस्सी	,,	10000/–	9939/–	,,
55.	तालाब वालासागर काकलवाड	,,	18000/–	17958/–	,,
56.	अपूर्ण कूप बरवास	बरवास	5000/–	4865/–	,,
57.	अपूर्ण कूप छान	,,	7000/–	6964/–	,,
58.	माध्य. शाला बरवास	,,	6000/–	5241/–	,,
59.	नवीन प्राथ. शाला बयारिया	,,	10000/–	9093/–	,,

1	2	3	4	5	6
60.	सार्वजनिक तालाव बरवास	बरबास	18000/-	15852/-	एनग्रारईपी
61.	सार्व. कूप बावड़ी	बावड़ी	6000/-	5022/-	,,
62.	प्राथ. शाला कल्याणपुरा	,,	15000/-	14053/-	,,
63.	प्राथ. शाला गणेश गंज	बासेडा	10000/-	2938/-	,,
64.	,, ,, बासेडा	,,	6000/-	1781/-	,,
65.	,, ,, पथराजकला	भांवता	9000/-	8482/-	,,
66.	उच्च प्राथ. शाला पथराजकला	,,	6000/-	5978/-	,,
67.	तालाव भांवता	,,	18000/-	17941/-	,,
68.	उच्च प्राथ. शाला भांवता	,,	10000/-	2190/-	,,
69.	आवास गृह भांवता	,,	6000/-	5574/-	,,
70.	प्राथ. शाला भगवानपुरा	भांसू	10000/-	5324/-	,,
71.	लोडक्या तालाब भांसू	,,	18000/-	15196/-	,,
72.	नाली निर्माण भांसू	,,	20000/-	14340/-	,,
73.	एनिकट ढोलावाला मेहरू	मेहरू	12000/-	12000/-	,,
74.	नवीन प्राथ. शाला बालापुरा	,,	20000/-	19292/-	,,
75.	एनिकट ढोलावाला मेंहरू	,,	21000/-	21000/-	,,
76.	पुल सागर मेहरू	महरू	24000/-	24368/-	,,
77.	नवीन प्राथ. प्राला श्रीनगर	मोर	10000/-	3720/-	,,
78.	तालाब श्रीनगर	,,	18000/-	11841/-	,,
79.	नवकप निर्माण मूडियाकला	मूडियाकला	15000/-	14039/-	,,
80.	सार्व. कप निमेडा	,,	,,	-15000/-	,,
81.	प्राथ. शाला मूडियाकला	,,	7500/-	2756/-	,,
82.	चारागाह नाडी ,,	,,	18000/-	9957/-	,,

(255)

1	2	3	4	5	6
83.	तालाब सार्व. खेजड़ों का वास	मांदोलाई	18000/-	7905/-	एन आर. ई.पी,
84.	प्राथ. शाला मांदोलाई	,,	17000/-	15805/-	,,
85.	दुकान निर्माण मांदोलाई	,,	8000/-	7878/-	,,
86.	उ. प्रा. शा. मोडियाला	मोरजाटियान	6000/-	6000/-	,,
87.	नवीन प्राथ. शाला ढीबरू	,,	10000/-	3333/-	,,
88.	राधाबल्लभपुरा तालाब	,,	18000/-	12056/-	,,
89.	अपूर्ण कूप पन्द्राहेडा	,,	4000/-	3721/-	,,
90.	सार्व. कूप वन का खेडा	रीण्डल्या-रामपुरा	4000/-	4000/-	,,
91.	अपूर्ण कूप वन का खेडा	,,	7000/-	7000/-	,,
92.	तालाव वनकाखेडा	,,	18000/-	18000/-	,,
93.	प्राथ. शाला रीण्डल्या-रामपुरा	,,	6000/-	5091/-	,,
94.	प्राथ. शाला पन्द्राहेडा	,,	20000/-	14598/-	,,
95.	उ. प्रा. शाला लाम्बाकला	लाम्बाकला	30500/-	30500/-	,,
96.	अपूर्ण शाला भवन गेदिया	,,	6000/-	6000-/	,,
97.	प्राथ. शाला सदापुरा	,,	10000/-	8997/-	,,
98.	तालाब पीपली वाला लाम्बाकला	,,	18000/-	17721/-	,,
99.	सार्व. कूप खेडूल्याखुर्द	लक्ष्मीपुरा	4000 -	2486/-	,,
100.	पंचायत भवन कूकड	,,	5200/-	5374/-	,,
101.	उच्च प्राथ. शाला लक्ष्मीपुरा	,,	30000/-	27593/-	,,
102.	प्राथ. शाला खेडूल्याखुर्द	,,	6000/-	2948/-	,,

1	2	3	4	5	6
103.	आगरा तालाव कूकड	लक्ष्मीपुरा	18000/-	15995/-	एन.आ.ई.पी.
104.	उपस्वास्थ्य केन्द्र कूकड	,,	20000/-	19098/-	,,
105.	नवकूप निर्माण संवारिया	संवारिया	20000/-	20000/-	,,
106.	तालडी नाडी ,,	,,	18000/-	16791/-	,,
107.	उच्च प्राथ. शाला हमीरपुर	हमीरपुर	8300/-	8088/-	,,
108.	तालाब मरम्मत काचरिया	,,	10000/-	8756/-	,,
109.	उच्च प्राथ. शाला हमीरपुर	,,	17000/-	4928/-	,,
110.	कूप गहरा कुहाडाबुजु ंग	कुहाडाबुजु ंग	3000/-	2200/-	,,
111.	कूप गहरा भीमगढ़	मेहरू	3000/-	2067/-	,,
112.	कूप गहरा दतोब	दतोव	3000/-	1964/-	,,
113.	कूप गहरा इन्दोकिया	इन्दोकिया	,,	1964/-	,,
114.	,, ,, हरभगतपुरा	,,	,,	1980/-	,,
115.	,, ,, गार्णोली	गणेती	2000/-	660/-	,,
116.	कूप गहरा बीबोलाव	,,	3000/-	495/-	,,
117.	,, ,, गणेती	,,	,,	440/-	,,
118.	हडको कूप बोटून्दा	बोटून्दा	,,	2860/-	,,
119.	कूप गहरा	बोटून्दा	3000/-	2860/-	,,
120.	कूप गहरा चन्द्रपुरा	,,	,,	2860/-	,,
121.	कूप गहरा रामपुरा	,,	,,	,,	,,
122.	,, ,, झोपंडिया	,,	,,	,,	,,
123.	बैरवान कप हमीरपुर	हमीरपुर	2000/-	2000/-	,,
124.	कूप गहरा काकलवाड	वस्सी	3000/-	2459/-	,,
125.	,, ,, रीण्डल्यारामपुरा	,,	,,	,,	,,
126.	,, ,, पन्द्राहेडा	रीडल्याराम-पुरा	,,	2459/-	,,

1	2	3	4	5	6
127.	कूप गहरा नई आबादी	,,	,,	2485/-	एनआरईपी
128.	,, ,, ,,	,,	,,	2954/-	,,
129.	,, ,, सीतारामपुरा	,,	,,	2992/-	,,
130.	,, ,, पुरानी आबादी	,,	,,	2998/-	,,
131.	,, ,, जैकमावाद	बरवास	,,	1870/-	,,
132.	,, ,, मा. शा. बरवास	,,	20000/-	1230/-	,,
133.	,, ,, खटीकन ,,	,,	,,	1716/-	,,
134.	नवकूप निमाण शुभदण्ड	दावडदुंबा	15000/-	1705/-	,,
135.	उ. प्रा. शाला पंवालिया	पंवालिया	5000/-	4000/-	,,
136.	पेयजल कूप नयावास	,,	3000/-	1500/-	,,
137.	उ. प्रा. शाला पथराजखुर्द	पथराजखुर्द	3100/-	1847/-	,,
138.	ग्रायु. औष भांवता	भावता	5000/-	4991/-	,,
139.	हुडको कूप बोटून्दा	बाटून्दा	12000/-	9085/-	,,
140.	ग्रपूर्ण प्राथ. शा. विवोलाव	गणेती	3700/-	3700/-	,,
142.	प्राथ. शाला कल्याणपुरा	,,	7000/-	6998/-	,,
142.	वैरवान कूप बांबोलाव	,,	5000/-	4953/-	,,
143.	डिस्पेन्सरी खरेडा	खरेडा	4000/-	3811/-	,,
144.	ग्रपूर्ण कूप जाटान हमीरपुर	हमीरपुर	8000/-	4000/-	,,
145.	ग्रपूर्ण कूप मोतीपुरा	अलियारी	7000/-	6991/-	,,
146.	पंचायत भवन ककड	कूकड	5000/-	4217/-	,,
147.	अपर्ण शाला रतवाई	,,	4300/-	1413/-	,,
148.	अपर्ण खुर्रा वनकाखेडा	रींडल्यारामपरा	4816/-	4790/-	,,
149.	सार्व. कप बालापरा	मेहरू	7000/-	3500/-	,,
150.	अपूर्णशाला कांकलवाड	बस्सी	11000/-	7799/-	,,
151.	औषधालय पंवालिया	पंवालिया	9650/-	6189/-	,,

1	2	3	4	5	6
152.	माध्य. शाला पंवालिया	पंवालिया	10000/-	5000/-	एनआरईपी
153.	उ. प्रा. शा. मादोलाई	मादोलाई	1700/-	1695/-	,,
154.	उ. प्रा. शा. उनियारा खुर्द	उनियारा खुर्द	18000/-	9990/-	,,
155.	,, संवारिया	संवारिया	10000/-	9960/-	,,
156.	,, पथराजकला	भावता	10000/-	10000/-	,,
157.	अपूर्ण शाला बोटून्दा	बोटून्दा	10000/-	5000/-	,,
158.	उच्च प्रा. शाला बनेडिया चारनान	,,	10000/-	5000/-	,,
159.	प्राथ. शाला झोपडिया	,,	20000/-	17620/-	,,
160.	प्राथ. शाला केरली	बासेडा	2300/-	1160/-	,,
161.	,, गोपालपुरा	,,	10000/-	5000/-	,,
162.	,, गणेती	गणेती	10500/-	10497/-	,,
163.	,, खरेडा	खरेडा	15500/-	13072/-	,,
164.	,, भांवता	भांवता	10000/-	10000/-	,,
165.	उ. प्रा. शाला मोडियाला	मोर भाटि.	6900/-	6210/-	,,
166.	प्राथ. शाला बरवास	बरवास	2000/-	1993/-	,,
167.	,, गेदिया	लांवाकला	10000/-	5000/-	,,
168.	,, उ. प्रा. सुख निवासपुरा	इंदोकिया	8000/-	4050/-	,,
169.	उ. प्रा. शाला हमीरपुर	हमीरपुर	15000/-	14003/-	,,
170.	प्राथ. शाला अलियारी	अलियारी	8000/-	7993/-	,,
171.	माध्य. विद्या. अलियारी	,,	10000/-	9924/-	,,
172.	उच्च प्राथ. शाला लक्ष्मीपुरा	कूकड	15000/-	15000/-	,,
173.	अपूर्ण चादर श्रीनगर	मोर	15000/-	13854/-	,,
174.	प्राथ. शाला मोर	,,	7700/-	5969/-	,,
175.	डडिया तालाब मोपी	मोर भाटियान	10000/-	9981/-	,,
176.	अपूर्ण शाला श्रीनगर	मोर	15500/-	13524/-	,,
177.	,, बनका खेड़ा रीण्डलिया	रामपुरा	10000/-	10000/-	,,

1	2	3	4	5	6
178.	अपूर्ण कूप पन्द्राहेड़ा रींण्डलिया	रामपुरा	5000/-	4960/-	एनआरईपी
179.	उच्च प्राथ. शा. ,,	,,	12000/-	6000/-	,,
180.	अपूर्ण रास्ता मेहरू	मेहरू	22000/-	21725/-	,,
181.	कूप निर्माण लाखालाई	बावडी	10000/-	6692/-	,,
182.	अपूर्ण कूप मूंडियाकला	मूडियाकला	10000/-	10000/-	,,
183.	अपूर्ण कूप सवांरिया	सवांरिया	10000/-	9962/-	,,
184.	पंचायत भवन खरेडा	खरेडा	29000/-	22001/-	,,
185.	नवीव शाला रघुनाथपुरा	,,	50000/-	47980/-	,,
186.	नवीन शाला नीमेडा	मूडियाकला	30000/-	29839/-	,,
187.	प्राथ. शाला विस्तार भांसू	भांसू	30000/-	29816/-	,,
188.	,, छात्र बावडी	बावडी	30000/-	19696/-	,,
189.	,, कुरासिया	बोटून्दा	30000/-	22680/-	,,
190.	,, कन्या बावडी	बावडी	55000/-	32082/-	,,
191.	,, विस्तार दतोब	दतोब	25000/-	18330/-	,,
192.	,, ,, सोरडा	मोर भाटि.	30000/-	26743/-	,,
193.	नवीनशाला रायसिंहपुरा	बरवास	55000/-	54954/-	,,
194.	आवास गृह (20) थडोली	थडोली	35000/-	35000/-	,,
195.	,, (39) पंवालिया	पंवालिया	68250/-	68250/-	,,
196.	,, (40) भांवता	भांवता	70000/-	70000/-	,,
197.	शौचालय (20) थडोली	थडोली	24000/-	24000/-	,,
198.	,, (18) बोटून्दा	बोटून्दा	33600/-	33600/-	,,
199.	,, (7) पंवालिया	पंवालिया	8400/-	8400/-	आरएलईजीपी
200.	,, (3) पथराजखुर्द	भांवता	3600/-	3600/-	,,
201.	,, (5) पथराजकला	,,	6000/-	2995/-	,,
202.	,, (20) बोटून्दा	बोटून्दा	24000/-	24000/-	,,
203.	शाला भवन सांडला	बासेडा	44000/-	32817/-	,,
204.	शाला भवन बावड़ी	बावड़ी	44000/-	35100/-	,,
205.	,, भादू का खेडा	दतोब	44000/-	40000/-	,,

1	2	3	4	5	6
206.	शाला भवन काचरिया	हमीरपुर	44000/-	42252/-	आरएलईजीपी
207.	,, चन्द्रपुरा	बोटून्दा	53800/-	48334/-	,,
208.	,, टोपा	,,	53800/-	52844/-	,,
209.	,, रतवाड़ा	ला. कला	53800/-	53751/-	,,
210.	इन्द्रा आवास (16) थडोली	थडोली	115200/-	115177/-	,,
211.	,, (28) संवारिया	संवारिया	201600/-	181600/-	,,
212.	,, (18) कूकड	कूकड	129600/-	119400/-	,,
213.	,, (20) कुरासिया	बोटून्दा	144000/-	96000/-	,,
214.	,, (12) श्रीरामनगर	बस्सी	86400/-	72000/-	,,
215.	जीवन धारा (1) रतबाई	कूकड	19600/-	16100/-	,,
216.	,, (2) लक्ष्मीपुरा	,,	27940/-	15012/-	,,
217.	,, (2) खेड़ूल्या खुर्द	,,	17460/-	16520/-	,,
218.	,, (1) सारू का डास	,,	8706/-	8706/-	,,
219.	,, (1) बाबडी	बाबडी	19600/-	19600/-	,,
220.	,, (2) भांसू	भांसू	39200/-	36572/-	,,
221.	,, (1) भूडियाकलां	भूडियाकलां	19600/-	14075/-	,,
222.	,, (1) वासेडा	वासेडा	19600/-	15505/-	,,
223.	,, (1) मोर	मोर	19600/-	18912/-	,,
224.	,, (1) अलियारी	अलियारी	19600/-	19600/-	,,
225.	,, (5) गणेती	गणेती	87726/-	85618/-	,,
226.	,, (1) कल्याणपुरा कुर्मी	,,	19600/-	19314/-	,,
227.	,, (1) रामपुरा	बोटून्दा	19600/-	19600/-	,,
228.	,, (1) चन्द्रपुरा	,,	19600/-	15730/-	,,
229.	,, (2) कुरासिया	,,	32278/-	25589/-	,,
230.	,, (3) कल्याणसिंह	,,	38274/-	23351/-	,,
231.	,, (5) बोटून्दा	,,	56860/-	38294/-	,,
232.	,, (2) खारेडा	खारेडा	39200/-	27132/-	,,
233.	,, (1) दतोब	दतोब	19600/-	16356/-	,,
234.	,, (1) दाबडदुम्बा	दाबडदुम्बा	19600/-	19600/-	,,

1		2	3	4	5	6
235.	जीवनधारा	(1) झोंपड़ियां	बोटून्दा	9315/-	5076/-	आरएलईजीपी
236.	,,	(2) खरेड़ा	खरेड़ा	39200/-	25625/-	,,
237.	,,	(2) पथराजकलां	भांवता	39200/-	34856/-	,,
238.	,,	(1) झोंपड़िया	बोटून्दा	19600/-	18257/-	,,
239.	,,	(1) कुरासिया	,,	19600/-	16716/-	,,
240.	,,	(1) गोलेडा	बस्सी	19600/-	8270/-	,,
241.	,,	(1) सालिगावास	,,	19600/-	9867/-	,,
242.	,,	(6) हमीरपुर	हमीरपुर	117600/-	73543/-	,,
243.	,,	(1) रामसिंह पुरा	दावडदुम्बा	19600/-	19600/-	,,
244.	,,	(1) दावडदुम्बा	,,	19600/-	18875/-	,,
245.	,,	(1) रतवाई	कूकड	19600/-	13056/-	,,
246.	,,	(1) कूकड	,,	19600/-	17345/-	,,
247.	,,	(1) बावड़ी	बावड़ी	19600/-	5160/-	,,
248.	,,	(2) गेदिया	ला. कला	39200/-	31450/-	,,
249.	,,	(3) दबोत	दबोत	58800/-	53878/-	,,
250.	,,	(1) भांसू	भांसू	19600/-	15718/-	,,
251.	,,	(1) बरवास	बरवास	19600/-	12370/-	,,
252.	,,	(1) मोर	मोर	19600/-	19600/-	,,
253.	,,	(1) मूडियाकला	मूडियाकला	39200/-	36023/-	,,
254.	,,	(1) नारेडा	,,	19600/-	19600/-	,,
255.	,,	(1) मांदोलाई	मांदोलाई	19600/-	19600/-	,,
456.	,,	(1) नीम्हेड़ा	मूडियाकला	19600/-	17260/-	,,
				4565275	3810814	

पंचायत समिति देवली द्वारा पंचायतों के माध्यम से कराये गये निर्माण कार्यों की सूची

एन आर ई पी योजना—

क्र. सं.	कार्य का नाम	पंचायत का नाम	स्वीकृति राशि	व्यय की गई राशि	मद
1	2	3	4	5	6
1985–86					
1.	उ. प्रा. शाला, देही खेड़ा	राजमहल	21,800.00	18,152.00	एनआरईपी
2.	उ. प्रा. शाला, हिसामपुर	हिसामपुर	8,100.00	7,545.00	,,
3.	प्रा. शाला, पनवाड़ का अपूर्ण कमरा	पनवाड	11,500.00	9,865.49	,,
4.	प्रा. शाला, सिरोही का	गाँवडी	11,900.00	3,344.00	,,
5.	सब सेन्टर, थाँवला	थाँवला	40,000.00	38,985.98	,,
6.	पटवार घर, साँडला	साँडला	31,600.00	25,705.50	,,
7.	प्रा. शाला, बनेडिया खुर्द	,,	40,500.00	33,507,82	,,
8.	प्रा. शाला, लखोलाई	राजमहल	40,500.00	37,605.99	,,
9.	सार्व. तालाव, भवरथला	सान्डला	11,000.00	9,658.00	,,
10.	सार्व. कूप साकरवाडा को मरम्मत एवं गहरा	बीसलपुर	10,000.00	7,300.00	,,
11.	गोपाल जी की नाडी को गहरा करना	नसीरदा	11,000.00	50,867.00	,,
12.	सार्व. नाडी थावला को गहरा व पास मरम्मत	थाँवला	11,000,00	9,988.00	,,
13.	सार्व. तालाब तितरीया	हिसामपुर	11,000.00	10,107.00	,,
14.	उ. प्रा. शाला साण्डला	साण्डला	20,000.00	16,724.31	,,
15.	तालाब मरम्मत देही खेडा	राजमहल	11,000.00	9,411.00	,,
16.	आयु. औषधालय का एक कमरा	पनवाड	16,000.00	6,902.82	,,

२०२

1	2	3	4	5	6
1986–87					
17.	पटवार घर हिसामपुर	हिसामपुर	31,600.00	31,600.00	एनआरईपी
18.	पटवार घर कासीर	कासीर	31,600.00	30,998.47	,,
19.	खरंजा निर्माण देवली गांव	देवली गांव	12.000.00	5,432.50	,,
20.	रामसागर नाडी गॉवडी	गॉवडी	10,000.00	8,998.00	,,
21.	सार्व. तालाब मालेडा	मालेडा	12,000.00	9,152.00	,,
22.	सार्व. नाडी इन्द्रपुरा	कासीर	12,000.00	10,784.00	,,
23.	छतरीपा मोडी की नाडी	पनवाड	10,000.00	8,943.00	,,
24.	आयु. औषधालय थॉवला	थॉवला	20,000,00	14,592.95	,,
25.	आयु. औषधालय देवली गांव	देवली गांव	24,700.00	24,700.00	,,
26.	प्रा. शाला. कुन्देला	कासीर	13,375.00	13,375.45	,,
27.	प्रा. शाला थली	हिसामपुर	10,000.00	9,933.43	,,
28.	अपूर्ण आयु. औषधालय थावला	थावला	24,700.00	24,545.00	,,
29.	प्रा. शाला भवरथला के	साण्डला	21,700,00	15,780.00	,,
30.	प्रा. शाखा दलवासा कमरा वरामदा	थॉवला	20,000.00	19,931.00	,,
31.	प्रा. शाला नेगडिया	कासीर	21,700.00	21,700.00	,,
32.	कन्या उच्च प्रा. शाला नासीरदा में दो कमरे निर्माण	नासीरदा	30,000.00	30,894.00	,,
33.	अपूर्ण उ. प्रा. विद्यालय थॉवला	थॉवला	45,300.00	33,342.00	,,
34.	प्रा. शाला. माताजी का थावला	,,	15,500.00	13,632.00	,,
35.	कन्या शाला नासीरदा	नासिरदा	23,000.00	23,000.00	,,
36.	लिंक रोड	कासीर	6,000.00	5,993.00	,,
37.	सार्व. क्यू. वार्ड नं. 1 व2	राजमहल	4,000.00	3,282.00	,,
38.	पंचायत भवन मालेडा	मालेडा	15,000 00	14,096.50	,,
1987–88					
39.	प्रा. शाला इन्द्रपुरा	कासीर	20,000,00	16,382.00	,,
40.	उ. प्रा. शाला (कन्या)	नासीरदा	31,000.00	29,972.00	,,

1	2	3	4	5	6
41.	उ. प्रा. शाला	हिसामपुर	21,700.00	20,192.00	आरएलई जीपी
42.	नाली निर्माण देवली गांव	देवली गांव	25,000.00	24.992.50	
43.	नाली रिर्माण पनवाड	पनवाड	25.000.00	20,500.00	,,
44.	प्रा. शाला रघुनाथपुरा	गॉवडी	21,700.00	13,150.00	,,
45.	प्रा. शाला नेगडीया	कासीर	21,700.00	20,950.00	,,
46.	घाट निर्माण थॉवला	थॉवला	20,000.00	19,732.00	,,
47.	खरंजा लाखोलाई	राजमहल	42,500.00	27,243.00	,,
48.	प्रा. शाला इन्द्रपुरा	कासीर	26,400.00	25,932.00	,,
1988–89					
49.	संस्थागत शौचालय प्रा. शाला	राजमहल	1,200.00	1,200.00	,,
50.	,, ,, (कन्या)	,,	1,200.00	1,200.00	,,
51.	,, ,, पनवाड	पनवाड	1,200.00	1,200.00	,,
52.	,, ,, नासीरदा	नासीरदा	1,200.00	1,182.00	,,
53.	,, ,, नेगडिया	कासीर	1,700.00	1,700.00	,,
54.	खेली निर्माण नेगडीया	कासीर	1,700.00	1,700.00	,,
55.	जीवनधारा कूप निर्माण	नासीरदा	39,200.00	25,000.00	,, (कार्य चालू हैं)
56.	,, ,,	गॉवडी	19,600.00	12,500.00	,,
57.	,, ,,	कासीर	2,54,800.00	1,62,500.00	,,
58.	,, ,,	राजमहल	39,200.00	39.200.00	,,
59.	,, ,,	देवली गॉव	19,600.00	12,50000	,,
आरएलईजीपी (1987–88)					
1.	प्रा. शाला छतडी	कासीर	53,800.00	53,789.00	,,
2.	इन्दिरा आवासीय योजना	राजमहल	72,000.00	45,000.00	,,
1988–89					
1.	जीवनधारा कूप निर्माण	कासीर	3,72.000.00	1,25,000.00	,,
2.	,, ,,	देवली गांव	19,600.00	12,500.00	,,
3.	,, ,,	राजमहल	19,600.00	12,500.00	,,
4,	,, ,,	गॉवडी	58,800.00	37,500.00	,,
5.	,, ,,	हिसामपुर	19,600.00	12,500.00	,,

परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न संख्या 557 की सूची

वर्ष 88-89 में बांसवाड़ा जिले में खोले गये उ. प्रा. विद्यालयों की सूची

क्र. सं.	नाम विद्यालय	पं. सं.
1-	हरिजन बस्ती डूंगरा	बागीडोरा
2-	टांडी बड़ी	सज्जनगढ़
3-	बागड़ीया कलां	कुशलगढ़
4-	सांडलपुर	पीपलखूंट
5-	कुटम्बी	पीपलखूंट
6-	जोलना	गढ़ी
7-	ठीकरीया	गढी
8-	गोरड़ी	बांसवाड़ा
9-	टान्डारन्ता	सज्जनगढ़
10-	कढाव	घाटोल
11-	मचड़िया	बांसवाड़ा
12-	बरजड़ीया	आनन्दपुर
13-	थरंनमुर	गढी
14-	भुपेल	तलवाड़ा
15-	पादेड़ी	गढी

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न सं. 563 की सूची

राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रदेश में संचालित बीयर की दुकानों का विवरण

क्र० सं०	स्थान	कुल संख्या	बीयर की दुकान जहां स्थित है
1.	जयपुर	13	1-तीज पर्यटक विश्रामगृह 2-चांदी की टकसाल 3-घाटगेट 4-शास्त्रीनगर 5-सोडाला 6-राजापार्क 7-झोटवाड़ा 8-इन्द्रा बाजार 9-चांदपोल 10-लालकोठी 11-टूरिस्ट होस्टल 12-मालवीय नगर 13-बरफखाना
2.	अजमेर	4	1-स्टेशन रोड़ 2-जयपुर रोड 3-मदार गेट 4-ओकट्राय के पास
3.	जोधपुर	4	1-घूमर पर्यटक विश्रामगृह 2-रातानांड़ा 3-शास्त्री सर्किल 4-पावटा रोड़
4.	कोटा	3	1-नयापुरा 2-गुमानपूरा 3-शार्पिंग सेन्टर

1	2	3	4
5.	उदयपुर	3	1-कजरी पर्यटक विश्रामगृह 2-सूरजपोल 3-लेक पेलेस रोड़
6.	बीकानेर	3	1-ढोथांमारू पर्यटक विश्रामगृह 2-रानी बाजार 3-जस्सूसर गेट
7.	अलवर	2	1-बस स्टेण्ड 2-भगतसिंह सर्किल
8.	चित्तौड़गढ़	1	1-'पन्ना' पर्यटक विश्रामगृह 2-भीलवाड़ा
9.	माउण्ट आबू	3	1-माउण्ट आबू 2-आबू रोड़ 3-बस स्टेण्ड के पास
10.	जैसलमेर	1	1-'मूमल' पर्यटक विश्रामगृह
11.	भरतपुर	1	1-भरतपुर
12.	ऋषभदेव	1	1-'गवरी' पर्यटक विश्राम गृह
13.	सवाई माधोपुर	1	1-बजरिया
14.	मिडवे बर	1	1-ब्यावर
15.	बहरोड़	1	1-मिडवे
16.	महुआ	1	1-महुआ
17.	रतनगढ़	1	1-मिडवे
18.	पोकरण	1	1-पोकरण
		46	

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 557 की सूची)

नवलगढ़ व झुन्झनू अधिशाषी अभियन्ता विद्युत कार्यालयों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में गत एक वर्ष (1988-89) की अवधि में पावर व साधारण ट्रांसफार्मर खराब हुए तथा उनके स्थान पर बदले गये व मरम्मत किए गये और नये ट्रांसफार्मर लगाये गये, की सूची

क्र.	33/11 के. वी. सब स्टेशन का नाम	खराब हुए ट्रांसफारमर की क्षमता.	खराब होने की तिथि.	बदलने की तिथि.	बदले में लगाए गए ग्रासफार्मर क्षमता
1	2	3	4	5	6
	पावर ट्रांसफार्मर				
	नवलगढ़ अधिशाषी अभियन्ता क्षेत्र				
1.	उदयपुरवाटी	1.6 एम. वी. ए.	12-10-88	5-11-88	1.6 एमवोए
2.	पोंख	1 ,,	17-4-88	25-5-88	1 ,,
3.	बसावा	1.6 ,,	3-12-88	5-12-83	1.6 ,,
	झुझुनू अधिशाषी अभियन्ता क्षेत्र				
1.	डूंडलोद	1.6 एम. वी. ए.	12-5-88	31-5-88	1 एम वी ए
2.	,,	1 0 एम वी ए	24-7-88	—	1.6 ,,
3.	,,	1.6 ,,	22-11-88	26-11-88	1.6 ,,
4.	,,	1.0 ,,	7-12-88	20-12-88	1.0 ,,
5.	,,	1.0 ,,	30-12-88	12-1-89	2.0 ,,
6.	,,	1.0 ,,	13-3-89	16-3-89	1.0 ,,
7.	,,	1.0 ,,	21-3-89	25-3-89	1.5 ,,
8.	मन्डावा	500 ,,	27-9-88	—	—

1 2	3		4	5	6
9. हेतमसर	630	,,	15-4-88	25-7-88	630 के वी ए
10. ,,	1.6	,,	9-10-88	3-11-88	1.6 एम वी ए
			वितरण ट्रांस फार्मर		
नवलगढ़ अधिशाषी अभियन्ता क्षेत्र					
1. कोलसिया	100 के वी ए		20-5-88	21-5-88	100 के वी ए
2. भाभर	100	,,	14-4-88	16-4-88	100 ,,
3. बिनोल	25	,,	28-4-88	29-4-88	25 ,,
4. ,,	100	,,	3-4-88	4-4-78	100 ,,
5. परसरामपुरा	63	,,	1-5-88	7-5-88	63 ,,
6. कोलसिया	100	,,	2-6-88	4-6-88	100 ,,
7. बरवासी	100	,,	6-6-88	8-6-88	100 ,,
8. कमावास	63	,,	,,	9-6-88	63 ,,
9. बिनोल	100	,,	7-6-88	8-6-88	100 ,,
10. बई	25	,,	,,	21-6-88	25 ,,
11. कोलसिया	93	,,	9-6-88	11-6-88	63 ,,
12. ,,	,,	,,	,,	,,	,, ,,
13. कोडी	,,	,,	12-6-88	14-6-88	,, ,,
14. गोथरा	100	,,	,,	,,	100 ,,
15. बिनोल	,,	,,	11-6-88	—	,, ,,
16. कोलसिया	,,	,,	14-6-88	16-6-88	,, ,,
17. भाभर	,,	,,	17-6-88	21-6-88	,, ,,
18. बिनोल	,,	,,	18-6-88	—	,, ,,
19. भाभर	,,	,,	24-6-88	—	,, ,,
20. परसरामपुरा	,,	,,	26-6-88	29-6-88	,, ,,

1 2	3		4	5	6	
21. दूमाडा	63	के.वी.ए.	27-6-88	30-6-88	63	के.वी.ए.
22. कोलसिया	100	,,	27-6-88	1-7-88	100	,,
23. बरवासी	63	,,	28-6-88	2-7-88	63	,,
24. मैनास	63	,,	10-10-88	12-10-88	63	,,
25. फतेहसरी	26	,,	12-10-88	14-10-88	25	,,
26. देवारी	63	,,	16-10-88	10-10-88	63	,,
27. नवलड़ी	100	,,	22-10-88	22-10-88	100	,,
28. निवाई	100	,,	4-11-88	4-11-88	100	,,
29. नवलगढ	63	,,	17-11-88	18-11-88	63	,,
30. ,,	100	,,	4-12-88	4-12-88	100	,,
31. ,,	63	,,	15-12-88	16-12-88	63	,,
32. लवलडी	63	,,	23-12-88	24-12-88	63	,,
33. खरोद	63	,,	4-1-89	5-1-89	63	,,
34. नवलगढ़	63	,,	,,	4-1-89	63	,,
35. झाझर	25	,,	22-1-89	23-1-89	25	,,
36. नवलगढ़	100	,,	19-1-89	19-1-89	100	,,
37. हिम्मतपुरा	25	,,	27-1-89	29-1-89	25	,,
38. निवाई	63	,,	29-1-89	31-1-89	63	,,
39. नवलडी	100	,,	16-2-89	18-2-89	100	,,
40. बिरोल	100	,,	14-2-89	16-2-89	100	,,
41. चिराना	100	,,	24-4-88	29-4-88	100	,,
42. मन्डेसर	63	,,	29-4-88	5-5-88	64	,,
43. गिरधरपुरा	100	,,	11-5-88	13-5-88	100	,,
44. बगेरा	25	,,	14-5-88	8-7-88	25	,,
म ाणकसर	100	,,	20-6-88	30-6-88	100	,,

1	2	3		4	5	6	
46.	चिराना	25	के.वी.ए.	23-6-88	25-6-88	25	के.वी.ए.
47.	गोल्याना	,,	,,	23-6-88	25-6-88	,,	,,
48.	जैतपुरा	,,	,,	24-6-88	19-7-88	,,	,,
49.	चिराना	100	,,	25-6-88	8-7-88	100	,,
50.	,,	63	,,	23-6-88	2-7-18	63	,,
51.	धनावता	25	,,	9-3-88	19-7-88	25	,,
52.	उदयपुरवाटी	63	,,	8-7-88	11-7-88	63	,,
53.	चिराना	,,	,,	16-7-88	22-7-88	,,	,,
54.	छापली	25	,,	12-8-88	30-9-88	25	,,
55.	काट	,,	,,	6-8-88	16-8-88	,,	,,
56.	चिराना	50	,,	2-7-88	22-7-88	50	,,
57.	पचलांगी	100	,,	28-8-88	31-8-88	100	,,
58.	जोधपुरा	50	,,	7-9-88	24-9-88	50	,,
59.	लोहरगढ़	25	,,	11-9-88	11-9-88	25	,,
60.	उदयपुरवाटी	100	,,	17-9-88	19-9-88	200	,,
61.	चिराना	,,	,,	17-10-88	29-10-88	100	,,
62.	किरोडी	63	,,	25-10-88	,,	63	,,
63.	छापलो	25	,,	7-10-88	17-10-88	25	,,
64.	धनावता	63	,,	8-11-88	12-11-88	63	,,
65.	उदयपुरवाटी	50	,,	12-11-88	14-12-88	50	,,
66.	मनडावड़ा	63	,,	31-12-88	4-1-19	63	,,
67.	कोट	25	,,	10-1-89	13-1-89	25	,,
68.	उदयपुरवाटी	63	,,	13-1-89	16-1-89	63	,,
69.	पेपाड़ा	100	,,	7-2-88	14-2-88	100	,,
70.	उदयपुरवाटी	63	,,	23-3-89	23-3-89	63	,,

1	2	3	4	5	6
71. देवपुरा	100 के वी ए	11-4-88		28-4-88	100 के वी ए
72. बजावा	63 ,,	24-5-88		1-6-88	63 ,,
73. हासलसर	25 ,,	18-5-88		21-5-28	25 ,,
74. टीटनवार	25 ,,	9-6-88		19-6-88	25 ,,
75. भोरकी	100 ,,	10-6-88		11-6-88	100 ,,
76. पोंख	63 ,,	15-6-88		8-7-88	63 ,,
77. खींवसर	100 ,,	18-3-88		25-4-88	100 ,,
78. केड़	63 ,,	14-4-88		15-4-88	63 ,,
79. भोरकी	100 ,,	23-4-88		25-4-88	100 ,,
80. रघुनाथपुरा	,, ,,	18-6-88		21-6-88	,, ,,
81. नाताश	25 ,,	20-6-88		21-6-88	25 ,,
82. हीरवाना	,, ,,	28-6-88		28-6-88	,, ,,
83. देवपुरा	100 ,,	23-6-88		28-6-88	100 ,,
84. हासलसर	25 ,,	16-7-88		19-8-88	25 ,,
85. दूरीया	,, ,,	8-7-88		8-7-88	,, ,,
86. बजावा	,, ,,	20-7-88		27-7-88	,, ,,
87. टोडी	100 ,,	1-8-88		17-8-88	100 ,,
88. सिगनोर	,, ,,	5-8-88		18-8-88	,, ,,
89. भोरकी	,, ,,	7-8-88		21-8-88	63 ,,
90. नांगलीगूजरान	63 ,,	5-8-88		17-8-88	100 ,,
91. गूडा	100 ,,	12-8-88		29-8-88	63 ,,
92. भोरकी	63 ,,	24-8-88		15-9-88	25 ,,
93. नांगली गूजरान	25 ,,	28-8-88		15-9-88	,, ,,

1	2	3	4	5	6
94. बजावा	25	के.वी.ए.	28-8-88	15-9-88	25 के.वी.ए.
95. नाटाश	,,	,,	6-9-88	,,	,, ,,
96. छावसरी	100	,,	17-6-88	6-9-88	100 ,,
97. धमोरा	,,	,,	28-8-88	26-10-88	,, ,,
98. केड	25	,,	,,	31-10-88	25 ,,
99. रघुनाथपुरा	100	,,	6-11-88	18-11-88	100 ,,
100. ,,	63	,,	,,	,,	63 ,,
101. जाखल	100	,,	,,	,,	100 ,,
102. सिगनोर	63	,,	5-11-88	,,	63 ,,
103. दूहा	25	,,	10-11-88	,,	25 ,,
104. सिन्थाल	,,	,,	,,	,,	,, ,,
105. टोडी	100	,,	18-11-88	17-12-88	100 ,,
106. भोरक	25	,,	28-11-88	27-12-88	25 ,,
107. सिगनोर	63	,,	29-11-88	29-11-88	63 ,,
108. छावसरी	,,	,,	3-12-88	3-1-89	,, ,,
109. टीटनवार	25	,,	9-12-87	29-12-84	25 ,,
110. किशोरपुरा खोंवसर	63	,,	12-12-88	4-1-89	63 ,,
111. टीटनवार	,,	,,	2-1-89	11-2-89	,, ,,
112. पोंख	100	,,	3-1-89	11-2-89	100 ,,
113. सिगनोर	63	,,	5-1-89	31-1-89	63 ,,
114. रघुनाथपुरा	100	,	4-1-89	15-1-89	100 ,,
115. भोरकी	63	,,	7-1-89	15-1-89	63 ,,

1	2	3	4	5
116. निवाई	100 के.वी.ए.	13-1-89	30-1-89	100 के.वी.ए.
117. भोरकी	63 ,,	25-1-89	8-2-89	63 ,,
118. ,,	,, ,,	1-12-89	,,	,, ,,
119. ,,	,, ,,	4-2-89	17-2-89	25 ,,
120. टीटनवार	,, ,,	2-2-89	8-2-89	25 ,,
121. जाखल	63 ,,	2-2-89	17-2-89	63 ,,
122. भोरकी	25 ,,	4-2-89	,,	25 ,,
123. धमोरा	100 ,,	9-2-89	19-2-89	100 ,,
124. गुढ़ा गौड जी	63 ,,	11-2-69	25-2-89	63 ,,
125. मारकी	100 ,,	24-2-89	,,	100 ,,
126. छाऊ	63 ,,	23-2-89	,,	63 ,,
127. सिगनोर	,, ,,	15-2-89	19-2-69	,, ,,
128. ,,	100 ,,	8-3-89	10-2-89	100 ,,
129. सींथली	63 ,,	17-3-89	25-3-89	63 ,,
130. गधांला कला	25 ,,	31-3-89	7-4-89	25 ,,

परिशिष्ट "ब

2. झुन्झुनूं अधिशाषी अभियन्ता क्षेत्र

क्र. सं.	33/11 के. वी. सब स्टेशन का नाम	खराब हुए ट्रांसफार्मर की क्षमता	खराब होने की तिथि	बदलने की तिथि	बदले में लगाए गए ट्रांसफार्मर की क्षमता
1	2	3	4	5	6
		वितरण ट्रांसफार्मर			
अ.	**ग्रामीण उप खण्ड झुन्झुनूं कार्यालय**				
1.	मोतीसर	25 के.वी.ए.	18-4-88	26-4-88	25 के.वी.ए
2.	शेखसर	63 ,,	19-4-88	21-4-88	63 ,,
3.	दुलचास	25 ,,	20-4-88	28-4-88	25 ,,
4.	नारनोद	,, ,,	26-4-88	28-4-88	,, ,,
5.	पीपल का बास	63 ,,	10-4-88	13-5-88	63 ,,
6.	बुडानिया	50 ,,	13-5-88	20-5-88	63 ,,
7.	,,	25 ,,	17-5-88	,,	25 ,,
8.	वाजिदसर	,, ,,	20-5-88	31-5-88	,, ,,
9.	बकवास	63 ,,	,,	24-5-88	63 ,,
10.	देसुसर	50 ,,	23-5-88	31-5-88	,, ,,
11.	बुडानिया	100 ,,	26-5-88	31-5-88	100 ,,
12.	टोडरवास	25 ,,	25-5-88	16-6-88	25 ,,
13.	मोथावास	63 ,,	6-6-88	14-6-88	63 ,,
14.	जालिमपुरा	25 ,,	,,	16-6-88	25 ,,
15.	नेहनसर	100 ,,	7-6-88	,,	100 ,,
16.	हंसासर	,, ,,	,,	,,	,, ,,

1	2	3	4	5	6
17.	बिस्सु	315 के वी.ए.	10-6-88	10-6-88	2×100 के.वी.ए.
18.	खाजपुरा नया	100 ,,	7-6-88	18-6-88	100 ,,
19.	नारनोद	,, ,,	7-6-88	18-6-88	,, ,,
20.	बिस्सु	,, ,,	12-6-88	14-6-88	2×63 ,,
21.	कासिमपुर	50 ,,	7-6-88	29-6-88	63 ,,
22.	टोगरा खुर्द	16 ,,	12-6-88	14-6-88	25 ,,
23.	हनुमानपुरा	63 ,,	,,	,,	63 ,,
24.	सोनसर	100 ,,	26-6-88	11-7-88	100 ,,
25.	गुमानसर खुर्द	63 ,,	27-6-88	,,	63 ,,
26.	डेरवाला	,, ,,	,,	29-6-88	63 ,,
27.	हरनाथपुरा	,, ,,	5-7-88	7-7-88	63 ,,
28.	दुर्जनपुरा	100 ,,	9-7-88	16-7-88	100 ,,
29.	जालिमपुरा	25 ,,	11-7-88	22-7-88	25 ,,
30.	हनुमानपुरा	63 ,,	13-7-88	17-7-88	63 ,,
31.	जोतास	63 ,,	13-7-88	17-7-88	63 ,,
32.	जैतपुरा	25 ,,	19-7-88	29-7-88	25 ,,
33.	ग्यागासर	63 ,,	18-7-88	27-7-88	63 ,,
34.	अलोपुरा	100 ,,	16-7-88	18-7-88	100 ,,
35.	नारनोद	25 ,,	23-7-88	18-8-88	25 ,,
36.	भोजासर	,, ,,	16-7-88	17-8-88	,, ,,
37.	मुखवास	,, ,,	25-7-88	17-8-88	,, ,,
38.	बागर	63 ,,	28-7-88	16-9-88	63 ,,
39.	जैतपुरा	25 ,,	2-8-88	16-8-88	25 ,,
40.	हंसासरो	,, ,,	,,	,,	,, ,,
41.	धोरनसर	,, ,,	1-8-88	17-8-88	,, ,,

1	2	3	4	5
42. इस्लामपुर	25 के.वी.ए.	7-8-88	16-8-88	25 के.वी.ए.
43. सोयरो	63 ,,	15-8-88	9-9-88	63 ,,
44. दोराराज	,, ,,	14-8-88	,,	,, ,,
45. धेनवा का बास	,, ,,	15-8-88	21-8-88	63 ,,
46. त्रिलोक का बास	25 ,,	17-8-88	3-9-88	25 ,,
47. पिलोनी खुर्द	,, ,,	23-8-88	,,	,, ,,
48. शेखसर	,, ,,	25-8-88	29-9-88	,, ,,
49. भोजासर	,, ,,	13-8-88	17-8-88	,, ,,
50. बिबासर	63 ,,	28-8-88	22-9-88	62 ,,
51. चारणबास	100 ,,	26-8-88	1-10-88	100 ,,
52. खुडाना	,, ,,	30-8-88	26-9-88	,, ,,
53. बागर	63 ,,	29-8-88	16-9-88	63 ,,
54. अलीपुर	,, ,,	4-9-88	28-9-88	,, ,,
55. टानो	25 ,,	1-9-88	13-9-88	25 ,,
56. बुडानिया	,, ,,	20-8-88	14-9-88	,, ,,
57. हनुमानपुरा	,, ,,	12-9-88	1-10-88	,, ,,
58. निरधाना	,, ,,	,,	28-9-88	,, ,,
59. हंसासर	,, ,,	1-10-88	1-10-88	,, ,,
60. धोरासर	,, ,,	5-10-88	10-11-88	,, ,,
61. मोठावास	63 ,,	,,	14-10-88	63 ,,
62. मलसिसर	100 ,,	21-10-88	29-10-88	100 ,,
63. डोरादास	63 ,,	,,	18-11-88	63 ,,

1 2	3	4	5	6
64. किसारो	25 के.वी.ए.	28-11-88	20-11-88	25 के.वी.ए.
65. मलसोसर	63 ,,	28-10-88	29-10-88	63 ,,
66. कोडसर	25 ,,	29-10-88	20-11-88	25 ,,
67. माखर	100 ,,	27-10-88	20-11-88	100 ,,
68. हमोरवास बाजवा	63 ,,	2-11-88	19-11-88	63 ,,
69. पातुसरो	100 ,,	7-11-88	29-11-88	100 ,,
70. इस्लामपुर	,, ,,	12-11-88	27-11-88	,, ,,
71. बिशनपुरा	,, ,,	19-11-88	9-12-88	,, ,,
72. मा त्र	63 ,,	18-11-88	27-11-88	63 ,,
73. इस्लामपुर	25 ,,	16-11-88	27-12-88	25 ,,
74. बुडाना	,, ,,	3-12-88	28-12-88	,, ,,
75. कुमावास	63 ,,	6-12-88	,,	63 ,,
76. दुर्जनपुरा	25 ,,	22-12-88	29-12-88	25 ,,
77. कुल्हारियों की ढाणी	,, ,,	26-12-88	30-12-88	,, ,,
78. हमोरवास बाजवा	100 ,,	25-12-88	29-12-88	100 ,,
79. सोतो	25 ,,	13-1-89	22-2-89	25 ,,
80. मोथावास	,, ,,	16-1-89	2-2-89	,, ,,
81. मलसोर	63 ,,	2-2-89	13-2-89	63 ,,
82. हनुमानपुरा	25 ,,	13-2-89	21-2-89	25 ,,
83. मेहनसर	,, ,,	14-2-89	15-2-89	,, ,,
84. बागर	100 ,,	18-2-88	1-3-89	100 ,,
85. बास नानग	63 ,,	26-2-89	4-3-89	63 ,,

1 2	3	4	5	6
86. सोतो	25 के.वी.ए.	23-2-89	13-3-89	25 के.वी.ए.
87. माखर	100 ,,	6-3-89	13-3,89	100 ,,
88. ,,	63 ,,	,,	,,	63 ,,
89. सोगरा	25 ,,	8-3-89	5-3-89	25 ,,
90. बोबासर	63 ,,	10-3-89	16-3-89	63 ,,
91. बुहाना	100 ,,	11-3-89	16-3-89	100 ,,
92. श्यामपुराचरमवास	63 ,,	13-3-89	,,	63 ,,
93. दुर्जनपुरा	25 ,,	,,	17-3-89	25 ,,
94. गुमानसर खुर्द	25 ,,	16-3-89	,,	,, ,,
95. माखर	63 ,,	19-3-89	24-3-89	63 ,,
96. सींगरा	25 ,,	26-3-89	30-3-89	25 ,,
97. उत्रासर	,, ,,	30-3-89	5-4-89	,, ,,
परि. एवं संधा. खण्ड मण्डावा				
1. बलारिया	100 क. वोए	20-2-88	5-3-88	100 के.वो.ए.
2. गौरोवारा कलान	63 ,,	24-5-88	25-5-88	25 ,,
3. ,,	25 ,,	25-5-88	31-5-88	,, ,,
4. पाबाना	63 ,,	26-6-88	16-6-88	63 ,,
5. बलारिया	,, ,,	16-6-88	28.7-88	50 ,,
6. मण्डावा	25 "	4-7-88	7-7-88	25 ,,
7. धोरोवारा कलान	,, ,,	17-7-88	2-8-88	,, ,,
8. भारू	63 ,,	17-7-88	29-7-88	50 ,,
9. ,,	,, ,,	14-8-78	24-8-88	63 ,,

1	2	3	4	5	6
10.	घोरोवारा कलान	25 के.वी.ए.	19-9-89	22-9-88	25 के.वी.ए.
11.	लूमास	,, ,,	25-9-88	15-10-88	,, ,,
12.	भारू	100 ,,	9-10-86	4-10-88	63 ,,
13.	चूड़ी अजोतगढ़	25 ,,	5-20-88	4-11-88	25 ,,
14.	डूंडलोद	63 ,,	7-11-88	20-11-88	63 ,,
15.	नरसिंघानो	,, ,,	8-11-88	,,	,, ,,
16.	मुकन्दगढ़	,, ,,	18-11-88	16-12-88	100 ,,
17.	बहादुरवास	50 ,,	21-11-88	25-11-88	63 ,,
18.	मुकन्दगढ	100 ,,	9-1-89	20-1-89	200 ,,
19.	डूंडलोद	,, ,,	16-1-89	31-1-89	100 ,,
20.	चूडी अजीतगढ	25 ,,	16-3-89	30-3-89	25 ,,

परि. एवं. संधा- उप खण्ड झुन्झुनुं

1.	भेरा को ढाणो	100 के.वो.ए.	26-4-88	19-5-88	100 के. वो. ए.
2.	झुन्झुनूं	,, ,,	18-5-88	7-6-88	,, ,,
3.	दोरासर	,, ,,	25-5-88	27-5-88	,, ,,
4.	झुन्झुनूं	250 ,,	,,	26-5-88	250 ,,
5.	चिकरोली	100 ,,	3-6-88	14-7-88	100 ,,
6.	झुन्झुनूं	,, ,,	8-6-88	11-6-88	,, ,,
7.	बडागांव	,, ,,	11-6-88	18-6-88	,, ,,
8.	इन्डालो	63 ,,	17-6-88	12-7-88	63 ,,

1 2	3	4	5	6
9. बखिदरसर	25 के.वी.ए.	24-6-88	20-8-88	25 के.वी.ए.
10. खेतपुरा	,, ,,	29-6-88	20-8-88	,, ,,
11. चिकरोली	63 ,,	29-6-88	19-6-88	,, ,,
12. झुंझुनूं	25 ,,	14-7-88	6-9-88	,, ,,
13. ,,	100 ,,	18-8-88	6-10-88	100 ,,
14. ,,	25 ,,	21-8-88	8-9-88	25 ,,
15. ,,	100 ,,	25-8-88	27-9-88	100 ,,
16. भरूण्डा खुर्द	25 ,,	31-8-88	19-9-88	25 ,,
17. ,,	100 ,,	14-988	1-10-88	100 ,,
18. बाकरा	25 ,,	29-10-88	9-11-88	25 ,,
19. इन्डालो	100 ,,	3-11-88	19-11-88	100 ,,
20. झुन्झुनूं	25 ,,	14-11-88	20-11-88	25 ,,
21. ,,	100 ,,	6-1-89	7-1-89	63 ,,
22. भैरूण्डाखुर्द	25 ,,	6-2-89	9-2-89	25 ,,
23. समासपुर	63 ,,	29-3-80	31-3-89	63 ,,
24. झुंझनु	100 ,,	23-9-88	24-10-88	100 ;,
25. ,,	,, ,,	,,	28-9-88	,, ,,

परिशिष्ट–ब

वर्तमान में खराब ट्रांसफारमरों की सूची, जो बदले नहीं गये हैं

क. सं	ग्राम का नाम	ट्रांसफारमर की क्षमता	ट्रांसफारमर खराब होने की तिथि
1	2	3	4
1.	टेटरा	100 के. वी. ए.	1-7-89
2.	पिलानी खुर्द	25 ,,	3-7-89
3.	बुघाना	100 ,,	3-7-89
4.	टागर खुर्द	100 ,,	7-7-89
5.	किसारी	25 ,,	3-7-89
6.	बिसाऊ	50 ,,	9-7-89
7.	बसावा	1.6 ,,	20-8-89

परिशिष्ट–12

ध्यता. प्रश्न संख्या 568 की सूची परिशिष्ट–"अ"

नागौर पंचायत समिति में दिये गये श्रेणीवार कनेक्शनों का सूची
वर्ष 1988-89

क्र. उपभोक्ता का नाम	ग्राम का नाम	श्रेणी में दिये गये
1 2	3	4
1. श्री केदाराम/उदाराम	गुड़ला	सामान्य
2. ,, किसनाराम	फागलो	इस ग्राम में एक भी कनेक्शन (कृषि का) नहीं था।
3. ,, संगाराम/गिरधारीराम	अटियासन	सामान्य
4. श्रीमती मोहनी देवी पत्नी श्री सुगनाराम	,,	एक पोल
5. श्री भंवर लाल/नत्थुराम	,,	,,
6. ,, दुर्गाराम/भुण्डाराम	,,	अनु. जाति
7. ,, बस्तोराम/पानाराम	गगवाना	ग्रीन कार्ड
8. ,, रामकिशोर/मगनाराम	,,	,,
9. ,, मोटाराम जाट	पोपासर	इस ग्राम में एक भी कृषि कनेक्शन नहीं था
10. ,, सुजान सिंह/गोविन्दसिंह	सारनवास	,,
11. ,, अनाराम/धुलाराम	सुरजनियावास	अनु. जाति
12. ,, उमाराम/डालूराम	,,	एक पोल
13. ,, भंवर लाल/मंगाबिशन	रामसिया	इस ग्राम में एक ही कृषि कनेक्शन था

1	2	3	4
14.	,, निम्बाराम/रुघनाथ	बसवानो	इस ग्राम में एक भी कृषि कनेक्शन नहीं था।
15.	,, बुद्धाराम/रूपाराम	ढोंगसरा	,,
16.	,, मोहन लाल सूंडाराम	भेड	,,
17.	,, गोपाराम/साजनराम	,,	,,

वर्ष 1988-89 में कृषि कुओं को विद्युत कनेक्शन दिये गये की सूची
पंचायत समिति मूण्डवा

क्र. सं.	उपभोक्ता का नाम	गांव का नाम	श्रेणी
1.	2	3	4
1.	श्री भंवराराम	रूणा	भू. पू. सैनिक
2.	,, हरदीनराम	जनाणा	ग्रीन कार्ड.
3.	,, नन्द किशोर	गुवालू	,,
4.	श्रीमती कानु देवी	पालड़ो जोधा	,,
5.	श्री हीराराम	गोटड़ा	अनु. जाति
6.	,, सुखदेवराम	धजवाना	,,
7.	,, रामुराम	खोडवा	,,
8.	,, गणेशराभ	गाजू	,,
9.	श्रीमती मुकराई	भण्डाना	,,

1 2	3	4
10. श्री भेराराम	खोडवा	भू जल विभाग
11. ,, पूनमचन्द	ईनाणा	,,
12. ,, किरपाराम	पोथोलाब	इस ग्राम में एक भी कृषि कनेक्शन नहीं था।
13. ,, रामचन्द्र	माणकपुर	,,
14. ,, शंकर लाल	मिरजास	,,
15. ,, बागाराम	नाखा खुर्द	,,
16. ,, भंवर लाल	,,	,,
17. ,, लादुराम	बोटवाल	,,
18. ,, रामचरण	नागड़ी	,,
19. ,, अहमद	खजवाना	सामान्य
20. ,, ठाकुरराम	,,	,,
21. श्रीमती बतोदेवी	गवालू	,,
22. श्री नारायणराम	लालास	,,
23. ,, मूलाराम	गवालू	एक पोल
24. ,, रामकिशोर	,,	,,
25. श्रीमती भवराई	बेरावास	,,
26. श्री कन्हैयालाल	ग्रवन्डो	,,
27. ,, दयाल राम	जनाणा	,,
28. ,, दानाराम	ईनाणा	,,
29. ,, श्रीमती जमकू	पालड़ी जोधा	,,
30. श्री नूनीयादास	गाजु	,,
31. ,, रामकिशन	सोलोयाना	,,
32. ,, रेखाराम	खोंवसर	भूजल विभाग

1	2	3	4
33.	श्री शैतानाराम	खोवटार	ग्रीन कार्ड
34.	,, राजुराम	भावण्डा	अनु. जाति
35.	,, बख्शाराम	,,	,,
36.	,, ताराचन्द	,,	भू. जल विभाग
37.	,, हनुमान सिंह	खोंवसर	सामान्य
38.	,, उम्मेद सिंह	,,	ग्रीन कार्ड
39.	,, मुकनाराम	,,	सामान्य
40.	,. रामचन्द्र	टाडास	एक पोल
41.	,, बाबूलाल	खोंवसर	,,
42.	,, हनुमान सिंह	,,	,,

परिशिष्ट (ब)

नागौर जिले की पंचायत समिति मुण्डवा में उपरोक्त कार्यक्रमों के अनुसार
निम्न लक्ष्य निर्धारित किये ।

क्र. सं.	पं. समिति का नाम	जारी कार्यक्रम का पत्र सं. एवं दिनाक	श्रेणीवार प्रस्तावित लक्ष्य			
			अनु. जाति	सामान्य	ऐसे ग्राम जहां कोई कनेक्शन नहीं	कुल
	प्रथम कार्यक्रम					
1.	नागौर	506/28/588	3	9	10	22
2.	मूण्डवा	,,	6	56	8	70
	जिला नागौर		120	607	80	797

द्वितीय संशोधित कार्यक्रम

क्र.	पंचायत समिति का नाम	जारी कार्यक्रम का पत्र सं. एवं दिनांक	लिफ्ट इरिगेशन	स्प्रींकलर	डीफेंस पर्सन	ग्रीन कार्ड	ट्यूब वैल	विलेज हेविंग नो कनेक्शन	एस. सी.	एस. टी.	जनरल मार्च 3/89	जनरल फ्राम 80-81 ओनवर्ड्स	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	नागौर	1912/8/11/88	—	2	2	5	5	10	2	—	—	6	32
2.	मुण्डवा	,,	—	2	1	4	4	8	6	—	—	27	52
	जिला नागौर	,,	—	22	15	50	50	70	120	—	54	419	800
	तृतीय संशोधित कार्यक्रम												
1.	नागौर	2825/23-2-89	—	2	1	3	3	12	3	—	—	3	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	मुण्डवा	2825/23-2-89	—	2	3	10	30	44	13	—	—	8	110
	जिला नागौर		—	22	37	122	50	151	156	—	35	268	842

	सिंगल पोल		
1.	नागौर	3082/14-3-89	2
2.	मूण्डवा	,,	13
	जिला नागौर :—		100

नोट :—राज्य सरकार ने वर्ष 1988-89 के लिये विद्युत कनेक्शनों हेतु जारी निर्देश में सामान्य श्रेणी में दिये जाने वाले कृषि कनेक्शनों को अन्य छ: श्रेणियों में विभक्त कर दिया। अत: सामान्य श्रेणी में दिये गये कनेक्शनों का बंटवारा अन्य श्रेणियों में संशोधित लक्ष्यों में कर दिया गया है। इसके अनुसार पंचायत समिति नागौर व मुण्डवा में हालांकि सामान्य श्रेणी में क्रमश: 3 व 8 कनेक्शनों का लक्ष्य प्रकट होता है परन्तु वास्तव में पहले लक्ष्यों के सापेक्ष में क्रमश: 14 व 66 हैं।

—Sd—

परिशिष्ट (ब)

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD
(Survey & Investigation Circle)

No. RSEB/CE/RE/S&I/F. 10 (270)/88-89/D. 506 Jaipur
Date 28-5-88

To,

The Superintending Engineer ( ),
Rajasthan State Electricity Board,

Sub.: Programme for electrification of villages & energisation of Agri. pumpsets during the year 1988-89.

Kindly find enclosed herewith districtwise and schemewise/PS wise programme for electrification of villages and energisation of Agri. pumpsets during the year 1988-89. The programme includes the instructions issued vide this office letter No. RSEB/CE/S&I/F. 10 (270)/D. 170 dated 21-4-88.

The Director Commercial, RSEB, Jaipur vide his order No. RSEB/DCO/F.73/Gen/Cond./D. 3887 dated 23.6.1987 had revised the priority for release of Agri. connections as per the directives of the State Govt. Accordingly during 1988–89, the Agri. connections are proposed to be released in the following manner :—

1. (a) Applications belonging to Scheduled Caste under the Special Component Plan in each Panchayat Samiti/scheme as per enclosure. 2250 connections

(b) In the areas of Scheduled Tribe Sub plan as per enclosures. 1050 connections

(c) In such electrified villages which have no Agri. connections in each panchayat samiti/scheme as per enclosure. 2000 connections

5300 connections

The district-wise/scheme-wise break-up earmarked under the above category are indicated in the enclosed annexure.

The remaining targets allotted to the panchayat samities/schemes indicated under category 'others' in the enclosure will be distributed among all the electrified villages covered in the panchayat samiti/REC scheme in proportion to the pending applications in all the covered villages. 50% of the targets so allotted to each of the villages will be utilised for releasing Agri. connections to the consumers whose applications are pending for the maximum period i. e. on the basis of normal priority 'first come first served basis'.

The remaining 50% of the targets allotted to each of the villages in proportion to the pending applications will be utilised for releasing Agri. connections in order of the following priority :

1. Registered (under the Registration of Society Act) Community and Co-operative Lift Irrigation scheme.

2. Persons having Green Cards issued by the Department of Medical & Health. Govt. of Rajasthan under the Family Planning Programme.

3. Such tube-wells in which boring has been done from the ground surface. The over-riding priority in such wells shall, however, be given to those dug by Govt./Semi Govt. institutions.

4. Applicants of Scheduled Tribe.

5. Applicants falling at a distance of not more than one pole/support from the LT line laid/to be laid as per order No. RSEB/DCO/F.4 (73)/Gen Cond/D.4255 dated 26.11.1983.

The distribution of villagewise targets under the above four categories will be done in each PS/REC scheme by the concerned Executive Engineers. For the PS/REC schemes falling under the jurisdiction cf more than one Executive Engineer, the allotment of the targets for the PSs/Schemeswill be done by the concerned Superintending Engineers.

The progress of the energisation of Agri. pumpsets under the four categories will be indicated separately by the Assistant Eugineers. The Superintending Engineers will monitor the progress of release of connections under each of the category and indicate the same in the monthwise progress report being communicated to the Chief Engineer (RE) and Chief Engineer (O&M)/(SPOT), RSEB, Jaipur positively.

The RE programme 1988-89 includes the Agricultural connections in rural areas only as the urban areas are not covered under the RE schemes. Hence Agricultural connections in urban areas may be released as and when the demand for such connections is received like other connections which are not included in the RE programme. However the progress of such connections shall be reported under 20 point programme of energisation of Agricultural wells in the state specifically mentioning that such No. of connections are released in urban areas

It is further advised that while electrifying any new village, due care be taken to comply with the instructions issued vide circular No. RSEB/Sec. 9 (RE/D.435 dated 3.9.84 (Copy enclosed) for the installation of first transformer in a Harijan Basti. Further, the Superintending Engineers/Dy. Chief Engineers shall

(293)

296

check at least 2 such villages for compliance of the above instruction during their field visits as laid down in the said circular.

Encl : As above.

Sd–

(J. N. Purohit)
Chief Engineer (RE)
28-5-88

Copy forwarded to the following for information and necessary action :—

1. The Chief Engineer (O&M)/(SPOT), RSEB, Jaipur.
2. The Chief Engineer (PPM)/(MM), RSEB, Jaipur.
3. The addl. Chief Engineer (O&M), RSEB, Jodhpur,
4. The Dy. Chief Engineer (Zone), RSEB,........

Encl : As above.

Sd–

CHIEF ENGINEER (RE)
28-5-88

GOYAL/28.5.88

परिशिष्ट ब–2

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD
(Survey & Investigation Circle)

No. RSEB/CE/RE/S&I/F 10 (270)/88-89/D./912 Jaipur dt. 8-11-88

To

The Superintending Engineer ( ),
Raj. State Electricity Board,

Sub : Revised programme for energisation of Agri. pumpsets during the year 1988-89.

Ref : This office letter No. RSEB/CE/RE/S&I/F. 10 (270)/88–89/D. 506 dated 28.5.88.

Kindly find enclosed herewith district-wise and scheme-wise/panchayat samiti-wise revised programme for energisation of Agri. pumpsets in supersession of the programme issued vide above cited letter. The programme includes the instructions issued vide this office letter No. RSEB/CE/RE/S&I/F. 10 (270)/D. 170 dated 21.4.88.

The Director Commercial, RSEB, Jaipur vide his order No. RSEB/DCO/F. 4 (73)/D. 4830 dated 7.10.88 had revised the priority for release of Agri. connections as per the directives of the State Govt. Accordingly during 1988–89 the Agri. connections are proposed to be released in the following manner:—

		No. of connections
1.	Community and Co-operative Lift Irrigation schemes registered under the Registration of Society Act.	150
2.	Sprinkler irrigation sehemes subsidised	

	by Govt. of India (two connections per panchayat samiti)	474
3.	Applicants belonging the SC under the Special Component Plan of Social Welfare Department. The over-riding priority in such cases shall however be given to the applicants covered under "Jeevan Dhara" scheme.	2550
4.	In 23 panchayat samitics covered the Tribal Sub plan area (priority be given to ST applicants). The over-riding priority in such cases shall however be given to the applicants covered under ,,Jeevan Dhara" scheme.	1225 (525)*
5.	ST applicants (other than sub-plan area). The over-riding priority in such cases shall, however, be given to the applications covered under "Jeevan Dhara" scheme.	1225
6.	For the Defence personnels, retired as well as in service.	300
7.	In such electrified villages which have no agricultural connections so far, at least two connections in each village as per targets fixed.	2000
8.	Persons having Green Cards issued by the Department of Medical & Health, Govt. of Rajasthan under Family Planning programme.	1000

9. Such tube-wells in which boring has been done from the ground surface. The over-riding priority in such wells shall however, be given to those dug by Govt./Semi Govt. institutions.	1000
	9399
	(525)*
10. For releasing the balance Agri. connection the priorities shall be as under :—	
(a) Agricultural connections to all the applicants who have applied upto 31st March, 1980 are to be released during the year 1988–89 positively as per the priority, village-wise priority to the applicants received after March, 1980 are to be given on the basis of first come first served basis according to their date of receipt.	8059
(a) Applicants covered under one pole scheme of the Board.	
(c) others	
	17458

The antedate priority of six months shall however continue to be allowed to the employees of the R.S.E. Board as per order in force.

Note : 1. Priority shall be assigned on the basis of depositing the application fee with the Board.

2. Priority list shall be displayed on the notice Board of the concerned sub-divisional office for the information of the general public.

The distribution of village-wise targets under the above ten categories will be done in each PS/REC scheme by the concerned Executive Engineers. For the PS/REC schemes falling under the jurisdiction of more than one Executive Engineer, the allotment of the targets for the PSs/Schemes will be done by the concerned Superintending Engineers.

The progress of the energisation of Agri. pumpsets under the ten categories will be indicated separately by the Assistant Engineers. The Superintending Engineers will monitor the progress of release of connections under each of the category and indicate the same in the monthwise progress report being communicated to the Chief Engineer (RE) and Chief Engineer (O&M)/(SPOT), RSEB, Jaipur positively.

The revised programme 1988–89 includes the Agri. connections in rural areas only as the urban areas are not covered under the RE schemes. Hence, Agricultural connections in urban areas may be released as and when the demand for such connections is received like other connections which are not included in the RE programme. However, the progress of such connections shall be reported under 20–Point programme of energisation of Agri. wells in the state specifically mentioning that such No. of connections are released in urban areas.

It is further advised that while electrifying any new village, due care be taken to comply with the instructions issued vide circular No. RSEB/Sec.9(RE)/D.435 dt. 3–9–84 (copy enclosed) for the installation of first transformer in Harijan

Basti. Further, the Superintending Engineers/Dy. Chief Engieneers shall check at least 2 such villages for compliance of the above instructions during their field visits as laid down in the said circular.

Encl : As above.

Sd–
(J. N. purohit)
Chief Engineer (RE)
8-11-88

Copy forwarded to the following for information & n/a.

1. The Chief Engineer (O&M)/(SPOT), RSEB, Jaipur.
2. Chief Engineer (PPM)/(MM), RSEB, Jaipur.
3. The Addi. Chief Engineer (O&M), RSEB. Jodhpur.
4. The Dy. Chief Engineer (Zone) RSEB,..........

Encl : As above.

Encl : As above,

Sd–
Chief Engineer (RE)
8-11-88

परिशिष्ट "ब-3"

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

No. RSEB/CE/RE/S&I/F.10(270)/D.2825 Jaipur, dt. 23-2-89

The Supeaintending Engineer ( ),
Raj. State Electricity Board.

Sub :—Revised programme for energisation of Agri. pumpsets during the year 1988-89.

In continuation to this office letter No. RSEB/CE/S&I/F. 10 (270)/88-89/D. 1912 dated 8-11-1988 and letter No 1957 dated 16-11-1988 vide which detailed instructions for release of Agri. connections were issued. Three sets of District-wise and scheme-wise/Panchayat Samiti-wise revised programme for energisation Agri. pumpsets in your area are sent herewith. Which has been prepared on the basis of information of pending applications as furnish by you. Village-wise targets under the categories mentioned therein may please be got done at the earliest possible with a copy to this office. Kindly note that while distributing the Agri. targets village-wise in each category it should be kept in view that targets are given village-wise in proportion to the pending applications and not on the basis of the period of pendancy of a application in the village.

Kindly acknowledge receipt of this letter.

Encl :—Three sets

Sd-

(J. N. Purohit)
Chief Engineer (RE)

परिशिष्ट–"ब–4"

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

No. RSEB/CE/RE/S&I/F.10(270)/D.3082 Jaipur dt. 14-3-89

The Superintending Engineer ( )
Raj. State Electricity Board,

Sub : Energisation of Agri. pumpsets during the year 1988-89 falling at a distance of not more than one pole.

In continuation to this office letter No. RSEB/CE/RE/S&I/F.10 (270)/D. 2825 dated 23-2-89 you are advised to release following Agri. pumpset connections having distance of not more than one pole and connections involving service line only in accordance with the instructions of Director (Commercial) vide his letters No. RSEB/F.4 (73)/Gen/Cond/1818 dt. 7-5-83, No. RSEB/DCO/F.4 (73)/Gen-Cond/D. 1255 dt. 26-11-83 & No. RSEB/DCO/F.4 (73) Gen. Cond/D. 2369 dt. 2nd June, 1986. This is in addition to the targets intimated vide letter referred above.

S.No.	District	No. of Connections

Please ensure that these connections are released by the end of this financial year i.e 31-3-89.

Sd/-

(Raghunandan Swarup)
Chief Engineer (RE)

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न सं 569 की सूची

ARRANGEMENT REACHED BETWEEN THE CHIEF MINISTERS OF RAJASTHAN AND HARYANA AND THE GOVERNOR OF PUNJAB AND GOVERNMENT OF INDIA REGARDING THE SUPPLY OF COOLING WATER FOR ROPAR THERMAL POWER STATION AND COMMISSIONING OF THE ANANDPUR SAHIB HYDEL PROJECT.

The following agreement is drawn up in the overall national interest of expediting the commissioning of power generating capacties in general and in northern region in particular :

1. ROPAR THERMAL STAGE–I–COOLING WATER ARRANGEMENT :

In the interest of expeditious commissioning of Stage-I of the Ropar Thermal Pawer Station in Punjab, the first of the two units of 210 MW of which is at an advanced stage of commissoning, the following arrangements are argreed to :–

(i) 600 cusecs of water will be supplied from the Nangal Hydel Channel to cater to the open cooling cycel system already installed for stage-I of the Ropar Thermal Power Station.

(ii) With a view to reducing the off-take of cooling water from the NHC, Punjab will consider the installation of a closed cycle cooling arrangement with cooling towers for Stage-I and will undertake installation of cooling towers for cooling water supply for Stage–II.

(iii) Punjab will further take expeditious steps to complets restoration of BML to its designed capacity of 12,500 cusecs not later than 31st May, 1985.

The shares of Rajasthan and Haryana of the funds required for the restoration work of BML will be placed at the disposal of Punjab by the respective State Governments as needed from time to time.

Estimates for the restoration of the capacity of BML have been furnished by Punjab to Haryana, Rajasthan, BBMB and CWC. These

estimates will be finalised by the CWC within a period of two months taking into account the comments of the three states and BBMB, and the decisions of the CWC in this regard shall be final and binding.

Pending finalisation of the estimates by CWC, Punjab will start the work of restoration for which funds will be made available by the three States. CWC will separately monitor the progreess of work of restoration of BML capacity by Punjab.

(iv) On restoration of BML to its designed capacity, or May 1985, whichever is earlier, any drawal of cooling water as determined by the BBMB from NHC by Punjab will be out of Punjab's share in BML.

(v) In the light of clauses (i) to (iv) above, the States concur to the linkup of NHC with Ropar Thermal Power Station.

2. The administration, maintenance and operation of the regulator for the supply of cooling water to the Ropar Thermal Power Station will vest with the Bhakra Beas Management Board, subject to further review referred to in para 3 below.

3. The above arrangements in respect of supply of cooling water for Stage-I of Ropar Thermal Power Station will be reviewed by the parties to this agreement after a period of one year.

II. ANANDPUR SAHIB HYDEL PROJECT-LINK-UP OF ANANDPUR SAHIB HYDEL CHANNEL WITH THE NANGAL RESERVOIR

(i) In view of the claims raised by Haryana and Rajastban to sharing of power in Anandpur Sahib Hydel Project, Mukerian Hydel Project, Thein Dam Project, UBDC Stage-II and Shahpur Kandi hydel scheme it is hereby agreed that the Government of India shall refer the matter to the Supreme Court for its opinion. The Superme Court's opinion obtained by the Government of India shall be remitted to the signatory states and shall be binding on them. The terms of reference to the Supreme Court shall be as under :—

(a) Are the states of Haryana and Rajasthan entitled to a share in the power generated in Anandpur Sahib Hydel Project, Mukerian Hydel Project, Thein-Dam Project, UBDC Stage-II and Shahpur Kandi hydel scheme and,

(b) If they are, what would be the share of each state, ?

(ii) In case no opinion on the above terms is expressed by the Supreme Court for any reason, the parties agree to jointly make a submission to the Supreme Court for referring the dispute to a sitting Judge of that Court whose Award shall be binding on them as well as BBMB.

(iii) In case no opinion on the above terms of reference is forthcoming from the Supreme Court, and no reference of the dispute is made by the Supreme Court to a Judge of that Court as mentioned in (ii) above, it is hereby further agreed that the Government of India shall refer the matter to a judge of the Supreme Court to be nominated by it. The award of the Judge shall be binding on all the signatory states.

(iv) In the light of clauses (i). (ii) and (iii) above, the signatory States concur to the link-up of Anandpur Sahib Hydel Channel with the Nangal Reservoir to enable commissioning of the Anandpur Sahib Hydel Project expeditiously.

(v) The administration, maintenance and operation of the Anandpur Sahib Hydel Project head regulator will vest with the BBMB.

(iv) Pending receipt of the opinion of the Supreme Court decision of the Judge, Government of India will give due consideration to the request of Haryana and Rajasthan foi making available additional power from the Central unallocated share in the Central generating stations.

Signed at New Delhi, on the 10th May, 1984.

Sd/-	Sd/-	Sd/-
Governor of Punjab	Chief Minister Haryana	Chief Minister Rajasthan

Sd/-
Union Minister for Energy
New Delhi.

परिशिष्ट 14

अतारांकित प्रश्न सं. 571 की सूची

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, भीलवाड़ा

विद्यालयवार स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूचना

क्र. सं.	नाम विद्यालय	स्वीकृत पद			रिक्त पद			कब से रिक्त हैं
		I	II	III	I	II	III	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(अ) सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय (शहरी क्षेत्र)								
1.	प्रतापनगर, भीलवाड़ा	26	18	7	–	1	–	जून 89 से
2.	राजेन्द्रमार्ग, भीलवाड़ा	22	28	12	–	1	–	जून 89 से
3.	गंगापुर	17	11	8	1	2	–	12/88, 3/89 से
4.	जहाजपुर	20	10	7	1	1	–	1/88, 12/88 से
5.	माण्डल	16	10	9	–	–	–	–
6.	माण्डलगढ	16	7	7	2	1	1	7/88 से
7.	शाहपुरा	20	21	16	–	1	-	12/88 से
8.	आसीन्द	17	10	7	–	2	1	12/88, 1/89 से
ग्रामीण क्षेत्र								
9.	बदनोर (आसीन्द)	17	5	4	–	1	–	12/88 से
10.	दौतलगढ (आसीन्द)	12	4	2	2	–	–	6/69 से
11.	बनेड़ा (बनेड़ा)	14	8	8	–	1	–	12/88 से
12.	रायला (,,)	14	7	8	–	–	–	–
13.	हुरड़ा	12	6	7	–	1	–	12/88 से
14.	पण्डेर (जहाजपुर)	14	6	4	–	–	–	–
15.	शक्करगढ (,,)	10	8	2	1	–	–	1/89 से

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	कोटड़ी (कोटड़ी)	15	6	4	1	2	–	9/88, 12/88
17.	बडलियास (,,)	15	8	2	1	1	–	1/89, 7/89 से
18.	करेड़ा (माण्डल)	13	2	3	–	1	–	12/88 से
19.	बागोर (माण्डल)	10	5	4	1	1	–	1/89, 3/89 से
20.	बिजौलिया (माण्डलगढ)	15	7	3	1	2	–	1/89, 12/88 से
21.	बिगोद ,,	12	6	4	1	1	–	,,
22.	काछोला ,,	11	6	3	–	–	–	–
23.	रायपुर (रायपुर)	17	7	4	2	1	–	,,
24.	सहाड़ा (सहाड़ा)	5	4	3	1	1	–	,,
25.	कोशिथल (रायपूर)	7	5	4	1	1	–	,,
26.	फुलियाकलां (शाहपुरा)	15	3	4	1	–	1	,,
27.	कोठिया ,,	8	6	3	2	–	–	1/89 से
28.	सुवाणा	7	6	1	1	–	–	1/89 से
ब) राजकीय माध्यमिक विद्यालय (शहरी क्षेत्र)								
1.	भीमगंज, भीलवाड़ा	–	10	11	–	–	–	–
2.	पुर ,,	–	10	6	–	–	1	12/88 से
3.	सांगानेर ,,	–	9	6	–	–	–	–
4.	सुभाषनगर ,,	–	7	4	–	–	–	–
(स) ग्रामीण क्षेत्र–पंचायत समिति आसीन्द—								
5.	रामावि-ग्रण्टाली	–	7	3	–	–	–	–
6.	,, कालियास	–	6	3	–	–	–	–
7.	,, पाटन	–	7	2	–	–	–	–
8.	,, ब्राह्मणों की सरेरी	–	7	3	–	2	–	1/89, 7/88 से
9.	,, मोड़ का निम्बाहेडा	–	7	3	–	–	–	–
10.	,, शम्भूगढ़	–	9	5	–	–	1	10/88 से
11.	,, कटार	–	6	2	–	–	–	–
12.	,, चैनपुरा	–	6	1	–	1	–	12/88 से
13.	,, बरसनी	–	6	3	–	2	–	11/88 से

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पंचायत समिति–बनेड़ा								
14.	रामावि-डाबला	—	8	2	—	—	—	—
15.	,, उपरेड़ा	—	6	2	—	1	—	12/88 से
16.	,, वड़ी कुशिडया	—	6	3	—	—	—	—
पंचायत समिति–हुरड़ा								
17.	रामावि-आंगूचा	—	6	4	—	—	—	—
18.	,, रूपाहेली	—	8	3	—	2	—	10/88, 1/89 से
19.	,, सरेरी स्टेशन	—	6	4	—	—	—	—
20.	,, कंवलियास	—	6	2	—	—	—	—
21.	,, खारीका लाम्बा	—	6	3	—	—	—	—
पंचायत समिति–जहाजपुर								
22.	रामावि-अमरवासी	—	7	4	—	—	—	—
23.	,, खंजूरी	—	9	5	—	2	—	7/88, 11/88 से
24.	,, पिपलून्द	—	7	2	—	—	—	6/89 से
25.	,, रोपा	—	7	4	—	1	—	10/88 से
26.	,, लुहारीकलां	—	8	3	—	1	—	1/89 से
27.	,, इटून्दा	—	6	2	—	1	—	7 88 से
28.	,, टीकड़	—	8	2	—	—	—	—
29.	,, सरसिया	—	6	2	—	—	—	—
पंचायत समिति–कोटड़ी								
30.	रामावि-आकोला	—	7	3	—	—	—	—
31.	,, नन्दराय	—	6	3	—	—	—	—
32.	,, पारोली	—	8	3	—	—	—	—
33.	,, श्रामा	—	8	1	—	—	—	—
34.	,, बनका खेड़ा	—	6	3	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35.	,, छापरेल	—	6	2	—	—	—	—
36.	,, बिशनिया	—	6	3	—	—	—	—
पंचायत समिति–माण्डल								
37.	रामाबि-चिताम्बा	—	6	3	—	—	—	—
38.	,, थाणा	—	5	3	—	—	—	—
39.	,, बेमाली	—	7	2	—	—	—	—
40.	,, भगवानपुरा	—	6	2	—	1	—	7/88 से
41.	,, भादू	—	7	3	—	—	—	—
42.	,, लुहारिया	—	6	2	—	1	—	7/88 से
43.	,, उमरी	—	6	2	—	2	—	7/88, 1/89 से
44.	,, चांदरास	—	6	2	—	—	—	—
45.	,, पीथास	—	6	3	—	1	—	7/88 से
46.	,, ज्ञानगढ़	—	6	3	—	—	1	9/88 से
47.	,, धुवाला	—	6	3	—	1	—	9/88 से
पंचायत समिति–माण्डलगढ़								
48.	रामावि-बरून्दनी	—	8	3	—	—	—	—
49.	,, महुआ	—	6	2	—	1	—	7/88 से
50.	,, जोजवा	—	6	2	—	1	—	9/88 से
51.	,, चांदजी की खेड़ी	—	8	2	—	1	—	3/89 से
52.	,, श्यामपुरा	—	6	1	—	1	—	9/88 से
53.	,, छोटी बिजौलिया	—	6	3	—	2	—	3/89, 9/88 से
पंचायत समिति–रायपुर								
54.	रामावि-झड़ोल	—	7	2	—	1	—	7/88 से
55.	,, बोराणा	—	7	2	—	2	—	9/88 से
56.	,, मोखुन्दा	—	6	4	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57.	रामावि-देवरिया	—	10	2	—	2	—	3/89, 7/88 से
58.	,, नाहरी	—	6	1	—	1	—	12/88 से
पंचायत समिति–सहाड़ा								
59.	रामावि-आमली	—	6	3	—	1	—	—
60.	,, पोटाला	—	8	3	—	1	—	7/88 से
61.	,, लाखोला	—	6	3	—	—	—	—
पंचायत समिति–शाहपुरा								
62.	रामावि-कनेछनकलां	—	7	2	—	—	—	—
63.	,, खामोर	—	6	3	—	—	—	—
64.	,, ढीकोला	—	6	2	—	—	—	—
65.	,, धनोप	—	6	2	—	—	—	—
66.	,, सांगरिया	—	8	2	—	1	—	7/88 से
67.	,, बच्छखेड़ा	—	6	3	—	—	—	—
पंचायत समिति–सुवाणा								
68.	रामावि-कारोई	—	6	3	—	—	—	—
69.	,, गाडरमाला	—	6	3	—	1	—	12/88 से
70,	,, गुरला	—	5	2	—	—	—	—
71.	,, मंगरोप	—	9	3	—	1	—	3/89 से
72.	,, हमीरगढ़	—	10	6	—	—	—	—
73.	,, बड़ा महुआ	—	16	2	—	1	—	3/89 से
74.	,, दोथल	—	6	3	—	—	—	—
75.	,, स्वरूपगंज	—	6	3	—	—	—	12/88 से
उच्च प्राथमिक विद्यालय, शहरी क्षेत्र–(भीलवाड़ा)								
1.	पुलिस लाईन भीलवाड़ा	—	2	9	—	—	—	—
2.	गांधीनगर भीलवाड़ा	—	3	20	—	—	—	—

312

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	शाहजी मोहल्ला भीलवाड़ा	—	1	7	—	—	—	—
4.	नाथद्वारा सराय, भीलवाडा	—	3	14	—	—	—	—
5.	जूनावास ,,	—	3	13	—	—	—	—
6.	भूपालगंज ,,	—	3	21	—	—	—	—
7.	लेबर कोलोनी ,,	—	3	16	—	—	—	—
8.	न० 1 ,,	—	3	15	—	—	—	—
9.	न० 2 ,,	—	3	10	—	—	—	—
10.	पुर ,,	—	2	12	—	—	—	—
शहरी क्षेत्र–माण्डल								
11.	गोपाल द्वारा माण्डल	—	1	3	—	—	—	—
12.	स्टेशन माण्डल	—	1	9	—	—	—	—
13.	न० 1 माण्डल	—	2	21	—	—	—	—
शहरी क्षेत्र–गंगापुर								
14.	जूनावास गंगापुर	—	2	16	—	—	—	—
15.	सराय ,,	—	2	13	—	—	—	—
16.	वार्ड नं० 1 व 2 गंगापुर	—	1	2	—	—	—	—
शहरी क्षेत्र–जहाजपुर								
17.	भंवरकलां गेट जहाजपुर	—	2	18	—	—	—	—
18.	माणकचौक ,,	—	2	14	—	—	—	—
19.	विध्याभाटा ,,	—	1	6	—	—	—	—
20.	हनुमान गेट ,,	—	1	15	—	—	—	—
शहरी क्षेत्र–शाहपुरा								
21.	फुलिया गेट शाहपुरा	—	2	21	—	—	—	—
22.	कुण्डगेट, ,,	—	3	20	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
शहरी क्षेत्र–गुलाबपुरा								
23.	जूना गुलाबपुरा	—	1	12	—	—	—	—
शहरी क्षेत्र–माण्डलगढ़								
24.	तलहटी माण्डलगढ़	—	1	16	—	—	—	—
25.	गेणोली ,,	—	1	3	—	—	—	—
26.	होड़ा ,,	—	1	8	—	—	—	—
शहरी क्षेत्र–आसीन्द								
27.	आसीन्द	—	3	22	—	—	—	—
राज. उच्च प्राथमिक विद्यालय, ग्रामीण क्षेत्र–पंचायत समिति–माण्डल								
1.	मेजा	—	1	8	—	—	—	—
2.	गोरखिया	—	1	7	—	—	1	12/88 से
3.	लेसवा	—	1	7	—	—	—	—
4.	आमदला	—	1	8	—	—	—	—
5.	चौहानों की कमेरी	—	1	6	—	—	1	7/88 से
6.	चीलेश्वर	—	1	6	—	—	1	7/88 से
7.	शिवपुर	—	1	8	—	—	1	10/88 से
8.	टहूंका	—	1	5	—	—	—	—
9.	बड्डू	—	1	4	—	—	—	—
10.	गांजूणा	—	1	4	—	—	1	3/88 से
11.	कोडिमाल	—	1	6	—	—	—	—
12.	वालवास	—	1	7	—	—	1	10/88 से
13.	चावण्डिया	—	1	6	—	—	—	—
14.	केरिया	—	1	6	—	—	—	—
15.	सूरास	—	1	5	—	—	—	—
16.	लादूवास	—	1	6	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	घोडास	—	1	6	—	—	—	—
18.	वांसेड्	—	1	6	—	—	—	—
19.	दहिमथा	—	1	5	—	—	—	—
20.	निम्बाहेडा जाटान	—	1	8	—	—	—	—
21.	गोविन्दपुरा	—	1	6	—	—	—	—
22.	भोजपुरा	—	1	5	—	1	1	11/88 से
23.	बावड़ी	—	1	5	—	—	—	—
24.	कबराडिया	—	—	—	—	पद स्वीकृत नहीं हुए हैं		
25.	घुवाला	—	—	—	—		,,	
26.	हिसनियां	—	—	—	—		,,	
पंचायत समिति–सहाड़ा								
27.	उल्लाई	—	1	6	—	—	—	—
28.	कांगणी	—	1	6	—	—	1	3/89 से
29.	खांखला	—	2	9	—	—	—	—
30.	चीड़खेड़ा	—	1	8	—	—	—	10/88 से
31.	डेलाणा	—	1	6	—	—	—	—
32.	ग्रड़सीपुरा	—	1	6	—	—	—	—
33.	अरनियां	—	1	7	—	—	—	—
34.	ढोसर	—	1	7	—	—	—	—
35.	नान्दशा	—	1	6	—	—	—	—
36.	नेगडिया खेड़ा	—	1	6	—	—	—	—
37.	भूणास	—	1	7	—	—	—	—
38.	महेन्द्रगढ	—	2	7	—	—	—	—
39.	माभावास	—	1	7	—	—	—	—
40.	सरगांव	—	1	7	—	—	—	—
41.	उप्रावि-सोनियाणा	—	1	7	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42.	शिवरती	—	1	6	—	—	1	11/88 से
43.	सालेका	—	1	6	—	—	—	—
44.	सुरावास	—	1	6	—	—	—	12/88 से
45.	सातलियास	—	1	6	—	—	—	—
46.	चावण्डियास	—	1	4	—	—	—	7/88 से
47.	भरक	—	1	4	—	—	—	—
48.	लखमणियास	—	1	3	—	—	—	—
	पंचायत समिति–सुवाणा							
49.	आटूण	—	1	6	—	—	—	—
50.	आरजिया	—	1	7	—	—	—	—
51.	ओज्याडा	—	1	6	—	—	—	—
52.	नया समेलिया	—	1	7	—	—	—	—
53.	बरडोद	—	1	8	—	—	—	—
54.	हुलेड	—	1	6	—	—	—	—
55.	पांसल	—	1	7	—	—	—	—
56.	दरीबा	—	1	7	—	—	—	—
57.	रूपाहेली	—	1	6	—	—	1	10/88 से
58.	कान्दा	—	1	6	—	—	—	—
59.	सांगवा	—	1	7	—	—	—	—
60.	रीछडा	—	1	5	—	—	—	—
61.	गढपाछली आमली	—	1	6	—	—	—	—
62.	बिलियांकला	—	1	9	—	—	—	—
63.	तिलोली	—	1	4	—	—	—	—
64.	पीपली	—	1	6	—	—	—	—
65.	खेराबाद	—	1	6	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66.	बोरडा	—	1	5	—	—	—	—
67.	देवली	—	1	5	—	—	—	—
68.	तख्तपुरा	—	1	5	—	—	—	—
69.	कोदूकोटा	—	1	7	—	—	—	—
70.	गूंदली	—	1	—	—	—	—	—
71.	सिदडियास	—	1	—	—	—	—	—
72.	कोचरिया	—	—	—	—	—	—	पद स्वीकृत नहीं
पंचायत समिति–जहाजपुर								
73.	आमल्दा	—	1	7	—	—	—	—
74.	सिहाणा	—	1	5	—	—	—	—
75.	अमरगढ	—	1	6	—	—	—	—
76.	उलेला	—	1	7	—	—	—	—
77.	कुचलवाडांकलां	—	1	7	—	—	—	—
78.	कुराडिया	—	1	7	—	—	—	—
79.	गाडोली	—	1	8	—	—	1	10/88 से
80.	गन्धेर	—	1	6	—	—	—	—
81.	घोट	—	1	7	—	—	—	—
82.	टीटोडा खोरुणा	—	1	5	—	—	—	—
83.	टीटोडी	—	1	5	—	—	—	—
84.	तसवारिया बावडी	—	1	6	—	—	—	—
85.	जामोली	—	1	7	—	—	—	—
86.	टीटोडी माफी	—	1	5	—	—	—	—
87.	बिलेठा	—	1	6	—	—	—	—
88.	बिहाडा	—	1	6	—	—	—	—
89.	फलासिया	—	1	5	—	—	—	—
90.	जालमपुरा	—	1	6	—	—	—	11/88 से
91.	धान्धोला	—	1	6	—	—	—	—
92.	तलौदा	—	1	6	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93.	घुवाला	—	1	6	—	—	—	—
94.	बैई	—	1	4	—	—	—	—
95.	भरणीकलां	—	1	5	—	—	—	—
96.	खेरुणा	—	1	6	—	—	—	—
97.	बागूदार	—	1	5	—	—	1	7/88 से
98.	ऊंचा	—	1	7	—	—	1	9/88 से
99.	गूढा रोजड़ी	—	1	5	—	—	—	—
100.	भग्गूनगर	—	1	6	—	—	—	—
101.	गांगीथला	—	1	7	—	—	—	—
102.	बांकरा	—	1	5	—	—	—	—
103.	सरसिया चारणान	—	1	5	—	—	—	7/88 से
104.	लुहारीखुर्द	—	1	2	—	—	—	—
105.	रावत खेड़ा	—	1	—	—	—	—	—
106.	बिजेठा	—	—	—	—	—	पद स्वीकृत नहीं हुए	

पंचायत समिति–आसीन्द

1	2	3	4	5	6	7	8	9
107.	आमेसर	—	1	8	—	—	—	12/88 से
108.	आकड़सादा	—	1	9	—	—	—	—
109.	ईरास	—	1	6	—	—	—	12/88 से
110.	ओझियाणा	—	1	6	—	—	—	3/89 से
111.	करजालिया	—	1	6	—	—	—	—
112.	कांवलास	—	1	5	—	—	—	—
113.	सापोला	—	1	4	—	—	—	—
114.	खातोला	—	1	7	—	—	—	—
115.	गांगलास	—	1	7	—	—	—	—
116.	चतरपुरा	—	1	8	—	—	—	—
117.	जयनगर	—	1	7	—	—	—	—
118.	जगपुरा	—	1	8	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
119.	जीन्द्रास	—	1	4	—	—	1	12/88 से
120.	जिवलिया	—	1	4	—	—	—	—
121.	जेतपुरा	—	1	6	—	—	—	—
122.	जबरकिया	—	1	5	—	—	—	—
123.	तिलोली	—	1	7	—	—	—	—
124.	दौंतडा बांध	—	1	7	—	—	—	—
125.	नेगडिया आश्रम	—	1	6	—	—	—	—
126.	प्रतापपुरा	—	1	7	—	—	—	—
127.	परा	—	1	6	—	—	—	—
128.	पांडरू	—	1	5	—	—	—	—
129.	पालडी	—	1	6	—	—	—	—
130.	पुरानी परासोली	—	1	8	—	—	—	—
131.	बदनोर	—	3	17	—	—	—	—
132.	बराना	—	1	6	—	—	—	—
133.	बाजून्दा	—	1	5	—	—	—	—
134.	भादसी	—	1	6	—	—	—	—
135.	भोजपुरा	—	1	7	—	—	—	—
136.	मोगर	—	1	6	—	—	—	—
137.	मोटरास	—	1	7	—	—	—	—
138.	मोतीपुर	—	1	6	—	—	—	—
139.	रघनाथपुरा	—	1	8	—	—	—	—
140.	रामपुरा	—	1	6	—	—	—	—
141.	लाछूडा	—	1	8	—	—	—	—
142.	शीतला का चौडा	—	1	4	—	—	—	—
143.	सुरास	—	1	6	—	—	1	3/89 से
144.	संग्रामगढ	—	1	7	—	—	—	—
145.	वडाछ	—	1	3	—	—	1	1/89 से

1	2	3	4	5	6	7	8	9
146.	बारनी	—	1	—	—	—	—	
147.	रूपपुरा	—	1	—	—	—	—	
	पंचायत समिति रायपुर :							
148.	आशाडोली	—	1	6	—	—	—	
149.	कोट	—	1	6	—	—	1	10/88 से
150.	खोमाणा	—	1	5	—	—	1	,, ,,
151.	नाथडियास	—	1	7	—	—	1	12/88 से
152.	नारायण खेड़ा	—	1	6	—	—	—	—
153.	नान्दशा	—	1	8	—	—	—	—
154.	पालंरां	—	1	5	—	—	—	—
155.	सरेवडी	—	1	6	—	—	1	7/88 से
156.	मीटां	—	1	6	—	—	—	—
157.	बोरियापुरा	—	1	7	—	—	—	—
158.	थला	—	1	6	—	—	—	—
159.	सगरेव	—	1	7	—	—	—	—
160.	बागड	—	1	6	—	—	—	7/88 से
161.	पनोलिया	—	1	4	—	—	—	—
162.	बामोलिया	—	1	5	—	—	—	—
163.	लिया	—	1	1	—	—	1	1/89 से
164.	पिथ्ल्या खेडा	—	1	—	—	—	पद स्वीकृत नहीं	
	पंचायत समिति बनेडा :—							
165.	बनेडा			11	—	—	—	—
166.	रूपाहेली खुर्द	—	1	6	—	—	—	—
167.	कासोरिया	—	1	7	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
168.	लाम्बियाकलां	—	1	4	—	—	—	—
169.	सालरियाकलां	—	1	5	—	—	—	—
170.	बैंरा	—	1	7	—	—	—	—
170.	बरणा	—	1	3	—	—	—	—
172.	बल्दरखा	—	1	6	—	—	—	—
173.	सरदारनगर	—	1	7	—	—	—	—
174.	महुआखुर्द	—	1	7	—	—	—	12/88 से
175.	झांतल	—	1	6	—	—	—	—
176.	घरटा	—	1	7	—	—	—	—
177.	बबराणा	—	1	7	—	—	—	—
178.	मेंघरास	—	1	6	—	—	—	—
179.	निम्बाहेड़ाकलां	—	1	4	—	—	—	—
180.	मूसी	—	1	4	—	—	—	—
181.	चमनपुरा	—	1	5	—	—	—	—
182.	बामणिया	—	1	3	—	—	—	—
183.	लाम्बियाखुर्द	—	1	—	—	—	—	—
पंचायत समिति—हुरड़ा :—								
184.	तसवारिया	—	1	6	—	—	—	—
185.	गागेड़ा	—	1	7	—	—	—	—
186.	खेजड़ी	—	1	8	—	—	—	—
187.	भादवों की कोटड़ी	—	1	8	—	—	—	—
188.	बड़ला	—	1	5	—	—	—	—
189.	टोकरवाड़	—	1	7	—	—	—	—
190.	भोजरास	—	1	7	—	—	—	—
191.	जालमपुरा	—	1	7	—	—	—	—
192.	सोडार	—	1	7	—	—	—	—
193.	सनोदिया	—	1	6	—	—	—	—
194.	दांतड़ा	—	1	7	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
195.	फलामादा	—	1	5	—	—	—	—
196.	भीमलत	—	1	6	—	—	—	—
197.	बराटियां	—	1	5	—	—	—	—
198.	बोरखेड़ा	—	1	—	—	—	पद स्वीकृत नहीं हुए हैं।	
पंचायत समिति—शाहपुरा :—								
199.	कादीसहना	—	1	8	—	—	—	7/80 से
200.	अरवड़	—	1	7	—	—	—	—
201.	अरणियारासा	—	1	6	—	—	—	—
202.	आमलीकलां	—	1	7	—	—	—	—
203.	ईटडिया	—	1	8	—	—	—	—
204.	तहनाल	—	1	7	—	—	—	—
205.	तसबारियाबासा	—	1	7	—	—	—	—
206.	पनोतिया	—	1	7	—	—	—	—
207.	बोरडा बावड़ी	—	1	6	—	—	—	—
208.	रामपुरा	—	1	7	—	—	—	—
209.	दौलतपुरा	—	1	6	—	—	—	—
210.	बिलिया	—	1	4	—	—	—	—
211.	कनेछनखुर्द	—	1	5	—	—	—	—
212.	राज्यास	—	1	7	—	—	—	—
213.	लसाडिया	—	1	6	—	—	—	—
214.	डोहरिया	—	1	4	—	—	—	—
215.	हुकमपुरा	—	1	5	—	—	—	—
216.	मिण्डोलिया	—	1	5	—	—	—	—
217.	रहड़	—	1	7	—	—	—	—
218.	देवरिया	—	1	6	—	—	—	—
219.	आमलीहांकला	—	1	7	—	—	—	—
220.	लूलास	—	1	6	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
221.	अरणियाघोड़ा	—	1	—	—	—	—	—
222.	फुलिया खुर्द	—	1	—	—	—	—	—
223.	डाबलाचांदा	—	1	—	—	—	—	—
पंचायत समिति—कोटड़ी :—								
224.	सूठेपा	—	1	—	—	—	—	—
225.	रासेड़	—	1	—	—	पद स्वीकृत नहीं हुआ		
226.	गेंदलिया	—	1	6	—	—	—	—
227.	सगतपुरिया			6	—	—	—	—
228.	सवाईपुर	—	1	6	—	—	—	—
229.	कंकरौलियाघाटी	—	1	7	—	—	1	12/88 से
230.	चावण्डिया	—	1	6	—	—	—	—
231.	गेगा का खेड़ा	—	1	6	—	—	—	—
232.	उदलियास	—	1	6	—	—	—	—
233.	गहूँली	—	1	6	—	—	—	—
234.	सांखड़ा	—	1	6	—	—	—	—
235.	बोरडा	—	1	6	—	—	—	—
236.	रेणवास	—	1	5	—	—	—	—
237.	बीरधोली	—	1	6	—	—	—	—
238.	कोठाज	—	1	6	1	—	—	12/88 से
239.	आसोप	—	1	6	—	—	—	—
240.	देवरिया	—	1	6	—	—	—	—
241.	रेडवास	—	1	6	—	—	—	—
242.	कंकरोलिया माफी	—	1	6	—	—	—	—
243.	बड़ला	—	1	7	—	—	—	—
244.	जीत्यामाफी	—	1	5	—	—	—	—
245,	जावल	—	1	5	—	—	—	—
246.	कुई	—	1	—	—	—	पद स्वीकृत नहीं हुए	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	पंचायत समिति—कोटडी :—							
247.	आगरिया	—	1	5	—	—	1	10/88 से
248.	जीवाखेड़ा	—	1	4	—	—	—	—
249.	सालरिया	—	1	5	—	—	—	—
250.	कोदिया	—	1	5	—	—	—	—
251.	नेहरूनगर कोटड़ी	—	1	6	—	—	—	—
252.	हाजीवास	—	1	5	—	—	—	—
253.	ढोकलिया	—	1	4	—	—	—	—
254.	मंशा	—	1	6	—	—	—	—
255.	दांतड़ा बड़ा	—	1	7	—	—	—	—
	पंचायत समिति माण्डलगढ़ :—							
256.	सरथला	—	1	6	—	—	1	10/88 से
257.	सिंगोली	—	1	7	—	—	—	—
258.	तिलस्वा	—	1	6	—	—	—	12/88 से
259.	लाडपुरा	—	1	8	—	—	—	—
260.	सराणा	—	1	6	—	—	—	—
261.	मानपुरा	—	1	7	—	—	—	7/88 से
262.	राणाली का गुढ़ा	—	1	6	—	—	1	10/88 से
263.	धामणिया	—	1	6	—	—	1	12/88 से
264.	खटवाड़ा	—	1	7	—	—	—	—
265.	छोटा दरवाजा बिजौलिया	—	1	11	—	—	—	—
266.	गणेशपुरा	—	1	6	—	—	—	—
267.	जलोन्द्री	—	1	6	—	—	1	7/88 से

1	2	3	4	5	6	7	8	9
268.	सलावटिया	—	1	8	—	—	1	10/88 से
269.	मांगटला	—	1	6	—	—	—	—
270.	धाकड़खेड़ी	—	1	8	—	—	—	—
271.	उमाजी का खेड़ा	—	1	17	—	—	1	7/88 से
272.	थलकलां	—	1	4	—	—	—	—
273.	थड़ौदा	—	1	5	—	—	—	—
274.	झंभोला	—	1	4	—	—	—	—
275.	बीकरण	—	1	4	—	—	—	—
276.	माजीसा का खेड़ा	—	1	4	—	—	—	9/88 से
277.	माल का खेड़ा	—	1	5	—	—	—	—
278.	खेसाड़िया	—	1	5	—	—	—	11/88 से
279.	जस्सूजी का खेड़ा	—	1	5	—	—	—	—
280.	आरोली	—	1	6	—	—	—	—
281.	मोहनपुरा	—	1	5	—	—	—	—
282.	राजगढ़	—	1	4	—	—	—	—
283.	कल्याणपुरा	—	1	5	—	—	1	10/88 से
284.	वीड़ का खेड़ा	—	1	4	—	—	—	—
285.	खांचरोली	—	1	1	—	—	1	10/88 से
286.	सूरास	—	1	—	—	—	1	3/89 से
287.	श्रीनगर	—	1	—	—	—	1	3/99 से
288.	जालिया	—	—	—	—	—	पद स्वीकृत नहीं हुआ	

1 2	3	4	5	6	7	8	9
राजकीय प्राथ. वि- शहरी क्षेत्र—(भीलवाडा)							
1. वार्ड नं. 10	—	—	4	—	—	—	—
2. हरिजन कोलोनी	—	—	6	—	—	—	—
3. दादावाडी	—	—	2	—	—	—	—
4. हरणीकलां	—	—	2	—	—	—	—
5. नाडी मोहल्ला	—	—	3	—	—	—	—
6. माली खेडा	—	—	1	—	—	—	—
7. काँवा खेडा	—	—	1	—	—	—	—
8. हरिजन बस्ती	—	—	3	—	—	—	—
9. बापूनगर	—	—	3	—	—	—	—
10. शास्त्रीनगर	—	—	1	—	—	—	—
11. बुजरपाड़ा	—	—	8	—	—	—	—
12. वार्ड नं. 8	—	—	10	—	—	—	—
13. किशनावती की खेडी	—	—	1	—	—	—	—
14. बिलियाखुर्द	—	—	3	—	—	—	—
15. मुंगलपुरा	—	—	1	—	—	—	—
16. जवाहर नगर	—	—	1	—	—	—	—
17. भीमगंज	—	—	10	—	—	—	—
18. धानमण्डी	—	—	3	—	—	—	—
19. वार्ड नं. 4	—	—	3	—	—	—	—
20. वार्ड नं 4	—	—	2	—	—	—	—
21. सिन्धुनगर	—	—	12	—	—	—	—
22. सुभाषनगर	—	—	10	—	—	—	—
23. सांगानेर	—	—	10	—	—	—	—
24. सालरा	—	—	1	—	—	—	—
25. वार्ड नं. 22 पुर	—	—	8	—	—	—	—
26. माली मोहल्ला पुर	—	—	2	—	—	—	—
27. संजय कोलोनी	—	—	1	—	—	—	—
28. रमेशचन्द्र व्यास कोलोनी	—	—	1	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
शहरी क्षेत्र—शाहपुरा :—								
29.	कलिंजरी गेट, शाहपुरा			4	—	—	—	—
30.	न्यू कलिंजरी गेट	—	—	4	—	—	—	—
31.	तहनाल गेट	—	—	4	—	—	—	—
32.	वार्ड नं. 3	—	—	3	—	—	—	—
33.	वार्ड नं. 6	—	—	6	—	—	—	—
34.	रामपुरा बस्ती	—	—	1	—	—	—	—
शहरी क्षेत्र—जहाजपुर :—								
35.	बोरानी का बाड़ा	—	—	1	—	—	—	—
36.	पांचा का बाड़ा	—	—	1	—	—	—	—
37.	वार्ड नं. 2	—	—	5	—	—	—	—
38.	वार्ड नं. 3	—	—	1	—	—	—	—
39.	भक्तों की झोपड़ी	—	—	1	—	—	—	—
40.	वार्ड नं. 7 जहाजपुर	—	—	2	—	—	—	—
41.	वार्ड नं. 8 ,,	—	—	1	—	—	—	—
42.	कल्याणपुरा	—	—	1	—	—	—	—
43.	रेगर मोहल्ला वार्ड नं. 5	—	—	1	—	—	—	—
44.	कोहल्ला मोहल्ला ,, 3	—	—	1	—	—	—	—
शहरी क्षेत्र—माण्डल :—								
45.	कीरखेडा	—	—	1	—	—	—	—
46.	मलगाणा	—	—	1	—	—	—	—
47.	माली खेड़ा	—	—	1	—	—	—	—
48.	घोडासी खेड़ा	—	—	2	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	शहरी क्षेत्र गंगापुर :—							
49.	मेलोनी खेड़ा	—	—	4	—	—	—	—
50.	वार्ड नं. 6	—	—	4	—	—	—	—
51.	वार्ड नं. 8	—	—	2	—	—	—	—
	शहरी क्षेत्र गुलाबपुरा :—							
52.	लेबर कोलोनी	—	—	2	—	—	—	—
53.	वार्ड न. 4 इन्द्रा कोलोनी	—	—	1	—	—	—	—
54.	खटीक मोहल्ला	—	—	1	—	—	—	—
55.	नया जोरावरपुरा	—	—	2	—	—	—	—
56.	सजनाबाद	—	—	1	—	—	—	—
57.	गुलाबबाबा की धुणी	—	—	1	—	—	—	—
58.	बैरवा मोहल्ला	—	—	1	—	—	—	—
	शहरी क्षेत्र—माण्डलगढ़ :							
59.	जापरपुरा	—	—	1	—	—	—	—
60.	नई आबादी	—	—	6	—	—	—	—
61.	फलासिया	—	—	1	—	—	—	—
62.	बल्दरखां	—	—	1	—	—	—	—
63.	बिहारीपुरा	—	—	1	—	—	—	—
64.	लक्ष्मीपुरा	—	—	3	—	—	—	—
65.	रतिया खेडा	—	—	1	—	—	—	—
66.	धाकड़खेडी			1	—	—	—	—
	शहरी क्षेत्र—आसीन्द :							
67.	आदिवासी आसीन्द	—	—	3	—	—	—	—
68.	गोविन्दपुरा	—	—	2	—	—	—	—
69.	वार्ड नं. 5 नया मन्दिर	—	—	2	—	—	—	—

परिशिष्ट–15

परिशिष्ट–"अ"

अतारांकित प्रश्न संख्या 574 की सूची

पंचायत समिति, चाकसू, पिता की खातेदारी में से परिकल्पित अंश के आधार पर स्वीकृत जीवनधारा कूपों की सूची

क्र. सं	नाम कृषक मय पिता	जाति	ग्राम	पिता के नाम भूमि		परिकल्पित अंश	
				बीघा	बिस्वा	बीघा	बिस्वा
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कैलाश/सुखपाल	बैरवा	कोटखावदा	6	5	6	5
2.	ग्यारसा/गेंदा	बैरवा	महादेवपुरा	99	19 (संयुक्त खाता)	5	0
3.	पांचू/काना	बैरवा	कोथून	30	19	5	7
4.	छोटू/काना	बैरवा	कोथून	30	19	5	7
5.	भूरा/देवा	रैगर	बोडसुतरामपुरा	9	0	4	10

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	मंगला/रामदला	मीणा	हीरापुरा	23	11	5	15
7.	काना/गोरू	,,	वाडवलदेवपुरा	21	17	3	13
8.	रामधन/लादू	,,	छोटामालपुरिया	9	0	4	10
9.	रामसहाय/गणेश	,,	श्यामपुरा	12	8	6	4
10.	लक्ष्मण/रामनाथ	रैगर	मुरारक्या	15	0	5	0
11.	हरदेवा/काना	,,	रसूलपुरा	14	18	6	0
12.	तुलसीराम/सूजाराम	खटीक	भोज्याडा	7	2	3	11
13.	पप्पू/लक्ष्मीनारायण	मीणा	गिरधारीलालपुरा	7	12	3	8
14.	मेमराज/प्रहलाद	,,	छोटामालपुरिया	12	14	5	0
15.	काना/जन्सी	,,	बावनपुरा	12	9	4	2
16.	शंकर/प्रताप	,,	,,	18	5	4	7
17.	रामनाथ, मूल्या/बिरदा	,,	देहलाला	5	18	5	18
18.	गोपी/मूल्या	,,	नरोत्तमपुरा	15	7	7	14
19.	साधू/श्रीया	,,	देहलाला	9	19	4	12

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	मोहन/भौरिया	मीणा	श्यामपुरा	12	5	6	4
21.	जगदीश/ईशरा	,,	नरोत्तमपुरा	9	12	4	16
22.	रामफूल/भौंरीलाल	,,	रलावता	16	0	6	6
23.	छोटेलाल/भगवान	,,	,,	25	8	8	6
24.	गोपाल/रामपाल	,,	बीडपिनारपुरा	20	7	4	0
25.	लल्लू/रघुनाथ	,,	दहलाला	23	19	5	1
26.	गोपी/ईशरा/मोटा	,,	बाढमुरलीपुरा	13	15	5	14
27.	घासी/मूलचन्द	,,	रलावता	7	3	3	8
28.	जगदीश/मूलचन्द	बैरवा	नयागांव	16	0	8	0
29.	गंगा सहाय/श्योनारायण	मीणा	रलावता	17	2	8	11
30.	नानगा/जगन्नाथ	,,	गिरधारीलालपुरा	11	10	4	0
31.	कैलाश/उद्धा	,,	श्रीकिशनपुरा	5	17	3	15
32.	रामसहाय/छीतर कुशला	,,	देहलाला	9	9	9	8
33.	प्रहलाद/बिरदा	,,	बासडा	11	16	4	7

1	2	3	4	5	6	7	8
34.	रामसहाय/मूलचन्द	मीणा	बाढ मुरलीपुरा	8	18	4	9
35.	गोपाल/पून्या	,,	हीरापुरा	12	2	4	1
36.	सीताराम/धन्ना	,,	रामनगर	19	7	3	16
37.	काली/नन्दा	,,	गिरधारीलाल पुरा	6	17	6	17
38.	कालू/छाजू	,,	रलावता	17	8	4	7
39.	सीताराम/प्रभात	ढोली	कांकरिया	15	0	7	10
40.	शंकर/हरजी	मीणा	दहलाला	10	29	6	11
41.	हरिनारायण/भीमा	,,	,,	15	14	4	4
42.	कैलाश/सूआ	,,	रामसागर	26	4	3	12

ह/–

सहायक अभियन्ता

परिशिष्ट–16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 575 की सूची)

नारायण राम बेड़ा
विधायक (बी. ए. एल. एल. बी.)
भोपालगढ़, (जोधपुर)

जोधपुर फोन: 28300
स्थाई पता:
गजसिंहपुरा,
त. भोपालगढ़ (जोधपुर)
जयपुर निवास:
7/6, विधायक नगर
जयपुर फोन: 60180

क्रमांक.......... दिनांक 4–4–1989

श्रीमान् डिविजनल कमिशनर महोदय,

उक्त मामले में शिकायत की कोपी साथ संलग्न कर लेख है कि तहसीलदार ओसियाँ द्वारा अवैध व अनियमित रजिस्ट्री करने एवं उन पर भ्रष्टाचार का आरोप है। अतः आप कृपया उक्त प्रकरण में निष्पक्ष अधिकारी से जांच का आदेश फरमावें एवं जांच के बाद तहसीलदार ओसिया के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने का श्रम करें।

भवदीय,
नारायण राम बेड़ा
विधायक

सेवामें,

श्रीमान् डिविजनल कमिश्नर,
जोधपुर

विषयः—ग्राम किरमसरिया कला को भूमि खसरा नम्बर 1/61 रकबा 30 बीघा की अवैध एवं अनियमित रजिस्ट्री करने के विरुद्ध कार्यवाही करने ।

श्रीमान् जी,

निवेदन प्रार्थी सूरजमल पुत्र रामदयाल जी जाति महेश्वरी निवासी मथानियां की ओर से निम्नलिखित है :—

1. कि मौजा किरमसरिया की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 16/9 प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है। जिसकी जमाबंदी में आज भी खातेदारी इन्द्राजात प्रार्थी के नाम से है। प्रार्थी को सन् 1968 में घर खर्च के लिये रुपयों की अवश्यकता थी। प्रार्थी ने रामकिशन पुत्र खूबचन्द जी महेश्वरी ने 2500)– रुपये उधार लिये एवं उक्त रुपयों की जमानत के तौर पर 30 बीघा भूमि की बेनामो रजिस्ट्री रामकिशन के नाम से करवाई थी तथा यह तय किया गया की रुपये वापिस देने पर वह रजिस्ट्री प्रार्थी के नाम से करवा देगा। प्रार्थी उधार लिये रुपये वापिस देने गया तब रामकिशन को नियत खराब हो गई और उसने इस भूमि का म्युटेशन अपने नाम करवा लिया जिसका पक्षकारी के बीच सन् 1970 से न्यायालयों में विवाद चल रहा है तथा म्युटेशन बाबत कार्यवाही की अपील अतिरिक्त डिविजनल कमिश्नर जोधपुर के न्यायालय में अपील चल रही है तथा रजिस्ट्री दिनांक 25–10–68 को निरस्त बाबत विवाद मुंसिफ मजिस्ट्रेट ओसियां के न्यायालय में चल रहा है।

2. कि न्यायालयों में मुकदमा चल रहा होने पर भी रामकिशन ने दिनांक 23–8–79 को यह भूमि जयनारायण पुत्र बलदेव जी जाति माहेश्वरी निवासी मथानियां के पक्ष जरिये रजिस्ट्री हक तर्कनाभा लिख दिया।

उक्त हक तर्क नामा लिखने के बाद रामकिशन का विवाद ग्रस्त भूमि में कोई हक या टाईटल नहीं रहा।

3. रामकिशन का विवाद ग्रस्त भूमि में कोई हक नहीं होते हुये भी दिनांक 8-7-88 को पुनः इस जमीन की जरिए रजिस्ट्री जयनारायण को मात्र एक हजार रुपये बीघा में बेचान कर दी। ये रजिस्ट्री ओसियां करने में तहसीलदार द्वारा निम्न लिखित अनियमितताएं बर्ती है :—

(क) विवाद ग्रस्त भूमि आज तक प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है लेकिन तहसीलदार द्वारा बिना राजस्व रेकर्ड देखे रामकिशन खातेदार नहीं होते हुये भी उसके द्वारा पेश की गई रजिस्ट्री को स्वीकार कर लिया जबकि नियमानुसार रजिस्ट्री के साथ जमाबंदी की नकल होना आवश्यक है एवं अगर रजिस्ट्री करने वाला खातेदार दर्ज है तो ही रजिस्ट्री करवा सकता है।

(ख) रामकिशन द्वारा विवाद ग्रस्त भूमि में जो हक थे वो दिनांक 23-2-79 को ही जरिए रजिस्ट्री तर्क कर दिये थे। उक्त हक तर्कनामे के बाद रामकिशन का विवाद ग्रस्त भूमि को बेचान करने या रजिस्ट्री करने का कोई अधिकार नहीं था। अनधिकृत व्यक्ति द्वारा पेश की गई रजिस्ट्री को तहसीलदार द्वारा स्वीकार करने में भारी कानूनी गलती की गई है एवं अनियमितता बर्ती गई है।

(ग) कि विवाद ग्रस्त भूमि पिछले 10 सालों से सिंचित होती है तथा इसमें मिर्च एवं जीरे की फसल होती है। किरमसरिया में सन् 1988 में जमीन का भाव कम से कम 10,000)- रुपये बीघा है फिर भी तहसीलदार द्वारा 1000)- रुपये प्रतिबीघा से पेश की गई रजिस्ट्र को स्वीकार कर राज्य सरकार को भारी नुक्सान पहुंचाया है।

(घ) तहसीलदार को स्वयं को जानकारी थी कि इस भूमि का विवाद चल रहा है। तथा कानूनन भी जिस सम्पत्ति का न्यायालयों में विवाद हो

उसका हस्तान्तरण नहीं हो सकता। फिर भी तहसीलदार द्वारा विवाद ग्रस्त भूमि की रजिस्ट्री कर दी।

इस प्रकार तहसीलदार ओसियां द्वारा खसरा नम्बर 16/1 रकबा 30 बीघा भूमि वाके मौना किरमसरिया तहसील ओसियां की रजिस्ट्री दिनांक 8–7–88 स्वीकार करने में भारी अनियमितता वरती गई है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अनियमितता, अवैध एवं गलत कार्य करने के लिये तहसीलदार ओसिया के विरुद्ध कार्यवाही की जावे एवं अवैध तरीके से की गई रजिस्ट्री को निरस्त फरमावें।

प्रार्थी

सुरजमल डागा निवासी मथानियां

परिशिष्ट-17

(अतारांकित प्रश्न संख्या 576 की सूची)

राजस्थान सरकार

कृषि निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

पत्रांक एफ/2/सब/वि कृ. ग्र. 2/1840–47 दिनांक 8–8–88

कार्यालय आदेश

निम्न सहायक कृषि अधिकारियों का समायोजन उनके नाम के आगे अंकित स्थानों पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

क्र. सं.	नाम सहायक कृषि अधिकारी	कहां से	कहां को
1	2	3	4
1.	श्री महेन्द्र बिहारी माथुर	स. कृ. अ. (वि) भीलवाड़ा	स. कृ. अ. (वि) मांडल
2	,, धर्मी चन्द गुर्जर	स. कृ. अ. बांसवाड़ा	स. कृ. अ. उदयपुर
3.	,, महेन्द्र कुमार गर्ग	उप निदेशक कृषि का. अजमेर	श्री दिलीप सिंह गौड के स्थान पर सहा निदेशक कृषि कार्यालय ब्यावर
4.	,, दिलीपसिंह गौड	स. नि. कार्यालय ब्यावर	श्री कृष्ण गोपाल कावरा स. कृ. वि. खरवा
5.	,, श्री भाग चन्द गुर्जर	स. कृ. अ. (वि) कुशालपुरा	स. कृ. अ. सैंदड़ा

1	2	3	4
6. ,,	छोटे लो गुर्जर	स. कृ. अ. बाड़मेर	स.कृ.अ. (वि) परबतसर
7. ,,	कर्णदान गुर्जर	स. कृ. अ. (वि) कुचामन	स. कृ. अ. परबतसर
8. ,,	कृष्ण गोपाल काबरा	स. कृ. अ. वि. खरवा	श्री मोहन प्रकाश शर्मा स. कृ. अ. वि. बौराडा के स्थान पर
9. ,,	मोहन प्रकाश शर्मा	स. कृ. अ. वि बौराडा	स. कृ. अ. वि. किशनगढ़ (सिलौरा) श्री शीतल प्रसाद माथुर के स्थान पर
10. ,,	चन्द्र प्रकाश माथुर	स. कृ. अ. वि. सोजत	श्री डगलदास गुजर स. कृ. उद्यान सोजत के स्थान पर
11. ,,	डगल दास गुजर	स. कृ. अ. उद्यान सोजत	स. कृ. अ. वि. सोजत

क्रमांक 1,2,5,6,7,9,11 को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं है।

ह.–

निदेशक,

कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एम् 2/सब/नि. कृ. ग्रु.प 2/87-88/1480-47 दिनांक 8-8-88

प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. माननीय कृषि मन्त्रीजी को उनसे हुई विशेष वार्ता की अनुपालना में ।
2. श्रीमान् विशिष्ठ शासन सचिव स्पेशल स्कीम जयपुर के अर्द्धशासकीय पत्रांक 4965 दिनांक 6-8-88 की अनुपालना में ।
3. श्री उपनिदेशक कृषि विस्तार पाली, उदयपुर, भीलवाड़ा, नागौर, बांसवाड़ा अजमेर को भेजकर लेख है कि तुरन्त अनुपालना करें ।
4. आरक्षी पंजिका

ह.—

निदेशक,

कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट–18

अतारांकित प्रश्न संख्या 579 की सूची

राज्य सरकार को पिछले चार वर्षों में विभिन्न करों के रूप में किये गए
भुगतान का विवरण-पत्र

क. सं.	विवरण	1985–86	1986–87	1987–88	1988–89	राशि लाखों में
1	2	3	4	5	6	7
1.	विशेष सड़क कर के रूप में अंतिम लेखों के अनुसार दर्शाई गई राशि	1965.04	2358.23	2551.79	2348.96	जमा राज खाते
	पिछली बकाया का भुगतान	377.00	386.96	167.53	286.00	पिछली बकाया जमा
2.	लाईसेंस एवं व्हीकल टैक्स (परमिट, पंजीकरण, नवीनीकरण फीस के रूप में					

1	2	3	4	5	6	7
	इत्यादि)	139.19	151.86	179.95	178.49	
3.	बिक्री कर के रूप में (विक्रय कर प्रतिवेदन के अनुसार)	4.89	5.47	5.77	7.32	
4.	भूमि एवं भवन कर के रूप में	—	12.09 (वर्ष 1983-84 से 1986-87)	12.10	15.00	
	योग	2486.12	2914.61	2918.14	2835.77	

इस राशि में अनुबन्धित बसों द्वारा दिया गया कर भी सम्मिलित है।

नोट:—पिछला भुगतान वर्ष 1982-83 तक आर. पी. जी. टी./ एस. आर. टी. की बकाया से सम्बन्धित है।

निगम द्वारा पिछले 4 वर्षों में अनुबन्धि पर ली गई वाहनों द्वारा तय किये गये किलोमीटरों के आधार पर राज्य सरकार को विशेष सड़क कर के रूप में भुगतान की गई राशि का विवरण

	1985-85	1986-87	1987-88	1988-89	
अनुबिन्धत वाहनों द्वारा तय किये गये किलोमीटर (लाखों में)	209.96	146.60	186.53	125.26	
विशेष सड़क कर 2 पैसा प्रति सीट प्रति कि. मी. औसतन 54 सीट्स की क्षमता मानते हुये विशेष सड़क कर की राशि लाखों में)	226.75	158.32	201.45	135.28	
				1.55	
				136.86	कुलभुगतान में सम्मिलित है।

परिशिष्ट 19

अतारांकित स्थगित प्रश्न 111 की सूची

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REVENUE (GR. IV) DEPARTMENT

No. F. 3 (606) Rev/Gr. IV/86. Jaipur, Dated 30th Mar., 1977.

To

All Collectors (with spare copies for SDOs/Tehsildars)-All Authorised Officers.

It has come to the notice of the Government that land held by a Deity as Khatedar is got recorded by the Sebaitor the Pujari in his own name in the Jamabandi and thereafter he transfers it to third parties for his own personal benefit. The Deity is a minor in perpetuity and land held by a Deity is managed by the Sebait. In some cases the Pujari is also the Sebait and he does likewise. The mutation of the name of the Sebaitor Pujari in his personal capacity in respect of land held by a Deity is incorrect. The Revenue Officers should see that whatever such mutations have been effected necessary steps for initiating action for a reference under section 82 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 by the Director of Land Records is initiated. The Member, Land Records of the Board of Revenue has been appointed Ex-Officio Director of Land Records. He should be moved in his regard. In cases where without getting his names mutated in the jamabandis the Sebait or the Pujari transfers land to third parties, such transfers are also illegal and no mutation should be sanctioned in respect of illegal transfers. Such cases should be brought to the notice of the Devasthan Commissioner so that proper steps may be taken to ? the transferee.

It should also be ensured that lands held by Deity and reccorded as such in the name of the Deity in the Jamabandi continues to be so recorded in the name of the Deity. It is also carified that it is not the duty of the Revenue Courts to determine as to who is a Pujari of a particular Deity. This is purely a Civil matter and should be left to be decided by the Civil Courts.

Sd/-
(S. I. Joshi)
Special Secretary to Government.

Copy of D.O. letter No. F. 21 (97) Rev/I/79 (Dev), dated 23rd Feb., 1980 from the Revenue Secretary addressed to the Commissioner, Devasthan Department, Udaipur.

Sub :—Agricultural lands under the Khatedari tenancies of temples-action regarding.

You will recollect that I had indicated to you, in the course of my recent discussions, that immediate and effective action should be taken to deal with the agricultural landos that are, or should be recorded in the names of various temples administered by the Devasthan Department. The issues involved indicated below for your reference and guidance :—

(1) Agricultural lands were donated to the Idols of various temples by the erstwhile princely States, and were transferred to them as Muafis. After the abolition of the Jagirdari/Biswedari, all such lands should have been recorded in the Khatedari, tenancies of the respective Idols. Further, since, as repeatedly held by the Board of Revenue, Idols should be treated as perpetual minors for purposes of the Rajasthan Tenancy Act and connected laws. such Khatedari rights in respect of temple lands cannot he acquired by, or transferred to, any other person. However. in actutal practice, a number of Pujaries/ Managers of these temples surreptitiously got these lands mutated in their names in the Revenue reords, and a number of them further transferred these lands to various other persons and got these lands furthers mutated. All these transfactions were illegal and ab-initio void,vide this Department Circular No. F. 3606) Rev/Gr. IV/76. dated 30.3.1977, addressed to all Collectos, they were instructed have a Commplete inventory of all suchcases prepared and, after making necessary enquiries, move the Board of Revenuce in reference, to have these illegal mutation orders cancilled and have all such lands re-entered in the Khatdari tenancies of the Idols. In pursuance of these iustruction, a number of references have already been made by various Colectors to the Board of Revenue and, as far as information is available nearly all these rcfrences were accepted by the Board, all such lands ordered to be recorded in the Khatedari tenanceis of the Idols concerned, the revenue records.

(2) As early as in 1975, vide this Department communication No. F. 14 (3·) Rev/I/73 dated 23-1-1974, addressed to all Collectors a completed list of all temples, the properties attached to these temples management of these temples and other connected matters were required to be collected, tehsil-wise, and the request information sent to you

in the prescrbed proforma. You had, however, informed me that this information has only been furnished by nine tehsils so far. Apparently, this matters should have been followed up by the concerned Asstt. Commissioners with the Collectors during this period, in order to have the matter expedited, What is now required to be done immediately is that the Assistant Commissioners, Devasthan should personally meet the Collectors concerned, and check from their offices the following position.

(a) The Tehsil-wise progress made with reference to the Department Circular No. F. 14 (33) Rev–I/73 dated 23-1-1974. The information aleady collected may be obtained from the offices of the Collectors, and the Collectors may be requested to issue strict instructions to Sub-Divisional Officers and Tehsildars to have balance information complied immediately, and sent two copies of the same to you and one copy to this department, within the next three months.

(b) As far as agricultural lands are concerned, all the necessary details regarding the agricultural lands which were orginally recorded as Maufis of temples would be available in the relevant Khawars and Registers of Maufis, which would be available with the Collectors. It suould, therefore. not at all be difficult to have this information complied, if this has not already been done in pursuance of this Department's letter No. F. 3 (606) Rev/Gr.IV/76. dated 30-3-1977. Thereafter, the present entries in the relevant revenue records in respect of these lands should be checked and, if any of these lands happen to have been mutated in the name of the Pujaries or other persons, enquiries should be instituted by the Collectors and, thereafter, references made to the Board of Revenue for setting aside the illegal orders passed by various officers/authorities transferring these lands either to the Pujaries or other persons. Therefore, after a complete list of the erstwhile temple Maufis lands have been prepared, and the present position regarding each of these lands has been checked from the current revenue records. the Assistant Commissioner, Devasthan, should ensure that all the cases in which these lands have been transferred to other persons are duly registered for enquiry, and the Collectots moved to initiate further necessary action according to law, as explained above.

All the Asstt. Commissioner, Devasthan, should now meet the Collectors concerned in their respective

jurisdiction and have the needful onein relation to each of the above points. This progress should be completed by 31st March, 80, and monthly progress reports should be furnished by the respective Asstt. Commissioners, to you, with a copy to this Department strict compliance of these instructions must be ensured.

(3) In respect of lands which are presently records in the Khatedar tenancies of temples. as also in respect of lands which are hence forth recorded as such after action at items (1) and (2) (b) above has been completed, it would be desirable to carefully study and conclude in which cases it would be more appropriate to dispose of these lands by autction and deposit the sale proceeds therof in the names of the concerned temples as Fixed Deposits. In this connection it has to be checked whether the interest that would be drived from such fixed Deposits, would be in excess of the income that is presently being derived on behalf of the temples for the cultivation of these lands, and that such a amount would be sufficient for the up-keep and maintenance of these temples. In cases in which this is so, it would be desirable to dispose of these lands by sale and thereby obviate possibilities of misuse of these lands by various persons either by appropriating to themselves the income derived from these lands, or else, by disposing of these lands in future. As soon as the requisite information is collected, and the position examined on the above lines, specific proposals may be sent to the Government for consideration and appropriate orders.

(4) I am endorsing a copy of this letter to all Collectors and Asstt. Commissioners, Devasthan, to expedites action, as indicated above. The receipt of this letter should be acknowledged and immediate action taken in the manner indicated above.

———

परिशिष्ट—20

अतारांकित स्थगित संख्या संख्या 113 की सूची

देवस्थान विभाग में विभिन्न श्रेणी के वर्गवार पदों का विवरण

क्र. सं.	श्रेणी	कुल पद	आरक्षित अ. जा.	आरक्षित अ. जन जाति	रिक्त पद	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	निरीक्षक ग्रेड-1	5	2	—	6	निरीक्षक ग्रेड-1 के पदों पर नियुक्ति निरीक्षक ग्रेड-2 से पदोन्नति द्वारा की जाती है। दो पद अनुसूचित जाति के (वर्ष 1979, वर्ष 1986) का बैकलाग अवशेष है।
2.	निरीक्षक ग्रेड-2	17	2	—	1	निरीक्षक ग्रेड-2 के पदों पर नियुक्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित व्यक्तियों की होती है। रोस्टर के अनुसार 2 पद (1 वर्ष 1983 व 1 वर्ष 1985) अनुसूचित जाति का

1	2	3	4	5	6	7
						वैकलाग अवशेष है। अनु. जन जाति के 3 व्यक्ति इन पदों पर कार्यरत हैं।
3.	कार्यालय अधीक्षक	1	1	—	1	कार्यालय अधीक्षक के पद करे पदोन्नति से भरा जाता है। रोस्टर अनुसार प्रथम बिन्दु अ. जाति का था जो अब भी अवशेष है।
4.	कार्यालय सहायक	2	1	—	—	एक पद पर एक व्यक्ति अनुसूचित जाति एवं दूसरे पद पर सामान्य व्यक्ति कार्यरत है।
5.	निजी सहायक	1	1	—	—	रोस्टर अनुसार प्रथम बिन्द अनुसूचित जाति का था। पदोन्नति के समय उक्त जाति का व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने से सामान्य जाति से पदोन्नति की गई।
6.	शीघ्र लिपिक	2	2	—	—	शीघ्रलिपिक के पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित सामान्य जाति के व्यक्ति नियुक्त हैं। रोस्टर वैकलाग के अनुसार दोनों पद अनुसूचित जाति के आरक्षित चले आ रहे हैं।

1	2	3	4	5	6	7
7.	वरिष्ठ लिपिक	25	2	—	—	यह पद कनिष्ठ लिपिक से पदोन्नति द्वारा भरा जाता है। रोस्टर के अनुसार दो पद (1 वर्ष 1983 व 1 वर्ष 1985) अनुसूचित जाति का बैकलाग अवशेष है। इस समय विभाग में 10 व्यक्ति अनुसूचित जाति तथा 3 व्युक्ति अनुसूचित जनजाति के कार्यरत हैं।
8.	कनिष्ठ लिपिक	44	1	1	8	राजस्व लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित व्यक्ति की इस पद पर नियुक्ति की जाति है। रोस्टर अनुसार 1 पद अनुसूचित जाती व 1 पद अनु. जनजाति का बैकलाग अवशेष है। इस समय विभाग में 3 अनु. जाति एवं 4 अनु. जनजाति के व्यक्ति कार्यरत हैं।
9.	प्रबन्धक ग्रेड-1	15	2	1	1	इस पद पर नियुक्ति प्रबन्ध द्वितीय श्रेणी से पदोन्नति द्वारा की जाती है। रोस्टर अनुसार 2

1	2	3	4	5	6	7
						पद अनु० जाति (वर्ष 79, 87) व 1 पद अनु. जाति (वर्ष 1976) का बैकलाग अवशेष है।
10.	प्रबन्धक ग्रेड-2	17	2	1	2	इस पद पर नियुक्ति विभाग द्वारा की जाती है। 2 पद (1979) अनु. जाति एवं 1 पद (वर्ष 1987) अनु. जनजाति का बैकलाग अवशेष है।
11.	वाहन चालक	2	1	—	1	अनुसूचित जाति का कोई पद रिक्त नहीं है। इस समय अनुसूचित जाति का व्यक्ति इस पद पर नियुक्त है।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं सेवागीरों के स्वीकृत पद अनुसार अवशेष
आरक्षण सम्बन्धित मानचित्र

पद नाम	स्वीकृत पद	रिक्त	कार्यरत	कार्यरत कर्मचारियों का विवरण			अ. जा./ज. जा. के पदों का आरक्षण		आरक्षण के अनुसार शेष	रिक्त	योग शेष रिक्त
				सामान्य जाति	अ. ज.	ज. जा.	अ. ज.. 16/	ज. जा. 12/			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
च. श्रे. कर्म सेवागीर मन्दिरान (च. श्रे. कर्म)	60	5	55	44	5	6	10	7	5	1	6
पुजारी	94	—	94	94	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
शेष सेवागीर (जिनमें जल घडिया रसोईदार, चौकीदार, प्रहरी, फर्राश, किर्तनिया, झापटियां, व बुआरियां अदि सम्मिलित हैं)	266	11	255	255	13	17	43	32	30	15	45
योग:—	420	16	404	363	18	23	53	39	35	16	51

परिशिष्ट—21

अतारांकित प्रश्न सं. 154 की सूची

जागीर आयुक्त कार्यालय, राजस्थान, जयपुर में जागीर कमिश्नर के अधिकार क्षेत्र के विचाराधीन मुआवजे दावों की सूची :—

क्रम संख्या	नाम जागीर	जिला
1.	श्री विट्ठलनाथ जी नाथद्वारा	उदयपुर
2.	राठौड़	जयपुर
3.	जादरी	पाली
4.	गोपालपुरा	चुरू
5.	सेवन्त्री	वेवल्सी उदयपुर
6.	आहोर	जालोर
7.	लवाण	जयपुर
8.	दरगाह फारूकियान	झुंझुनू
9.	डोली महादेवजी जनापठ	पाली
10.	भोपालगढ़	भीलवाड़ा
11.	सदनपुरा	टोंक
12.	मड खारा	जालोर
13.	दूनी	टोंक
14.	सुरेना डूंगर	जयपुर

Sd/–

(केदारनाथ) अतिरिक्त जागीर आयुक्त

परिशिष्ट—22

अतारांकित प्रश्न संख्या 232 की सूची

जोधपुर व नागौर जिले के बिना राष्ट्रीयकृत मार्गों की सूची जिन पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने बसें चलाने हेतु आवेदन किया हुआ है

क्र. सं	मार्ग का नाम	जिला	आवेदन करने का दिनांक	मांगे गये परमिटों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	जोधपुर से बनाड़ी नगर वाया सोजत सिटी	जोधपुर	1-6-87	1
2.	जोधपुर—मारवाड़ जंक्शन वाया पाली	,,	1-6-87	1
3.	जोधपुर—अजमेर वाया बावड़ी, आसोप, मोटनं, मेड़ता	,,	24-9-88	2
4.	जोधपुर—कोसाना वाया पिपाड़	,,	18-3-88	2

1	2	3	4	5
5.	जोधपुर—कवासपरा वाया, पिपाड़, कोसाना	जोधपुर	25–4–88	2
6.	नागौर—जोधपर वाया मुण्डवा, भोपालगढ़	नागौर	15–10–88	2
7.	नागौर—जोधपर वाया खाटू, तरनाऊ	,,	25–2–89	3
8.	नागौर—मेवता वाया लजवाना	,,	7–6–89	2
9.	नागौर—जायल खियाला	,,	7–6–89	2

शुद्धि-पत्र

क्र. सं.	स्कम्भ सं.	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1.	81	1	चौहन	चौहान
2.	83	फोलियो	1988	1989
3.	123	फोलियो	989	1989
4.	152	फोलियो	स्थ. आदि पर चर्चा	स्थ. प्र. आदि पर चर्चा
5.	233	फोलियो	ध्यनाकर्षण	ध्यानाकर्षण
6.	242	16	श्री सुजान सिह यादव	श्री सुजान सिंह यादव
7.	247	फोलियो	उपस्थान	उपस्थापन
8.	278	3,6	मिधा	मिर्धा
9.	281	24	मिश्रा	मिर्धा
10.	282	7	मिधा	मिर्धा
11.	332	7	430 बजे	4.30 बजे
12.	345	17	(संख्या–31)	(संख्या–3)
13.	369	1	श्री अगरचन्द	श्री अमरचन्द
14.	390	3	श्री उपाध्यक	श्री उपाध्यक्ष
15.	391	14	आहारी	अहारी
16.	416	25	(तारांकित प्र. सं. 397)	(स्थगित तारांकित प्र. सं. 397)
17.	547	फोलियो	1889	1989